[2020] 9 एस. सी. आर. 974

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एल. आर. & एएनआर।

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

(2020 की सिविल अपील संख्या 2732)

13 जुलाई, 2020

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 भाग–1 का अध्याय III, धारा 18 से 23–भारत का संविधान कलाएँ। 363 और 366 (22)–श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर–शेबैटशिप या मंदिर का प्रबंधन–उत्पत्ति और मंदिर की स्थापना के संबंध में कई संस्करण हैं, हालांकि, हर संस्करण स्वीकार करता है कि त्रावणकोर के राजा के पास एक था तब से मंदिर का प्रबंधन राजा के पास था। त्रावणकोर–इसके बाद, त्रावणकोर और कोच्चि के शासकों ने भारत सरकार के साथ एक वाचा में प्रवेश किया। 27.05.1949 और 29.05.1949 क्रमशः–कला। वाचा के आठवें (बी) ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के संबंध में त्रावणकोर के शासक के प्रशासनिक अधिकार को संरक्षित किया–भारत के संविधान ने किसी भी वाचा के संदर्भ में शासकों को देय प्रिवी पर्स के संबंध में कुछ प्रावधान किए। राज्य के शासक द्वारा–संविधान के लागू होने के तुरंत बाद, त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 अधिनियमित किया गया था और इसके भाग–। का अध्याय–III जिसमें धारा 18 से 23 शामिल हैं, विशेष रूप से श्री के साथ संबंधित है।पद्मनाभस्वामी मंदिर–फिर संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 आया जिसने कला को हटा दिया। 291 और 362 और अनुच्छेद सम्मिलित किया गया। 363ए जो अब स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, अन्य बातों के साथ, कि कोई भी व्यक्ति जिसे शासक या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी, और प्रिवी पर्स के संबंध में सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व समाप्त हो गए हैं–19.07.1991 पर, जिस शासक ने वाचा को निष्पादित किया था, उसका निधन हो गया तब से, अपीलार्थी नं. 1 , मृतक शासक का छोटा भाई मंदिर के मामलों के संबंध में 'त्रावणकोर के शासक' के रूप में सभी कार्यों का प्रयोग कर रहा था–द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी 974 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एल. आर. & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. अपीलार्थी सं. 2 , निष्पादन अधिकारी (द्वारा नियुक्त)वाचा के अनुसार त्रावणकोर के शासक) के तहत अधिकार दिखाने के लिए इसके बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा एक और रिट याचिका दायर की गई थी। वाचा के प्रासंगिक अनुच्छेदों के लिए–इसके अलावा, दीवानी मुकदमे थे लंबित, जिसने मंदिर के मामलों के साथ अपीलार्थियों के अधिकार को चुनौती दी–चाहे अपीलार्थी नं। 1 – कम उम्र के त्रावणकोर के अंतिम शासक का भाई 19.07.1991 पर अंतिम शासक की मृत्यु के बाद अपने भीतर 'त्रावणकोर का शासक' होने का दावा कर सकता था।एस में निहित शब्द का अर्थ। 18 (2) 1950 के अधिनियम सेश्री के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन का दावा करेंपद्मनाभस्वामी मंदिर–उच्च न्यायालय ने कहा कि न तो अपीलार्थी नं. 1 न ही उसके परिवार का कोई उत्तराधिकारी दावा कर सकता है मंदिर का नियंत्रण या प्रबंधन यू/एस। 18 (2) 1950 के अधिनियम और राज्य सरकार को एक निगमित निकाय के गठन का निर्देश दिया गया था या मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास या अन्य कानूनी प्राधिकरण– पीड़ित, अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कीः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब मूर्ति हैस्थापित किया

जाता है और मंदिर का निर्माण किया जाता है या एक दान की स्थापना की जाती है, संरक्षकता संस्थापक में निहित है और जब तक कि संस्थापक स्वयं न होशेबेटशिप का निपटान एक विशेष तरीके से किया है या वहाँ है कुछ उपयोग या प्रथा या परिस्थितियाँ हस्तांतरण के एक अलग तरीके को दर्शाती हैं, वंशानुगत की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह वंशवाद संपत्ति संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करती है, और यह अदालत के लिए उत्तराधिकार या परिवर्तन का एक नया नियम निर्धारित करने के लिए खुला नहीं है।उत्तराधिकार का नियम– तत्काल मामले में, शेबैटशिप यामंदिर का प्रबंधन बाद के राजाओं के पास चला गया, त्रावणकोर के शाही परिवार से और मूल संस्थापक से लगातार और अटूट वंशावली का प्रतिनिधित्व किया।द आर्ट। वाचा का VIII स्वीकार किया गया और स्वीकार किया गया कला के उप–अनुच्छेद (बी) का अंतिम भाग। वाचा का VIII कि मंदिर के संबंध में प्रशासन पहले से ही निहित था त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक–इसलिए, जबवाचा में वाचा राज्य के शासक द्वारा प्रवेश किया गया था शासन, वह मंदिर के शेबैत का पद धारण कर रहा था औरलगातार शेबैट्स की एक निरंतर और अखंड रेखा का प्रतिनिधित्व कियामूल संस्थापक से पता लगाया गया–जहाँ तक संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 का संबंध है, इस संशोधन के बावजूद, शासक की निजी संपत्तियां कानून और प्रथा के अनुसार सामान्य उत्तराधिकार और हस्तांतरण के लिए उपलब्ध रहतीं–हालांकि शासक या शासन जैसी अवधारणाएं काम करना बंद कर चुकी हैं, एक घटना के रूप में गद्दी का उत्तराधिकार अभी भी काम कर सकता है–इसलिए, संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 ने मंदिर के प्रशासन को प्रभावित नहीं किया–इसलिए, वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक की मृत्यु किसी भी तरह से त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा आयोजित मंदिर के शेबैटशिप को प्रभावित नहीं करेगी, कि ऐसी मृत्यु के बाद, शेबैटशिप को लागू कानून और प्रथा के अनुसार हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

1950 के अधिनियम के अध्याय III भाग–I में कानून और रीति–रिवाजों के अनुसार उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950–श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रशासनिक संविधान

समिति और सलाहकार समिति–एक प्रशासनिक समिति के गठन के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा एक टिप्पणी दी गई थी और

मंदिर के कार्यों की देखभाल के लिए एक सलाहकार समिति–अन्य बातों के साथ–साथ यह सुझाव दिया गया था कि प्रशासनिक समिति

इसमें पाँच सदस्य होते हैंः क) केरल सरकार के परामर्श से न्यासी द्वारा नामित केरल सरकार के सचिव पद का एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो समिति का अध्यक्ष होगा; (ख) न्यासी द्वारा नामित एक सदस्य; (ग) केरल सरकार द्वारा नामित एक सदस्य; (घ) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य; और (ङ) मंदिर का मुख्य तंत्री–आयोजितः प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति के गठन के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा अपने नोट में दिए गए सुझावों को प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के संबंध में संशोधन के अधीन स्वीकार किया जाता है–प्रशासनिक समिति में एक छोटा सा बदलाव किया जाता है–सचिव के पद के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बजायप्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में केरल सरकार, न्याय के हित में, जिला न्यायाधीश,

तिरुवनंतपुरम प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होगा।

शब्द और वाक्यांशः ' शेबैत '–का अर्थ–अभिव्यक्ति

शेबैत "सेवा" से लिया गया है जिसका अर्थ है सेवा और शेबैत, श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एल. आर. & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है वह जो मूर्ति या देवता को "सेवा" प्रदान करता है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, की स्थिति और पात्रता से संबंधित मुद्दे

अपीलार्थी सं. 1, जिसमें मंदिर के साथ संबंध का संबंध भी शामिल है, विवाद पर विचार किया जा सकता है

निम्नलिखित पाँच खंडःए] मई 1949 में जब वाचा में प्रवेश किया गया था, उससे पहले और उस तारीख तक की स्थिति।

बी] मई में प्रवेश की गई वाचा का प्रभाव

1949 .

ग) भारत के संविधान का प्रभाव जो संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 से पहले था और

त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 (टी. सी. अधिनियम) के प्रावधान।

घ) संविधान का प्रभाव (छब्बीसवाँ संशोधन)

अधिनियम, 1971।

ई] उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रभाव जिसने त्रावणकोर के शासक के रूप में वाचा पर हस्ताक्षर किए थे। [पैरा 50] [1078–सी–ई]

2. ए] मई 1949 में अनुबंध किए जाने से पहले और उस तारीख तक की स्थिति

2.1 यद्यपि उत्पत्ति और मंदिर की स्थापना के संबंध में अलग–अलग विवरण और मान्यताएँ हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक संस्करण स्वीकार करता है कि त्रावणकोर के राजा की भूमिका थी

शुरू में मंदिर का प्रशासन, और यह कि वही थे जिन्होंने वर्ष 1686 में हुई एक बड़ी आग के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया, और एक नई मूर्ति स्थापित की और मंदिर पर पूरा नियंत्रण कर लिया। त्रावणकोर के राजा इस प्रकार थे

मंदिर की स्थापना के लिए जिम्मेदार, जिस रूप में यह खड़ा है

आज, और यह राजा ही थे जिन्होंने नई मूर्ति स्थापित की, और तब से मंदिर का प्रबंधन, जब तक वाचा पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, हमेशा त्रावणकोर के राजाओं के साथ रहा था। [पैरा 54] [1080 जी–एच; 1081–ए] [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.2 . किसी भी पैरामीटर पर परीक्षण किया जाता है, जैसे कि ऐतिहासिक विवरण, लोकप्रिय और प्रथागत विश्वास, कुछ प्रथाओं से जुड़े

मंदिर के अनुष्ठान और कार्य जिनमें अनिवार्य रूप से शासक की उपस्थिति और भागीदारी की आवश्यकता होती है, की गहरी भागीदारी

शासक परिवार के सदस्य और उनके जीवन के विभिन्न चरणों में मंदिर और श्री पद्मनाभस्वामी के साथ उनका संबंध, "त्रिपती दानम" और इसका महत्व, और लंबे समय से इस तथ्य को मान्यता और स्वीकार किया कि मंदिर का प्रबंधन हमेशा शासक के साथ रहा है, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है कि सदियों से, मंदिर का अनन्य प्रबंधन श्री पद्मनाभस्वामी के अधीन था।

त्रावणकोर के शासक परिवार के क्रमिक शासक और त्रावणकोर के शासक, वाचा पर हस्ताक्षर होने तक, मंदिर के प्रबंधक या शेबैट के रूप में थे।

[पैरा 60] [1085–जी–एच; 1086–ए–बी]

2.3 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है, जब मूर्ति स्थापित की जाती है और मंदिर का निर्माण किया जाता है या एक दान की स्थापना की जाती है, तो संरक्षकता संस्थापक में निहित होती है और जब तक कि संस्थापक स्वयं किसी विशेष तरीके से संरक्षकता का निपटान नहीं करता है या कोई उपयोग या प्रथा या परिस्थितियां नहीं होती हैं।हस्तांतरण के एक अलग तरीके को दर्शाते हुए, वंशानुगत संपत्ति की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह अधिवास संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करता है और उत्तराधिकार का एक नया नियम निर्धारित करने या उत्तराधिकार के नियम को बदलने के लिए न्यायालय के लिए खुला नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया है कि स्वामित्व में कार्यालय और संपत्ति, कर्तव्यों और व्यक्तिगत हित के तत्व एक साथ मिश्रित होते हैं और वे स्वामित्व अधिकार के चरित्र के साथ स्वामित्व के कार्यालय का निवेश करते हैं। यह आगे निर्धारित किया गया है कि शेबेट

स्वामित्व अधिकार। [पैरा 73] [1110–जी–एच; 1111–ए–बी] 2.4 यदि तत्काल मामले पर इन तय किए गए सिद्धांतों की कसौटी पर विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि बड़ी आग के बाद कि

वर्ष 1686 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और त्रावणकोर के तत्कालीन राजा द्वारा एक नई मूर्ति स्थापित की गई थी और तब से जब तक वाचा पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब तक मंदिर का प्रबंधन हमेशा त्रावणकोर के राजाओं के पास रहा था।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एल. आर. & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

2.5 इस प्रकार इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उस दिन जब वाचा के शासक द्वारा वाचा में प्रवेश किया गया थात्रावणकोर राज्य, अन्य घटनाओं के अलावा जो आम तौर पर शासन का पालन करते हैं, वह मंदिर के शेबैत का पद संभाल रहा था और मूल संस्थापक से खोजे गए क्रमिक शेबैत की एक निरंतर और अखंड रेखा का प्रतिनिधित्व कर रहा था; और मंदिर का शेबैत होने के नाते, उसके पास अदालतों के निर्णयों द्वारा निर्धारित सभी अधिकार और हित थे। [पैरा 74] [1111–एफ–जी]

3. बी] मई में प्रवेश की गई वाचा का प्रभाव

1949

3.1 उप–अनुच्छेद VIII के अनुच्छेद 'बी' में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है "अब त्रावणकोर के प्रसंविदात्मक राज्य के शासक में विश्वास में निहित है"

और इस प्रकार इस तथ्य को स्वीकार किया कि मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों के संबंध में प्रशासन पहले से ही त्रावणकोर के करार राज्य के शासक के पास निहित था। उप–अनुच्छेद 'ख' ने आगे विचार किया कि नियत दिन से,

मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों का प्रशासन "त्रावणकोर के शासक" के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। यह उप अनुच्छेद बहस और प्रस्तुतियों का केंद्र था विभिन्न पक्षों की ओर से पेश होने वाला वकील। [पैरा 77] [1114–डी–ई]

3.2 तब अनुच्छेद VIII के उप–अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्ध में "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होगा, इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वाचा में एकमात्र स्थान जहां वाचा राज्य के शासक के रूप में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस वाचा राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी पूर्व शक्तियों का आनंद लेता रहेगा, वह अनुच्छेद XX। था। "वाचा राज्य के शासक" और त्रावणकोर के शासक या "कोचि के शासक" के रूप में संदर्भ [2020] 9 एस. सी. आर.

शेष अनुच्छेदों में, केवल संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में थे, न कि शासक के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता के संदर्भ में। यह अनुच्छेद VIII के उप–अनुच्छेद 'डी' के प्रावधान द्वारा मजबूत हो जाता है, जिसके संदर्भ में "कोचि का शासक" कुछ मंदिरों में अनुष्ठानों और समारोहों के संबंध में विनियमन और नियंत्रण का प्रयोग करना जारी रखेगा। वाचा के लागू होने पर, उन्होंने पूर्ववर्ती कोचि राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता खो दी थी। इस

प्रकार, उनमें उक्त परंतुक के तहत शक्तियों को बनाए रखना इसलिए नहीं था कि उन्हें वाचा के संदर्भ में नियत दिन के बाद राज्य के प्रमुख के रूप में कोई आधिकारिक दर्जा प्राप्त था, बल्कि केवल संबंधित व्यक्ति का वर्णन करने और उसका पता लगाने की दृष्टि से था। उक्त परंतुक में विवरण का उत्तर देने वाला व्यक्ति जारी रहेगा।

ऐसी शक्ति का प्रयोग करना। इसलिए, इसी तरह के विचार को वैध रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि अनुच्छेद VIII. के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्ध में विवरण केवल व्यक्ति को संदर्भित करने या उसका पता लगाने के लिए था।

इसके अलावा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मंदिर के साथ शाही परिवार का जुड़ाव और समय-समय पर शासकों की एक क्रमिक पंक्ति द्वारा आयोजित शेबैटशिप की प्रकृति ऐसी थी कि वाचा योजनाबद्ध रूप से प्रबंधन की अनुमति देती थी।

मंदिर के मामले-शाही परिवार के साथ, और त्रावणकोर के शासक के हाथों में, मुख्य रूप से क्योंकि राज्य के पूर्व प्रमुख के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता या स्थिति का स्पष्ट रूप से मंदिर के शेबत के रूप में क्षमता से कोई लेना-देना नहीं था।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य में अन्य देवस्वम और बंदोबस्ती का भी उपयोग किया जाता था।

यह स्वीकार किया कि उक्त अन्य देवस्वम और बंदोबस्ती और अन्य संपत्तियों के संबंध में प्रशासन पहले त्रावणकोर के प्रसंधीय राज्य के शासक के प्रबंधन के अधीन था। हालाँकि, यह कहा गया है कि इसके प्रभाव से वाचा के संदर्भ में नियत दिन, ऐसा प्रबंधन अब त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में निहित होगा। इस भाग का उल्लेख श्वेत पत्र के प्रासंगिक पैराग्राफ में भी मिलता है।

इस प्रकार, जहां कहीं भी राज्य के प्रमुख की आधिकारिक क्षमता शासक को श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर का प्रभारी बनाने के लिए जिम्मेदार थी।

एल. आर. & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

3.3 परिसर में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद VIII. के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्द्ध में प्रयुक्त "त्रावणकोर का शासक" अभिव्यक्ति केवल संदर्भ के रूप में थी और उक्त उप-अनुच्छेद का उद्देश्य उक्त अधिकार और शक्ति का निवेश करना नहीं था।क्योंकि वह शासक था या किसी भी आधिकारिक स्थिति का आनंद लेता था और उसका प्रतिनिधित्व करता था। [पैरा 79] [1119-एच]

3.4 वाचा के अनुच्छेद VIII. को न केवल स्वीकार किया गया

और इस तथ्य को स्वीकार किया कि मंदिर, इसकी संपत्तियों के साथ-साथ पंडरवाग की संपत्तियों के संबंध में प्रशासन पहले से ही "त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक" में निहित था, लेकिन उक्त अनुच्छेद ने स्पष्ट रूप से उसी स्थिति को जारी रखा और निर्धारित किया कि ऐसा प्रशासन "त्रावणकोर के शासक" के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन संचालित किया जाएगा। [पैरा 81] [1121-ए-बी]

टी. सी. अधिनियम के प्रावधान 4.1 कला. 291 भारत के संविधान का अनुच्छेद शासकों को देय प्रिवी पर्स से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि यदि किसी के तहत

किसी भी भारतीय राज्य के शासक द्वारा की गई वाचा या समझौता, किसी भी राशि की गारंटी या आश्वासन सरकार द्वारा दिया जाता था।

भारत अधिराज्य की ओर से प्रिवी पर्स के रूप में भुगतान की जाने वाली राशियों का प्रभार भारत की संचित निधि से लिया जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा और किसी भी शासक को इस प्रकार भुगतान की जाने वाली राशियों को आय पर सभी करों से छूट दी जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 362 में निर्धारित किया गया है कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए या अपनी-अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें उचित सम्मान देना होगा -

ऐसी किसी वाचा या समझौते के तहत दी गई गारंटी या आश्वासन, जैसा कि कला में संदर्भित किया गया था। 291 संविधान का भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में।

कला. 366 (22) "शासक" पद को परिभाषित करने का अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, जिसने अनुच्छेद 291 में निर्दिष्ट वाचा पर हस्ताक्षर किए थे।

और जिसे, कुछ समय के लिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई थी और जिसमें ऐसे शासक का उत्तराधिकारी भी शामिल होगा। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि त्रावणकोर के शासक जिन्होंने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने त्रावणकोर के शासक के रूप में मान्यता दी थी। अनुच्छेद 363, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, बार टू की बात करता है।

कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप। [पैरा 82] [1121-डी-जी; 1122-ए]

4.2 इसके तुरंत बाद, टी. सी. अधिनियम लागू हुआ। टी. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान पहले ही निकाले जा चुके हैं।

इससे पहले। टी. सी. अधिनियम के अध्याय III में विशेष रूप से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और मंदिर के प्रशासन से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी। टी. सी. अधिनियम का कहा गया अध्याय III है

वाचा के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' के बाद के भाग के अनुरूप और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों का प्रशासन "त्रावणकोर के शासक में न्यास में निहित है" और टी. सी. अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 1 के

संदर्भ में योगदान किए गए 6 लाख रुपये की राशि का संचालन किया जाएगा, जो राज्य के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगी।त्रावणकोर "उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा। उक्त अध्याय III ने पहली बार कोई अधिकार या लाभ प्रदान नहीं किया, जहां पहले कोई भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन अनुबंध के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'बी' के उत्तरार्ध में निरंतर स्थिति के रूप में जो स्वीकार और स्वीकार किया गया था, उसे वैधानिक मान्यता दी। टी. सी. अधिनियम की धारा 20 तब श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति के गठन से संबंधित है, जो वाचा के उक्त अनुच्छेद VIII के अनुरूप भी है। [पैरा 83] [1122-बी-डी]

4.3 जहां तक वर्तमान खंड का संबंध है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भारत के संविधान के साथ-साथ टी. सी. अधिनियम ने किसी भी तरह से भारत के शासक की स्थिति को प्रभावित या कम नहीं किया।

मंदिर के शेबत के रूप में त्रावणकोर ने किसी भी तरह से प्रशासन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला।

त्रावणकोर के शासक। वास्तव में, प्रासंगिक श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

टी. सी. अधिनियम के प्रावधानों ने वाचा के अनुच्छेद VIII द्वारा अनुध्यात स्थिति को वैधानिक रूप दिया। [पैरा 86] [1130-एफ जी]

5. घ) संविधान का प्रभाव (छब्बीसवाँ संशोधन)

अधिनियम, 1971

5.1 विभिन्न शासकों के साथ किए गए समझौतों या समझौतों में दिए गए आश्वासन और गारंटी आमतौर पर होते थे

चार तत्व; (i) कुछ राशियाँ प्रिवी पर्स के माध्यम से शासकों को देय होंगी; (ii) शासक की निजी संपत्तियों के रूप में उल्लिखित कुछ संपत्तियाँ शासक में निहित होंगी।व्यक्तिगत क्षमता; iii) गद्दी का उत्तराधिकार सख्ती से प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार होगा; और iv) शासकों और कुछ मामलों में शासक के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार और गरिमा उपलब्ध रहती रहेगी। [पैरा 91] [1137-बी-सी]

5.2 उपरोक्त चार तत्वों में से, तत्व (i) और (iv) अनुच्छेद 291 और 362 द्वारा कवर किए गए थे जैसा कि वे हटाए जाने से पहले थे। इस तरह के विलोपन के प्रभाव पर चर्चा की गई है।

और निपटा लिया। तत्व (ii) और (iii) सामान्य घटनाएँ हैं जो उक्त अनुच्छेद 291 और 362 के दायरे में नहीं थीं। संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के बावजूद, शासक की निजी संपत्तियां कानून और रीति-रिवाजों के अनुसार सामान्य उत्तराधिकार और हस्तांतरण के लिए उपलब्ध रहतीं। हालाँकि शासक या शासन जैसी अवधारणाएँ काम करना बंद कर चुकी हैं, फिर भी गद्दी का उत्तराधिकार एक घटना के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक तलवार या कोई अन्य औपचारिक हथियार, या एक सरपेच, या विरासत के आभूषण हो सकते हैं, जो अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार के सामान्य तरीके के विपरीत, ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार होना चाहिए। ऐसे सभी

घटनाओं का अंत नहीं हुआ है। [पैरा 92] [1137–डी–एफ]

5.3 इन चार तत्वों को वर्तमान मामले में अनुबंध में क्रमशः अनुच्छेद XIV, XV, XVII और XVI द्वारा शामिल किया गया था।

हालाँकि, उक्त चार आश्वासनों के अलावा, वाचा में अनुच्छेद VIII (b) में एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण पहलू पर भी चर्चा की गई थी। इसने स्वीकार किया और स्वीकार किया कि प्रशासन ने मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और [2020] 9 एस. सी. आर. के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंदिर की संपत्ति जो वाचा राज्य के शासक में भी निहित थी, उसमें निर्धारित तरीके से संचालित होती रहेगी, जो त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगी। इस तरह के अनुच्छेद का प्रभाव और यह तथ्य कि इस तरह का निहित होना शासक की क्षमता में नहीं था, पहले ही निपटा लिया गया है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि "त्रावणकोर का शासक" अभिव्यक्ति केवल व्यक्ति का पता लगाने और उसका वर्णन करने के लिए थी।

जो प्रशासन के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होगा। [पैरा 93] [1137–एच; 1138–ए–सी]

5.4 परिसर में, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 ने किसी भी तरह से मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की संपत्तियों के प्रशासन को प्रभावित या प्रभावित नहीं किया, जो त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में बना रहा। [पैरा 94] [1138–सी–डी]

6. ई] उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रभाव जिसने त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक के रूप में वाचा पर हस्ताक्षर किए थे

उत्तराधिकार की घटना को उत्तराधिकार और प्रथा के शासी सिद्धांतों के अनुसार इस तरह के शेबैटशिप के कार्यालय से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, जब मंदिर के प्रशासन से संबंधित मामले की बात आती है, तो श्री पांडवराग की संपत्तियां और मंदिर के गुण, टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय III में दिखाई देने वाली "त्रावणकोर का शासक" अभिव्यक्ति का अर्थ प्रचलित कानून के अनुसार उत्तराधिकारी होना चाहिए और

रिवाज। इस प्रक्रिया में किसी को भी कला के तहत शासक की परिभाषा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। 366 (22) या कला के तहत। 363 भारत का संविधान। उन सिद्धांतों के अनुरूप जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद न्यायालयों के विभिन्न स्थापित निर्णयों में लिए गए हैं जो नियंत्रण और पर्यवेक्षण में था

प्रशासन, वंशानुगत हित को प्रथागत अधिकारों के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। [पैरा 105] [1142–जी; 1143–ए–बी]

6.2 इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मानना है कि अंतिम शासक की मृत्यु, जिसने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, किसी भी तरह से नहीं होगी।त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा आयोजित मंदिर के शेबैटशिप को प्रभावित करता है; कि ऐसी मृत्यु के बाद, शेबैटशिप को लागू कानून और प्रथा के अनुसार उसके श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

7. मंदिर के प्रशासन के संबंध में टी. सी. अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट हैंः उ. धारा 18 (2) के तहत प्रशासन का संचालन किया जाएगा। त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा। ”

बी "। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति "

के शासक द्वारा नामित तीन सदस्यों से बना धारा 20 के संदर्भ में त्रावणकोर को त्रावणकोर के शासक को अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह देनी है।

इस प्रकार क़ानून ने नियुक्त करने की शक्ति निहित की है

त्रावणकोर के शासक में कार्यकारी अधिकारी और सलाहकार समिति का गठन।

नोट में, अपीलकर्ताओं ने कहा हैः

(i) "न्यासी धारा 18 (2) के तहत प्रशासन की अपनी शक्तियों को प्रशासनिक समिति को सौंप देगा जो “ समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मंदिर का प्रशासन करेगा।

((ii) सभी नीतिगत मामलों पर न्यासी सलाहकार समिति की सलाह से निर्देशित होगा। [पैरा 113] [1156–सी–एफ]

8. प्रतिद्वंद्वी को चिंता से ध्यान में रखते हुए

सुझावों के अनुसार समितियों की संरचना

अपीलार्थियों द्वारा (निर्णय के पैराग्राफ 47 में विस्तार से दिया गया नोट) स्वीकृति के योग्य है, विशेष रूप से

इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि मंदिर का प्रबंधन या शेबैटशिप परिवार के साथ जारी है। जहां तक टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। द्वारा त्रावणकोर के शासक के हाथों में पूर्ण रूप से विचार किए गए प्रशासन का सवाल है, अपीलार्थियों द्वारा अब सुझाया गया मार्ग काफी संतुलित है। जैसा कि सुझाव दिया गया है, प्रशासनिक समिति की संरचना व्यापक आधार वाली है और इसे [2020] 9 एस. सी. आर. के पक्ष या विपक्ष में नहीं रखा जाएगा।

न्यासी। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में वर्तमान अंतरिम प्रशासनिक समिति पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से नियंत्रण में है, और समिति के अध्यक्षों के रूप में विभिन्न जिला न्यायाधीशों ने खुद को बहुत अच्छा व्यवहार किया है।

खैर, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा अपने नोट में सुझाए गए प्रशासनिक समिति में एक मामूली बदलाव की मांग की जाती है। केरल सरकार के सचिव के पद के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बजाय

न्याय के हित में प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंतरिम प्रशासनिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक वे जिला न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम का पद संभालते हैं। सलाहकार समिति की संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर का प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए

तरीके से। [पैरा 114] [1156–एफ–एच; 1157–ए–सी]

रेवतिन्नल बालागोपाला वर्मा बनाम महामहिम श्री पद्मनाभ दास बाला राम वर्मा (निधन के बाद से)

बंदोबस्ती, मद्रास बनाम। श्री लक्ष्मीन्द्र तीर्थ श्री शिरूर मठ के स्वामी [1954] एससीआर 1005;

एम. सिद्दीक (मृत) के माध्यम से एल. आर. वी. महंत सुरेश दास और अन्य (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) (2020) 1 एस. सी. सी. 1; महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव काकतीय बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1961] 2 एससीआर 501; रानी रत्न प्रोवा देवी बनाम। उड़ीसा राज्य और एक अन्य

[1964] 6 इसके बाद एस. सी. आर. 301 आया।

महांत शीतल दास बनाम। संत राम और अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 606; परम पूज्य दिग्य दर्शन राजेंद्र राम डोस बनाम। देवेंद्र डोस (1973) 1 एस. सी. सी. 14: [1973] 2 एस. सी. आर. 911; प्रोफुल्ला चोरोन रिक्विटे वी. सत्य चोरोन अनुरोध (1979) 3 एस. सी. सी. 409: [1979] 3 एससीआर 431; अंगुरबाला मलिक बनाम। देबब्रत मलिक [1951] एस. सी. आर. 1125; कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट एवं अन्न क्षेत्र ट्रस्ट बनाम। कलेक्टर, हरिद्वार (2017) 16 एससीसी

418 [2017] 9 एससीआर 766–पर निर्भर।

दीप चंद और अन्य बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य [1959] 2 पूरक। एस. सी. आर. 8; अलवर बनाम के सवाई तेज सिंहजी।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

भारत संघ (1979) 1 एससीसी 512: [1979] 2 एस. सी. आर. 62–लागू नहीं होता है।

माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम। भारत संघ (1971) 1 एससीसी 85: [1971] 3 एससीआर 9; रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ (1994) 1 पूरक। एससीसी 191: [1993] 1 एस. सी. आर. 480; रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम

जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और ओआरएस। (1984) 4 एससीसी 679: [1985] 1 एस. सी. आर. 432; बाला शंकर महाशंकर

भट्टजी और अन्य बनाम। चैरिटी कमिश्नर, गुजरात राज्य (1995) 1 सप्लीमेंट। एससीसी 485: [1994] 2 पूरक। एससीआर 687; तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य [1964] 1 एस. सी. आर. 561; नेशनल एंड ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड v. नगर निगम

ग्रेटर, बॉम्बे (1969) 1 एस. सी. सी. 541: [1969] 3 एस. सी. आर. 565; देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (1979) 4 एससीसी 565: [1979] 3 एस. सी. आर. 373–संदर्भित।

गोसामी श्री ग्रीधारीजी बनाम। रुमानलोलजी

गोसामी 16 M.I.A.137: (1889) एल. आर. 16 आई. ए. 137 गणेश बनाम. लाल बिहारी (1935–36) 63 आई. ए. 448; भाबा तारिणी देवी बनाम। आशा लता देवी एयर 1943 पीसी 89: (1943) आईएलआर 2 पी. सी. 137; विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम। बालुसामी अय्यर और ओआरएस। ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 123–संदर्भित।

मनोहर मुखर्जी बनाम। भूपेंद्र नाथ मुखर्जी और अन्य। आई. एल. आर. (1993) 60 कैल. 452 – संदर्भित किया गया।

" राजकुमारी अश्वथी तिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई द्वारा लिखित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर–संदर्भित।" डॉ. ए. जी. मेनन द्वारा 1758 तक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास।

" द हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंडॉवमेंट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स "माननीय द्वारा संपादित। पी. बी.

गजेंद्रगडकर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

–

संदर्भित किया गया।

जुलाई 1948 में तैयार किया गया भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र

और भारत सरकार द्वारा मार्च 1950 में अद्यतन किया गया,

राज्य मंत्रालय का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[1971] 3 एस. सी. आर 9

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[1991] 3 पूरक। एससीआर 30

पैरा 22 (ए)

पीछा किया।

पैरा 22 (बी)

[1993] 1 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

[1985] 1 एससीआर 432

पैरा 42

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 431

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[1951] एससीआर 1125

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[1959] पूरक 2 एस. सी. आर 8

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 45 पैरा 45

[1994] 2 पूरक। एससीआर 687

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 1005

पीछा किया।

पैरा 65

[1973] 2 एससीआर 911

उस पर भरोसा करें

पैरा 67

(2020) 1 एससीसी 1

पीछा किया।

पैरा 69

[1964] 1 एससीआर 561

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[1961] 2 एससीआर 501

पीछा किया।

पैरा 98

[1964] 6 एससीआर 301

पैरा 98

पीछा किया।

[1969] 3 एससीआर 565

संदर्भित किया गया है

पैरा 104

[1979] 3 एससीआर 373

पैरा 104

संदर्भित किया गया है

[2017] 9 एससीआर 766

उस पर भरोसा करें

पैरा 106

[1979] 2 एससीआर 62

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 110 सी

सिविल अपील/मूल/अप्रत्यक्ष

न्यायिक

: 2020 की सिविल अपील संख्या 2732।

उच्च न्यायालय के 31.01.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 36487 में एर्नाकुलम में केरल सरकार की ओर से।

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 2733, रिट याचिका (सी) संख्या 518 ओ

और एसएलपी (सी) संख्या 12 में 2019 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 493: 2011 .

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस.

जयशंकर, विक्रांत यादव, रजत नायर, बी. के. सतीजा, राज बहादुर, वी. के. सिद्धार्थन, करीं वेंकट रेड्डी, सुश्री अनिल कटियार, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, एन. पी. राकेश पणिक्कर, रणबीर सिंह यादव, निषाद एल. एस., सुश्री अंजू के. वर्की, सुश्री मंजू जेटली, एम. के. एस. मेनन, शशांक मेनन, विष्णु शर्मा, के. आर. ससीप्रभु, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, अलीम अनवर, रीगन एस. बेल।सुश्री एस. गीता, सुश्री स्मिता रानी, आबिद अली बीरन पी., सरथ एस. जनार्दनन, आर. सतीश, मोहन दास के. के., बी. राजेश, अनुपम लाल दास, बालाजी

श्रीनिवासन, सुमित अत्री, रंजन कुमार, एम. पी. देवनाथ, के. राजीव, गौतम नारायण, एम. पी. विनोद, सुश्री लिज़ मैथ्यू, रमेश बाबू एम. आर., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया थाउदय उमेश ललित, जे।

1. 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.11295 और 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12361 में अनुमति दी गई है।

2. श्री चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा, जिन्होंने त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक के रूप में मई 1949 में भारत सरकार के साथ एक वाचा में प्रवेश किया था, जिससे त्रावणकोर और कोचि के संयुक्त राज्य का गठन हुआ था, का निधन हो गया। उनके छोटे भाई उथराडम तिरुनल मार्तंड वर्मा और श्री के कार्यकारी अधिकारी

पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम (इसके बाद संदर्भित)

'मंदिर' के रूप में) के रूप में अपीलकर्ता 1 और 2 ने क्रमशः इन अपीलों को उच्च न्यायालय 1 द्वारा 2009 की रिट याचिका (सिविल) No.36487 और 2010 की रिट याचिका (सिविल) No.4256 में पारित 31.01.2011 के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है।

1 एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए) 2009 की रिट याचिका (सी) No.36487 एक अधिवक्ता टी. पी. सुंदरा राजन द्वारा दायर की गई थी, जो प्रार्थना कर रहे थे कि उच्च न्यायालय

बी) इसके बाद वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा 2010 की रिट याचिका (सिविल) No.4256 दायर की गई थी। वाचा के प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लेख करने के बाद त्रावणकोर वाचा राज्य के शासक और केंद्र सरकार के बीच जिस वाचा पर आगे विस्तार से विचार किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया थाः

" संयुक्त राज्य त्रावणकोर और कोचि सरकार द्वारा 1950 के अधिनियम 15 में अधिनियमित वाचा में निहित शर्तों को स्वीकार करते हुए, त्रावणकोर कोचि हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया) जिसे बाद में केरल राज्य द्वारा स्वीकार किया गया, जैसा कि श्री के संबंध में विशिष्ट प्रावधान करने वाले बाद के संशोधनों से पता चलता है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर और इसकी संपत्तियाँ और इसकी

प्रशासन। अधिनियम के भाग । का अध्याय ।। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड से संबंधित है, धारा 2 (सी) निगमित और अनिगमित देवस्वम को परिभाषित करती है, जो कहती है कि 'निगमित देवस्वम' का अर्थ है में उल्लिखित देवस्वम।

अनुसूची 1 और 'अनिगमित देवस्वम' का अर्थ है वे देवस्वम जिनमें हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती शामिल हैं, चाहे वे त्रावणकोर में हों या बाहर, जो त्रावणकोर के महाराजा के प्रबंधन में थे और जिन पर अलग से विचार किया जाता है।

7. महाराजा का अधिकार जो अनुबंध विस्तार के निष्पादन से पहले मौजूद था। पी1, जो मंदिर के प्रशासन को नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए संप्रभु अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है, पंडरवक संपत्तियों आदि को न्यायालयों के समक्ष हमलों का विषय बनाए जाने से अलग किया जाता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 363 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है–इस अनुच्छेद का निर्माण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर विषय को लेकर कोई विवाद नहीं है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

वाचा आदि के मामले पर उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालयों द्वारा विचार किया जाएगा। एकमात्र उपाय वह है जो निर्धारित किया गया है

अनुच्छेद 143।

:

10. प्रथम याचिकाकर्ता बनाम द्वितीय याचिकाकर्ता पद्मनाभस्वामी मंदिर के उपरोक्त अधिकार, विशेषाधिकार, स्थिति आदि, जिनकी केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी गई है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं।

एक्सट से। पी1 और संविधान के अनुच्छेद 363 द्वारा संरक्षित और संरक्षित, इसके बावजूद, कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन से जनता के कुछ सदस्यों ने एक प्रतिनिधि दायर किया है।

स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा ओ. एस. 625/2007

दूसरे याचिकाकर्ता को नालंबलम के अंदर छह कल्लार (तहखाने) खोलने से रोकना।

रिट याचिका में अनुरोध किया गया है कि 2007 का मूल मुकदमा, 2009 का 1618 09 और 1831 उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं को हस्तांतरित किया जाए और मुझे संबंधित प्रारंभिक मुद्दे के आधार पर निपटाया जाए।

अक्षमता।

i) 2007 का मूल मुकदमा (आईडी2) तिरुवनंतपुरम के अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वादी (2011 के एसएलपी (सिविल) (आईडी1) से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी 3) को मंदिर में प्रचलित मामलों की स्थिति से बचा लिया गया था और प्रार्थना की गई थी,

अन्य, निम्नलिखित राहतों के लिएः

" ए. प्रतिवादियों, उनके एजेंटों, गुर्गों या मामलों में या मंदिर में कोई अधिकार होने का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को नलम्बलम के अंदर छह कल्लर (तहखाने) खोलने से रोकने के लिए स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा का एक डिक्री, जो इसमें वादी बी अनुसूची है या तहखाने से किसी भी रूप में, किसी भी तरह से या किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी तरह से देवता या भक्तों के हित के लिए हानिकारक कार्य करती है। बी. मंदिर के अंदर लाई गई सभी वस्तुओं को हटाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करना जो वादी है दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपने स्वयं के खर्चों पर रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं के खिलाफ एक अनुसूची या वैकल्पिक रूप से वादी को अपने स्वयं के खर्चों पर इसे हटाने और प्रतिवादियों और उनकी संपत्तियों से उसी की वसूली करने की अनुमति देता है।

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्लेट अनुसूचियाँ

प्लेट "ए" अनुसूची श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर किला क्षेत्र के अंदर स्थित है, जिसमें आठ प्रवेश द्वार हैं, जो 7 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं, जिसमें कई इमारतें, मंदिर और त्रिवेंद्रम जिले के त्रिवेंद्रम तालुक के वंचियूर गांव से जुड़ी अन्य सभी चीजें हैं।

प्लेट "बी" अनुसूची

ए। अंदर नालम्बलम के दक्षिणी हिस्से में कल्लारा नंबर 1

चंदनमंडपम।

बी। बाहर दक्षिण पश्चिम कोने पर कल्लारा नंबर 2

नालम्बलम के अंदर चंदनमंडपम।सी। कल्लारा नं. 3 उत्तर पश्चिमी दिशा में

नालम्बलम।

डी। नालम्बलम के अंदर उत्तरी तरफ कल्लारा नंबर 4 ई. अगले उत्तर की ओर श्रीकोविल के अंदर कल्लारा नंबर 5

विश्वक्सेनार की मूर्ति के लिए। एफ. थेक्डेम नरसिम्हामूर्ति के निकास द्वार की ओर दक्षिण पूर्वी कोने पर श्रीकोविल के अंदर कल्लारा नंबर 6

मंदिर "।

कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि उनके पास अपने पदों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, और उसी के लिए, प्रतिवादी 1 और 2 को उनके अवैध कब्जे के बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।(ख) स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना।

तीसरे और चौथे प्रतिवादियों को वादी को एक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जबरन बाधा डालने से रोकना जो वह पिछले 20 वर्षों से कर रही है या कोई ऐसा कार्य करने से जो वादी के कानूनी कार्य करने के हित के लिए हानिकारक है और जिसके लिए प्रतिवादी 3 और 4 के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

(ग) तीसरे और चौथे प्रतिवादी को कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना जो श्री से जुड़े टिकट काउंटर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में उसकी नौकरी को प्रभावित करता है।

पद्मनाभ स्वामी मंदिर "।

iii) 2009 का मूल मुकदमा No.1831 श्री पद्मनाभस्वामी के महासचिव द्वारा मुन्सिफ, तिरुवनंतपुरम की अदालत में दायर किया गया था। मंदिर कर्मचारी संगठन "(2011 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 12361 से उत्पन्न अपील में प्रतिवादी संख्या 6) निम्नलिखित राहतों का दावा कर रहा हैः

बी. अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने के लिए दूसरे प्रतिवादी को तीसरे प्रतिवादी को उस पद से हटाने का निर्देश देना जिसके लिए उसे आरोप माना गया है, जिसमें विफल रहने पर तीसरा प्रतिवादी कर सकता है। इस माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से हटा दिया जाए।

3. मुकदमों में, अपीलार्थियों के मंदिर के मामलों से जुड़े होने के अधिकार को चुनौती दी गई थी, जबकि

अपीलार्थियों द्वारा मुकदमों की रखरखाव क्षमता पर सवाल उठाया गया था। विचार के लिए उत्पन्न मूल मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय में इस प्रकार तैयार किया गया थाः

केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर नामक प्राचीन और महान मंदिर के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन का दावा करने के लिए संस्थान अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद "टी. सी. अधिनियम" कहा जाता है) त्रिवेंद्रम में स्थित है।

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (22) में दिखाई देने वाली 'शासक' की परिभाषा को संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए जाने के बाद, अपीलकर्ता संख्या 1 मंदिर के नियंत्रण या प्रबंधन में होने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि [2020] 9 एस. सी. आर.

अंतिम शासक को भेजें। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किएः

" i) राज्य सरकार को एक निर्देश होगा कि –

तत्काल एक निगमित निकाय या न्यास के गठन के लिए कदम उठाएँ या

श्री का नियंत्रण लेने के लिए अन्य कानूनी प्राधिकरण

(ii) डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश होगा। (ग) No.4256/2010 जो दूसरे डब्ल्यू. पी. में उत्तरदाता 3 और 5 हैं। (ग) किसी भी कल्लर को खोलने या उनमें से किसी को हटाने के विरुद्ध मंदिर से लेख। हालाँकि, वे मंदिर में अनुष्ठानों, समारोहों और नियमित पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा मंदिर को अपने नियंत्रण में नहीं ले लिया जाता है।

ऊपर।

iii) सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण को सभी कल्लारों को खोलने, पूरी वस्तुओं की सूची बनाने और एक संग्रहालय बनाने और जनता, भक्तों और पर्यटकों के लिए मंदिर के सभी खजाने को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसे मंदिर परिसर में ही भुगतान के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। डब्ल्यू. पी. में पहला याचिकाकर्ता (ग) No.4256/2010 औरशाही परिवार के उत्तराधिकारियों को अनुमति दी जानी चाहिए

त्यौहार। iv) मंदिर में कीमती सामान और खजाने को ध्यान में रखते हुए, सरकार को मंदिर की सुरक्षा पुलिस के एक दल को सौंपने पर विचार करना चाहिए या कम से कम मंदिर को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

सुरक्षा कर्मी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कल्लारस (भंडारण स्थल) को खोला जाए और सूची तैयार की जाए। जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारियों की टीम या तो

सरकार या प्रबंधन के लिए गठित प्राधिकरण से

उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में मंदिर ताकि चोरी या हेरफेर का कोई आरोप न लगे। इन्वेंटरी चाहिए

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में तैयार रहें। (ग) No.4256/श्री मार्तण्ड वर्मा (घ) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

2010 या उनके एजेंटों से ली गई वस्तुओं के प्रमाण के लिए

उनकी हिरासत "।

अपीलार्थी, व्यथित होने के कारण, अपील में हैं।

4. मंदिर का इतिहास उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले के दौरान निर्धारित किया गया था, और मंदिर के कुछ प्रासंगिक उद्धरण

एस. एस. एन. थेः

" 4. उठाए गए कानूनी मुद्दों और निचली अदालतों और इस अदालत के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, जो संविधान के अनुच्छेद 363 के आधार पर हमारे सामने उठाए गए मुद्दे भी हैं, हमें श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास को संक्षेप में बताना होगा। भले ही मंदिर की उत्पत्ति पुरातनता में डूबी हुई है और विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न संस्करणों का उल्लेख किया गया है, इस महान मंदिर का आधुनिक इतिहास अनिझम तिरुनल मार्तंडवर्मा से शुरू होता है जिन्होंने आधुनिक त्रावणकोर राज्य की स्थापना की जिसे पहले वेनाड के नाम से जाना जाता था। रियासत की पुनः स्थापना और मार्तंडवर्मा द्वारा मंदिर और राज्य के प्रबंधन को संभालने से पहले 200 से अधिक वर्षों तक, मंदिर "एट्टारायोगम" (साढ़े आठ के समूह) के नियंत्रण में था जिसमें सात पोटी (ब्राह्मण), एक नायर सरदार और राजा थे जिनके पास केवल आधा वोट था, जबकि अन्य सभी के पास एक–एक वोट था। जबकि पॉटीज की समिति मंदिर को नियंत्रित करती थी, मंदिर की संपत्तियों का प्रबंधन एट्टुवीट्टिल पिल्लामार्स द्वारा किया जाता था, जो राज्य के विभिन्न गांवों में फैले आठ बड़े परिवारों से संबंधित 8 नायर सरदार थे। राजा मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति में एक निम्न प्रमुख पदाधिकारी थे और उनके पास आधे वोट के साथ केवल बहुत सीमित अधिकार था।

..... ब्राह्मणों की मदद से एट्टुवीट्टिल स्तंभ

मंदिर प्रबंधन ने मार्तंडवर्मा के खिलाफ साजिश रची

वे राजा बने और उन्होंने राजा के भतीजे मार्तंडवर्मा के राजा बनने की प्रथा के विचलन में पिछले राजा के बेटे को नए राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हालाँकि, सिंहासन के उत्तराधिकारी के बीच हुई लंबी लड़ाई में, एक तरफ मार्तंडवर्मा और उनके वफादारों और एट्टुवीट्टिल पिल्लमर, ब्राह्मणों और राजा के बेटे के वफादारों के बीच लड़ाई हुई।

दूसरी ओर, मार्तण्डवर्मा सफल हुए।

..... मार्तंडवर्मा ने राज्य और पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर पूरा नियंत्रण कर लिया और उन्होंने ही [2020] 9 एस. सी. आर. का पुनर्निर्माण किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंदिर जो एक बड़ी आग लगने के बाद खराब स्थिति में था

वर्षों पहले और एक नई मूर्ति स्थापित की। वास्तव में, राजा ने आत्मसमर्पण कर दियाउनका राज्य पीठासीन देवता, पद्मनाभ स्वामी को दिया गया

और खुद को दास या भगवान का सेवक घोषित किया और मान लिया

"पद्मनाभदास" नाम। मार्तण्डवर्मा ने त्रावणकोर पर शासन किया।

1729 से 1758 तक और उनके बाद भी मंदिर बना रहा। राजा के प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण में। "

(जोर दिया गया)

5. पूरे राज्य के समर्पण या समर्पण का कार्य

उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट पद्मनाभस्वामी को"श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर" नामक पुस्तक 2 में लिखा गया

राजकुमारी अश्वथी तिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई निम्नानुसारः

" त्रिपती दानम–मकरम 925 का 5 वाँ–एमई/1750 ईस्वी

पाँचवाँ मकरम 925 एम. ई./19 या 20 जनवरी 1750 ईस्वी (बुधवार)

तारांकन रेवैत) एक उत्कृष्ट समर्पण के कार्य का गवाह था,

एक मुकुट वाले सिर के लिए अंतिम भेंट संभव है, जिसमें किया जाता है

सर्वोच्च भक्ति–त्रिपती दानम। 3. जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन और सम्राट अशोक

कलिंग युद्ध के बाद, अंत के साधन के रूप में युद्धों की निरर्थकता

और यह सचेत भावना कि उन्होंने त्रावणकोर बनाया था

यकृत और अनगिनत अंगों के बलिदान की नींव पर बनाया गया

संख्याएँ जो उनके कारण और उनके लिए गिरीं, गहराई से परेशान और

महाराजा को परेशान किया। उस प्यार के साथ जो दिया गया था

मार्तण्ड वर्मा चाहे जितना भी मान लें, वे तृप्त नहीं हुए।

उनके भगवान, इस आघात ने उन्हें भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए भी सक्रिय कर दिया

कन्याकुमारी से तिरुवितमकूर (त्रावणकोर) तक फैला हुआ है।परवूर जिसे उन्होंने जीता और बनाया था।

इस समर्पण से पहले पूर्ण जैसे कुछ धार्मिक समारोह होते थे।

कलश होमम, देवता का आह्वान, आदि का प्रदर्शन किया गया।इसके बाद महाभिषेक हुआ। 3 महाराजा अनिझोम तिरुनल

मार्तण्ड वर्मा सुबह नियत समय पर पहुँचे।

भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित

मथिलाकम रिकॉर्ड्स।

. डॉ. ए. जी. मेनन–'श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास 1758 तक'

. कई ऐतिहासिक कार्य (सूचीबद्ध किए जाने के लिए बहुत अधिक)।

री उथराडोम तिरुनल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के महाराजा

आर. ए. जी. मेनन–'श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का इतिहास 1758 तक' श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उनके साथ उनके परिवार के सभी पुरुष और महिला सदस्य, उनके भरोसेमंद दीवान रामैयन और अन्य अधिकारी थे। की उपस्थिति में

स्वामीयार, योग के सदस्य और ब्राह्मण, महाराजा

श्री पद्मनाभ प्रजापति को उपहार पत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैउनके हस्ताक्षर के साथ, उनका पूरा त्रावणकोर राज्य

उस पर उसका पूरा अधिकार मुकुट, शाही छतरी, जुड़वां सफेद चौरी (पंखे), मणिकंद; जो सभी थे।

राजघराने के प्रतीकों के साथ कुछ तुलसी के पत्ते

मंडपम। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उनकी प्रसिद्ध तलवार, जिसने अनगिनत युद्ध क्षेत्रों में अपनी अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया था, संप्रभु अधिकार का निर्विवाद प्रतीक, जिसे राजा सबसे अधिक महत्व देते थे, को भी महाराजा द्वारा गर्भगृह की ओर जाने वाले ओट्टक्कल मंडपम की सीढ़ी पर अत्यंत सम्मान के साथ रखा गया था। फिर राजा ने महायाजक से तलवार वापस ली और पूजा के बाद महल लौट आए। उनका निर्देश कि क्षेत्र की किसी भी आगे की विजय को उनके द्वारा त्रावणकोर के शासन के तहत लाया गया

उत्तराधिकारियों को भी श्री पद्मनाभ के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए।

स्वामी को स्वीकार किया गया और ईमानदारी से उनका पालन किया गया

बाद की पीढ़ियों द्वारा सम्मान।

मलयालम में तैयार किए गए समर्पण के मूल विलेख का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार हैः

" हम, त्रिपप्पूर कीझपेरूर वीरा बाला मार्तंड वर्मा, त्रिपप्पूर के मूथा थिरुवती (वरिष्ठ सदस्य) और श्री पंडरकार्यम चेयवर्कल, इस दिन थाई महीने का 5 वां दिन बुधवार है, जो उज्ज्वल चंद्र पखवाड़े का सातवां दिन है, जिसमें शनि आठवें संकेत में रहता है और बृहस्पति बारहवें में, कोल्लम 925, पूर्ण उपहार और समर्पण से स्थानांतरित होता है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, सभी भूमि और कार्य सभी अधिकारों और गरिमा, सम्मान की स्थिति और अन्य

सभी संपत्तियों के साथ जो हम अब तक पूर्व में थोवला किले के बीच के क्षेत्रों के भीतर आनंद ले रहे हैं। जिसके प्रतीक में

हमने आज इस परम उपहार के कार्य को निष्पादित किया है और

समर्पण "।

जैसा कि कहा गया है, "त्रिपती दानम" या समर्पण से निपटने से पहले

ई, लेखक ने कहा थाः

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" शाही परिवार हमेशा श्री पद्मनाभ स्वामी के चरणों में बरसाये जाने वाले उपहारों और प्रसाद की प्रचुरता और भव्य प्रकृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये छोटे से भिन्न होते हैं या काफी मूल्यवान लोगों को नियमित रूप से चढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के ज्ञात धार्मिक इतिहास में ऐसा कोई चढ़ावा नहीं है जो भावनात्मक और भक्ति मूल्य के विशाल परिमाण में किसी भी तुलना के योग्य हो, जो श्री अनिझोम तिरुनल महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा मकरम 925 एमई/19 या 20 जनवरी 1750 ईस्वी के महीने के पांचवें दिन प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम से पहले भी यह परंपरा थी कि शाही परिवार के पुरुष सदस्यों को एक साल की उम्र में ओट्टक्कल मंडपम पर रखा जाता था और श्री पद्मनाभ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाता था

स्वामी ने अपने लिए 'श्री पद्मनाभ दास' की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की। 7 वे व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ थीं जबकि मार्तण्ड वर्मा द्वारा पूरे राज्य की यह सामूहिक पेशकश अपने आप में खड़ी है। तब से उन्होंने श्री पद्मनाभ स्वामी के दास (गुलाम) के रूप में देश पर शासन किया।

6. यह देखने के बाद कि मंदिर त्रावणकोर के राजाओं के प्रत्यक्ष प्रबंधन और नियंत्रण में बना रहा, उच्च न्यायालय ने अन्य देवस्वम और अन्य देवस्वमों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

प्रतीकः

" जबकि महान श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर सीधे त्रावणकोर राजा के नियंत्रण में था, त्रावणकोर के सभी प्रमुख मंदिर निजी स्वामित्व में थे। हर मंदिर में

काफी हद तक संपत्तियाँ, लेकिन ऐसी सभी संपत्तियाँ किरायेदारों के हाथों में थीं जो ठीक से किराया या राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे थे। इस दौरान

1. त्रिपती दानम का अर्थ है पवित्र कदम पर बनाया गया दानम। यह भेंट राजा द्वारा राजघराने के अन्य प्रतीकों के साथ की गई थी, जब उन्होंने कुछ अनुष्ठानों के बाद अपनी शाही और ऐतिहासिक तलवार, संप्रभु अधिकार के प्रतीक, को गर्भगृह को जोड़ने वाले ओट्टक्कल मंडपम की सीढ़ी पर रखा और पूरे त्रावणकोर राज्य को पेरुमल श्री

पद्मनाभ पेरुमल से 'सर्व समर्पण दानम' के रूप में बनाया–कुल उपहार समर्पण (इस मंडपम पर रखा गया कुछ भी मंदिर की संपत्ति बन जाता है)। 2. मथिलाकम रिकॉर्ड्स–चुरुणा 21, ओला 89।

3. वी. नागम ऐया–त्रावणकोर की राज्य नियमावली

4. पी. शांगूनी मेनन–त्रावणकोर का इतिहास

दो आम गलत धारणाएँ मौजूद हैं, 1. कि श्री पद्मनाभ दास त्रिपति दानम और 2 के साथ अस्तित्व में आए। कि श्री पद्मनाभ दास की उपाधि केवल वरिष्ठतम पुरुष के पास है

परिवार के सदस्य। जैसा कि ऊपर स्पष्ट रूप से दोनों गलत हैं।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

दो रानियों क्रमशः गौरी लक्ष्मी भाई (1810–15) और गौरी पार्वती भाई (1815–29) द्वारा त्रावणकोर के शासनकाल में, कर्नल मुनरो त्रावणकोर में ब्रिटिश निवासी थे। उन्होंने लगभग दीवान की शक्तियों को हड़प लिया और कमजोर रानियाँ उनका विरोध करने में सक्षम नहीं थीं। कर्नल मुनरो ने पाया कि त्रावणकोर राज्य के राजस्व को बढ़ाने का एकमात्र तरीका पूरे मंदिरों को राज्य के नियंत्रण में लाना और बदले में, मंदिरों से संबंधित संपत्तियों को राज्य के नियंत्रण में लाना है। यह.

उनकी सलाह पर गौरी लक्ष्मी भाई ने 17.9.1811 पर उद्घोषणा जारी की, जिसके तहत त्रावणकोर के सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों को राजा के अधीन लाया गया। इसके बाद मंदिर की संपत्तियों को भी राज्य को बहाल कर दिया गया और मंदिरों और भूमि को भूमि राजस्व विभाग के तहत लाया गया। इसके परिणामस्वरूप भूमि से राजस्व संग्रह में सुधार हुआ और राज्य के वित्त में काफी वृद्धि और स्थिरता आई। वास्तव में, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की विशाल परिसंपत्तियों को भी इसमें बहाल किया गया था और इस मंदिर की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ था। मंदिर में इतना अधिशेष था कि 19 वीं शताब्दी में राज्य की जरूरतों के लिए, त्रावणकोर के राजा श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से पुनर्भुगतान के आधार पर लगातार धन उधार लेते थे और ऋण को ब्याज के साथ चुकाया जाता था। कभी भी

चूंकि प्रमुख मंदिरों और उनकी भूमि को सितंबर 1811 में जारी की गई उपरोक्त घोषणा के माध्यम से रानी के नियंत्रण में लाया गया था, इसलिए यह व्यवस्था 1950 के टी. सी. अधिनियम के तहत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा सरकारी मंदिरों के अधिग्रहण तक जारी रही। इस बीच जो बदलाव हुआ वह श्री मूलम तिरुनल रामवर्मा के शासन के दौरान हुआ, जिन्होंने राज्य के राजस्व विभाग से मंदिरों और संपत्तियों को राज्य सरकार को सौंप दिया।

सरकार का देवस्वम विभाग, जहाँ से यह था

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा अपने संविधान पर लिया गया। त्रावणकोर के मंदिरों के इतिहास से जो हमने डॉ. आर. मधु देवन नायर द्वारा लिखित और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तक से लिया है, वह स्पष्ट है

कि डेढ़ शताब्दी से अधिक समय तक मंदिर सरकारी विभागों के अधीन थे और उसके बाद टी. सी. अधिनियम के तहत गठित देवस्वम बोर्ड के अधीन थे।

जहाँ तक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का संबंध है, केवल अंतर यह है कि मंदिर [2020] 9 एस. सी. आर. के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रावणकोर के राजा। हालाँकि, इस मंदिर को एक के रूप में भी माना जाता था

राज्य/सार्वजनिक मंदिर और कभी भी निजी संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता था

त्रावणकोर राजा की या उनकी पारिवारिक संपत्ति के रूप में। की प्रणाली

त्रावणकोर राजा ने मंदिर का संचालन जारी रखा

अंतिम शासक की अवधि जो 1931 से 1949 तक राजा था जबरियासत को एकीकृत करते हुए विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे

त्रावणकोर–संविधान के तहत भाग बी राज्य के रूप में कोचीन। भारत सरकार ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे

त्रावणकोर और कोच्चि के राजाओं के बीच विलय पर हस्ताक्षर किए गए

त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन। एक प्रामाणिक कथन

इस मंदिर के इतिहास, स्थिति और स्थिति के बारे में उपलब्ध है श्री द्वारा लिखित पुस्तक "भारतीय राज्यों का एकीकरण"। वी. पी. मेनन

जिन्होंने भारतीय राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

और जिन्होंने हस्ताक्षरकर्ता के रूप में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया त्रावणकोर–कोच्चि विलय समझौता "।

(जोर दिया गया)

7. श्री वी. पी. मेनन जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे

1947 तक गवर्नर जनरल और राज्य मंत्रालय के सचिव ने खेलाभारतीय अधिराज्य में रियासतों के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका। "भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी" नामक अपनी पुस्तक में, श्री मेनन ने अध्याय XIV में "त्रावणकोर–कोच्चि" पर चर्चा की और उन्होंने लिखाः

" त्रावणकोर का शासक परिवार प्राचीन काल से अपने वंश का पता लगाता है।

दक्षिण भारत के चेर राजा। बाद के ऐतिहासिक समय में, त्रावणकोर

कई छोटी रियासतों में विभाजित किया गया था। एकीकरण

इनमें से एक राज्य में राजाह की उपलब्धि थी। मार्तण्ड वर्मा, जिन्होंने अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में शासन किया

शताब्दी। उन्होंने पूरे त्रावणकोर को अपने नियंत्रण में ले लिया।

व्यवस्था स्थापित की और देश को बसाया। जनवरी 1750 में, उन्होंने

औपचारिक रूप से और गंभीरता से राज्य को श्री पद्मनाभ को समर्पित किया,

अपने परिवार के संरक्षक देवता; और उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने

तब से उन्होंने 'दास' या उस देवता के सेवकों के रूप में शासन किया। वर्तमान में

शासक, सर राम वर्मा 3 ने 1924 में गद्दी पर कब्जा किया।

बारह वर्ष की आयु में और पूर्ण शासक शक्तियों के साथ निवेश किया गया था

नवंबर 1931। उनके शासन के दौरान राज्य का राजस्व था

8 उनके शीर्षक इस प्रकार हैंः मेजर–जनरल। श्री पद्मनाभ दास, वांचीपाल, सर बाल राम वर्मा, कुलशेखर किरीटापति, मैनी सुल्तान, महाराजा राजा राम राजा बहादुर, शमशेर

जांग।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

रुपये से थोड़ा अधिक से लगभग चार गुना। 2.5 करोड़ रुपये से अधिक। 9.5

एक करोड़।

दूसरी ओर, कोचीन के वर्तमान महाराजा, सर राम वर्मा, उम्र में काफी उन्नत हैं। वास्तव में, एक सदी से अधिक समय से,

कोचीन के सभी महाराजा काफी पुराने हो गए थे जब वे गद्दी पर आए थे। कोचीन का शासक परिवार सीधे चेरामन पेरुमल के वंशज होने का दावा करता है, जो कभी केरल पर शासन करते थे। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोच्चि के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक गठबंधन के बारे में था, जब 1791 में, महाराजा उनकी सहायक बनने के लिए सहमत हुए।दोनों राज्यों में शासक परिवार मरुमक्कथयम कानून, या महिला वंश के माध्यम से विरासत के कानून का पालन करते हैं।

महाराजा, यह मानते हुए कि उनका कोई भाई नहीं है, उनकी बहन का सबसे बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता है। यह आम तौर पर दोनों राज्यों में अधिकांश मलयालम भाषी हिंदुओं द्वारा पालन किया जाने वाला कानून है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री पद्मनाभ की ओर से और उनके सेवक के रूप में राज्य का शासन किया और उन्होंने इसे बहुत महत्व दिया।

इस स्थिति को बनाए रखा जा रहा है कि यदि इन बिंदुओं पर कोई संतोषजनक समाधान संभव नहीं है, और यदि भारत सरकार अभी भी दोनों राज्यों के एकीकरण पर जोर देती है तो वह अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय त्याग कर देंगे।

अंत में, उन्होंने महसूस किया कि श्री पद्मनाभ को राज्य के समर्पण और त्रावणकोर के शासकों की उस देवता के प्रति विशेष निष्ठा और भक्ति के कारण, उनके लिए राजप्रमुख के रूप में सामान्य पद की शपथ लेना संभव नहीं होगा।

मैं 21 मई को त्रिवेंद्रम पहुँचा और महाराजा के साथ कई बैठकें कीं। मैंने उनसे कहा कि दोनों पक्षों की सद्भावना के साथ, कोई कारण नहीं है कि हमें एक समझौते पर नहीं आना चाहिए। पहली बाधा राज्य के प्रमुख के रूप में पद की शपथ लेने में महाराजा की असमर्थता थी। वर्तमान महाराजा की [2020] 9 एस. सी. आर. के प्रति भक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री पद्मनाभ कट्टरता की सीमा पर हैं; वे राज्य पर उसके प्रमुख के रूप में नहीं बल्कि संरक्षक देवता के सेवक के रूप में शासन करते हैं।

त्रावणकोर–कोच्चि के लिए एक विशिष्ट समस्या मंदिरों से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है, जिसे देवस्वोम कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक राज्य में देवस्वमों के इतिहास की कुछ व्याख्या देना आवश्यक है।

त्रावणकोर पर प्रारंभिक काल से ही हिंदू राजाओं की एक अखंड वंशावली का शासन था और सदियों से हिंदू राज्य के अपने आवश्यक चरित्र को बनाए रखा था। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर

संपत्तियाँ। इनका प्रबंधन मूल रूप से आठ वंशानुगत न्यासियों और शासक के एक योगम (या धर्मसभा) द्वारा किया जाता था, लेकिन अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में योगम को हटा दिया गया और मंदिर का प्रशासन और इसकी संपत्तियों को पूरी तरह से शासक द्वारा ले लिया गया था। इसके बाद मंदिर की संपत्तियों को राज्य की संपत्तियों के साथ मिला दिया गया। हालाँकि राज्य ने मंदिर के रखरखाव और धार्मिक समारोहों में योगदान देना जारी रखा। यह स्थिति दोनों राज्यों के एकीकरण के समय तक जारी रही।

इस मंदिर के अलावा, राज्य में बड़ी संख्या में देवस्वम थे जिन्हें लोगों द्वारा स्थापित और संपन्न किया गया था और उनके द्वारा प्रबंधित किया गया था।

ओरालार्स, या न्यासी। प्राचीन काल से, महाराजा के पास न्यासियों पर मेलकोइमा अधिकार (उच्च अधिकार या अधिपत्य का अधिकार) था। 1811 से पहले, इन मंदिरों के प्रबंधन में राज्य का कोई सीधा सरोकार नहीं था; उस वर्ष त्रावणकोर और कोचि के तत्कालीन ब्रिटिश निवासी कर्नल मुनरो ने दीवानशिप ग्रहण की और महाराजा के मेलकोइमा अधिकार का प्रयोग करते हुए, 1811 में देवस्वम का प्रबंधन संभाला।

त्रावणकोर। इस प्रकार तीन सौ अड़तालीस बड़े और 1,123 छोटे देवस्वमों को उनकी सभी संपत्तियों के साथ प्रबंधन के लिए ले लिया गया। तब भी उनकी आय काफी थी। बेशक।

समय के साथ, और अधिक का प्रबंधन माना जाता था।इस आधार पर आंदोलन का एक अच्छा सौदा उत्साहित था कि राज्य सरकार मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक समारोहों पर श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर की राशि से कम खर्च कर रही थी।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

देवस्वोम की संपत्तियों से उपार्जित राजस्व और यह कि वे आय के संतुलन को अपने लिए विनियोजित कर रहे थे। अंत में, महाराजा द्वारा एक घोषणा जारी करके कानूनी स्थिति को संदेह से परे रखा गया था जिसके तहत सरकार

राज्य ने मंदिरों को एक कुशल स्थिति में बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार किया, और उनके खिलाफ सभी मुकदमों पर रोक लगा दी गई। 1946 में, महाराजा ने एक और घोषणा जारी की जिसमें मंदिरों को हर साल देय राशि Rs.25 लाख से कम नहीं निर्धारित की गई और आगे बनाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया।

यदि आवश्यक हो तो राज्य के राजस्व से योगदान। अंत में, 1948 में, जिम्मेदार सरकार के अनुदान से तुरंत पहले, एक

घोषणा जारी की गई थी जिसके द्वारा श्री पद्मनाभ मंदिर को छोड़कर राज्य के सभी मंदिरों के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक राशि तय की गई थी। 1 एक लाख सालाना।राज्य में हिंदू राय सर्वसम्मत थी कि न केवल मौजूदा आवंटन का निरंतर भुगतान किया जाना चाहिए

गारंटी, लेकिन यह भी कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई संपत्तियों के संबंध में पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और

मैंने मंत्रालयों के साथ-साथ त्रावणकोर के महाराजा के साथ भी इस प्रश्न पर चर्चा की। आखिरकार हम एक समझौते पर पहुंचे जिसके द्वारा त्रावणकोर सरकार द्वारा मंदिरों को किए गए 1 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान को जारी रखा जाएगा और इस राशि में से 6 लाख रुपये की राशि श्री पद्मनाभ मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना योगदान की जाएगी।सबसे कठिन मुद्दा इस अनुदान के प्रशासन से संबंधित है। लंबे समय तक चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि श्री पद्मनाभ मंदिर का प्रशासन महाराजा के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा नामित तीन हिंदू सदस्यों की एक समिति होनी चाहिए।

महाराजा उन्हें सलाह दें; और यह कि [2020] 9 एस. सी. आर. की परिषद के हिंदू सदस्यों की सलाह पर तीनों में से एक को नामित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री। त्रावणकोर के अन्य मंदिरों के संबंध में, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। इस बोर्ड में तीन हिंदू सदस्य होंगे, जिनमें से एक को महाराजा द्वारा नामित किया जाएगा, एक को हिंदुओं द्वारा मंत्रिपरिषद में और एक को संघ की विधान सभा के हिंदू सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।

कोचीन में, त्रावणकोर के विपरीत, मंदिरों की संपत्तियों को महाराजा द्वारा एक 'आरक्षित विषय' के रूप में अलग से प्रशासित किया जाता था; लेकिन जिम्मेदार सरकार के अनुदान के बाद, उन्होंने राज्य के प्रधानमंत्री को प्रमुख के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करने के लिए नियुक्त किया। देवस्वोमों के लिए कार्यकारी प्राधिकरण। त्रिपुनिथुरा में पूर्णत्रयीसा मंदिर शासक परिवार का मंदिर है और महाराजा ने इस मंदिर में अनुष्ठानों और समारोहों के साथ-साथ पझयन्नूर मंदिर में उन लोगों के लिए भी नियंत्रण के लिए कहा। मैंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोच्चि में देवस्वम बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया

त्रावणकोर की तरह ही। चूंकि देवस्वोम की संपत्तियां अलग रह गई थीं, इसलिए राज्य के राजस्व से कोई विशेष अनुदान देने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि मंदिरों की भूमि संपत्तियां किसी भी अन्य भूमि संपत्तियों की तरह राज्य के भूमि राजस्व और किरायेदारी कानूनों के अधीन हैं।

यहां इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि देवस्वम से संबंधित वाचा में इस प्रावधान ने दोनों राज्यों में एक दूरगामी सामाजिक सुधार लाया। ये दोनों राज्य रूढ़िवादिता का केंद्र रहे हैं। मालाबार को छोड़कर भारत के किसी अन्य भाग में नहीं पाया जाता है। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश सुधार ने कुछ हद तक हिंदू समाज में हरिजनों के स्थान को मान्यता दी; लेकिन इस समझौते के तहत हरिजनों को विधानमंडल और मंत्रालय में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मंदिरों पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त होगा और वे देवस्वम विभाग में भी पद संभाल सकेंगे।

जिसे अब तक उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रेस को चर्चा की प्रगति के बारे में पूरी तरह से सूचित किया गया था और मेरे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान, श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर थे।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

त्रावणकोर में मंदिरों के रखरखाव के प्रावधान के बारे में कुछ आलोचनाएँ। मैंने आलोचकों को बताया कि मंदिरों की संपत्तियों पर त्रावणकोर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया है

मूल्य में कई गुना वृद्धि हुई थी और आय अधिक हुई थी

वाचा में दिए गए योगदान की राशि की तुलना में। यदि योगदान को अवांछनीय या अत्यधिक माना जाता, तो राज्य के पास संपत्ति को मंदिर को वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। राज्य के पास यह दोनों तरीके नहीं हो सकते थे, संपत्तियों को वापस करने से इनकार करने के साथ-साथ एक ही समय में रखरखाव से इनकार करने से देवस्वोम "।

श्री वी. पी. मेनन ने इस प्रकार मुद्दों की ओर इशारा कियाः कि जनवरी 1750 में समर्पण के बाद, राजा मार्तण्ड वर्मा और उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया

" दास या देवता श्री पद्मनाभस्वामी के सेवक; कि त्रावणकोर और कोच्चि के शासक परिवारों ने मरुमक्कथयम का पालन किया।

जिस पर पहुंचा गया था, जिसके द्वारा त्रावणकोर सरकार द्वारा मंदिरों को किए गए 1 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान को जारी रखा जाएगा, और उक्त राशि में से 6 लाख रुपये की राशि मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना योगदान दी जाएगी; कि मंदिर का प्रशासन महाराजा के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए।त्रावणकोर ने अपने द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से और यह कि इस तरह के योगदान के विपरीत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों की संपत्तियों का मूल्य कहीं अधिक था। उन्होंने त्रिपुनिथुरा में पूर्णत्रयीसा मंदिर में अनुष्ठानों और समारोहों के संबंध में कोच्चि के शासक के रुख का भी उल्लेख किया।

8. 10.08.1947 पर महाराजा द्वारा एक घोषणा जारी की गई थी

त्रावणकोर ने कहाः

" क्योंकि हमारे पूर्वज और स्वयं, श्री पद्मनाभ के भक्तों के रूप में, कई शताब्दियों से त्रावणकोर राज्य पर शासन कर रहे हैं और हमारी एकमात्र चिंता कल्याण और कल्याण रही है।

जिन विषयों को हम अपने साथ जोड़ते रहे हैं और प्रशासन में हमारे साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखते हैं, उनकी खुशी

राज्य का;

और जबकि यह आवश्यक हो गया है, त्रावणकोर के सिंहासन के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिए हुई घटनाओं में, अन्य प्रासंगिक प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए, हमारी और हमारे शाही परिवार के सदस्यों की नागरिक सूची को विनियमित और तय करने के लिए।

और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए प्रावधान करना, [2020] 9 एस. सी. आर.

और जबकि उत्तराधिकार, गोद लेने, विवाह और अन्य मामलों के संबंध में, हमारे शाही परिवार ने अनादिकाल से प्रथा द्वारा संशोधित मरुमक्कथयम कानून को मान्यता दी है और उसका पालन किया है

और हमारे शाही परिवार में उपयोग,

हम निम्नलिखित रूप में आदेश देने और लागू करने के लिए प्रसन्न हैं

1. त्रावणकोर के सिंहासन का उत्तराधिकार होगा

मारुमक्कथयम कानून के अनुसार जैसा कि हमारे शाही में प्रचलित और मान्यता प्राप्त प्रथा और उपयोग द्वारा संशोधित किया गया है

अनादिकाल से परिवार।

2. यदि संप्रभु, अपने उत्तराधिकार की तारीख को, अठारह वर्ष से कम आयु का होता है, तो जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, और जहां संप्रभु गंभीर बीमारी से अक्षम हो जाता है, तो त्रावणकोर के संप्रभु से संबंधित शक्तियों और अधिकारियों का प्रयोग संप्रभु के नाम और उसकी ओर से हमारे शाही परिवार के तीन सबसे वरिष्ठ सदस्यों वाली रीजेंसी परिषद द्वारा किया जाएगा।

जिनकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है या जिनकी संख्या इतनी कम है।

जो भी सदस्य उपलब्ध हों।

3. बशर्ते कि परिषद उत्तराधिकार के नियम या आदेश को बदलने या अन्यथा उसके सही उत्तराधिकारी द्वारा शासक शक्तियों की धारणा में बाधा डालने या देरी करने की हकदार नहीं होगी।

सिंहासन "।

9. इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 6

"भारतीय राज्यों के विलय" से संबंधित भारतीय अधिनियम, 1935 की धारा 311 (1) में "शासक" सहित कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया था। "शासक" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" 311. (1) इस अधिनियम में, और जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, किसी अन्य अधिनियम में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ इसके द्वारा है।

क्रमशः उन्हें सौंपा गया है, जिसका अर्थ हैः

....

" "किसी राज्य के संबंध में शासक का अर्थ है राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे महामहिम द्वारा राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त है।"

स्वतंत्रता के बाद, भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, धारा 311 (1) को हटा दिया गया। धारा 6 जिसे बरकरार रखा गया था, वह थी

प्रभाव को कम करनाः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

" 6 – (1) एक भारतीय राज्य को डोमिनियन में शामिल माना जाएगा यदि गवर्नर–जनरल ने उसके शासक द्वारा निष्पादित विलय के दस्तावेज की अपनी स्वीकृति का संकेत दिया है जिसके द्वारा राज्य की ओर से शासकः

(क) घोषणा करता है कि वह डोमिनियन को इस इरादे से स्वीकार करता है कि गवर्नर–जनरल, डोमिनियन विधानमंडल, संघीय न्यायालय और डोमिनियन के उद्देश्यों के लिए स्थापित कोई अन्य डोमिनियन प्राधिकरण, उसके आधार पर

राज्य के लिए ऐसे कार्य जो इस अधिनियम के तहत आदेश द्वारा उनमें निहित हो सकते हैं; और (ख) यह सुनिश्चित करने का दायित्व मानता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को राज्य के भीतर उचित प्रभाव दिया जाए, जहां तक वे विलय के दस्तावेज के आधार पर लागू होते हैं।

(2) विलय के दस्तावेज़ में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें शासक उन मामलों के रूप में स्वीकार करता है जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, और सीमाएं, यदि कोई हों, जिनके लिए डोमिनियन विधानमंडल की शक्ति है

राज्य के लिए कानून और राज्य में डोमिनियन के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग क्रमशः विषय होना चाहिए।

(3) एक शासक, अपने द्वारा निष्पादित और गवर्नर–जनरल द्वारा स्वीकार किए गए एक पूरक दस्तावेज़ द्वारा, अपने राज्य के विलय के दस्तावेज़ को उन कार्यों का विस्तार करके बदल सकता है जो उस दस्तावेज़ के आधार पर किसी भी डोमिनियन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।

(5) इस अधिनियम में एक राज्य जो डोमिनियन में शामिल हो गया है, उसे एक स्वीकृति राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है और वह साधन जिसके आधार पर एक राज्य ने इस तरह से स्वीकार किया है, जिसका अर्थ है – इस धारा के तहत निष्पादित पूरक लिखत को उस राज्य के विलय की लिखत के रूप में संदर्भित किया जाता है।

(6) जितनी जल्दी हो सके विलय के किसी भी साधन के बाद याइस धारा के तहत राज्यपाल द्वारा पूरक लिखत को स्वीकार कर लिया गया है], लिखत की प्रतियां और राज्यपाल–जनरल की स्वीकृति डोमिनियन

विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी और सभी न्यायालय ऐसे प्रत्येक लिखत और स्वीकृति की न्यायिक सूचना लेंगे।

10. त्रावणकोर अंतरिम संविधान अधिनियम, 1123 24.03.1948 पर लागू हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 1,2 और 4 इस प्रकार थीं:

" 1. (1) इस अधिनियम को त्रावणकोर अंतरिम संविधान कहा जा सकता है।

अधिनियम, 1123।

(2) यह तुरंत लागू हो जाएगा।

(3) यह प्रतिनिधि निकाय द्वारा बनाया गया नया संविधान अधिनियम लागू होने तक लागू रहेगा।

2. इस अधिनियम में 'हमारी सरकार' का अर्थ है –

त्रावणकोर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रावणकोर राज्य के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है।

4. निम्नलिखित विषय, अर्थात् –

(क) हमारा महल और हमारा शाही परिवार और इससे जुड़े सभी मामले

इसके साथ, श्री पंडरवक सहित,

(ख) देवस्वम, हिंदू धार्मिक दान और उससे जुड़े मामले, हमारे अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे और किसी भी मामले में, या उसके दायरे में नहीं होंगे।

मंत्रिपरिषद या विधानमंडल का कार्यक्षेत्र

सभा "।

11. श्री वी. पी. मेनन द्वारा उल्लिखित पहलू स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं।

त्रावणकोर और कोचि के महाराजाओं द्वारा भारत सरकार के साथ की गई वाचा में यह परिलक्षित होता है। श्री वी. पी. मेनन ने भारत सरकार की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए थे। त्रावणकोर और कोचि के महाराजाओं द्वारा 27.05.1949 पर हस्ताक्षरित वाचा और

29.05.1949 संबंधित वाचा राज्यों के शासकों के रूप में क्रमशः (इसके बाद 'वाचा' के रूप में संदर्भित) बाईस अनुच्छेद थे और वाचा के प्रासंगिक भाग थे:

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

" द कोवेनेंट

यात्रा के नियमों से परिचित हुए और

संयुक्त राज्य के गठन के लिए चीन

ट्रेवैंकर और कोचीन

हम, त्रावणकोर और कोच्चि के शासक, भारत सरकार की सहमति और गारंटी के साथ इसमें प्रवेश करते हैं।

निम्नलिखित वाचा में।

जुलाई, 1949 के पहले दिन से, त्रावणकोर राज्य और कोचीन संयुक्त राज्य के नाम से एक साझा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ एक राज्य में एकजुट होगा और उसका गठन करेगा।

त्रावणकोर और कोचीन राज्य।अनुच्छेद ।।

इस वाचा के बाद के अनुच्छेदों में, जुलाई, 1949 के पहले दिन को नियत दिन के रूप में संदर्भित किया गया है, त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों को करार करने वाले राज्यों के रूप में संदर्भित किया गया है, और संयुक्त राज्य त्रावणकोर और कोच्चि को संयुक्त राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है।

राज्य।अनुच्छेद ।।।

नियत दिन से,

(ए) सभी अधिकार, अधिकार और अधिकार क्षेत्र जो किसी भी वाचा वाले राज्य के शासक से संबंधित हैं या हैं

राज्य सरकार के लिए आनुषंगिक संयुक्त राज्य में निहित होगा;

(ख) दोनों में से किसी एक के शासक के सभी कर्तव्य और दायित्व

सरकार से संबंधित या आनुषंगिक करार करने वाले राज्य

उस राज्य का राज्य संयुक्त राज्य को हस्तांतरित हो जाएगा और उसके द्वारा उसका निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) किसी भी संविदाकारी राज्य की सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

संयुक्त राज्य की परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ हों।

अनुच्छेद ।V(1) संयुक्त राज्य के लिए एक राज प्रमुख होगा।

(2) त्रावणकोर का वर्तमान शासक पहला राज होगा।

प्रमुख और अपने जीवनकाल में पद धारण करने के हकदार होंगे।

समय।

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) कार्यालय में उत्पन्न होने वाली स्थायी रिक्ति की स्थिति में

राज प्रमुख की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से ऐसी रिक्ति को इस तरह से भरा जाएगा कि राज्यपाल

भारत के जनरल निर्धारित कर सकते हैं।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि राज प्रमुख अनुपस्थिति या बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का पालन तब तक किया जाएगा जब तक कि वह उन्हें फिर से शुरू नहीं कर देता है।

जैसा कि भारत का गवर्नर जनरल निर्धारित कर सकता है।

.....

अनुच्छेद VI इस वाचा के प्रावधानों के अधीन, संयुक्त राज्य के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग राज प्रमुख द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा; लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ भी संयुक्त राज्य के किसी भी सक्षम विधानमंडल को अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य प्रदान करने से नहीं रोकेगा या किसी भी अदालत, न्यायाधीश या अधिकारी या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को किसी भी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राज प्रमुख को स्थानांतरित करने के लिए समझा जाएगा।

अनुच्छेद VII

(1) राज प्रमुख को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जैसा प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद बारहवीं और तेरहवीं में।

(2) मंत्रियों का चयन उनके द्वारा किया जाएगा और वे इस अवधि के दौरान पद धारण करेंगे।

राज प्रमुख की खुशी।

अनुच्छेद VIII

(क) देवस्वम (संशोधन) उद्घोषणा, 1123 एम. ई. में दिए गए प्रावधान के अनुसार, अपने सामान्य राजस्व से देवस्वम कोष में हर साल 1 लाख रुपये की राशि का योगदान करने के लिए त्रावणकोर के करार राज्य का दायित्व, और परंतुक (ए) में निर्दिष्ट श्री पंडरवाग को हर साल 1 लाख रुपये की राशि।

त्रावणकोर अंतरिम संविधान अधिनियम 1123 एम. ई. की धारा 23 की धारा (1) नियत दिन से संयुक्त राज्य का दायित्व होगी और उक्त राशियां उससे देय होंगी और राज प्रमुख उक्त राशियों का श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. से भुगतान कराएगा।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

हर साल त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड और कार्यपालिका को

अधिकारी (इस अनुच्छेद के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट) क्रमशः।

(ख) श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और अन्य सभी संपत्तियों और धन का प्रशासन।

कहा गया कि मंदिर अब त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक के विश्वास में निहित है और 1 लाख रुपये की राशि वहां से हस्तांतरित की गई है।

इस अनुच्छेद के खंड (ए) के प्रावधानों के तहत साल दर साल और साल दर साल पांच लाख रुपये का योगदान किया जाता है।

इस अनुच्छेद के उपखंड (ग) के तहत श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में खर्च के लिए, अगस्त 1949 के पहले दिन से, त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति के नाम से जानी जाने वाली एक समिति होगी जो

तीन हिंदू सदस्य, जिन्हें त्रावणकोर के शासक द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में सलाह देने के लिए नामित किया जाएगा। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर द्वारा या उसके खिलाफ या उसकी संपत्तियों के संबंध में मुकदमे

उक्त कार्यकारी अधिकारी के नाम पर स्थापित किया जाएगा।

(ग) निगमन और अनिगमित का प्रशासन

घोषणा, 1122 एम. ई. जो त्रावणकोर के करार राज्य के शासक के प्रबंधन के अधीन हैं और खंड (ए) के तहत वर्ष दर वर्ष अंतरित किए जाने वाले Rs.50 लाख, अगस्त 1949 के पहले दिन से त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के नाम से जाने जाने वाले बोर्ड में निहित होंगे। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में व्यय के लिए त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा उपरोक्त राशि से पांच लाख रुपये का वार्षिक योगदान किया जाएगा।

(घ) निगमित और अनिगमित का प्रशासन

देवस्वम और हिंदू धार्मिक संस्थान जो कोचीन के करार राज्य के शासक के प्रबंधन के तहत हैं कोचीन सरकार अधिनियम, 1113 एम. ई. की धारा 50 जी, या कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1081 एम. ई. के प्रावधानों के तहत, और उनकी सभी संपत्तियों और निधियों और [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोचीन के करार राज्य के देवस्वम विभाग के प्रबंधन के तहत संपदा, पहले से प्रभावी होगी

अगस्त 1949 का दिन कोचि देवस्वम बोर्ड के नाम से जाने जाने वाले बोर्ड में निहित था।बशर्ते कि त्रिपुनिथुरा में श्री पूर्णत्रयीसा के मंदिर और पजयन्नोर में पजयन्नोर भगवती मंदिर में सभी अनुष्ठानों और समारोहों का विनियमन और नियंत्रण जारी रहेगा।

कोचीन के शासक द्वारा प्रयोग किया जाना।

(ई) इस अनुच्छेद के उपखंड । में निर्दिष्ट बोर्ड में तीन हिंदू सदस्य होंगे, जिनमें से एक को संयोजक राज्य त्रावणकोर के शासक द्वारा नामित किया जाएगा, एक को हिंदू द्वारा मंत्रिपरिषद में से और एक को संयुक्त राज्य की विधान सभा के हिंदू सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।(च) इस अनुच्छेद के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट बोर्ड में तीन हिंदू सदस्य होंगे, जिनमें से एक कोचीन करार राज्य के शासक द्वारा, एक को मंत्रिपरिषद में हिंदुओं द्वारा और एक को संयुक्त राज्य की विधान सभा के हिंदू सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।

(छ) उपरोक्त बोर्डों में से प्रत्येक एक अलग निगम निकाय होगा। स्थायी उत्तराधिकार और संपत्तियों को धारण करने और प्राप्त करने की शक्तियों के साथ एक आम मुहर होने पर और इसके नाम से मुकदमा किया जाएगा और मुकदमा किया जाएगा।

(ज) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपरोक्त बोर्डों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो –

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा इसके बाद निर्धारित किया गया।

बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी रोकने वाला नहीं समझा जाएगाराज प्रमुख एक पूरक उपकरण श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर द्वारा स्वीकार करने से।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उक्त सूची । में किसी भी कर या शुल्क से संबंधित कोई भी या सभी प्रविष्टियाँ, जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल संयुक्त राज्य के लिए कानून बना सकता है; और ऐसा करने में राज प्रमुख उन सीमाओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, यदि कोई हों, जिनके अधीन डोमिनियन विधानमंडल की संयुक्त राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति ऐसे मामलों का सम्मान और संयुक्त राज्य में डोमिनियन के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग क्रमशः विषय होना चाहिए।

अनुच्छेद X(1) संयुक्त राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें

राज प्रमुख और विधान सभा।

(2) वे सभी व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले त्रावणकोर के प्रतिनिधि निकाय या कोच्चि की विधान सभा के सदस्य हैं, उस दिन

संयुक्त राज्य की विधान सभा के सदस्य।

(3) यदि नियत दिन से ठीक पहले कोई रिक्ति मौजूद है

त्रावणकोर के प्रतिनिधि निकाय या कोच्चि की विधान सभा की सदस्यता में, इसे संयुक्त राज्य की विधान सभा की सदस्यता में एक रिक्ति माना जाएगा और ऐसी कोई भी रिक्ति और कोई भी रिक्ति जो नियत दिन के बाद हो सकती है, उसी तरीके से भरी जाएगी जैसे इसे भरा जाता यदि यह वाचा

प्रवेश नहीं किया गया था।

(4) संयुक्त राज्य के विधानमंडल को इस वाचा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस वाचा और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर संयुक्त राज्य के लिए कानून बनाने की पूरी शक्ति होगी, जिसमें संयुक्त राज्य के संविधान के प्रावधान भी शामिल हैं।

संयुक्त राज्य या उसका कोई भाग, और इस प्रकार बनाया गया कोई भी अध्यादेश इसके छह महीने से अधिक के स्थान के लिए नहीं होगा। उद्घोषणा में विधानमंडल के एक अधिनियम के समान कानून का बल होता है, लेकिन ऐसा कोई भी अध्यादेश ऐसे किसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

यदि विधानमंडल द्वारा बनाए गए या अपनाए गए संविधान के लागू होने से पहले किसी भी समय राज प्रमुख का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संयुक्त राज्य की सरकार को इस वाचा के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह भारत सरकार की पूर्व सहमति से उद्घोषणा द्वारा

(क) घोषणा करता है कि उसके कार्य, उस हद तक, जो हो सके,

घोषणा में निर्दिष्ट, उसके द्वारा अपने विवेक से प्रयोग किया जाए;

(ख) संयुक्त राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण या निकाय द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करें;

और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान हो सकते हैं जो उसे उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय लगें,संयुक्त राज्य में किसी भी प्राधिकरण या निकाय से संबंधित इस

वाचा के किसी भी प्रावधान या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधानों सहितः

बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज प्रमुख को या में निहित किसी भी शक्ति को अपने पास लेने के लिए अधिकृत नहीं करेगी।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, या किसी उच्च न्यायालय से संबंधित किसी कानून के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित किया जा सकता है।

:

अनुच्छेद XIV

(1) प्रत्येक प्रसंविदाकारी राज्य का शासक संयुक्त राज्य के राजस्व से अपने निजी बटुए के लिए अनुसूची में उस प्रसंविदाकारी राज्य के विरुद्ध निर्दिष्ट राशियों को वार्षिक रूप से प्राप्त करने का हकदार होगाः

बशर्ते कि त्रावणकोर के शासक के संबंध में अनुसूची में निर्दिष्ट राशि केवल वर्तमान शासक को ही देय होगी।

और उनके उत्तराधिकारियों के लिए नहीं जिनके लिए बाद में भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

(2) उक्त राशि का उद्देश्य शासक के निवास और समारोहों के खर्चों सहित सभी खर्चों को पूरा करना है और इसे किसी भी कारण से न तो बढ़ाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

(3) संयुक्त राज्य प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में चार समान किश्तों में शासक को उक्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगा।

(4) उक्त राशि सभी करों से मुक्त होगी चाहे वह संयुक्त राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा लगाई गई हो।

(1) प्रत्येक करार करने वाले राज्य का शासक नियत दिन से तुरंत पहले अपनी सभी निजी संपत्तियों (राज्य की संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा। (2) वह 1 सितंबर 1949 से पहले राज्य मंत्रालय में भारत सरकार को अपनी सभी अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और नकदी शेष राशि की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि संपत्ति की कोई वस्तु शासक की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति, तो इसे ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा जिसे भारत सरकार नामित कर सकती है।त्रावणकोर या कोचि के शासक के साथ परामर्श, जैसा भी मामला हो, और उस व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(1) कानून और प्रथा के अनुसार, प्रत्येक वाचा राज्य के गद्दी और उसके शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, गरिमाओं और उपाधियों के उत्तराधिकार की गारंटी दी जाती है। (2) एक प्रसंविदाकारी राज्य के संबंध में विवादित उत्तराधिकार के प्रत्येक प्रश्न का निर्णय राज प्रमुख द्वारा संयुक्त राज्य के उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार किया जाएगा।

... .

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद XXI

पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस वाचा के अनुसार, त्रावणकोर और कोचि के शासक

निलंबन की अपनी वर्तमान शक्तियों को जारी रखना और उनका प्रयोग करना,

किसी के संबंध में मृत्युदंड की माफी या लघुकरण

वह व्यक्ति जिसे इसके बाद मौत की सजा दी गई हो या हो सकती है

त्रावणकोर के क्षेत्रों के भीतर किया गया मृत्युदंड का अपराध या

कोचि जैसा भी मामला हो "।

अंत में, अनुसूची ने प्रिवी पर्स की राशि का उल्लेख किया

हस्ताक्षर जोड़े जाने के बाद।

" अनुसूची

करार करने वाले राज्य और प्रिवी पर्स की राशि।

रु.

त्रावणकोर

18 लाख।

कोचीन

2,35,000 .

उपरोक्त वाचा की पुष्टि में हम अपने अनुबंध को जोड़ते हैं

हस्ताक्षर, हमारी ओर से, हमारे उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों की ओर से।

एसडी /

त्रिवेंद्रम, 27.5.49

ट्रेवैंकर का महाराजा

एसडी /

त्रिपुनिथारा, 29.5.49

महाराजा ऑफ कोचीन

भारत सरकार एतद्द्वारा उपरोक्त से सहमत है।

वाचा और इसके सभी प्रावधानों की गारंटी। जिसकी पुष्टि में

श्री वपाल पांगुनी मेनन, भारत सरकार के सलाहकारराज्य मंत्रालय में, अपनी ओर से और साथ में अपने हस्ताक्षर जोड़ता है

भारत सरकार का अधिकार।

एसडी /

भारत सरकार के लिए सलाहकार

राज्यों का मंत्रालय "।

12. भारत के संविधान ने इस संबंध में कुछ प्रावधान किए हैं।

किसी भी वाचा के संदर्भ में शासकों को देय पर्स राशि या

राज्य के शासक द्वारा प्रवेश किए जाने से पहलेभारतीय राज्यों के शासकों के अधिकारों और अधिकारों के संबंध में भी। अनुच्छेद 238 (10) के संदर्भ में, जिसे श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर कहते हैं।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

तब से ले को संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया है (सातवां)

एन. डी. एम. टी.) अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि अनुबंध में दिए गए 51 लाख एक लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा।

स्वोम बोर्ड। संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 291,362,363 और 366 (22) इस प्रकार थेः

" Art.291: प्रिवी पर्स शासकों की राशि–जहाँ किसी के अधीन

किसी भी भारतीय के शासक द्वारा की गई वाचा या समझौता

इस संविधान के प्रारंभ से पहले राज्य, भुगतान

भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा किसी भी शासक को कर से मुक्त किसी भी राशि की गारंटी या आश्वासन दिया गया है जैसे कि

प्रिवी पर्सः

(क) किसी भी राशि पर शुल्क लिया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा।

भारत की समेकित निधि, और

(ख) किसी भी शासक को इस प्रकार दी गई राशि को सभी से छूट दी जाएगी।

आय पर कर।

Art.362: भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। कानून बनाने के लिए संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए या संघ या किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, गारंटी को उचित सम्मान दिया जाएगा।या किसी भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में अनुच्छेद 291 में निर्दिष्ट किसी ऐसी वाचा या समझौते के तहत दिया गया आश्वासन।

कला. 363 : उत्पन्न होने वाले विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक

कुछ संधियों, समझौतों आदि से बाहर। – (1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के अधीन, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान लिखत के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में अधिकार क्षेत्र होगा, जो संविधान के पहले किया गया था या निष्पादित किया गया था।

किसी भारतीय राज्य के किसी भी शासक द्वारा इस संविधान का प्रारंभ और जिसके लिए भारत अधिराज्य की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से कोई एक पक्ष था और जो इस तरह के प्रारंभ के बाद भी चालू है या जारी है, या

किसी भी दायित्व या [2020] 9 एस. सी. आर. के तहत उपार्जित किसी भी अधिकार के संबंध में विवाद।

इस संविधान के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाला दायित्व जो ऐसी किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या इसी तरह के अन्य दस्तावेज से संबंधित है।

(2) इस लेख में

(क) "भारतीय राज्य" से कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे इस संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या

भारत अधिराज्य की सरकार ऐसे राज्य के रूप में; और

(ख) "शासक" में राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं।

महामहिम या भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले किसी भी भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त।

Art.366: परिभाषाएँ–इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ हैं

एतद्द्वारा क्रमशः उन्हें सौंपा गया है, अर्थात –

1) 21)..

22) भारतीय राज्य के संबंध में शासक का अर्थ है राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी कोई वाचा या समझौता किया जाता है।

अनुच्छेद 291 के खंड (1) में निर्दिष्ट किया गया था और जिसे कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें किसी भी व्यक्ति को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।

ऐसे शासक।

23) 30 तक) '।

13. संविधान के लागू होने के तुरंत बाद, त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद "टी. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को निगमित और अनिगमित देवस्वम और अन्य हिंदू धार्मिक दान और निधियों के प्रशासन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। टी. सी. अधिनियम का भाग । जिसमें धारा 2 से 60 शामिल हैं, त्रावणकोर तक फैला हुआ है, जबकि भाग ।। जिसमें धारा 61 से 130 शामिल हैं, कोचि तक फैला हुआ है और भाग ।।। मालाबार क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य तक फैला हुआ है।

13.1 धारा 2 अभिव्यक्ति 'हिंदू' और 'हिंदू धार्मिक दान' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

" (आ) "हिन्दू" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो जन्म से या जन्म से हिन्दू है।

धर्मांतरण करता है और हिंदू धर्म का पालन करता हैः

बशर्ते कि धारा 4 के तहत बोर्ड में नामित या निर्वाचित होने वाला हिंदू सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बोर्ड में विश्वास करता है।भगवान और मंदिर की पूजा और जो अपने पद पर आने से पहले इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड के सचिव के समक्ष शपथ लेंगे;

(ख) "हिंदू धार्मिक दान" का अर्थ है

((i) प्रत्येक हिंदू मंदिर या मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल।

हिंदुओं को समर्पित या उनके द्वारा अधिकार के रूप में उपयोग किया जाने वाला दान

समुदाय या उसका कोई अनुभाग; और

((ii) प्रत्येक अन्य हिंदू दान या नींव, चाहे जो भी स्थानीय पदनाम ज्ञात हो, और उससे जुड़ी संपत्ति, दान और प्रसाद, चाहे वह पूरी तरह से धार्मिक कार्यों पर लागू हो।

उद्देश्यों या आंशिक रूप से धर्मार्थ या अन्य उद्देश्यों के लिए, और प्रत्येक

व्यक्त या रचनात्मक न्यास जिसके द्वारा संपत्ति या धन वंशानुगत आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के हाथों में निहित है।उत्तराधिकार या अन्यथा ऐसे उद्देश्यों के लिएः

लेकिन इसमें कोई भी हिंदू धार्मिक संस्था शामिल नहीं होगी।

एकल परिवार के एकमात्र प्रबंधन के लिए और उसके अधीनः बशर्ते कि, जहां धार्मिक संस्थान का प्रबंधन विभाजन द्वारा कई शाखाओं के हाथों में चला गया है

मूल परिवार के सदस्य, संस्था को फिर भी एक ही परिवार के प्रबंधन में माना जा सकता हैइस भाग का उद्देश्य।

स्पष्टीकरण–"वंशानुगत उत्तराधिकार" अभिव्यक्ति में नामांकन द्वारा एक शिष्य द्वारा "गुरु" का उत्तराधिकार शामिल होगा याअन्यथा; "

13.2 भाग । का अध्याय ।। "त्रावणकोर देवस्वम" से संबंधित है। उक्त अध्याय 2 में आने वाली धारा 3,4 और 15 इस प्रकार हैंः

निगमित और अनिगमित देवस्वम और हिंदूधार्मिक दान और उनकी सभी संपत्तियों और निधियों के साथ–साथ देवस्वम उद्घोषणा, 1097 के तहत गठित निधि।

एम. ई. और देवस्वोम [2020] 9 एस. सी. आर. के तहत गठित अधिशेष निधि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(संशोधन) घोषणा, 1122 एम. ई. जो पहले दिन से पहले त्रावणकोर के शासक के प्रबंधन में थी

जुलाई, 1949 में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, श्री पंडरवक संपत्तियों और उक्त मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों को छोड़कर, सभी संस्थानों का प्रबंधन जो देवस्वम विभाग के अधीन थे, त्रावणकोर में निहित होगा।

देवस्वोम बोर्ड। 4. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का गठन। – (1)

धारा 3 में निर्दिष्ट बोर्ड में तीन हिंदू सदस्य होंगे, जिनमें से दो को हिंदुओं द्वारा मंत्रिपरिषद में नामित किया जाएगा और एक को हिंदुओं द्वारा चुना जाएगा।

केरल राज्य की विधानसभा के सदस्य।(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका स्थायी उत्तराधिकार और धारण करने और अधिग्रहण करने की शक्ति के साथ एक आम मुहर होगी।

निगमित और अनिगमित देवस्वम और हिंदू धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती के लिए और उनकी ओर से संपत्तियाँ

बोर्ड के प्रबंधन के तहत।(3) बोर्ड अपने नाम से मुकदमा करेगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और सचिव

बोर्ड ऐसे मुकदमों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा।

.....

.....

15. बोर्ड में अधिकारिता निहित करना। – (1) इस भाग के अध्याय 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, देवस्वम और हिंदू धार्मिक दानों के संबंध में जुलाई, 1949 के पहले दिन से पहले त्रावणकोर के शासक से संबंधित या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार, अधिकार और अधिकारिता निहित होंगे और उनका प्रयोग निम्नलिखित द्वारा किया जाएगाः

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड।

(2) बोर्ड निगमित और गैर-निगमित देवस्वम पर निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

और उनके अधिकार क्षेत्र में हिंदू धार्मिक दान।

13.3 भाग । का अध्याय ।।। जिसमें धारा 18 से 23 शामिल हैं, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित है और कहा गया है कि धाराएँ

निम्नलिखित प्रभावः

" 18. कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रशासन। – (1) प्रदान की गई चालीस–छह लाख पचास हजार रुपये की राशि में से

के अनुच्छेद 290–ए में देवस्वम कोष को भुगतान

भारत के संविधान में छह लाख रुपये का योगदान श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर होगा।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में खर्च के लिए वार्षिक रूप से किया जाता है।

(2) श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और त्रावणकोर के शासक में न्यास में निहित उक्त मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों का प्रशासन और उप–धारा (1) में उल्लिखित छह लाख रुपये की राशि, त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी।

19. कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमा। – श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर द्वारा या उसके खिलाफ या उसकी संपत्तियों के संबंध में मुकदमे

उक्त कार्यकारी अधिकारी के नाम पर स्थापित किया जाएगा।

20. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का गठन

21. समिति के अध्यक्ष। – (1) त्रावणकोर का शासक सदस्यों में से एक को समिति का अध्यक्ष नामित करेगा। (2) समिति की बैठक त्रिवेंद्रम में कम से कम एक चौथाई में होगी।

(3) समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ता और बैठक का भुगतान किया जाएगा जो त्रावणकोर का शासक समय–समय पर निर्धारित करे।

जब बैठक आयोजित की जानी है और वहाँ व्यापार किया जाना है। (3) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति सभापति द्वारा त्रावणकोर के शासक को भेजी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. संपत्तियों के संबंध में मौजूदा व्यवस्थाएँ और

संग्रह जारी रहेगा। – जब तक अन्य व्यवस्था नहीं की जाती,

श्री पंडरवर्गा संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे राजस्व संग्रह के संबंध में मौजूदा व्यवस्थाएं

यह पहले की तरह जारी रहेगा।

13.4 भाग । का अध्याय ।V निगमित और

उक्त अध्याय में शामिल असंयोजित देवस्वोम और धारा 33 में कहा गया हैः

" 33. बजट और प्रशासन रिपोर्ट। – (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत निगमित और अनिगमित देवस्वम और हिंदू धार्मिक संस्थानों की संभावित प्राप्तियों और संवितरण को दिखाया जाएगा। बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के दो महीने के भीतर सरकार को बजट की उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा जितनी सरकार निर्देशित करे।

(2) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के दौरान बोर्ड के कामकाज की एक वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने के तीन महीने के भीतर सरकार को इतनी प्रतियां सौंपेगा।

उक्त रिपोर्ट के बारे में जैसा कि सरकार निर्देश दे।

13.5 धारा 36 और 37, देवस्वम आयुक्त की आवधिक लेखा माँगने की शक्ति से संबंधित है औरबोर्ड द्वारा हिंदू धार्मिक दानों का प्रबंधन भाग । के अध्याय V में दिखाई देता है और वे इस प्रकार हैंः –

" 36. देवस्वम आयुक्त की मांग करने की शक्तियाँ

आवधिक खाते आदि। – यह सक्षम होगा कि

देवस्वम आयुक्त धारा में परिभाषा के तहत आने वाले किसी भी बंदोबस्ती के न्यासियों या प्रबंधकों को बुलाने के लिए एक नोटिस द्वारा

2 , खंड (ख) आय के आवधिक खाते प्रस्तुत करना और संपत्ति, रत्न, बर्तन, फर्नीचर या अन्य वस्तुओं का व्यय या सूची।

उनके प्रभार या प्रतिनियुक्ति के तहत दान से संबंधित चीजें

9 1974 में प्रभावी टी. सी. अधिनियम में संशोधन द्वारा, "सरकार" अभिव्यक्ति को "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति के स्थान पर रखा गया।

10 उसी संशोधन द्वारा, "सरकार" अभिव्यक्ति को "शासक" श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर अभिव्यक्ति के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

देवस्वम विभाग का कोई भी अधिकारी इसकी जांच और सत्यापन करे।

इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी के लिए यह भी सक्षम होगा कि वह न्यासियों और प्रबंधकों को नोटिस द्वारा उन सभी खातों या अन्य अभिलेखों या सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए जो उसे जांच और सत्यापन के उद्देश्य से आवश्यक हो और खातों और चल संपत्ति की जांच में भी उसकी सहायता करे।

नोटिस को सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से सेवा के लिए लागू किया जाएगा

समन।

जहां इस धारा के तहत प्रतिनियुक्त अधिकारी को पता चलता है कि किसी भी चल वस्तु को हटाए जाने या दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, तो वह उनकी अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने के लिए देवस्वम आयुक्त को तत्काल रिपोर्ट करेगा जो आवश्यक हो। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, देवस्वम आयुक्त, संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। कोई भी न्यासी या प्रबंधक जो देवस्वम आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश या इस धारा के तहत जारी किसी भी नोटिस की जानबूझकर या अपमानजनक रूप से अवज्ञा करता है, उसे त्रावणकोर दंड संहिता की धारा 181 के तहत अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

" न्यासी का अर्थ होगा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति या व्यक्ति जिसमें किसी धार्मिक बंदोबस्ती के मामलों का प्रशासन उसके लिए किसी संपत्ति को न्यास में रखने के न्यास में निहित है, चाहे वह व्यक्ति या व्यक्ति किसी भी पदनाम से हो।जाना जाता है।

37. हिंदू धर्म के प्रबंधन की धारणा

बोर्ड द्वारा दान। – (1) बोर्ड निम्नलिखित में हिंदू धार्मिक दान का प्रबंधन ग्रहण कर सकता हैः मामलेः

(क) कम से कम दो–तिहाई न्यासियों या दानदाताओं के आवेदन और अनुरोध पर, उन मामलों में जहां दानदाताओं ने न्यासियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की शक्ति अपने लिए सुरक्षित रखी है।

(ख) न्यासियों द्वारा न्यासी पद पर बने रहने से इनकार करने पर या स्वयं इस बात को स्वीकार करने पर कि वे पद पर बने रहने में असमर्थ हैं।

ट्रस्ट प्रबंधन।

(ग) ऐसे मामलों में जहां त्रावणकोर के शासक को अधिकार था –

कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करके प्रबंधन में भाग लें

संस्था।(घ) ऐसे मामलों में जहां त्रावणकोर के शासक को प्रबंधन के अधिकार के लिए सफल होने का अधिकार था, आंशिक रूप से, पलायन के कारण

न्यासियों का, यदि शेष न्यासी अपने कर्तव्यों को ठीक से और संस्था के सर्वोत्तम हित में निभाने में विफल रहे हैं। (ई) साबित कुप्रबंधन के मामलों में हालांकि संस्थान इस उप–धारा के खंड (सी) या खंड (डी) के तहत नहीं आते हैं।

स्पष्टीकरण। "दाता" शब्द में कानूनी शामिल हैं

दानदाताओं के प्रतिनिधि।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, प्रबंधन ग्रहण करने के बजाय, इस तरह का प्रयोग कर सकता है –

किसी भी संस्थान के प्रबंधन में अधीक्षण जिसके लिए

यह भाग न्यास के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने के लिए लागू होता है, यदि –

न्यासी अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में विफल रहे हैं और

संस्थान के सर्वोत्तम हित।

(3) बोर्ड पालन करने के उद्देश्य से नियम बना सकता है

उप–धारा (2) में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाना।

(4) कोई भी व्यक्ति जो खुद को एक आदेश से व्यथित समझता हैइस धारा की उप–धारा (1) के खंड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित आधारों में से किसी पर पारित धारणा, एक अवधि के भीतर हो सकती है।

आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि केरल सरकार के राजपत्र में, संस्थान में धारणा

जिला न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में विषय वस्तु स्थित है,

इस तरह के आदेश को दरकिनार करने के लिए बोर्ड के खिलाफ मुकदमाः

बशर्ते कि मुकदमे के परिणाम के अधीन, यदि कोई हो, तो विकल्प का आदेश अंतिम होगा। ”

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

13.6 भाग II में दिखाई देने वाली धारा 61 "संस्थापक", "संपादक न्यासी" और "हिंदू" अभिव्यक्तियों को इस प्रकार परिभाषित करती हैः

" (3) " संस्थापक में उनके कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(4) " वंशानुगत न्यासी "से किसी संस्था का न्यासी अभिप्रेत होगा, जिसके पद का उत्तराधिकार वंशानुगत अधिकार द्वारा दिया जाता है या उपयोग द्वारा विनियमित किया जाता है या विशेष रूप से संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है।संस्थापक तब तक जब तक उत्तराधिकार का ऐसा तरीका लागू है;

(4(क) "हिन्दू" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो जन्म से हिन्दू है या

बशर्ते कि धारा 63 के तहत बोर्ड में नामित या निर्वाचित होने वाला हिंदू सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बोर्ड में विश्वास करता है। भगवान और मंदिर की पूजा और कौन शपथ लेगा

बोर्ड के सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उस प्रभाव के लिए

उनके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले इस उद्देश्य के लिए सरकार।

धारा 62 में कहा गया हैः

" 62. बोर्ड में प्रशासन का निहित होना। – (1) द.

निगमित और अनिगमित देवस्वोमों का प्रशासन

और हिंदू धार्मिक संस्थान जो इसके अधीन थे

कोचीन सरकार अधिनियम, 1113 का XX, या कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1081 के प्रावधानों के तहत, और उनकी सभी संपत्तियों और निधियों और राज्य के देवस्वम विभाग के प्रबंधन के तहत संपदाओं और सभी संस्थानों की। कोचीन, कोचीन देवस्वम बोर्ड में निहित होगा।

(2) उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों के बावजूद सभी अनुष्ठानों और समारोहों का विनियमन और नियंत्रण

त्रिपुनित्तुरा में श्री पूर्णत्रयीसा का मंदिर और पझायन्नूर में पझायन्नूर भगवती मंदिर जारी रहेगा। कोचीन के शासक द्वारा अब तक के रूप में प्रयोग किया जाना।

धारा 128 में कहा गया हैः

" 128.घोषणा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड 1094.– सरकार और दीवान में निहित शक्तियाँ

एडावम 1094 के 13 वें दिन की घोषणा के अनुसार

1120 की उद्घोषणा VII द्वारा संशोधित, और [2020] 9 एस. सी. आर. में निहित होगा।

बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई और उक्त घोषणा का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि "हमारी सरकार" और "हमारा दीवान" शब्दों के लिए "कोच्चि देवस्वम बोर्ड" शब्द होते हैं। प्रतिस्थापित किया गया "।

14. संसद द्वारा अधिनियमित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हमारे बीच अंतरंग उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करता है जो 17.06.1956 पर लागू हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 5 में कहा गया हैः

" 5.अधिनियम कुछ संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। – यह अधिनियम लागू नहीं होगा((i) कोई भी संपत्ति उत्तराधिकार जिसे भारतीय द्वारा विनियमित किया जाता है।

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के कारण;

((ii) कोई भी संपत्ति जो किसी भी भारतीय के शासक द्वारा की गई किसी वाचा या समझौते की शर्तों के अनुसार किसी एकल उत्तराधिकारी के पास जाती है।भारत सरकार के साथ या किसी भी शर्तों के अनुसार राज्य

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पारित अधिनियम;

(iii) कोचीन के महाराजा द्वारा 29 जून, 1949 की उद्घोषणा (1124 का IX) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित वलियम्मा थम्पुरन कोविलागम एस्टेट और पैलेस फंड।

15. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 ने अनुच्छेद 238 वाले भाग को हटा दिया, लेकिन अनुच्छेद 290 ए को संविधान में शामिल कर दिया।शीर्षक। कहा गया अनुच्छेद 290 ए निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 290 ए. कुछ देवस्वोम निधियों को वार्षिक भुगतान। – केरल राज्य की संचित निधि पर हर वर्ष छियालिस लाख पचास हजार रुपये की राशि वसूल की जाएगी और उसका भुगतान त्रावणकोर देवस्वम कोष में किया जाएगा और तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से हर वर्ष तेरह लाख पचास हजार रुपये की राशि का भुगतान उस राज्य में स्थापित देवस्वम कोष में किया जाएगा।

क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों और मंदिरों का रखरखाव

से 1 नवंबर, 1956 को उस राज्य में स्थानांतरित किया गया

त्रावणकोर राज्य–कोचीन "।

वाचा में बीमित राशि और जैसा कि अनुच्छेद 238 में परिलक्षित होता है, 51 लाख रुपये है। हालाँकि, राज्यों के पुनर्गठन के बाद, इसके क्षेत्रों में आने वाले कुछ देवस्वमों के संबंध में श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर को निहित किया गया।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु राज्य) के साथ और इस तरह पूर्ववर्ती त्रावणकोर और कोच्चि राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में केरल राज्य में देवस्वम को आवंटित राशि में संशोधन किया गया था।

16. भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश 1 1 में घोषणा की गई है कि

भारतीय राज्यों के शासकों को संबंधित भारतीय राज्यों के शासकों के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया गया, शासकों की ओर से चुनौती को जन्म दिया और इस न्यायालय द्वारा माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम में निपटा गया। भारत संघ "। 9 के बहुमत सेः 2 , इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों को अवैध घोषित कर दिया। इस स्तर पर, मंदिर के प्रशासन के लिए निम्नलिखित संदर्भ औरके. एस. हेगड़े, जे. के निर्णय में वाचा के अनुच्छेद VIII (बी) के संदर्भ में त्रावणकोर के शासक के अधिकार पर ध्यान दिया जा सकता हैः

त्रावणकोर के शासक का अधिकार मंदिर के तहत संरक्षित किया गया थावाचा का अनुच्छेद VIII (बी)। इसी तरह के मौजूदा अधिकार

प्रबंधन के संबंध में त्रावणकोर और कोच्चि के शासक

कुछ मंदिरों और निधियों को संरक्षित किया गया था। वे भी थे।

कुछ वैधानिक सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया बोर्ड। पूर्वगामी से यह देखा गया है कि विभिन्न

अनुबंध, गोपनीयता प्राप्त करने के अधिकार के अलावा कई अधिकार

कुछ शासकों के पक्ष में पर्स बनाए गए थे

करार करने वाले राज्य "।

(जोर दिया गया)

17. इसके तुरंत बाद संसद ने संविधान लागू किया।

(26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 जो 28.12.1971 पर लागू हुआ। इसने अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया; नया अनुच्छेद 363 ए जोड़ा; और अनुच्छेद 366 के खंड 22 में दिखाई देने वाले शासक की परिभाषा में संशोधन किया। उक्त संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार थाः

" प्रिवी पर्स और विशेष विशेषाधिकारों के साथ शासन की अवधारणा

किसी भी वर्तमान कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों से असंबंधित था

एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत। सरकार के पास है,

इसलिए, प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय लिया पूर्व भारतीय राज्यों के शासक। यह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है,

संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन के अलावा,

1 1 दिनांकित 06.09.1970 और 19.09.1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित। 12 (1971) 1 एस. सी. सी. 85 ने 15.12.1970 [2020] 9 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसमें एक नया अनुच्छेद अंतःस्थापित करना ताकि ऐसे शासकों को पहले से दी गई मान्यता को स्पष्ट रूप से समाप्त किया जा सके और गोपनीयता को समाप्त किया जा सके। प्रिवी पर्स के संबंध में सभी अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को समाप्त करता है। इसलिए यह विधेयक "।

संशोधन के बाद अनुच्छेद 363ए और अनुच्छेद 366 (22) के रूप में पढ़ा गया" 363ए. भारतीय राज्यों के शासकों को बंद करने और प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए दी गई मान्यता। – इसके बावजूद

इस संविधान में या उस समय लागू किसी कानून में कुछ भी

संशोधन) अधिनियम, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा किसी भारतीय राज्य के शासक के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसे इस तरह के प्रारंभ से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी गई थी।ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को, ऐसे प्रारंभ पर और उसके बाद से, ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया जाएगा;

(ख) संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है और प्रिवी पर्स के संबंध में सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व समाप्त कर दिए गए हैं। समाप्त कर दिए जाते हैं और तदनुसार, खंड (क) में निर्दिष्ट शासक या, यथास्थिति, ऐसे शासक के उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रिवी पर्स के रूप में कोई राशि नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 366 (22)(22) " "शासक" से राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा किसी भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई थी या कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी;

18. केरल राज्य ने श्री पंडरवका भूमि (निहित मताधिकार) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया। धारा 2 (के) "मंदिर" को पद्मनाभस्वामी मंदिर के रूप में परिभाषित करती है और अधिनियम की धारा 3 का अर्थ है –

विंग प्रभावः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

" (1) किसी कानून या अनुबंध या न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, नियत दिन,

(क) जमींदारों द्वारा धारित सभी श्री पंडरवक भूमि में मंदिर के सभी अधिकार, अधिकार और हित विशिष्ट होंगे।

(ख) सभी श्री में मंदिर के सभी अधिकार, शीर्षक और हित

उप में उल्लिखित भूमि को छोड़कर, पंडरवक थनाथू भूमि

धारा (2), सरकार में निहित होगी;

(ग) प्रत्येक इमारत जो नियत दिन से ठीक पहले मंदिर की थी और तब एक कार्यालय के रूप में उपयोग की जा रही थी।

श्री पंडरवक विभाग की मेलकंगनम शाखा के प्रशासन के संबंध में और बिना किसी अन्य उद्देश्य के,

सभी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त सरकार में निहित होगा।

स्पष्टीकरण। – इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, "भवन" में वह स्थान शामिल है जिस पर वह खड़ा है और कोई भी भूमि जिसके पास वह है।

वहाँ तक।

(2) उप–धारा (1) में निहित कुछ भी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू नहीं होगा।

(3) सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई श्री पंडरवक थानथु भूमि इसके लिए बिल्कुल अपरिहार्य है।

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर या उससे जुड़े किसी भी मंदिर का रखरखाव, रखरखाव और उपयोग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश देता है कि ऐसी भूमि के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित सरकार में निहित नहीं होंगे और फिर ऐसे अधिकार, स्वामित्व और हित श्री में फिर से निहित होंगे।

(4) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई भवन उप–धारा (1) के दायरे में आता है या नहीं, तो इसे सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा और कानून के किसी भी न्यायालय में पूछताछ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. संसद ने भारतीय राज्यों के शासकों (उन्मूलन विशेषाधिकार) अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम ', संक्षेप में) को भारतीय राज्यों के शासकों की मान्यता रद्द करने और प्रिवी पर्स के गठन के परिणामस्वरूप कुछ शर्तों में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया, ताकि शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा सके और –कथित शासकों को परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अनिवार्य रूप से समायोजन करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान। वस्तुओं के कारणों के विवरण में कहा गया है:

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय राज्यों के शासकों को दिए गए विशेषाधिकार वैध नहीं रहे हैं और उन विशेषाधिकारों को अनिश्चित काल तक जारी रखना अक्षम्य होगा। हालांकि, पूर्व शासकों को समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए धीरे-धीरे प्रिवी पर्स के उन्मूलन के कारण बदली हुई परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधान करना आवश्यक प्रतीत होता है। पूर्व शासकों के कुछ विशेषाधिकारों को कुछ अधिनियमों द्वारा प्रदान किया गया है। यह विधेयक उन अधिनियमों को नीचे बताए गए तरीके से संशोधित करना चाहता है।

2. भारतीय राज्य के शासक को अपराधी से प्रतिरक्षा

3. प्रत्येक पूर्व शासक के एक निवास और विरासत के आभूषणों के संबंध में धन कर अधिनियम, 1957 के तहत छूट उनके जीवनकाल के लिए सीमित की जा रही है। इसके अलावा, के संबंध में छूट केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत के आभूषणों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (विधेयक का खंड 5) द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत के आभूषणों के मामले में वर्तमान में लागू शर्तों के अधीन बनाया जा रहा है।

4. प्रिवी पर्स से बने उपहारों के संबंध में उपहार-कर अधिनियम, 1958 के तहत मौजूदा छूट को वापस लिया जा रहा है (विधेयक का खंड 6)।

प्रिवी पर्स के उन्मूलन और प्रिवी पर्स के संबंध में छूट प्रदान करने वाले प्रावधान को हटाने के लिए सरकार। कुछ अधिसूचनाओं में संशोधन करने का अधिकार लिया जा रहा है भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 60ए के तहत जारी किया गया और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 297 द्वारा जारी किया गया, अधिसूचनाओं को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की दृष्टि से क्योंकि वे शासकों के पक्ष में छूट (विधेयक का खंड 7) से संबंधित हैं। श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जिन प्रावधानों में संशोधन किया गया था, उनमें से एक धारा 5 थी

कर अधिनियम, 1957। 1972 के अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है:

" धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 में, उप-धारा (1) में - (क) खंड (iii) में, "व्यवसाय में कोई एक इमारत" शब्दों के लिए

केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक शासक को उसका अधिकारी

अर्थात्: " बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त रूप में मान्यता प्राप्त आभूषणों के मामले में, ऐसी मान्यता निम्नलिखित के अधीन होगी –

निम्नलिखित शर्तें, अर्थात्:

(i) कि आभूषण स्थायी रूप से भारत में रखे जाएँगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और अवधि के अलावा भारत के बाहर नहीं हटाए जाएँगे:

((ii) आभूषणों को रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

काफी हद तक अपने मूल आकार में;

((ग) बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत सरकार के किसी भी अधिकारी को जांच करने के लिए उचित सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी।

((iv) यदि इसमें पहले निर्दिष्ट किसी भी शर्त को विधिवत पूरा नहीं किया जा रहा है, तो बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, भारतीय राज्यों के शासक (विशेषाधिकारों का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 की धारा 5 के खंड (बी) के प्रारंभ की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से मान्यता को वापस ले सकता है और ऐसे मामले में, ऐसे प्रारंभ के बाद सभी निर्धारण वर्षों के लिए शासक द्वारा धन-कर का भुगतान किया जाएगा।जिसके लिए आभूषण को छूट दी गई थी

मान्यता।

स्पष्टीकरण। पूर्वगामी के खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए

परंतुक, [2020] 9 एस. सी. आर. की तारीख को किसी भी आभूषण का उचित बाजार मूल्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि धन की कुल राशि-उसमें निर्दिष्ट सभी निर्धारण वर्षों के लिए पूर्वगामी परंतुक के खंड (iv) के तहत किसी भी आभूषण के संबंध में देय कर किसी भी मामले में उसके उचित बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन तिथि जिसमें

मान्यता वापस ले ली गई थी; "

यहाँ यह कहा जा सकता है कि धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा 1 में खंड (iv) इस तरह के जोड़ से पहले निम्नानुसार था:

" किसी भी शासक के कब्जे में आभूषण, जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उसकी विरासत के रूप में मान्यता दी गई है या जहां ऐसी कोई मान्यता मौजूद नहीं

है, जिसे बोर्ड, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत धन-कर के लिए उसके पहले मूल्यांकन के समय उसकी विरासत के रूप में मान्यता दे सकता है।

20. 1974 में केरल राज्य ने त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1974 पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टी. सी. अधिनियम की धारा 33 में संशोधन किया गयाः

" मूल अधिनियम की धारा 33 में, "त्रावणकोर के शासक" और "शासक" शब्दों के लिए, दोनों स्थानों पर जहां वे होते हैं,

"सरकार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अपरिवर्तित रहे। 21. 19.07.1991 पर, श्री चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा, जिन्होंने वाचा राज्य के शासक के रूप में वाचा को निष्पादित किया था

त्रावणकोर का निधन हो गया। तब से, अपीलार्थी संख्या 1 उथराडम तिरुनल मार्तंड वर्मा वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने तक मंदिर के मामलों के संबंध में "त्रावणकोर के शासक" के रूप में सभी कार्यों का प्रयोग कर रहे थे। 22. माधव राव जीवाजी राव सिंधिया 1 2 में इस न्यायालय के निर्णय के अलावा, वर्तमान श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. से कुछ प्रासंगिकता रखने वाले दो मामले हैं।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

ये थेः क) इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रेवतिनाल बालगोपाल वर्मा बनाम महामहिम श्री बालगोपाल वर्मा मामले में अपना फैसला सुनाया।

पद्मनाभ दास बाल राम वर्मा (मृत होने के बाद से) और अन्य 1,3 और संबंधित मामले। जिन संपत्तियों को त्रावणकोर के शासक द्वारा निजी संपत्तियों के रूप में वर्णित किया गया था, जिनका विवरण 27.05.1949 पर दर्ज वाचा से जुड़ी सूची का हिस्सा था, वे केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के तहत की गई अधिकतम सीमा की कार्यवाही का विषय थे। कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह घोषणा की गई कि उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारित जोत में से अधिशेष अधिशेष अनुमेय सीमा से अधिक थी। इस निर्णय को परिवार के सदस्यों द्वारा चुनौती दी गई थी कि वे संपत्तियां तरवाड़ संपत्तियां थीं और उन्हें अलग-अलग परिवारों से संबंधित माना जाना चाहिए जो तरवाड़ में स्वतंत्र इकाइयों का गठन करते थे और इस तरह कहा गया कि संपत्तियां उक्त अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के बीच विभाजित थीं। इस न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उत्तराधिकार मरुमक्कथयम कानून द्वारा शासित होगा। यह एन. डी. ओझा, जे. द्वारा प्रमुख निर्णय में देखा गया थाः

" 62. वह प्रत्यर्थी 1 एक संप्रभु था और संप्रभु शासकों द्वारा समय-समय पर विवादित संपत्तियां निष्पक्ष थीं, इस पर विद्वान वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

हमारे सामने अपीलार्थी। हालाँकि, उनके द्वारा जो आग्रह किया गया है वह यह है कि विवादित संपत्तियाँ एक तरवाड़ की थीं और ऐसी संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्तियाँ थीं और निष्पक्षता की विशेषता उन पर लागू होती थी

क्योंकि प्रथा के अनुसार परिवार का केवल सबसे बड़ा सदस्य ही शासक हो सकता था और अपनी गरिमा और स्थिति को बनाए रख सकता था।

63. इस संबंध में यह ध्यान रखना होगा कि एक संप्रभु शासक के उत्तराधिकार का तरीका और ऐसे शासक की शक्तियां दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। उत्तराधिकार का तरीका उस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है जिसमें एक संप्रभु शासक के बाद दूसरा शासक आता है।यह अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य ज्येष्ठाधिकार या वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार या उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य स्थापित नियम द्वारा शासित हो सकता है। यह प्रक्रिया एक संप्रभु के दूसरे के उत्तराधिकारी होने के साथ समाप्त होती है। इसके बाद संप्रभु द्वारा किन शक्तियों, विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाना है, यह एक ऐसा सवाल है जो संबंधित नहीं है।

13 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 233 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तराधिकार की प्रक्रिया से संबंधित लेकिन कानूनी घटनाओं से संबंधित

संप्रभुता "।

(जोर दिया गया)

तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि सूट में संपत्तियां संयुक्त नहीं थीं

y संपत्तियाँ, लेकिन उक्त प्रतिवादी की व्यक्तिगत संपत्तियाँ थीं

अपनी सहमति में, रंगनाथन, जे. ने सहमति व्यक्त की

उपयोग बहुमत के निर्णय में आए। यह देखा गया था कि

एनाथन, जे. निम्नानुसारः

" 9. उन तथ्यात्मक पहलुओं में से एक जिस पर निर्भर किया जाता हैपारिवारिक मूल का दावा करने के लिए अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील

शासक की संपत्ति यह है कि शासकों की संपत्तियाँ

एक शासक से दूसरे शासक को पारित किया गया, भले ही बाद वाला था

प्रत्यक्ष वंशावली नहीं। यह आग्रह किया जाता है कि यदि संपत्तियाँशासक की व्यक्तिगत संपत्तियाँ होतीं, वे होतीं

उनकी मृत्यु पर उनके व्यक्तिगत उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया। मेरी राय में यह है

बहुत उपयोगी तर्क नहीं। राजा द्वारा धारण की गई सभी संपत्तियाँया शासक ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा हस्तांतरित होता है, वहाँ कोई नहीं है

उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों और उन संपत्तियों के बीच इस संबंध में अंतर

उसे शासक के रूप में धारण किया। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह लाइनल हो। ज्येष्ठाधिकार। यह सामान्य ज्येष्ठाधिकार हो सकता है, उत्तराधिकारी

पर। तथ्य यह है कि उत्तराधिकारी का निर्धारण इसके आधार पर किया जाता हैमरुमक्कथयम कानून निस्संदेह संपत्तियों के हस्तांतरण का कारण बनता है।

अगले कर्णवन पर जो शासन में सफल होता है। लेकिन यह आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि गुण आयोजित किए गए थे

शासक द्वारा एक तरवाड़ की संपत्तियाँ होती हैं। हस्तांतरण इसके द्वारा होता है

शासक से शासक तक उत्तराधिकार और न कि एक तरह से उत्तरजीविता

एक कर्णवन लेने के कारण मरुमक्कथयम कानून के तहत एक मृत पूर्ववर्ती का स्थान। यह स्थिति

इसलिए, मेरी राय में, अपीलार्थी के दावे को स्थापित नहीं करता।

(जोर दिया गया)

ख) संविधान की वैधता (छब्बीसवाँ संशोधन)

1971 इस न्यायालय में और श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. के अपने निर्णय द्वारा चुनौती दी गई थी।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

04.02.1993 रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ 1 4 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया। हम उक्त संशोधन की चुनौती और रघुनाथराव गणपतराव 1 4 में इस न्यायालय के फैसले पर बाद में विचार करेंगे।23. इन परिस्थितियों और घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में, संबंधित मुकदमों के साथ–साथ रिट याचिका में राज्य द्वारा लिए गए रुख पर अब विचार किया जा सकता है। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि मंदिर को हमेशा त्रावणकोर महल के रूप में स्वीकार किया गया था।

ए) 2007 के ओएस No.625 में दायर अपने लिखित वक्तव्य में, राज्य ने प्रस्तुत किया थाः

" टी. सी. एच. आर. आई. अधिनियम 1950 के अनुसार, अध्याय ।।। का नेतृत्व 'श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर' के रूप में किया जाता है, जिसके द्वारा धारा 18 से 23 मंदिर के स्वामित्व और प्रशासन में त्रावणकोर के शासक के अधिकार को निर्दिष्ट करती है। उक्त अधिनियम के अनुसार, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और श्री पंडरवक संपत्तियों

और उक्त मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों का प्रशासन त्रावणकोर के शासक के न्यास में निहित है और यह त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण में है।

उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा त्रावणकोर के शासक का पर्यवेक्षण। त्रावणकोर कोचीन का उक्त अध्याय ।।।

हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के स्वामित्व और प्रशासन में त्रावणकोर के शासक के अधिकार की जोरदार घोषणा करता है। करार द्वारा समर्थित त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 1950 के प्रावधानों की गारंटी भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 363 (1) में दी गई है।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड या कोचीन देवस्वम बोर्ड या किसी भी देवस्वम समिति के तहत। प्रसिद्ध मंदिर जैसेचक्कुलाथुकावु भगवती मंदिर, मन्नारसाला श्री नागराज मंदिर ऐसे पारिवारिक मंदिरों के कुछ उदाहरण हैं। निजी न्यासियों और हिंदुओं के स्थानीय संगठनों के स्वामित्व वाले कई मंदिर भी हैं जैसे अट्टुकल भगवती मंदिर, पळवंगडी।

गणपति मंदिर आदि। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी एक ऐसा पारिवारिक मंदिर न्यास है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन त्रावणकोर द्वारा किया जाता है।

1 4 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 191 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महल, और त्रावणकोर के विशिष्ट प्रावधान द्वारा संरक्षित

कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम। 8. यह प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है कि क्या वर्तमान महाराजा

त्रावणकोर के शासक की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं, यह एक अलग मामला है जो सीधे तौर पर विवादास्पद प्रश्न से जुड़ा नहीं है। विचार करने के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या सरकार या त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के लिए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन को संभालने के लिए कोई सार्वजनिक और सम्मोहक आधार है। कानूनी तकनीकी और प्रक्रियाएँ केवल तभी उत्पन्न होती हैं जब अधिग्रहण की आवश्यकता स्थापित हो जाती है। पारंपरिक और प्रथागत मान्यता जो लंबे समय से मान्यता प्राप्त और स्वीकार की गई है, वह यह है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर "श्री पद्मनाभ" से संबंधित है। दसास, त्रावणकोर पैलेस के शाही परिवार के प्रमुख हैं और वे जनता से उच्च सम्मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मामले में, मंदिर के प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। मंदिर का प्रशासन नहीं टूटा है और न ही प्रमुख प्रकृति का कोई अन्य आरोप है, जो सरकार को मंदिर के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करता है। इसकी कोई अनिवार्य आवश्यकता या सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, जिसकी आवश्यकता है।

सरकार मंदिर को अपने नियंत्रण में ले। ऐसी परिस्थितियों में,

सरकार हस्तक्षेप या अधिग्रहण नहीं करना चाहती है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन जो है

पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से त्रावणकोर महल के मंदिरों के रूप में स्वीकार किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद में उठाए गए अभिकथनों को खारिज किया जा सकता है।

इसलिए, यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि यह मुकदमा अनावश्यक रूप से स्थापित किया गया है, इसलिए माननीय न्यायालय को प्रसन्न होना चाहिएः एडिशनल द्वारा दायर लिखित बयान को स्वीकार करें। 3 आर. डी. प्रतिवादी और

इन प्रतिवादियों को लागत के साथ मुकदमा खारिज किया जा सकता है।

बी) डब्ल्यू. पी. में जवाब में अपने हलफनामे में। 2009 का (सिविल) No.36487, प्रस्तुत किया गयाः

" 5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. सी. एच. आर. आई. अधिनियम, 1950 के अनुसार, अध्याय III का नेतृत्व श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में किया जाता है जिसके द्वारा धारा

18 23 में त्रावणकोर के शासक के अधिकार को निर्दिष्ट किया गया है

मंदिर का संचालन करना। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और श्री श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर का प्रशासन।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

पंडरवक की संपत्तियाँ और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियाँ और धन त्रावणकोर के शासक के न्यास में निहित हैं और उनके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में हैं। टी. सी. एच. आर. आई. अधिनियम के उक्त अध्याय III में त्रावणकोर के शासक के अधिकार की जोरदार घोषणा की गई है।

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड या कोचीन देवस्वम बोर्ड या किसी भी देवस्वम समिति के तहत। चक्कुलाथुकावु भगवती मंदिर मन्नारासला श्री जैसे प्रसिद्ध मंदिर नागराज मंदिर ऐसे मंदिरों के कुछ उदाहरण हैं जो विशेष परिवार द्वारा चलाए जाते हैं। निजी न्यासियों और हिंदुओं के स्थानीय संगठनों के स्वामित्व वाले कई मंदिर भी हैं जैसे अट्टुकल भगवती मंदिर, पळवांगडी गणपति मंदिर आदि। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अनिवार्य रूप से टी. सी. एच. आर. आई. अधिनियम के अध्याय III की शर्तों के अनुसार त्रावणकोर पैलेस द्वारा प्रबंधित एक मंदिर न्यास है और टी. सी. एच. आर. आई. अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा संरक्षित है।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रश्न कि पाँचवाँ प्रत्यर्थी त्रावणकोर के शासक की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं, एक अलग मामला है। विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या–सरकार के लिए कोई सार्वजनिक आवश्यकता और बाध्यकारी आधार है

तकनीकी और प्रक्रियाएँ तभी उत्पन्न होती हैं जब अधिग्रहण की आवश्यकता स्थापित हो जाती है। 8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पारंपरिक और प्रथागत मान्यता जो लंबे समय से मान्यता प्राप्त और स्वीकार की गई है, वह यह है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रावणकोर महल के शाही परिवार के प्रमुख "श्री पद्मनाभ दास" से संबंधित है और वे जनता से उच्च सम्मान, सम्मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री के मामले में

पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मंदिर के प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर का प्रशासन नहीं टूटा है और न ही कोई प्रमुख प्रकृति का कोई अन्य आरोप है जो सरकार को मंदिर के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करता है। ऐसी कोई वैध आवश्यकता या सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है जो [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार को मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सरकार श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में हस्तक्षेप या अधिग्रहण नहीं करना चाहती है

जिसे पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से त्रावणकोर महल के मंदिर के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने

पहले से ही ओएस 625/2007 में एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया गया है जो प्रधान उप न्यायालय, तिरुवनंतपुरम की फाइल पर लंबित है। रिट याचिका में उठाए गए आधारों में से कोई भी यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रशासन में सरकार का हस्तक्षेप

मंदिर का आह्वान किया जाता है।

इसलिए, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय उपरोक्त विवाद को बरकरार रखे और उपरोक्त रिट याचिका को खारिज करे।

24. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने आदेश में कहाः

" मान लीजिए कि त्रावणकोर के शासक अर्थात स्वर्गीय श्री। चिथिरा

तिरुनल बलराम वरामा जिन्होंने 18 वर्षों तक त्रावणकोर पर शासन किया

वर्ष (1931 से 1949) और कौन राजप्रमुख थे त्रावणकोर–इसके बाद छह साल तक कोच्चि और जिन्होंने अपनी मृत्यु तक पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रबंधन किया, उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर उनका परिवार था।

शाही परिवार का मंदिर या अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। वास्तव में, वह शाही संपत्ति के विभाजन की मांग करते हुए अपने जीवनकाल के दौरान परिवार के सदस्यों में से एक द्वारा दायर मुकदमे में सफल रहे।

संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में परिवार। अंतिम शासक का विवाद

यह कि वह परिवार का करणवन नहीं था और शाही परिवार एक संयुक्त परिवार नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय सहित मुकदमेबाजी के सभी स्तरों पर स्वीकार किया गया था। भले ही अंतिम शासक ने अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों की वसीयत करते हुए एक विस्तृत वसीयत का निष्पादन किया था, लेकिन उन्होंने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया था या वसीयत में इसका निपटारा नहीं किया था। मान लीजिए कि महान मंदिर को इतिहास में एक सार्वजनिक मंदिर के रूप में मान्यता दी गई थी जो अपनी आय, राज्य से योगदान और भक्तों के प्रसाद के साथ चलाया जाता था। राजा ने राज्य पर शासन किया और मंदिर का प्रबंधन किया।

एक राज्य मंदिर के रूप में और वह मंदिर के अनुष्ठानों और समारोहों में एक पारंपरिक प्रतिभागी भी थे; मुख्य रूप से अरट्टू उत्सव में। विलय समझौते के अनुच्छेद VIII (बी) और टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) दोनों में जो कहा गया है वह यह है कि "मंदिर त्रावणकोर के शासक के विश्वास में निहित है"। श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जाहिर है कि अगर मंदिर शाही परिवार की पारिवारिक संपत्ति या राजा की निजी संपत्ति थी, तो विलय समझौते या टी. सी. अधिनियम में मंदिर को त्रावणकोर के अंतिम शासक के हाथों में न्यास में सौंपने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। वेस्टिंग को योग्य बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट शब्द "विश्वास में" है जिसका अर्थ है कि यह किसी के लाभ के लिए है। स्पष्ट रूप से भक्त, राज्य और बड़े पैमाने पर जनता और वे सभी जो मंदिर में रुचि रखते हैं, लाभान्वित होते हैं। इतना ही नहीं, हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि अंतिम शासक केवल एक ट्रस्टी था जिसने भक्तों, राज्य और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए मंदिर का नियंत्रण बनाए रखा है। टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (1), जो राज्य सरकार द्वारा सालाना 6 लाख रुपये की दर से मंदिर के लिए निरंतर धन का प्रावधान करती है, स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि यह एक सार्वजनिक मंदिर है, हालांकि अंतिम शासक के जीवन के दौरान, उन्हें इसका प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी। इस संदर्भ में विलय समझौते की वाचा और टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) में उपयोग किया गया शब्द "शासक" संभवतः केवल

श्री चिथिरा तिरुनल बलराम का वर्णन करने के लिए एक शाब्दिक अर्थ

वर्मा जो त्रावणकोर के अंर्तिम शासक और हस्ताक्षरकता थे विलय समझौता। यदि "शासक" का कोई तकनीकी अर्थ है, तो निश्चित रूप से टी. सी. अधिनियम में एक परिभाषा के अभाव में जो था

संविधान लागू होने के बाद अधिनियमित, परिभाषा

संविधान में निहित अनुच्छेद 366 (22) को अपनाया जाना है। जाहिर तौर पर डब्ल्यू. पी. में पहला याचिकाकर्ता। (सी) No.4256/2010 या शाही परिवार के उनके उत्तराधिकारी संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के तहत परिभाषित "शासक" के विवरण के भीतर नहीं आएंगे और परिभाषा का जवाब देने वाले एकमात्र व्यक्ति अंतिम शासक हैं और उनके बाद कोई भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है जो वंशानुगत नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा मानना है कि न तो उक्त याचिकाकर्ता

न ही उसके परिवार का कोई उत्तराधिकारी नियंत्रण का दावा कर सकता है याटी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत मंदिर का प्रबंधन

अंतिम शासक की मृत्यु के बाद। अनुच्छेद 363 के आधार पर प्रस्तुत करने के संबंध में

शीर्षक, यह देखा गया थाः

" जहाँ तक डब्ल्यू. पी. में पहले याचिकाकर्ता के तर्क का संबंध है। (सी) No.4256/2010 कि अनुच्छेद 363 सहित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है

भारत की रियासतों के शासकों द्वारा निष्पादित समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आगे देखा गयाः " इस मामले में डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं का मामला है। (ग) No.4256/2010 स्वयं यह कि पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन के संबंध में वाचा का प्रावधान विलय समझौते में त्रावणकोर के अंतिम शासक को न्यास में निहित करने के संबंध में है

धारा 18 (2) में शामिल किया गया और इतना ही नहीं, अंतिम शासक

मंदिर का प्रबंधन वाचा के प्रावधान के आधार पर नहीं, बल्कि टी. सी. अधिनियम के अध्याय III में निहित वैधानिक प्रावधान के आधार पर किया गया था। वास्तव में, अंतिम शासक द्वारा मंदिर के प्रबंधन की अवधि के दौरान, राज्य द्वारा देय पूरे योगदान का भुगतान मंदिर को किया गया था और इस पर कोई विवाद नहीं है। डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया कमजोर तर्क। (सी) No.4256/2010 कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर त्रावणकोर के रोयल परिवार का एक पारिवारिक मंदिर है, को केवल अनुपस्थित माना जा सकता है क्योंकि इस अदालत के कई फैसलों में यह महान मंदिर है

"सार्वजनिक मंदिर" के रूप में मान्यता प्राप्त और वास्तव में, यह पूर्ववर्ती त्रावणकोर रियासत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। वास्तव में, इस अदालत की एक खंड पीठ ने ओ. पी. No.18309/2000 (डब्ल्यू. पी. में Ext.P1 के रूप में प्रस्तुत) में निर्णय दिया। (सी) No.36487/2009) ने स्पष्ट रूप से माना कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है जो हिंदुओं के महाक्षेत्रों में से एक है और यदि

मंदिर के किसी भी उपासक की कोई शिकायत है, वह श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर होगी।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा और न्यायालय न्याय करने का प्रयास करेगा।

डब्ल्यू. पी. में पहले याचिकाकर्ता का दावा। (C) No.4256/2010 कि वे अंतिम शासक की मृत्यु पर त्रावणकोर के शासक बने

अंतिम शासक की मृत्यु, केवल बेतुकी है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर संविधान के प्रारंभ से पहले शासक के रूप में राज्य के शासक के रूप में क्षमता में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 366 (22) शासक के दर्जे को समाप्त करना चाहता है और इस परिभाषा खंड के तहत, शासक का दर्जा और इस परिभाषा खंड के तहत, कोई भी संविधान के प्रारंभ के बाद शासक का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है।

संक्षेप में "शासक" ऐसा दर्जा नहीं है जिसे इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सके।

उत्तराधिकार। इसलिए, 20.7.1991 पर अंतिम शासक की मृत्यु के बाद, पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य में कोई शासक नहीं है। इतना ही नहीं, हम मानते हैं कि डब्ल्यू. पी. में पहला याचिकाकर्ता। (ग) No.4256/2010 जो जुड़े हुए डब्ल्यू. पी. में पाँचवाँ उत्तरदाता है। (ग) श्री के प्रबंधन का दावा करने के लिए अंतिम शासक के स्थान पर कदम नहीं रख सकते।टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों पर भरोसा करके पद्मनाभस्वामी मंदिर।

पैराग्राफ 8 और 9 में उच्च न्यायालय ने कहाः

" 8. इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि मंदिर को बचाने के लिए और भक्तों और बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो इस महान मंदिर में बहुत विश्वास रखते हैं, जिसे एक संरचना के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

छठे उत्तरदाता द्वारा पुरातात्विक महत्व

डब्ल्यू. पी. (ग) No.36487/2009। इस संदर्भ में 2007 (7) एस. सी. सी. 482 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त है जहाँ

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः

" देवताओं, मंदिरों और देवस्वम बोर्डों की संपत्तियों को उनके न्यासियों/अर्चकों/शेबैटों/कर्मचारियों द्वारा संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मंदिरों, देवताओं और देवस्वम बोर्डों की संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा का कर्तव्य सौंपे गए व्यक्तियों ने स्वामित्व या किरायेदारी या प्रतिकूल कब्जे के झूठे दावे करके ऐसी संपत्तियों को हड़प लिया है और उनका दुरुपयोग किया है। यह केवल संबंधित अधिकारियों की निष्क्रिय या सक्रिय मिलीभगत से ही संभव है। "फसलों को खाने वाली बाड़" के इस तरह के कृत्यों से सख्ती से

निपटा जाना चाहिए। सरकार, बोर्डों/न्यासों के सदस्यों या न्यासियों और भक्तों को किसी भी घटना को रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

इस तरह का हड़पना या अतिक्रमण। अदालतों का यह भी कर्तव्य है कि वे धार्मिक और अन्य लोगों की संपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा करें।

गलत दावों से धर्मार्थ संस्थान यादुरुपयोग "।

चूंकि देवता कानून की नजर में एक स्थायी नाबालिग है, इसलिए अदालत के पास इसकी रक्षा करने का अधिकार क्षेत्र है और इस अदालत ने ओ. पी. <आई. डी1>/2000 के फैसले में कहा है कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर होने के कारण इस न्यायालय के पास मूल संरक्षक के रूप में अधिकार क्षेत्र है। पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों का प्रबंधन अब टी. सी. अधिनियम के तहत त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा किया जाता है। सरकार संविधान के अनुच्छेद 290–ए में निहित प्रावधानों के संदर्भ में मंदिरों को भी धन दे रही है। वास्तव में, सरकार द्वारा टी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत देवस्वम बोर्ड और श्री को योगदान की पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाता है।

इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और राज्य में संचालित अन्य निजी मंदिरों की तरह, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भी उनके द्वारा गठित कार्यकारी अधिकारी और सलाहकार बोर्ड की मदद से एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है।सरकार ने स्पष्ट रूप से अदालत द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्या वर्तमान प्रबंधन के पास श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर का कानूनी अधिकार है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

मंदिर को चलाने के लिए और यदि नहीं, तो मंदिर के प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार के अनुसार, मंदिर काफी अच्छी तरह से चलाया जाता है और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं लगता कि सरकार का दृष्टिकोण उचित, उचित या कानूनी है। हम ऊपर यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि टी. सी. अधिनियम के अध्याय III में प्रावधान केवल विलय समझौते के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए था, जिसके तहत त्रावणकोर के शासक अपने जीवनकाल में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे

और बाद में इसे टी. सी. अधिनियम के अध्याय III में शामिल करके इस महान मंदिर को त्रावणकोर के शासक के विश्वास में निहित करके, यह त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के प्रबंधन के तहत चला गया होगा या शायद मंदिर को चलाने के लिए त्रावणकोर–कोच्चि सरकार द्वारा एक अलग प्राधिकरण बनाया गया होगा। जब टी. सी. अधिनियम में शासक की मृत्यु पर त्रावणकोर के शासक से प्रबंधन के उत्तराधिकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो कानून के प्रावधान स्थिति को संभाल लेंगे। हम पहले ही पा चुके हैं कि परिभाषा खंड के तहत

संविधान (अनुच्छेद 366 (22)), न तो डब्ल्यू. पी. में पहला याचिकाकर्ता। (ग) न ही एकीकरण से पहले त्रावणकोर पर शासन करने वाले शाही परिवार के सदस्यों में से कोई भी, "शासक" के वर्णन का जवाब देता है और इतना ही नहीं, दिवंगत राजा के रिश्तेदारों का मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है।

उत्तराधिकार के माध्यम से या कम से कम राज्य के वर्तमान शासक के रूप में सरकार। इसलिए, सरकार को अनिवार्य रूप से प्रबंधन को संभालने और मंदिर को चलाने के लिए वैधानिक या अन्यथा प्राधिकरण के निर्माण की व्यवस्था करें। हमारे विचार में, राज्य में निजी मंदिरों के बारे में राज्य की राय, जो सरकारी वकील द्वारा अदालत में हमें दी गई है, अपने आप में किसी भी सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने वाली नहीं है। इतने सारे निजी मंदिरों में [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने बहुत महत्व ग्रहण किया और धन जमा किया जो

व्यक्तिगत लाभ के लिए मोड़ने की अनुमति दी जाती है और यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह विश्वास में या भगवान के नाम पर व्यवसाय करने की अनुमति के बराबर है। सवाल यह है कि क्या सरकार को धर्म और आस्था को निजी व्यक्तियों या न्यासों द्वारा व्यावसायिक गतिविधि बनाने की अनुमति देनी चाहिए। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि इस मामले में सरकार का रवैया राज्य के हित में या भक्तों के लिए या बड़े पैमाने पर जनता के लिए सहायक नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक हिंदू मंदिर होने के अलावा, जहां लोग उत्साहपूर्वक पूजा करते हैं, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है। महान वास्तुशिल्प मूल्य का निर्माण और इसके खजाने संरक्षित और संरक्षित हैं और जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। त्रावणकोर के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) के संचालन से मंदिर के लिए कोई अनाथालय नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही पाया है कि न तो डब्ल्यू. पी. में पहले याचिकाकर्ता। (ग) न तो उसके परिवार के किसी सदस्य को श्री के प्रबंधन या नियंत्रण में कोई अधिकार मिलता है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर। इतना ही नहीं, सरकार पूर्ववर्ती त्रावणकोर रियासत की संपत्तियों और संस्थानों की उत्तराधिकारी होने के नाते, यह सरकार का कर्तव्य है कि राज्य द्वारा संचालित मंदिरों को देवस्वम बोर्डों को सौंपने के बाद उसी तरह की व्यवस्था की जाए।

9. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मंदिर में अपार खजाने हैं, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं और इसके प्राचीन मूल्य और निर्माण में उपयोग की जाने वाली सोने, चांदी और पत्थरों जैसी कीमती धातुओं के मूल्य के संदर्भ में इसकी कीमत के कारण अत्यधिक मूल्यवान हैं। भले ही हमने वर्तमान प्रबंधन को सूची तैयार करने का निर्देश दिया हो

अंतिम शासक द्वारा तैयार किया गया, जिसके बारे में उल्लेख है

पूर्ववर्ती शासक की भतीजी श्रीमती द्वारा लिखित पुस्तक। गौरी लक्ष्मीभाई, उन्होंने इसे प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए कुछ रजिस्टर पूरी तरह से अधूरे और अविश्वसनीय थे। अंतिम शासक के भाई श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर द्वारा किए गए सार्वजनिक दावे को ध्यान में रखते हुए।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

ऐसी वस्तुएँ जो मंदिर में नियमित अनुष्ठानों और समारोहों के लिए आवश्यक हैं। हमारे विचार में, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कई शताब्दियों के दौरान उसके द्वारा अर्जित मंदिर के खजाने को एक रहस्य के रूप में रखना और यदि सभी भंडारण कक्ष हैं

(कल्लार) खोले जाते हैं और खजाने को एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है।

मंदिर परिसर में स्थापित होने से मंदिर और राज्य की भव्यता को बढ़ावा मिलेगा और संभवतः महान मंदिर को बढ़ावा मिलेगा।

यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण और आय अर्जित करने वाला बन जाता है। सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण को पहले से तैयार की गई सूची का भी सत्यापन करना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि क्या मंदिर की अभिरक्षा से कोई वस्तु खो गई है और यदि ऐसा है, तो उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे बढ़ें जिन्होंने उसे ले लिया है और इसे वापस लाने के लिए कदम उठाएं।

मंदिर "।

इन निष्कर्षों के साथ, ऊपर उद्धृत निर्देश थे –

डी उच्च न्यायालय द्वारा।

25. उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए, विशेष अवकाश याचिका में अपीलकर्ता, जिससे तत्काल अपीलों में से पहली

अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित आधार उठाए गएः

एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मंदिर का न्यासी।डी. उस अवधि के विपरीत, जिसमें पूरा विवादित निर्णय आगे बढ़ता है, याचिकाकर्ता ने अतीत में, मंदिर के सुचारू संचालन और अनुष्ठानों और त्योहारों के संचालन के लिए, जब भी आवश्यकता होती है, काफी राशि दान की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा मंदिर द्वारा आवश्यकता पड़ने पर घाटे की आपूर्ति की है। वास्तव में, 1686 ईस्वी में, जब पूरे मंदिर को जला दिया गया था, तो इसके पूर्ववर्ती

याचिकाकर्ता, मार्तण्ड वर्मा ने मंदिर को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया।

15 वर्ष की अवधि।

च. क्योंकि खंड पीठ इस बात पर ध्यान देने में विफल रही है कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और इसकी संपत्तियां (जिन्हें "श्री पंडरवका" भी कहा जाता है) राज्य के त्रिपाडी दानम से पहले भी मंदिर के अधिष्ठाता देवता श्री पद्मनाभ में निहित थीं (यानी वर्ष 1750 में एच. एच. अनिझम तिरुनल मार्तंड वर्मा महाराजा द्वारा भगवान को राज्य का समर्पण)। मंदिर का वंशानुगत न्यास शासक के पास रहता है।

त्रावणकोर की, और ट्रस्टीशिप की मूल अवधारणा अप्रभावित बनी हुई है; परिवार को उसके ट्रस्टीशिप से वंचित करने वाले किसी भी अधिनियम के अभाव में इसे मजबूत किया जा रहा है।इन दानों का एक बड़ा हिस्सा त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा दिए जाने के बावजूद, और वह भगवान

पद्मनाभ को पूर्ववर्ती शाही परिवार का पारिवारिक देवता माना जाता है, याचिकाकर्ता का कहना है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, और याचिकाकर्ता या किसी के द्वारा मंदिर या उसके खजाने के मालिक होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। पद्मनाभदास के रूप में याचिकाकर्ता केवल मंदिर के न्यासी के रूप में इसे प्रबंधित करने और प्रशासित करने के अधिकार को पुनः प्राप्त करना चाहता है, जिसे दुर्भाग्य से विवादित निर्णय द्वारा छीन लिया गया है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम।निम्नलिखित अंतरिम निर्देशों के अधीन आक्षेपित निर्णय के निर्देशों (ii) से (iv) पर अंतरिम रोकः

(क) ओ. एस. No.625/2007 में वाद की दूसरी अनुसूची में (ए) से (एफ) के रूप में वर्णित कल्लारस में वस्तुओं/मूल्यवान वस्तुओं/आभूषणों की एक विस्तृत सूची उप न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम की फाइल पर होगी। सूची निम्नलिखित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगीः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

अदालत। ((ii) पहला याचिकाकर्ता और दूसरा याचिकाकर्ता।

(iii) राज्य सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात्

सचिव, देवस्वम विभाग या उनके मनोनीत

केरल में तैनात है। (v) पी. आई. एल. याचिकाकर्ता (प्रथम प्रतिवादी)।

न्यायमूर्ति एम. एन. कृष्ण आयोजन के प्रभारी होंगे।

सूची, अनुसूचियों का निर्धारण। इन्वेंटरी का पूरा खर्च याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरा किया जाएगा। वह इस तरह की सूची के समय पुलिस सुरक्षा लेने के लिए भी अधिकृत है। पर्यवेक्षक लेखों की वीडियोग्राफी और तस्वीरें लेने सहित सूची की प्रक्रिया और प्रलेखन पर निर्णय लेंगे।

27. इस न्यायालय द्वारा 21.07.2011 पर पारित आदेश में राज्य और अपीलार्थियों के रुख को निम्नानुसार नोट किया गया हैः " केरल राज्य ने अपने दिनांकित हलफनामे 14.7.2011 में इन मुद्दों पर अपना रुख इस प्रकार घोषित किया हैः

– [2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री पद्मनाभ स्वामी के कल्लारस में पाए जाने वाले सभी लेखमंदिर (मूल्यवान सोने के आभूषणों, बहुमूल्य पत्थरों और प्राचीन वस्तुओं सहित) देवता (मंदिर) के हैं और न तो राज्य सरकार और न ही त्रावणकोर के पूर्व शासकों के परिवार का उन पर कोई दावा हो सकता है।

भंडारण/प्रदर्शनीः

के अतिरिक्त महानिदेशक के पद का एक वरिष्ठ अधिकारीपुलिस को मंदिर की सुरक्षा का विशेष प्रभार दिया गया है। एक नियंत्रण कक्ष चालू किया गया है। पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम को अध्ययन करने का काम सौंपा गया है

सुरक्षा आवश्यकताएँ। मंदिर के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों (जो कम से कम बाधा उत्पन्न करने वाली और सबसे प्रभावी हैं) के अधिग्रहण के लिए आवश्यक सब कुछ करेगी और उन्हें जल्द ही स्थापित करेगी। मंदिर की चौबीसों घंटे सुरक्षा की जाएगी। फाटकों की रखवाली के लिए कमांडो तैनात किए गए हैं।

2. याचिकाकर्ताओं (श्री मार्तण्ड वर्मा, एकमात्र न्यासी और मंदिर के कार्यकारी अधिकारी) ने कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में अपने विचार व्यक्त किए हैंः

कल्लारों में पाए जाने वाले सभी सामान, आभूषण, कीमती सामान, कीमती पत्थर, प्राचीन वस्तुएं, बिना किसी अपवाद के, भगवान कृष्ण के पीठासीन देवता के हैं।श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और न तो श्री मार्तण्ड वर्मा और न ही उनके परिवार के सदस्यों का उन पर कोई दावा है। श्री मार्तण्ड वर्मा केवल न्यासी के रूप में देवता और मंदिर की संपत्ति/संपत्ति का प्रशासन करते हैं।

भंडारण/प्रदर्शनीः

कल्लारा 'ए' में पाई जाने वाली वस्तुओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

श्रेणियाँः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

(i) "अमूल्य" मानी जाने वाली ऐतिहासिक/विरासत/कलात्मक मूल्य वाली वस्तुओं को कल्लारा में ही रखा जा सकता है, और विशेष अवसरों पर प्रदर्शन के लिए समय-समय पर बाहर निकाला जा सकता है।

भक्तों और आम जनता के लाभ के लिए मंदिर परिसर।

((ख) जिन वस्तुओं का केवल कुछ ऐतिहासिक/विरासत/कलात्मक मूल्य है और जिन्हें 'अमूल्य' नहीं माना जा सकता है, उन्हें भी कल्लारा में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।((iii) जिन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है, लेकिन जिनका कोई ऐतिहासिक/विरासत/कलात्मक मूल्य नहीं है, उनका निपटान किया जा सकता है और अचल संपत्तियों की खरीद, मंदिर के नवीनीकरण और रखरखाव और शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली आय का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'वेद पाठशाला' और 'थांथिरिका पीठ' की स्थापना शामिल है।

मंदिर के पुजारियों को सजाना।

भंडारः

कल्लारा 'ए' में लेखों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से बचा जा सकता है, क्योंकि सूची पहले ही पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी आवश्यक है, तो इसे सख्ती से पर्यवेक्षण के तहत किया जा सकता है और फिल्मों/कारतुसों को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाएगा ताकि अनधिकृत प्रतियां न बनाई जाएं।

चूंकि इन्वेंट्री का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या उपलब्ध है और निपटान या बिक्री नहीं है, इसलिए मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक संरक्षणवादी या विशेषज्ञ की सेवाएं

वस्तुओं को वर्गीकृत करने और वैज्ञानिक तरीके से सूची को पूरा करने के लिए प्राचीन वस्तुओं का लाभ उठाया जा सकता है।

सुरक्षा के इंतजामः

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दो पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला यह है कि मंदिर के रीति-रिवाजों/परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।और ध्यान दिया। दूसरा यह है कि भक्तों की पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, जब

मंदिर के अंदर, विनीत होना चाहिए और मंदिर के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए।

:

4. दलीलबाजी के दौरान की गई दलीलों और हलफनामों में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता हैः

(क) एक विशेषज्ञ समिति की देखरेख में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के साथ कल्लारस ए और सी से एफ में लेखों की एक विस्तृत सूची पूरी करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए नियोजित वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर के पास स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा मंजूरी होगी। (ख) विशेषज्ञों/संरक्षणवादियों की सेवाओं का लाभ उठाना होगा ताकि इन्वेंट्री के समय वस्तुओं को संभालना या उस वातावरण को बाधित न करें जिसमें वे सदियों से कल्लारस में संग्रहीत किए गए थे।

(ग) इसके लिए पर्याप्त और उचित व्यवस्था करनी होगी।

सुरक्षा। इसमें न केवल परिसर की पुलिसिंग शामिल होगी, बल्कि

सुरक्षा उपायों/प्रणालियों के साथ-साथ एक सुरक्षा विशेषज्ञ की सहायता से कल्लारस में एक मजबूत कमरे/तहखाने/स्टील के अस्तर का भी प्रावधान है।

5. उपरोक्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए, हम सूची, संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में सलाह देने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करते हैंः

: संयोजक

(1) डॉ. सी. वी. आनंद बोस,

कुलपति, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान

नई दिल्ली।

(2) प्रो. डॉ. एम. बी. नायर

: सदस्य

संरक्षण विभाग के प्रमुख,

राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान नई दिल्ली।

(3) निदेशक, पुरातत्व के लिए नामांकित व्यक्तिः सदस्य

भारतीय सर्वेक्षण (इसकी विज्ञान/अनुसंधान शाखा से)।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

(4) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नामनिर्देशितः सदस्य

जो इसकी सुरक्षा शाखा से एक विशेषज्ञ है।

(5) मंदिर के कार्यकारी अधिकारी

: सदस्य

6. उक्त विशेषज्ञ समिति को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैंः

(क) कल्लारस ए, सी से एफ में लेखों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी द्वारा सूची को व्यवस्थित करना और ऐसी सूची का पर्यवेक्षण करना और सूची के पूरा होने के बाद संबंधित कल्लारस में लेखों के उचित भंडारण की व्यवस्था करना। (ख) लेखों की जांच करना और उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत करनाः (i) ऐतिहासिक/विरासत/कलात्मक/प्राचीन मूल्य वाली वस्तुएँ/आभूषण। ((ii) मंदिर में नियमित उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ

धार्मिक उद्देश्य। ((ग) ऐसी वस्तुएँ और आभूषण जिनका कोई ऐतिहासिक/विरासत/कलात्मक/प्राचीन मूल्य नहीं माना जा सकता है।

लेकिन केवल एक मौद्रिक मूल्य होना।

(ग) मंदिर के कल्लारों में वस्तुओं/प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण, संरक्षण और रखरखाव के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय करना।

(घ) मंदिर परिसर और कल्लारस में सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करें।(ङ) जांच करें कि क्या कोई भी वस्तु भक्तों के लाभ के लिए प्रदर्शनी के योग्य है और यदि ऐसा है तो मंदिर परिसर या आसपास के संग्रहालय के भीतर एक उच्च सुरक्षा संग्रहालय के निर्माण की व्यवहार्यता की जांच करें।

(च) जाँच करें और एक राय दें कि क्या इस स्तर पर कल्लारा 'बी' को खोलना आवश्यक है।

7. उक्त विशेषज्ञ समिति के गठन को देखते हुए पर्यवेक्षकों की बड़ी समिति को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नियुक्त सात सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति के स्थान पर, विशेषज्ञ समिति के कामकाज की निगरानी और मार्गदर्शन करने और सूची को पूरा करने और पर्यवेक्षकों के रूप में जारी रखने के लिए निम्नलिखित छोटी निरीक्षण समिति नियुक्त की जाती हैः

–संयोजक

((i) न्यायमूर्ति एम. एन. कृष्णन।

((ii) श्री मार्तण्ड वर्मा (या उनके विशेष मनोनीत)–सदस्य(iii) सचिव, देवस्वम विभाग

– सदस्य

केरल सरकार (या उनके विशेष मनोनीत) "।

28. इस न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने एक

रिपोर्ट दी और कुछ अतिरिक्त जानकारी दी, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित आदेश में निर्देश पारित किए गए थे।

. 2011 :

" हमने 17.8.2011 की अंतरिम रिपोर्ट की जांच की है।

विशेषज्ञ समिति और प्रस्तुत की गई अतिरिक्त जानकारी

12.9.2011 . उक्त रिपोर्ट और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद

पक्षकारों के लिए निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए जाते हैंः सुरक्षा उपाय

1.1) विशेषज्ञ समिति ने तेरह सुरक्षा मुद्दों की पहचान की है

और सोलह सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया। ए.

इसकी प्रति राज्य को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सरकार और मंदिर प्रशासन। राज्य सरकार ने

के लिए एक एकीकृत और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालीमंदिर, हमारे अवलोकन के लिए। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, हम नहीं करते हैं

उठाए गए सुरक्षा मुद्दों या सुरक्षा को हटाने का प्रस्ताव

विशेषज्ञ समिति या सुरक्षित द्वारा सुझाए गए उपायराज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय।

1.2) राज्य सरकार ने कहा है कि उसके पास विशेषज्ञता है

और आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने की क्षमता; और

तैयार है और अपनी कीमत पर इसे प्रदान करने के लिए तैयार है। राज्य नेसरकार ने आश्वासन दिया है कि वह कोई प्रयास या लागत नहीं छोड़ेगी

सबसे अच्छा सुरक्षा कवच प्रदान करें और कहा है कि कोई नहीं है सीआरपीएफ जैसे किसी भी केंद्रीय सुरक्षा बल की सेवा लेने की आवश्यकता है

विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार, इसे मजबूत करने के लिए

सुरक्षा। सुरक्षा तकनीकी समिति की जाँच करना

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उसका आश्वासन

के लिए एक एकीकृत बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित करें

एक समयबद्ध तरीके से मंदिर, हम संतुष्ट हैं कि राज्य

सरकार सुरक्षा योजना को लागू करने की स्थिति में होगी।

राज्य सरकार को सेवाओं की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है

किसी भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

1.3) राज्य सरकार विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 1 में सुझाए गए सोलह सुरक्षा उपायों पर ध्यान देगी और अपनी सुरक्षा तकनीकी समिति की रिपोर्ट में बताए गए और सुझाए गए एकीकृत बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली को तुरंत लागू करेगी। सुरक्षा प्रणाली को लागू करने में, राज्य सरकार मंदिर की परंपराओं, रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर ध्यान देगी और जहां तक संभव हो मंदिर प्रशासन के विचारों को समायोजित करेगी।

कार्य योजना

2.1) विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'मंदिर प्राचीन वस्तुओं का डिजिटल संग्रह' (संक्षेप में 'डेटा') का सुझाव दिया हैः (i) परीक्षण और समनुदेशन के बाद विस्तृत जानकारी का अभिलेखन

एक प्राचीन पहचान संख्या/कोड; (ii) सूचना को कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस में संग्रहीत करने के लिए; (iii) वस्तु की 3 डी छवि की रिकॉर्डिंग और इसे डेटा बेस से जोड़ना। विशेषज्ञ समिति है

2.3) केल्ट्रॉन ने इस कार्य को निष्पादित करने की लागत का अनुमान रु. 3,16,35,000/- लगाया है जिसमें हार्डवेयर के लिए रु. 1,65,35,000/-, सॉफ्टवेयर के लिए रु. Rs.40,00,000/- और सेवाओं और विविध वस्तुओं के लिए रु. 1,11,00,000/- शामिल हैं। लागत बहुत अधिक प्रतीत होती है और अंतरिम रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। व्यवहार्यता उपकरण उधार लेने/किराए पर लेने पर विचार किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर

लागत और सेवा लागत में भारी कमी की आवश्यकता है। हालांकि, केल्ट्रॉन एक राज्य सरकार का उपक्रम है और वी. एस. एस. सी., तकनीकी विशेषज्ञ अंतरिक्ष विभाग की एक इकाई है, विशेषज्ञ समिति लागत और भुगतान की अनुसूची से संबंधित बातचीत की प्रक्रिया में राज्य सरकार को शामिल करने के बाद केल्ट्रॉन को काम सौंपने के लिए आगे बढ़ सकती है। हम [2020] 9 एस. सी. आर. का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

उक्त कीमत को स्वीकार करें। राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है

29. <ID1] पर, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। विद्वान न्यायमित्र ने अपनी दिनांकित रिपोर्ट 01.11.2012 में संरक्षण, नवीनीकरण और बहाली के संबंध में सुझाव दिए। अपनी रिपोर्ट के दौरान, विद्वान न्यायमित्र नेनिम्नलिखित टिप्पणियाँः

" 29. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के शाही परिवार और केरल के लोगों (प्राचीन शहर तिरुवनंतपुरम के निवासियों सहित) की परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अश्वथी भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई (शाही परिवार के सदस्यों में से एक) ने दिलचस्प रूप से स्यानंदूरपुरा से श्री आनंदपुरम के प्राकृत संस्करण और अंतिम संस्कृत संस्करण का उल्लेख किया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है

चौबीस पवित्र तीर्थों से जुड़ा हुआ है और कुछ अन्य मंदिरों से भी जुड़ा हुआ है, जिनमें से कई तमिलनाडु राज्य में हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आज भी, मथिलाकॉम रिकॉर्ड या ताड़ के पत्तों के स्क्रॉल जो मंदिर और पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के प्राचीन इतिहास को दर्ज करते हैं, मंदिर परिसर और केरल राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

30. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भगवान पद्मनाभ की मूर्ति कटू शारकर योगम (8 प्राकृतिक अवयवों का एक जटिल मिश्रण) का उपयोग करके बनाई गई है जिसमें 12008 सालग्राम भरे गए थे। कटू शारकर योगम का उपयोग करके बनाई गई इस मूर्ति को वर्ष 1739 में त्रावणकोर के पूर्व शासक वीरा मार्तंड वर्मा (1706–1758) के तत्वावधान में पवित्र किया गया था। सालग्राम केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति का एक पत्थर है जिसमें यह माना जाता है कि हरि या भगवान विष्णु निवास करते हैं (इसलिए, यथ सलाग्रामे हरि)। इस प्रकार, ईश्वर या भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं।

सगुण विभिन्न तरीकों से बनता है–सालग्राम में विष्णु के रूप में, श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर में।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

शिवलिंग को शिव के रूप में और चक्र में देवी (मां देवी) के रूप में। आम तौर पर, जब 12 सालग्राम शिलों की पूजा की जाती है, तो यह एक महाक्षेत्रम या एक महान मंदिर की शक्ति के बराबर होती है। इसलिए श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की पवित्रता एक हजार गुना है।

.....

34. इस समय, यह उल्लेख करना उचित होगा कि त्रावणकोर शाही परिवार को वेनाडु राजा वंश भी कहा जाता है जो चेरा रोया वंश और आई शाही वंश का हिस्सा है। राजवंश, और हमेशा भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं और इसकी पुष्टि कई ऐतिहासिक अभिलेखों से होती है।

प्रभु।

पद्मनाभ

संबोधित

है।

कहाँ

के रूप में

35. यह 1731 ईस्वी में था कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार के पहले राजा, श्री वीरा मार्तण्ड वर्मा का अभिषेक किया गया था। राम वर्मा (1758–1798) उनके उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा, शाही परिवार में गहराई से समर्पित सदस्य शामिल थे जो मंदिर के प्रति समर्पित थे और जो मानते थे कि उनका जीवन श्री पद्मनाभ स्वामी के इर्द–गिर्द केंद्रित था। 1750 ईस्वी में, पूरे त्रावणकोर राज्य को एक विलेख द्वारा इस देवता को उपहार में दिया गया था और शासक भगवान के सेवक बन गए, जो खुद को पद्मनाभदास कहते थे। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कई महाराजा श्लोकों के साथ–साथ संगीत के भी महान रचयिता थे। वास्तव में, कई शासक वेदों के संरक्षक थे और वैदिक परंपरा। इसके अलावा, मंदिर को राजा की अध्यक्षता में एट्टारा योगम नामक न्यासियों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाता था।

36. शाही परिवार के महानतम राजाओं में से एक श्री स्वाति तिरुनल महाराजा राम वर्मा (1813–1846) थे जो कला, साहित्य, संगीत और आधुनिक विज्ञान के महान संरक्षक थे। वह एक असाधारण राजा थे जिन्होंने शासन की एक अविनाशी प्रणाली प्रस्तुत की, त्रावणकोर के नियमों की पहली संहिता तैयार की, उन्नत अंग्रेजी शिक्षा, दुर्लभ पांडुलिपियों के संग्रह में योगदान दिया और बड़ी संख्या में सामाजिक कल्याण का कार्य किया।

उपाय। वास्तव में, श्री स्वाति थिरनाल को [2020] 9 एस. सी. आर. में से एक माना जाता है।

कर्नाटक संगीत के चार महान विद्वान–मुथुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, श्यामशास्त्री और स्वाति तिरुनल हैं। श्री स्वाति थिरुनल सहित राजाओं ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मंदिर को दान कर दी और जैसा कि डॉ. वेंकट सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी शानदार पुस्तक 'स्वाति थिरुनल एंड हिज म्यूजिक' में दर्ज किया है। घटनापूर्ण जीवन, एक बार

जब उनके एक दरबारी ने उनके सम्मान में एक वर्णम प्रस्तुत किया, तो राजा ने निर्देश दिया कि इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संगीत के साथ केवल भगवान पद्मनाभ स्वामी की प्रशंसा की जानी चाहिए।

..... 38. न्यायमित्र की प्रस्तुति में, यह मंदिर एक है

महा विष्णु के सबसे प्राचीन मंदिर और अमूल्य हैं। हालांकि न्यायमित्र ने देखा कि तत्काल उपायों की आवश्यकता है

मंदिर के संरक्षण, संरक्षण के साथ-साथ उचित और प्रभावी प्रबंधन के लिए। इस प्रकार, यह जोड़ा जा सकता है कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों में निहित प्रेरणा मंदिर को संरक्षित, संरक्षित और प्रबंधित करने के साथ-साथ सभी वस्तुओं की सूची बनाना है।

मंदिर में निहित खजाने।

39. न्यायमित्र ने उल्लेख किया कि विभिन्न कल्लर या तहखाने मंदिर संरचना का एक अभिन्न अंग हैं। इसे दिखाने के लिए न्यायमित्र एक योजना की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं

जो इंगित करता है कि श्रीकोविल में श्री पद्मनाभ स्वामी कहाँ हैं(गर्भगृह) निवास कर रहा है और बाहर एक मंडपम है और नरसिम्हा मूर्ति के बगल में कल्लारा 'ए' है जो कल्लारा 'बी' से जुड़ा हुआ है। जबकि कल्लारस 'सी' और 'डी' श्रीकोविल के दूसरी तरफ हैं। कल्लार 'ई' और 'एफ' गर्भगृह के करीब हैं। उक्त नक्शा/योजना

इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक बी के रूप में चिह्नित किया गया है।

अन्यथा (वास्तव में, दक्षिण भारत के मंदिरों में, यह प्रथा है।श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर मंदिरों में लोगों को सोने और चांदी के विभिन्न आभूषण चढ़ाने के लिए।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जिन्हें फिर उन मंदिरों में अलग रखा जाता है)। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मंदिर की संपत्ति बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बाहरी उद्देश्य। न्यायमित्र की राय है कि

केरल राज्य के रुख पर विचार करते हुए, जैसा कि तिरुवनंतपुरम में सिविल कोर्ट के समक्ष 2007 के ओ. एस. आई. डी. 1 में दायर अपने लिखित बयान में परिलक्षित होता है और न्यायमित्र ने मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत की थी, यह स्पष्ट है कि राज्य ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके द्वारा मंदिर के किसी भी खजाने का उपयोग किसी भी बाहरी उद्देश्य के लिए या किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए किया जाए जिसका देवता/मंदिर से कोई संबंध न हो।

30. अपने दिनांकित 13.02.2013 आदेश में, इस न्यायालय ने कहाः

" 2. त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक की धारा 20

संस्थान अधिनियम, 1950 में प्रावधान है कि त्रावणकोर के शासक को उनके कार्यों के निर्वहन में सलाह देने के लिए एक समिति होगी। इस समिति को "श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति" के रूप में जाना जाएगा और इसमें तीन हिंदू सदस्य होंगे।

त्रावणकोर के शासक द्वारा नामित। सदस्यों का कार्यकाल

समिति का निर्धारण शासक द्वारा किया जा सकता है।

3. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. के. वेणुगोपाल ने हमें सूचित किया कि समिति ने 8 जनवरी, 2013 को निर्णय लिया कि न्यासी अपने आचरण की रिपोर्ट देने के लिए अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

प्रशासन और समय-समय पर न्यासी के निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

4. उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार, हमें आगे सूचित किया जाता है कि शासक (न्यासी) ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन के संचालन पर रिपोर्ट करने और आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए श्री आदित्य वर्मा को अपना मानद नामित किया है।

समय-समय पर जारी किए गए निर्देश।

5. श्री के. के. वेणुगोपाल ने हमें यह भी बताया कि आज से 10 दिनों के भीतर एक सहायक कार्यकारी अधिकारी के साथ कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और श्री गोपाल के सुझाव के अनुसार

सुब्रमण्यम, विद्वान न्यायमित्र, श्री गौतम पद्मनाभन

सहायक कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

6. हम श्री के. के. वेणुगोपाल के उपरोक्त बयानों को स्वीकार करते हैं। ”

अपने दिनांकित 11.12.2013 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने श्री कनिप्पैयूर शंकरन [2020] 9 एस. सी. आर. के साथ समन्वय करने के लिए एक संरक्षण परिरक्षण समिति नियुक्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल अपीलार्थी नंबर 1-उथराडम तिरुनल मार्तंड वर्मा की मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारी मूलम तिरुनल राम वर्मा थे। 09.04.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से उनके स्थान पर तैनात किया गया।

31. 15.04.2014 पर, विद्वान न्यायमित्र द्वारा विभिन्न विषयों पर उनकी सिफारिशों के साथ एक और रिपोर्ट दायर की गई थी।

सामान्य प्रशासन, मंदिर के भीतर संरचनाओं का संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर की विशेष लेखा परीक्षा सहित मुद्दे और विषय। उन्होंने सुझाव दिया कि पिछले 25 वर्षों से मंदिर का विशेष लेखापरीक्षा किया जाए। उन्होंने मंदिर की संपत्ति, कल्लारस की सामग्री की सुरक्षा के संबंध में भी सिफारिशें कीं।

32. एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया

दिनांकित 24.04.2014 आदेश में परिलक्षित होता है। आदेश में मंदिर का विशेष ऑडिट करने का भी निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया हैः

" श्री के. के. वेणुगोपाल, एसएलपी (सी) संख्या में याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील हैं। 11295 2011 और 2011 का 12361 प्रस्तुत करता है कि

श्री के कार्यकारी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पद्मनाभ स्वामी मंदिर (संक्षेप में "मंदिर") ने स्वेच्छा से चार महीने के लिए छुट्टी पर जाने की इच्छा व्यक्त की है।

2. हम उनके बयान को स्वीकार करते हैं।3. श्री के. एन. सतीश, आई. ए. एस., निदेशक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, केरल सरकार, को अभी के लिए नियुक्त किया गया है

अगले आदेश तक मंदिर के कार्यकारी अधिकारी।

4. अंतरिम उपाय के माध्यम से, एक प्रशासनिक समिति को

मंदिर से संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन किया जाता है। प्रशासनिक समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) जिला न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम, केरल, यदि वह हिंदू है और यदि वह हिंदू नहीं है, तो उस जिले के सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश या अतिरिक्तजिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, इसका अध्यक्ष होगा

प्रशासनिक समिति।

((ii) तंत्री एस/श्री सतीश नम्बूदरी, साजी नम्बूदरी, कुट्टन नम्बूदरी।

(iii) श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख नंबी।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

((iv) जिला न्यायाधीश द्वारा सह-चुने जाने वाले दो सदस्य, जिनमें से एक को केरल सरकार के परामर्श से सह-चुना जाएगा। 5. कल्लार "ई" और "एफ" को छोड़कर सभी कल्लारों की चाबियाँ तुरंत प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष को सौंप दी जाएंगी।

6. मुदालपाड़ी के दो कमरों की चाबियाँ (रिपोर्ट में निर्दिष्ट)

क्योंकि कल्लारस 'जी' और 'एच') को भी तुरंत प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। 7. प्रशासनिक समिति निम्नलिखित मुद्दों को तुरंत संबोधित करेगीः

(क) कन्निकिपुरा की सुरक्षा और स्थापना द्वारा इसकी निगरानी

सीसीटीवी कैमरे और अन्य संबंधित मुद्दे;

(ख) कनिक्कई के संग्रह का लेखा सप्ताह में कम से कम एक बार, अधिमानतः हर शनिवार को प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में किया जाएगा। (ग) कल्लारस के ऊपर के मार्ग की सफाई

श्रीकोविल;

(घ) मंदिर के तालाबों की सफाई (मित्रानंदपुरम और पद्मतीर्थम) एक विश्वसनीय एजेंसी द्वारा समयबद्ध तरीके से;

(ई) पुलिस कर्मियों की जीवन स्थितियों में सुधार

मंदिर की रक्षा करना;

(च) कोई अन्य मुद्दा जिसे विद्वान न्यायमित्र द्वारा अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति के संज्ञान में लाया जा सकता है।

क्यूरी या राज्य सरकार या न्यासी।

भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा यथासंभव जल्द से जल्द आयोजित किया गया। वह इस कार्य को पूरा करने में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्ति की सेवा/सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगा। 9. अगले आदेश तक, मंदिर की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जाएगा या स्थानांतरित या निपटाया नहीं जाएगा।

33. 06.11.2014 पर, राज्य के मुख्य सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया थाः

" 6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ("मंदिर"), शुरू में तत्कालीन रियासत का हिस्सा था।

त्रावणकोर और पूर्ववर्ती त्रावणकोर रियासत के उत्तराधिकारियों ने भगवान पद्मनाभ को अपना देवता माना। 2 दिसंबर, 1950 को त्रावणकोर-कोच्चि हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 को त्रावणकोर और कोच्चि के शासकों के बीच त्रावणकोर और कोच्चि के संयुक्त राज्य के गठन के लिए किए गए अनुबंध के अनुच्छेद 8 के आधार

पर अधिनियमित किया गया था।8. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर का प्रशासन, श्री पंडरवक की संपत्तियाँ, अन्य सभी संपत्तियाँ और धन

मंदिर त्रावणकोर के शासक के न्यास में निहित थे।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री चिथिरा तिरुनल महाराजा, अंतिम शासक थे और 19.07.1991 पर उनके निधन के बाद, मंदिर का प्रशासन उनके भाई स्वर्गीय श्री मार्तंड वर्मा द्वारा ग्रहण किया गया था, जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता थे, हालांकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है।

12.इसके अलावा, सरकार द्वारा उप–न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य में इतने सारे मंदिर हैं, उदाहरण के लिए त्रिवेंद्रम में अट्टुकल भगवती मंदिर, अलाप्पुझा जिले में चक्कुलाथु कावू आदि, जिनका प्रबंधन निजी या पारिवारिक न्यासों द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है। इसलिए, सरकार ने समर्थन किया और प्रतिवादी के रुख का समर्थन किया, अर्थात श्री मार्तण्ड वर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पूर्व शाही परिवार, कि

मंदिर का प्रशासन पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा संचालित किया जाता रहेगा।

18. यह दिनांक 23.04.2014 के हलफनामे में प्रस्तुत किया गया है, श्री मुलाम थिरुनल ने अन्य बातों के साथ–साथ इस माननीय न्यायालय को पैराग्राफ में सूचित किया है।

8 उक्त शपथपत्र का विवरण इस प्रकार हैः

" यह तभी हुआ जब वलिय थम्पुरम श्री उथराडोम तिरुनल मार्तण्ड वर्मा ने विशेष अनुमति याचिका श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर दायर करने का फैसला किया।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उच्च न्यायालय के वर्तमान विवादित फैसले के खिलाफ, कि उन्हें दृढ़ता से सलाह दी गई थी कि वे अपना रुख छोड़ दें कि मंदिर एक निजी मंदिर है जो परिवार में निहित है, और दूसरी ओर, यह रुख अपनाने के लिए कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है।

... .

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट विलय के दस्तावेज के लागू होने के साथ, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम की धारा 18 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 290–ए में दिखाई देने वाला "शासक" शब्द अनंत काल तक बने रहने का आनुवंशिक अधिकार नहीं है। अंतिम के निधन के साथ

शासक श्री चिथिरथिरुनल बलरामवर्मा, शासक और शासन अब वैध और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

21. हालांकि, यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी समय सरकार ने संपत्ति को सरकारी संपत्ति होने का दावा नहीं किया है, न ही वे उक्त संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने का इरादा रखते हैं। उस पर

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि संपत्ति विशेष रूप से मंदिर की संपत्ति है और इसके लाभ को छोड़कर यह अविभाज्य है

मंदिर और मंदिर के भक्त।

.....

... .

... .

24. उत्तरदाता प्रत्यर्थी उक्त उद्देश्य के लिए गुरुवायुर देवस्वम अधिनियम, 1978 की तर्ज पर कानून लाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भी तैयार है। के अनुसार

उक्त अधिनियम के अनुसार, गुरुवायुर देवस्वम प्रबंध समिति नामक एक नौ सदस्यीय समिति है, जिसमें से तीन स्थायी सदस्य हैं। तीन स्थायी सदस्यों में कालीकट के ज़मोरिन राजा, मल्लिसेरी इल्लम के करणवन (मल्लिसेरी परिवार के प्रमुख) और थांथ्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद में हिंदुओं द्वारा छह गैर-स्थायी सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें देवस्वोम के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि और अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति शामिल होता है। सरकार इसमें आवश्यक अध्ययन करने के लिए तैयार है।

ध्यान दें।

25. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मामले में गुरुवायुर मॉडल को दोहराया जाता है, तो त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को प्रबंधन [2020] 9 एस. सी. आर. में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

स्थायी आधार पर एक स्थान आरक्षित करके समिति और थंत्री दूसरे स्थायी सदस्य हो सकते हैं।

34. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.05.2015 के आदेश में विद्वान न्यायमित्र की इस प्रस्तुति पर ध्यान दिया गया कि एक लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

पद्मनाभस्वामी मंदिर न्यास और उसकी संपत्तियों के खाते के संबंध में। इसने अपीलार्थियों के इस निवेदन पर भी ध्यान दिया कि इस अवधि के लिए एक विशेष लेखा परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है, लेकिन उन्हें श्री राय के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः आदेश में निर्देश दिया गया हैः

" इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि इस अदालत में पद्मनाभन स्वामी ट्रस्ट की ओर से इस अवधि के लिए दायर ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति श्री राय को उनके अवलोकन और मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि श्री राय पहले से किए गए लेखापरीक्षा पर विचार करते हैं तो उनकी राय है कि इसके लिए एक नया/विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है।

अवधि 01.04.2008 के बाद वह उस कवायद को करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस स्थिति में ट्रस्ट ऐसी सभी जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा जो उस कवायद को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। श्री राय किसी भी प्रश्न को उठाना भी अच्छा करेंगे जो लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है ताकि न्यास उन्हें उत्तर दे सके। हम लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए समय बढ़ाते हैं।

हम राज्य सरकार को विशेषज्ञ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं केल्ट्रोन और विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों के आविष्कार और संग्रह के लिए तैनात कर्मचारियों को कम करने के लिए समिति जो ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार करने पर उस संबंध में उचित आदेश जारी कर सकती है।

श्री राय ने दिनांक 1.04.2015 के संचार के संदर्भ में रुपये की राशि की मांग की है। 45,00,000 / – दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए खर्च आदि सहित कुल शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। रिहाई के लिए पक्षों की ओर से पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं है श्री राय के पक्ष में उक्त राशि। हम तदनुसार प्रशासनिक समिति को श्री राय द्वारा बिल की गई राशि जारी करने का निर्देश देते हैं।

35. दिनांकित 09.10.2015 आदेश में भगवान पद्मनाभस्वामी को जागृत करने के प्रथागत रूप के संबंध में प्रस्तुतियों का उल्लेख किया गया है।

सुबह, और इस मुद्दे को मंदिर के धार्मिक प्रमुख द्वारा तय करने के लिए छोड़ दियाः

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

" .... इस पर पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद

मामले के पहलू, हमारी राय है कि मुद्दा हो सकता है

मंदिर के मुखिया। यह आम बात है कि थराननेलूर श्री परमेश्वरन नम्बूदिरीपद, मुख्य थंत्री हैं।

मंदिर। हमारी राय में, और विद्वान वरिष्ठ द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया

श्री सुब्रमण्यम सहित पक्षों की ओर से पेश वकील, विद्वान न्यायमित्र, अनुमेय अनुष्ठानों से संबंधित सभी मामले,

सुबह भगवान को जगाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिएमुख्य पुजारी (थंथरी) थराननेलूर श्री द्वारा निर्धारित

परमेश्वरन नम्बूदिरीपाद प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता में

मंदिर की तंत्री। हम उसी के अनुसार ऐसा करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि

कि श्री सुब्रमण्यम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा था

मंदिर में प्रथागत प्रथाओं में किसी भी बदलाव को अनिवार्य किया गयाऔर यह कि यह एक ऐसा मामला है जिसे वास्तव में मुख्य पुजारी पर छोड़ा जा सकता है

(थांथ्री) थराननेलूर श्री परमेश्वरन नम्बूदिरीपद,

निर्धारित करने के लिए ऊपर उल्लिखित। यह सवाल इस प्रकार है कि क्या

छंद "वेंकटेश सुप्रभातम" का पाठ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए सुबह भगवान को जगाने के लिए एक बात बची है

मुख्य पुजारी (थंथरी) थराननेलूर श्री द्वारा निर्धारित

परमेश्वरन नम्बूदिरीपाद।

36. मार्च 2016 में, श्री के विशेष लेखा परीक्षा के बारे में रिपोर्ट

अनाभास्वामी मंदिर, इसकी संपत्तियाँ और श्री पद्मनाभ स्वामी

ट्रस्ट श्री विनोद राय द्वारा दायर किया गया था, जो दो खंडों में चलता है।

"प्रमुख लेखा परीक्षा–अवलोकन और अनुशंसाएँ" के साथ।

इस न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति ने हल किया

.06.2017 निम्नानुसारः

" समिति की वित्तीय स्थिति पर अंधेरा है

मंदिर। तिमाही बजट प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए।

और समिति को सूचित किया। इसी तरह, मासिक

लेखा विवरण समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

हर अगले महीने की 10 तारीख से पहले। मैट होगा

कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया।

" "

प्रस्ताव के बारे में कार्यकारी अधिकारी को सूचित कर दिया गया।

37. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 04.07.2017 आदेश में कहा गया है कि

श्री वी. रथीसन, आई. ए. एस. को कार्यकारी [2020] 9 एस. सी. आर. के रूप में नामित किया गया था।

और उन्होंने 18.06.2017 पर कार्यभार संभाला। उक्त आदेश ने आवश्यक मरम्मत के संबंध में 09.05.2017 पर जारी आर निर्देशों को दर्ज किया

संरक्षण समिति और चयन समिति का गठन,

विंग निर्देश जारी किए गए थेः

" 5. प्रतिद्वंद्वी को अपना विचारशील ध्यान देने के बाद

विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार, हमारा विचार है कि वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और मंदिर की संपत्तियों और संपत्तियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक के पास रहेगी, जो मंदिर के प्रभारी व्यक्ति हैं। जिम्मेदारी।

समिति और कार्यकारी अधिकारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।7. सुनवाई के दौरान, प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील इस बात से सहमत थे कि यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक

समिति नीतिगत निर्णय लेने के साथ–साथ मंदिर के कार्य करने के तरीके के संबंध में प्रभारी होगी और कार्यकारी समिति द्वारा जारी निर्देशों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा लागू किया जाएगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कार्यपालिका

अधिकारी को प्रशासनिक का सदस्य सचिव बनाया जाए

समिति जिसके प्रति वह जवाबदेह होना चाहिए। हम आदेश देते हैं।

तदनुसार। हम एतद्द्वारा यह भी निर्देश देते हैं कि कार्यपालिका

सदस्य सचिव के रूप में अधिकारी पूरे समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस संबंध में हम केरल राज्य से आज से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त व्यवस्था को मंजूरी देने का अनुरोध करेंगे।

8. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भले ही एक प्रक्रिया प्रचलित है जिसके तहत मंदिर और न्यास के खातों को बनाए रखा जाता है, फिर भी वे किसी भी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। यह इंगित किया गया था कि एक वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करेगी

खर्च और खातों के रखरखाव। जाँच करने पर

प्रतिद्वंद्वी दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम केरल राज्य से अनुरोध करते हैं कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से तीन अधिकारियों का एक पैनल नामित करना, मंदिर के लेखा परीक्षा और खातों की अनदेखी करने के लिए, और प्रशासनिक समिति को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे सुझावों के कार्यान्वयन के लिए जो श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर में दिए जा सकते हैं।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

रिपोर्ट करें। हम एतद्द्वारा राज्य सरकार द्वारा नामित उसी अधिकारी को, जिसे प्रशासनिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर न्यास के खातों का ऑडिट करने और प्रशासनिक समिति को इसी तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देते हैं। इसलिए हम केरल राज्य से अनुरोध करते हैं कि वह प्रशासनिक समिति के विचार के लिए अपना पैनल प्रस्तुत करे। समिति, चार सप्ताह के भीतर।

9. वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान न्यायमित्र सुब्रमण्यम का अगला तर्क था कि मूलबिम्बम का तत्काल निरीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि दक्षिणायण की शुरुआत से पहले देवता की प्रभावी मरम्मत की जा सके (जो 15/16.07.2017 से शुरू होती है)। इस संबंध में, हम 09.05.2017 पर हमारे द्वारा पारित आदेश से अवगत हैं जिसमें हमने निम्नानुसार दर्ज किया थाः

" 4. वेझाप्परम्बु सहित विशेषज्ञों की एक समिति

नम्बूदरीपद, सतीश एझुमथोली और चेरुवल्ली मूलबिम्बम का पूर्ण निरीक्षण करेंगे और एक उपयुक्त कार्रवाई की सलाह देंगे। यह कनिपयूर श्री कृष्णन नम्बूदरीपाद के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। कडुसरकरा मूलविग्रहों की मरम्मत और मरम्मत करता है,

इस न्यायालय के दिनांक 20.03.2017 और 18.04.2017 के आदेशों में निर्दिष्ट, जहां भी आवश्यक हो, तंत्रियों के परामर्श से उक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। वे करेंगे। एक अध्यक्ष पर पारस्परिक रूप से सहमत, जिसे जिम्मेदार बनाया जा सकता है

किए गए कार्य के लिए।5. उपरोक्त की पृष्ठभूमि में, न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि निरीक्षण और मरम्मत को उक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से करने की अनुमति दी जा सकती है। वे किसी भी कारीगर/विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिन्हें उक्त उद्देश्य के लिए काडुसरकर का ज्ञान हो सकता है। मंदिर में किसी भी रीति–रिवाजों और अनुष्ठानों से समझौता किए बिना इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। हम ऊपर दर्ज प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं, और

तदनुसार आदेश दें। "

10. चूंकि देवता की मरम्मत करने का अनुरोध इस न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था, इसलिए हम विशेषज्ञों से अपेक्षा करेंगे कि वे उनमें निहित जिम्मेदारियों को निभाएँ, ताकि दक्षिणायण की शुरुआत से पहले काम शुरू हो जाए। यदि किसी कारण से, एक या दूसरे [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेषज्ञ दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है,

प्रशासनिक समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इसे शेष विशेषज्ञों द्वारा किया जाए। यह इस न्यायालय की गंभीर इच्छा बनी हुई है कि देवता की मरम्मत शुरू की जाए।

शीघ्रता से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाता है।

मरम्मत के तरीके का संकेत देने वाले विशेषज्ञों के सुझावों को प्रशासनिक समिति द्वारा वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील, विशेषज्ञों को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपरोक्त इच्छा से अवगत कराएंगे।

11. प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए विद्वान वकील यह मानते हैं कि निरीक्षण समिति के पास निहित जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया गया है, और इस तरह, समिति को भंग किया जा सकता है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। हालाँकि, यह बताया गया कि निरीक्षण समिति की कुछ जिम्मेदारियाँ विशेषज्ञ समिति को सौंपी गई थीं। विशेषज्ञ समिति ने भी

काफी हद तक अपना काम पूरा किया। हालाँकि, कल्लारा बी की एक सूची अभी तैयार की जानी है, जो इस न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद ही तैयार की जाएगी।

12. अंत में, प्रतिद्वंद्वी के लिए विद्वान वकील के संयुक्त अनुरोध पर

पक्षकारों, संरक्षण समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया हैः

1. Dr.Velayudhan नायर

2. Mr.S.Ramamurthy (पुरातत्वविद्)

3. श्री शरत सुंदर आर

4. Mr.V.Ratheesan

13. आई. डी. 1 के अपने प्रस्ताव पीठ के आदेश में, हमने श्रीकोविल और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए एक चयन समिति का गठन किया था।

" 6. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चयन समिति, श्रीकोविल और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए, जो पारस्परिक रूप से किया गया है

सहमत, इसमें शामिल होना चाहिएः

ए। श्री कनिपयूर श्री कृष्णन नम्बूदरीपाद;

बी। डॉ. एम. वेलायुथन नायर

सी। श्री एस. राममूर्ति (पुरातत्वविद्)

डी। श्री शरत सुंदर आर. (श्री के. के. द्वारा सुझाए गए)

वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील)।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

व्यक्ति, सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और अनुसमर्थन के अधीनप्रशासनिक समिति द्वारा कार्य को पुरस्कृत किया जाता है। अनुमति दी गई।

प्रार्थना के रूप में "।

14. यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त चयन समिति ने

पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया

श्रीकोविल और अन्य संबद्ध कार्य। तेजी लाने के लिए

सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के चयन को अंतिम रूप देना, हम इसे मानते हैं

माननीय Mr.Justice से अनुरोध करने और नियुक्त करने के लिए न्यायसंगत और उचित

चयन समिति के अध्यक्ष, पैराग्राफ में विचार किया गया6 प्रस्ताव पीठ का आदेश दिनांक 09.05.2017 (ऊपर निकाला गया)।

उनमें निहित जिम्मेदारी के लिए, माननीय Mr.Justice K.S.P.Radhakrishnan (सेवानिवृत्त) को अपना मानदेय और नियम और शर्तें तय करने की स्वतंत्रता होगी, जिनका सम्मान

मंदिर "।

38. इन अपीलों में हमने अपीलकर्ता संख्या 1 के विद्वान या अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल और अपीलकर्ता संख्या 2 के विद्वान या अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार; श्री एम. के. एस. को सुना। मेनन और श्री जे. दीपक, हस्तक्षेप का समर्थन करने वाले विद्वान अधिवक्ता; श्री जयदीप गुप्ता, राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताश्री पी. बी. सुरेश, 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12361 से उत्पन्न उत्तरदाताओं 3,4 और 6 के लिए विद्वान अधिवक्ता।

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया:

" उ. वाचा और अधिनियम न्यास के स्रोत नहीं हैं, बल्कि केवल मंदिर के प्रबंधन के लिए शासक के पूर्व-विद्यमान अधिकारों को मान्यता देते हैं और उस अधिकार को सीमित सीमा तक विनियमित करते हैं।

कि न्यासी के रूप में शासक इसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेगा

एक कार्यकारी अधिकारी और उनके द्वारा नियुक्त/चयनित एक सलाहकार समिति के माध्यम से मंदिर का प्रशासन।

B. वास्तव में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वे त्रावणकोर के शासक थे

जिन्होंने मंदिर की स्थापना की और उसे संपन्न किया और उसके बाद

कई शताब्दियों तक बिना किसी रुकावट के इसे प्रबंधित किया।

नैंट के अनुच्छेद VIII (बी) और टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) और एमिली गिलक्रिस्ट हैच द्वारा "त्रावणकोर" नामक पुस्तक के पी. टी. एस. सहित अन्य सामग्री में अभिव्यक्तियों पर भरोसा रखा गया था।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित, 1939 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ग. किसी मूर्ति या मंदिर के पक्ष में वैध रूप से हिंदू धार्मिक निधि बनाने की एकमात्र आवश्यकता यह है कि बसने वाले को उस संबंध में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से अपना इरादा व्यक्त करना चाहिए।

डी. मंदिर के साथ न्यासी का संबंध एक अधिवास की प्रकृति में है जो अपने व्यापक और सामान्य अर्थों में एक "विश्वास" भी है जो एक प्रत्ययी संबंध को दर्शाता है जिसके तहत एक संपत्ति पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करने के लिए बाध्य है।

वस्तुएँ "।

यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता संख्या 1 मंदिर के स्वामित्व पर कोई दावा नहीं कर रहा था, बल्कि केवल मंदिर के प्रबंधन के अपने अधिकार की मांग कर रहा थाः

" ई. शेबैटशिप संस्थापक के अनुपस्थित उत्तराधिकारियों पर निर्भर करती है।

कोई विपरीत उपयोग या प्रथा।

एफ. वर्तमान मामले में, जिस प्रथा और उपयोग के द्वारा मंदिर की ट्रस्टीशिप हस्तांतरित की जाती है, वह मरुमक्कथयम है।

कानून "।

" G. अनुच्छेद 366 (22) में 'शासक' की परिभाषा केवल उद्देश्यों के लिए हैसंविधान का और किसी अन्य क़ानून के लिए नहीं।

एच. के पूर्ववर्ती महाराजा द्वारा मंदिरों का प्रशासन त्रावणकोर केवल एक न्यासी के रूप में था, न कि शाही या शाही आधार पर।

संप्रभु शक्ति "।

40. श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील के तहत निर्णय अभिवचनों से परे चला गया था और किसी भी अभिवचन के अभाव में दूरगामी परिणाम वाले मुद्दों से निपटा गया था। उन्होंने वाचा के अनुच्छेद IV में "शासक" शब्द के विपरीत "वर्तमान शासक" अभिव्यक्ति पर जोर दिया।

वाचा में अन्य स्थानों पर और प्रस्तुत किया कि "शासक" शब्द का अर्थ वह शासक होना चाहिए जो प्रथा और उपयोग के अनुसार गद्दी का उत्तराधिकारी बना।

उन्होंने आगे कहाः

" अनुच्छेद 362 में केवल विधायिका को उन समझौतों, समझौतों और अन्य दस्तावेजों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिन पर कानूनों को लागू करते समय शासकों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1922, आयकर अधिनियम, श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर में कराधान से छूट, उत्तराधिकार की विधि के संरक्षण आदि से संबंधित प्रावधान किए गए थे।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

1961 , धन कर अधिनियम, 1957 आदि। उल्लेखनीय है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5 (ii) ने भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के नियमों को संरक्षित किया है। शासकों के लिए उत्तराधिकार और विशेष रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होंगे जो शासकों के साथ समझौतों या समझौते के दायरे में आते थे। अन्य उदाहरण सी. पी. सी. और Cr.P.C के प्रावधान हैं जो शासकों को कुछ छूट प्रदान करते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त करने के बावजूद, इनमें से कई छूट आज तक जारी हैं। यदि शासकों की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया होता, तो समझौतों या समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 555 शासकों को आय, संपत्ति कर, धन कर आदि से छूट नहीं होती। ऐसी स्थिति पूरी तरह से असमर्थनीय है। [भारतीय राज्यों के शासक (विशेषाधिकारों का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 देखें, जिसके कई लाभ जारी रहे।

" शासकों "। "

इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रावधानों पर भरोसा किया

मितः

" इसलिए, विवाद पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 363 के तहत एक प्रतिबंध है। इस पर उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इन समझौतों पर भारत सरकार के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और संकेत दिया गया

था कि ये समझौतें राज्य के अधिनियम की प्रकृति की हैं और नगरपालिका न्यायालय को अपनी शर्तों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। अलवर के सवाई तेज सिंहजी बनाम। भारत संघ ", अनुच्छेद 363 का प्रतिबंध कुछ लोगों के निष्कासन मुकदमे पर भी लागू होने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था।

राजस्थान वाचा के अनुसरण में लिखे गए एक पत्र में उल्लिखित इमारतें। महाराजा ने मुकदमा दायर किया था। उसी सादृश्य से, शासन के प्रश्न पर रिट याचिका सीधे तौर पर होगी

अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध के दायरे में आता है। 41. श्री एम. के. एस. मेनन, विद्वान अधिवक्ता जो कुछ लोगों की ओर से पेश हुए

हस्तक्षेप करने वालों के रूप में त्रावणकोर के शाही परिवार के सदस्यों ने प्रस्तुत किया कि संविधान (छब्बीसवीं पहचान) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित संविधान ने अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को समाप्त कर दिया।

केवल प्रिवी पर्स से संबंधित है, और यह ट्रस्टी के पद के उत्तराधिकार के तरीके को प्रभावित नहीं करेगा; और यह कि टी. सी. अधिनियम की धारा 18 में "त्रावणकोर के शासक" की अभिव्यक्ति ट्रस्टीशिप को सीमित करने के लिए नहीं थी।

"त्रावणकोर के अंतिम शासक" के लिए।

42. श्री जे. साई दीपक, मंदिर के तंत्री, जिन्हें मंदिर की धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं पर अंतिम अधिकारी कहा जाता है, और सबरीमाला मामले में इस अदालत में हस्तक्षेप करने और सहायता करने वाले "धर्म के लिए लोग" सहित हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने "केरल महात्म्यम", राजकुमारी गौरी लक्ष्मी की पुस्तक 2, "हिस्ट्री ऑफ त्रावणकोर फ्रॉम द अर्लीएस्ट टाइम्स" शीर्षक वाली पुस्तक 17 और "त्रावणकोर स्टेट मैनुअल" 18 जैसे दस्तावेजों पर भरोसा किया, ताकि त्रावणकोर के शासकों के विशेष संबंध को "पद्मनाभदास" के रूप में रेखांकित किया जा सके।

श्री पद्मनाभस्वामी के साथ। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शासक परिवार अपनी वंशावली का पता महाराजा आदित्य से लगाता है जिन पर भगवान परशुराम को माना जाता है।

मंदिर की देखभाल करने का कर्तव्य सौंपने के लिए और यह कि महाराजा आदित्य के वंशजों और "पद्मनाभदास" के रूप में शाही परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका स्थापना के लिए आवश्यक और अभिन्न है।और मंदिर की पहचान, संविधान के अनुच्छेद 25 (1) और 26 (बी) द्वारा पूरी तरह से संरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि

मंदिर सहित दुनिया के मुट्ठी भर मंदिरों द्वारा "परशुराम पद्धति" का पालन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि पद्धति की अपनी एक अलग पहचान है, और लोग मंदिर से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, वे इसके हकदार होंगेः

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत संरक्षण। उनके प्रस्तुतिकरण में, वाचा का अनुच्छेद VIII इस संबंध की एकमात्र मान्यता है।

त्रावणकोर के शासक और मंदिर के बीच; जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद न तो अनुच्छेद XIV के तहत प्रिवी पर्स व्यवस्था का हिस्सा है और न ही व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, गरिमाओं और शासक की उपाधियों का हिस्सा है जैसा कि वाचा के अनुच्छेद XVII में संदर्भित है; और इसलिए कोई विकास या

यह संविधान के अनुच्छेद 363 (1) के आधार पर न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, इस पर निर्भरता रखी गई थी 17 पी. शुंगूनी मेनन, त्रावणकोर के दीवान पीशकर द्वारा लिखित और 1878 में प्रकाशित

18 वी. नागम ऐया, त्रावणकोर के दीवान पीशकर द्वारा लिखित और 1906 में श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर में प्रकाशित।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम

i) वाचा में राज्य के प्रमुख के संदर्भ में "शासक" अभिव्यक्ति का बार-बार उपयोग किया गया था और अनुच्छेद में "शासक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था।

ii) टी. सी. अधिनियम की धारा 18 में "शासक" पद का वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 366 (22) में निहित है, न कि वरिष्ठ सदस्यों के संदर्भ में। त्रावणकोर के शाही परिवार की पीढ़ियाँ।

एक दान का गठन करने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए एक विशिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ के लिए विशिष्ट संपत्ति के विनियोग की आवश्यकता होगी।उद्देश्य।

अंगुरबाला मलिक बनाम देबब्रत मलिक 2 1. (iv) चूंकि अपीलार्थी संख्या 1 के परिवार ने सीमित प्रकृति के किसी भी स्वामित्व अधिकार का दावा नहीं किया था, इसलिए कोई अलगाव नहीं हो सकता था।

किसी भी समय उक्त परिवार के पक्ष में और अधिक से अधिक यह वंशानुगत ट्रस्टीशिप के बराबर होगा। 19 आकाशवाणी (1985) एससी 1156: (1984) 4 एससीसी 679 20 (1979) 3 एससीसी 409

21 ए. आई. आर. 1951 एससी 293: (1951) एससीआर 1125 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

v) के शासक के बीच संबंध की प्रकृति जो भी हो

त्रावणकोर और मंदिर, शुरुआत से ही, एक शासक के रूप में उनकी क्षमता में शासक को सौंपा गया था, न कि एक निजी व्यक्ति के रूप में।

त्रावणकोर के शासक परिवार के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते।

vi) के अधिनियमन के बाद संबंध में बदलाव आया

टी. सी. अधिनियम; यह एक सांविधिक कार्यालय बन गया और किसी भी प्रकार के निजी संरक्षकता या वंशानुगत न्यासीत्व के रूप में समाप्त हो गया।

vii) किसी भी मामले में, ऐसा संबंध त्रावणकोर के शासक के साथ था।

शासक के रूप में और संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा शासक की अवधारणा के उन्मूलन के साथ, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा।

viii) संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध नहीं होगा

तत्काल मामले में आकर्षित।

विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के संबंध में

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक की अनुपस्थिति में

एक उचित रूप से गठित धार्मिक संप्रदाय द्वारा दावा करने पर, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत किसी भी अधिकार के उल्लंघन के संबंध में निर्णय लेने या निष्कर्ष देने का कोई सवाल ही नहीं होगा। उनके प्रस्तुतिकरण में, इस प्रश्न में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं होगा कि मंदिर एक सांप्रदायिक चरित्र का है या नहीं; और किसी भी मामले में त्रावणकोर के शासक और मंदिर के बीच संबंध को सामान्य रूप से हिंदू धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता है।

44. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता ने भी एक चार्ट प्रस्तुत किया

मंदिर के संबंध में राज्य द्वारा किए गए खर्च के बारे में विवरण देना। राज्य द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक योगदान को छोड़ते हुए, चार्ट में Rs.11,70,11,000/– की अवधि के लिए किए गए खर्च को निम्नानुसार दर्शाया गया हैः

वर्ष सरकार। आदेश सं।

वस्तु

राशि

2012 2. जी. ओ (आरटी)

डिजिटल अभिलेखन के लिए निधि

2.5 करोड़ो

प्राचीन वस्तुएँ और कलाकृतियाँ–केल्ट्रॉन

No.240/2012/आर. डी.तिथि 12.01.2012

3. जी. ओ (आरटी)

विशेषज्ञ समिति श्री को निधि

50 लाखों

पद्मनाभ स्वामी मंदिर

सं. 1859/2012/आर. डी.

तिथि 29.03.2012

4. जी. ओ (आरटी)

कल्लारा के सुदृढ़ीकरण के लिए कोष–ए

54 लाखों

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर –

No.6668/2012/आर. डी.

विशेषज्ञ समिति

तिथि 22.11.2012

2013 2. जी. ओ (आरटी)

प्रो. बाबू, दिल्ली विश्वविद्यालय। 30

No.4426/2013/आर. डी.

पद्मतीर्थम तालाब तक

हज़ारों

तिथि 02.08.2013

डिजिटल अभिलेखन के लिए अतिरिक्त निधि

3. जी. ओ (आरटी)

प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह–केल्ट्रॉन

86.39 लाखों

No.6542/2013/आर. डी.

दिनांक 09.12.2013 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

1. जी. ओ (आरटी)

2014

विशेषज्ञ समिति को निधि श्री। 1 करोड़

पद्मनाभ स्वामी मंदिर

सं. 1821/2014/आर. डी.

तिथि 07.05.2014 2. जी. ओ (आरटी।)

कल्लारा–ए को मजबूत करने के लिए 67.65 लाख का कोष

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर –

No.1843/2014/आर. डी.

विशेषज्ञ समिति

तिथि 12.05.2014

66.16 लाखों

3. जी. ओ (आरटी)

डिजिटल अभिलेखन के लिए अतिरिक्त निधि प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह–केल्ट्रॉन

No.4308/2014/आर. डी. तिथि 02.09.2014

48 लाखों

लेखापरीक्षा समिति को आवंटित निधि

4. जी. ओ (आरटी।)

No.4980/2014/आर. डी. तिथि 16.10.2014

1. जी. ओ (आरटी।)

पद्म तीर्थम का नवीनीकरण। 1 करोड़

2015

No.09/2015/आर. डी.

तालाब

तिथि 05.01.2015 2. जी. ओ (आरटी)

डिजिटल संग्रहण के लिए अतिरिक्त निधि 30.36 लाख

प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह–केल्ट्रॉन

No.3133/2015/आर. डी. तिथि 18.06.2015

डिजिटल अभिलेखन के लिए अतिरिक्त निधि

4. जी. ओ (आरटी।)

प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह–केल्ट्रॉन

1.5125

No.6506/2015/आर. डी.

करोड़

तिथि 05.12.2015

जी. ओ (आरटी)

2016

विशेषज्ञ समिति को निधि

10 लाखों

No.608/2016/आर. डी.

तिथि 27.01.2016

2. जी. ओ (आरटी)

5 लाखों

2017

विशेषज्ञ समिति को निधि

No.861/2017/आर. डी.

तिथि 02.03.2017

मिश्रानंतपुरम का नवीनीकरण। 1 करोड़

3. जी. ओ (आरटी)

तालाब

No.2057/2017/आर. डी.

तिथि 01.05.2017

4. जी. ओ (आरटी)

रमना मडोम से लगभग 28 लाख सीवर लाइन

मंदिर के पानी का उत्तरी नाडा

No.4555/2017/आर. डी.

तिथि 30.10.2017

प्राधिकरण

1. जी. ओ (आरटी)

प्राचीन वस्तुओं का डिजिटल संग्रह और। 18 लाख

2019

सं. 123/2019/आर. डी.

कलाकृतियाँ सी–डिट (कार्यकारी के लिए)

तिथि 10.01.2019

अधिकारी)

2. जी. ओ (आरटी)

विशेषज्ञ समिति को निधि

5 लाखों

सं. 124/2019/आर. डी.

तिथि 10.01.2019

इस प्रकार प्राचीन वस्तुओं के डिजिटल संग्रह पर 1,000/– रुपये खर्च किए गए।

और कलाकृतियाँ; रु। 1,21,65,000 / – मंदिर में कल्लारा 'ए' को मजबूत करने पर खर्च किया गया; विशेषज्ञ समिति को रु. 1,20,00,000/– आवंटित किए गए; लेखा परीक्षा समिति को रु. Rs.48,00,000/– आवंटित किए गए, जबकि दो तालाबों के नवीनीकरण पर रु. 2,00,00,000/– खर्च किए गए।

45. श्री पी. बी. सुरेश, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.12361 से उत्पन्न अपील में उत्तरदाता 3,4 और 6 के लिए विद्वान वकील

2011 प्रस्तुत किया गयाः

i) पूर्ववर्ती शासकों द्वारा निष्पादित वाचाओं में कोई नहीं है

अस्तित्व में हैं और लागू करने योग्य नहीं हैं। रघुनाथराव गणपतराव 1 4 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

ii) टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) और 20, संविधान के अनुच्छेद 363 ए से उत्पन्न सिद्धांतों और जनादेश के खिलाफ होने के कारण, नहीं हैं।

लागू करने योग्य। रिलायंस को दीप चंद और अन्य बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2 2.

46. इसके बाद, पक्षकारों के विद्वान वकील ने विद्वान न्यायमित्र और श्री विनोद राय की रिपोर्टों के संबंध में प्रस्तुतियाँ दीं। इस अभ्यास में इस न्यायालय में पहली बार विभिन्न तथ्यात्मक मुद्दों में प्रवेश करना शामिल था। चूंकि कोई पर्याप्त अवसर नहीं था मामले में शामिल विभिन्न हितधारकों के लिए, हम उक्त रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने से बचते हैं।

47. अंत में, मंदिर के मामलों का ध्यान रखने के लिए समितियों की संरचना के बारे में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा एक टिप्पणी दी गई। नोट अनिवार्य रूप से राज्य के मुख्य सचिव के हलफनामे के जवाब में था जो 06.11.2014 पर दायर किया गया था। नोट में एक प्रशासनिक समिति और एक सलाहकार समिति के गठन का सुझाव दिया गया हैः

" 1.याचिकाकर्ता, जिसे इसके बाद "ट्रस्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है, है

इस माननीय न्यायालय के विचार के लिए नीचे रखा गया हैश्री के मामलों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए प्रस्ताव

पद्मनाभस्वामी मंदिर ("मंदिर")। याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने वाले संशोधनों के साथ प्रस्ताव के संदर्भ में एक उपयुक्त वचन पत्र दायर करेगा।

22 (1959) पूरक 2 एस. सी. आर 8

23 (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 485 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

2. न्यासी त्रावणकोर–कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 ("अधिनियम") की धारा 18 (2) के तहत प्रशासन की अपनी शक्तियों को एक समिति ("प्रशासनिक समिति") को सौंप देगा जो समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मंदिर का प्रशासन करेगी।

3. प्रशासनिक समिति में पाँच सदस्य होंगेः क) केरल सरकार ("राज्य सरकार") के सचिव के पद का एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जिसे केरल सरकार के परामर्श से न्यासी द्वारा नामित किया जाएगा जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) न्यासी द्वारा नामित एक सदस्य;

((ग) केरल सरकार द्वारा नामित एक सदस्य;

(घ) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, और

(ई) मंदिर के मुख्य तंत्री।

4. प्रशासनिक समिति के सभी सदस्य हिंदू होंगे, जो त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिनियम की धारा 2 (एए) के प्रावधान के तहत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जैसा कि संशोधित किया गया है।

8. नीचे दिए गए पैराग्राफ 11 में निर्दिष्ट मामलों सहित मंदिर प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर, न्यासी को अधिनियम की धारा 20 ("सलाहकार समिति") के तहत गठित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति की सलाह से निर्देशित किया जाएगा। 9. सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा और जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) न्यासी द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति; और (ग) न्यासी के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट।

उपरोक्त पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधान सलाहकार समिति पर समान रूप से लागू होंगे।

10. सलाहकार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर के नियमित वार्षिक लेखा परीक्षा वित्त को एक प्रतिष्ठित लेखा फर्म द्वारा पूरा किया जाए, और हर तीन साल में बदला जाए।

11. प्रशासनिक समिति नीति संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लेगी सिवाय इसके कि इसकी मंजूरी प्राप्त कर ली जाए।

ई ईः

(क) प्रति माह Rs.15 लाख से अधिक कोई भी व्यय मद;

48. दूसरी ओर, राज्य ने एक टिप्पणी भी प्रस्तुत की जिसमें कहा गया थाः" यह श्री पद्मनाभ स्वामी के प्रशासन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक/कानूनी वैकल्पिक उपायों का प्रस्ताव कर रहा है।

के मॉडल पर एक प्रबंध समिति का गठन करके मंदिर

गुरुवायुर देवस्वम प्रबंधन समिति, के लिए गठित

गुरुवायुर मंदिर की गतिविधियों का प्रबंधन करना। यह भी है

प्रस्तुत किया कि सरकार। उस समिति को प्रशासन करने में सक्षम बनाएगा

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अध्याय III में संशोधन करके

टी. सी. एच. आर. आई अधिनियम, 1950

निम्नलिखित गुरुवायूर की प्रस्तावना से निकाला गया है।

देवस्वोम अधिनियम, 1978:" 1930 का <आई. डी. 1 और 212, उक्त मंदिर के प्रशासन के लिए, जैसा कि जिला न्यायालय, दक्षिण मालाबार द्वारा 1938 के ओ. एस. नंबर 1 में संशोधित किया गया था, मंदिर का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।

और इसकी संपत्तियों और दान में निहित किया गया था

वंशानुगत न्यासी, अर्थात् कालीकट के ज़मोरिन राजा और कुछ समय के लिए गुरुवायूर में मल्लीसेरी इलोम के करणवन;

और जबकि उक्त मंदिर और उसकी संपत्तियों और दान का प्रशासन और प्रबंधन बिगड़ गया था

और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर का पुनर्गठन करना समीचीन हो गया था।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

आम जनता के हित में, देवस्वम, गुरुवायुर देवस्वम के मामलों के प्रबंधन की योजना उक्त योजना के दमन में देवस्वम का बेहतर प्रबंधन प्रदान करने के लिए अधिनियम, 1971 लागू किया गया था।

पद्मनाभदास के माध्यम से भक्तों और पूर्ववर्ती "शाही परिवार" के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, राज्यश्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक/कानूनी विकल्प का प्रस्ताव है।

3. एक समिति का गठनः

1. गठित समिति में 8 सदस्य होंगे और

निम्नलिखित रूप में रचना की जाएः

(a) पद्मनाभदास

ख) वरिष्ठ तंत्री–पदेन

ग) 5 से अधिक सदस्य नहीं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा और एक महिला होगी।

मंत्रिपरिषद में हिंदुओं द्वारा मंदिर में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किया जाता है।

(घ) देवस्वोम के कर्मचारी का एक प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

मंत्रिपरिषद के बीच हिंदुओं द्वारा।

2. किसी व्यक्ति को खंड के तहत नामित होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

उप–धारा (1), यदिः

(i) वह अस्पृश्यता की प्रथा में विश्वास करता है या धर्म को शामिल नहीं करता है या मंदिर की पूजा में विश्वास करता है; या

((ग) उसकी आयु 30 वर्ष से कम है; या ((iv) वह धारा 5 की उप–धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है।

3. समिति के सदस्य इसकी पहली बैठक में चुनाव करेंगे।

अध्यक्ष के रूप में इसके सदस्यों में से एक। "[2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करें, स्पष्ट

अपीलकर्ताओं द्वारा अपील के आधार पर लिया गया रुख कि "मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और याचिकाकर्ता या किसी के द्वारा मंदिर या उसके खजाने के मालिक होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है" और यह कि क्या था

माँगा जाना केवल मंदिर के न्यासी के रूप में इसे प्रबंधित करने और प्रशासित करने का अधिकार था, शुरुआत में ध्यान दिया जाना चाहिए। उक्त पक्ष को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश और बाद के आदेशों में स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया था, और तत्काल मामले पर विचार उक्त पक्ष पर आधारित किया गया है।

50. अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में,

मंदिर के साथ संबंध सहित अपीलार्थी संख्या 1 की स्थिति और हकदारी से संबंधित मुद्दों पर निम्नलिखित पांच खंडों के तहत विचार किया जा सकता हैः

ए] वाचा से पहले और उस तारीख तक प्राप्त होने वाली स्थिति जब

मई 1949 में प्रवेश किया गया था।

बी] मई 1949 में की गई वाचा का प्रभाव। ग] भारत के संविधान का प्रभाव जो इससे पहले था

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 और

टी. सी अधिनियम के प्रावधान।

घ) संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम का प्रभाव,

1971 .

ई] उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रभाव जिसने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे

त्रावणकोर के शासक के रूप में।

ए] उस तारीख से पहले और उस तारीख तक प्राप्त होने वाली स्थिति जब

समझौता मई 1949 में किया गया था।

51. 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.11295 जिसमें से

वर्तमान अपील उठती है, जोर देकर कहाः

अभिलिखित साक्ष्य से पता चलता है कि श्री

" 1375 2011 तक

पद्मनाभस्वामी मंदिर,

एडी (= 550)1186 एम. ई. /

तिरुवनंतपुरम मंदिर था शाही परिवार द्वारा प्रशासित

मलयालम युग)

वेनाड/त्रावणकोर।

अभिलिखित साक्ष्य से पता चलता है कि श्री

पद्मनाभस्वामी मंदिर,

तिरुवनंतपुरम मंदिर था

शाही परिवार द्वारा प्रशासित वेनाड/त्रावणकोर।

आई. मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी.

टी. ई. ऑफ केरल एंड ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित,

जे.]

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

(इसके बाद 'मंदिर' के रूप में संदर्भित) भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है,

यह तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है।

यह मंदिर 108 वें सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है।

विष्णु। दिव्य देशम सबसे पवित्र हैं।भगवान महाविष्णु के निवास स्थान जो हैं

तमिल के कार्यों में उल्लिखित अज़वार (संत)। मुख्य देवता श्री

अनंतसायनम मुद्रा में (शाश्वत मुद्रा में)योगनिद्र की नींद) श्री अनंत पर लेटी हुई,

हुड वाला सांप। शहर का

तिरुवनंतपुरम का नाम उनके नाम पर रखा गया है।प्रभु। तिरुवनंतपुरम शब्द

शाब्दिक अर्थ है "श्री की भूमि"।

अनंत पद्मनाभस्वामी "। के अनुसार

उपलब्ध साहित्य मंदिर था

कई सहस्राब्दियों पहले स्थापित।

मान्यता यह है कि जब श्री

विल्वमंगलम स्वामीयार (दिवाकारा) मुनि) के पास श्री पद्मनाभ का एक दर्शन था

अनंतकाड़ के घने जंगलों में,

तब वांचीनाड (त्रावणकोर) के राजा

त्रावणकोर शाही परिवार और मंदिर "।

स्थापना के बारे में ऐतिहासिक विवरण के संबंध में, अपील की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गईं

ईः

3. हालाँकि मंदिर की उत्पत्ति धुंध में डूबी हुई है।

ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने 1375 में या उसके आसपास मंदिर की स्थापना की थी। किंवदंती के अनुसार एमिली गिलक्रिस्ट हैच की पुस्तक में मंदिरों को गोल किया गया है।"त्रावणकोर" (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1939) में, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके अलग-अलग संस्करण हैंः

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वहाँ उनके सामने भगवान विष्णु ने अपने हज़ार सिर वाले नाग पर विराजमान थे। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया विष्णु की छवि में पृथ्वी को तराशा गया था, जिस पर त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने एक मंदिर बनाया था।

इसलिए दोनों किंवदंतियों में यह त्रावणकोर के महाराजा हैं।

जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी।

19. 1686 में मंदिर में भीषण आग लगने के बाद,

तब त्रावणकोर के महाराजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया।

53. उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय के पैरा 4 में दिए गए विवरण में कहा गया है कि पुनर्स्थापना से पहले 200 से अधिक वर्षों तक

मार्तण्ड वर्मा द्वारा रियासत के, मंदिर के अधीन था

'एट्टुवेट्टिल पिल्लामार्स' सहित 'एट्टारायोगम' (साढ़े आठ के समूह) का नियंत्रण और फिर एक ओर मार्तंड वर्मा और उनके वफादारों और दूसरी ओर एट्टुवेट्टिल पिल्लामार्स के बीच लड़ाई को संदर्भित करता है।

जिसके बाद मार्तण्ड वर्मा ने राज्य और मंदिर पर पूरा नियंत्रण कर लिया। उच्च न्यायालय तब कहता है, ". यह वही (मार्तंड वर्मा) हैं जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था जो वर्षों पहले एक बड़ी आग लगने के बाद खराब स्थिति में था और एक नई मूर्ति स्थापित की थी।"

54. हालाँकि मंदिर की उत्पत्ति और इसकी स्थापना के संबंध में अलग-अलग विवरण और मान्यताएँ हो सकती हैं, लेकिन हर संस्करण स्वीकार करता है कि शुरुआत में मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के राजा की भूमिका थी, और यह कि उन्होंने ही वर्ष 1686 में हुई एक बड़ी आग के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया, और एक नई मूर्ति

स्थापित की और मंदिर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार त्रावणकोर के राजा मंदिर की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे, जिस रूप में यह आज भी खड़ा है, और यह राजा ही थे जिन्होंने नई मूर्ति स्थापित की, और तब से श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जब तक वाचा पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, तब तक मंदिर का प्रबंधन हमेशा होता था

55. अपील के समर्थन में आधारों में यह भी कहा गया है कि त्रावणकोर का शाही परिवार इसके पक्ष में दान कर रहा थामंदिर और भगवान पद्मनाभ को पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा पारिवारिक देवता माना जाता है। विशेष अवकाश याचिका में जिन प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

..... ऐतिहासिक रूप से, याचिकाकर्ता और उनके पूर्ववर्तियों का पद्मनाभस्वामी मंदिर के साथ बहुत करीबी संबंध रहा है, और

के अनुष्ठानों और प्रथाओं में एक पूर्व–प्रतिष्ठित स्थान रखता है

मंदिर। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

आई. पूर्ववर्ती शाही परिवार की एक महिला सदस्य के गर्भ धारण करने के समय से, निर्धारित अवधि में मंदिर में विशेष पूजा और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है।

ii. पद्मनाभदास और शाही परिवार के सदस्य'आरट्टू' जुलूस (भगवान का पवित्र स्नान) के दौरान परिवार श्री पद्मनाभ, श्री नरसिम्हा और श्री कृष्ण की मूर्तियों को समुद्र तट पर ले जाता है और विभिन्न अनुष्ठान करता है।

iii. पूर्ववर्ती शाही परिवार में एक वर्ष पूरा करने के बाद पैदा होने वाले प्रत्येक पुरुष बच्चे को भगवान का 'दास' बनाया जाता है।

गर्भगृह के सामने पद्मनाभ;iv. पूर्ववर्ती शाही परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक कन्या को निर्धारित माध्यम से भगवान पद्मनाभ की 'सेविनी' बनाया जाता है।

अनुष्ठान;

वी. विशेष समारोह उस समय आयोजित किए जाते हैं जब पुरुष सदस्य 'उपनयनम' से गुजरते हैं और

पूर्ववर्ती शाही परिवार की महिला सदस्यों का विवाह;

स्वयं भगवान को अनिवार्य प्रसाद के माध्यम से;vii. पद्मनाभदास को प्रथा के अनुसार शहर से निकलने पर देवता की अनुमति लेनी होती है और 'पट्टू' और 'कनिका' (रेशम और प्रसाद) चढ़ाकर, उन्हें अपनी अनुपस्थिति की अवधि के आधार पर सुधार भी करना होता है।

अनुपस्थिति; 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

viii. पद्मनाभदास के सभी दिनों में सुबह के समय भगवान के साथ 'एकांत दर्शन' होता है, और इस समय,

नांबी को छोड़कर, अन्य सभी को बाहर रखा गया है;

ix. जब भी शाही परिवार के किसी सदस्य का निधन होता है,

x. सभी मंदिर अनुष्ठानों में, पद्मनाभदास एक अनिवार्य प्रतिभागी है। xi. जब देवता को जुलूस में निकाला जाता है, तो

पद्मनाभदास उत्तराधिकारी के साथ निकाली गई तलवार (उदावल) के साथ जुलूस का नेतृत्व करते हैं। पद्मनाभदास पल्लीवेता के लिए देवता के साथ जाते हैं।दोनों त्योहारों पर और की ओर से वेट्टा करता है

देवता "।

56. ऊपर उल्लिखित दावों को न तो नकार दिया गया और न ही उनका खंडन किया गया। वास्तव में, नीचे दिए गए न्यायालयों में राज्य की ओर से दायर हलफनामों में मंदिर और श्री पद्मनाभस्वामी के संबंध में पूर्व शाही परिवार की स्थिति को स्वीकार किया गया है। शपथ–पत्रों को राज्य सरकार में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के पदों पर आसीन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गई थी। यह दोनों शपथपत्रों में कहा गया था;

" .... निजी न्यासियों और हिंदुओं के स्थानीय संगठनों के स्वामित्व वाले कई मंदिर भी हैं जैसे अट्टुकल भगवती।

मंदिर, पळवांगडी गणपति मंदिर आदि। श्री पद्मनाभ

स्वामी मंदिर भी एक ऐसा पारिवारिक मंदिर न्यास है जिसका स्वामित्व और स्वामित्व है।

त्रावणकोर महल द्वारा प्रबंधित.. ..... पारंपरिक और प्रथागत मान्यता जो लंबे समय से मान्यता प्राप्त और स्वीकार की गई है, वह यह है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर "श्री पद्मनाभ दास" से संबंधित है, जो श्री पद्मनाभ के शाही परिवार के प्रमुख हैं।

त्रावणकोर पैलेस और वे बहुत सम्मान करते हैं और

जनता से सम्मान मिलता है। ....

" "

57. स्वामित्व के मुद्दे को इस तरह की स्थिति के रूप में अलग रखना नहीं है

अपीलार्थी नं. 1 या हस्तक्षेप करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दावा किया गया, तथ्य यह है कि यह पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है कि मंदिर का प्रबंधन हमेशा से शासक परिवार या त्रावणकोर महल के हाथों में था। जैसा कि राज्य ने कहा है, यह पारंपरिक श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर रहा है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]अस्थाई विश्वास। इस तरह का प्रबंधन फैला हुआ है, कुछ वर्षों से नहीं।

कैड्स, लेकिन सदियों पुराना है।

58. विद्वान न्यायमित्र ने अपनी दिनांकित रिपोर्ट 01.11.2012 में मंदिर और कुछ पूर्ववर्ती शासकों के बारे में बताया।

पूर्व में निम्नानुसार हैः

" 29. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के शाही परिवार और केरल के लोगों (प्राचीन शहर तिरुवनंतपुरम के निवासियों सहित) की परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अश्वथी

भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई (शाही परिवार के सदस्यों में से एक) ने दिलचस्प रूप से श्री आनंदपुरम के प्राकृत संस्करण और अंतिम संस्कृत संस्करण का उल्लेख किया है।

स्यानंदूरपुरा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर चौबीस पवित्र तीर्थों से जुड़ा हुआ है और कुछ अन्य मंदिरों से भी जुड़ा हुआ है, जिनमें से कई तमिलनाडु राज्य में हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आज भी, मथिलाकॉम रिकॉर्ड या ताड़ के पत्तों के स्क्रॉल जो मंदिर और पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के प्राचीन इतिहास को दर्ज करते हैं, मंदिर परिसर और केरल राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं।

30. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भगवान पद्मनाभ की मूर्ति कटू शारकर योगम (8 प्राकृतिक अवयवों का एक जटिल मिश्रण) का उपयोग करके बनाई गई है जिसमें 12008 सालग्राम भरे गए थे। कटू शारकर योगम का उपयोग करके बनाई गई इस मूर्ति को वर्ष 1739 में त्रावणकोर के पूर्व शासक वीरा मार्तंड वर्मा (1706–1758) के तत्वावधान में पवित्र किया गया था। सालग्राम केवल एक पत्थर नहीं है।

लेकिन दीर्घकालिक परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति का एक पत्थर जिसमें यह माना जाता है कि हरि या भगवान विष्णु निवास करते हैं (इसलिए, यथ सलाग्रामे हरि)। इस प्रकार, ईश्वर या भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं।सगुण विभिन्न तरीकों से बनता है–सालग्राम में विष्णु के रूप में, लिंग में शिव के रूप में और चक्र में देवी (मां देवी) के रूप में। आम तौर पर, जब 12 सालग्राम शिलों की पूजा की जाती है, तो यह एक महाक्षेत्रम या एक महान मंदिर की शक्ति के बराबर होती है। इसलिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की पवित्रता एक हजार गुना है।

.....

34. इस समय, यह उल्लेख करना उचित होगा कि त्रावणकोर शाही परिवार को वेनाडु राजा वंश भी कहा जाता है जो चेरा रोया वंश और आई शाही वंश का हिस्सा है।

राजवंश, और हमेशा भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं और इसकी पुष्टि कई ऐतिहासिक अभिलेखों से होती है जहां भगवान पद्मनाभ को 'यादवेन्द्र' के रूप में संबोधित किया जाता है।

कुलदैवतम 'या यादवक्षत्रियों का पारिवारिक देवता (वर्तमान

त्रावणकोर रॉयल्टी); जिससे यह पुष्टि होती है कि श्री पद्मनाभ स्वामी पूरे परिवार के 'कुलदैवत' हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राजघरानों के अलावा अन्य भक्तों ने भगवान की पूजा की है

पद्मनाभ स्वामी उनके 'इष्ट दैवत' या किसी की व्यक्तिगत पसंद के भगवान के रूप में।

वैदिक परंपरा। इसके अलावा, मंदिर को राजा की अध्यक्षता में एट्टारा योगम नामक न्यासियों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाता था। 36. शाही परिवार के महानतम राजाओं में से एक श्री स्वाति तिरुनल महाराजा राम वर्मा (1813–1846) थे जो कला, साहित्य, संगीत और आधुनिक विज्ञान के महान संरक्षक थे। वह एक असाधारण राजा थे जिन्होंने शासन की एक अविनाशी प्रणाली प्रस्तुत की, त्रावणकोर के नियमों की पहली संहिता तैयार की, उन्नत अंग्रेजी शिक्षा, दुर्लभ पांडुलिपियों के संग्रह में योगदान दिया और बड़ी संख्या में सामाजिक कल्याण के उपाय किए। वास्तव में, श्री स्वाति तिरुनल को कर्नाटक संगीत के चार महान विद्वानों में से एक माना जाता है–वे मुथुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, श्यामशास्त्री और स्वाति तिरुनल हैं। श्री स्वाति थिरुनल सहित राजाओं ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मंदिर को दान कर दी और जैसा कि डॉ. वेंकट सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी शानदार पुस्तक 'स्वाति थिरुनल एंड हिज म्यूजिक' में अपने श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर के दौरान दर्ज किया है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

घटनापूर्ण जीवन, एक बार जब उनके एक दरबारी ने उनके सम्मान में एक वर्णम प्रस्तुत किया, तो राजा ने निर्देश दिया कि इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संगीत के साथ केवल भगवान पद्मनाभ स्वामी की प्रशंसा की जानी चाहिए।

59. पहले के पैराग्राफ में उल्लिखित प्रथाओं से पता चलता है कि बच्चे की गर्भधारण से लेकर पूर्ववर्ती शाही परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु तक, विशेष प्रार्थना की जाती है और कुछ अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। पूर्ववर्ती शाही परिवार में पैदा होने वाले प्रत्येक पुरुष बच्चे को श्री पद्मनाभस्वामी का "दास" बनाया जाता है, जबकि प्रत्येक महिला बच्चे को निर्धारित अनुष्ठानों के माध्यम से "सेविनी" बनाया जाता है। एक पुरुष सदस्य के

'उपनयनम' और पूर्ववर्ती शाही परिवार की एक महिला सदस्य के विवाह के समय विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि इन प्रथाओं का पालन किया जा रहा है या संभवतः अन्य परिवारों द्वारा भी किया जा सकता है, इन विशेषताओं के अलावा, तथ्य यह है कि शासक विभिन्न मंदिर अनुष्ठानों में एक अनिवार्य प्रतिभागी है; कि उसके पास एक 'एकांत दर्शन' है।

श्री पद्मनाभस्वामी के साथ सभी दिनों में सुबह के समय जहाँ,

नांबी के अलावा, कोई और उपस्थित नहीं रह सकता है; कि जब भी शासक शहर से निकलता है तो उसे विशेष अनुमति लेनी होती है; और जब भी देवता को जुलूस में निकाला जाता है, तो शासक तलवार के साथ जुलूस का नेतृत्व करता है, साथ ही स्पष्ट उत्तराधिकारी, उस विशेष संबंध को स्थापित करता है जो सामान्य रूप से पूर्व शाही परिवार और विशेष रूप से शासक का हमेशा श्री पद्मनाभस्वामी के साथ रहा है। 1750 ईस्वी में तत्कालीन शासक द्वारा किया गया समर्पण समारोह इस तरह के संबंधों के साथ-साथ श्री पद्मनाभस्वामी के समक्ष गहरी भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना का प्रमाण देता है। त्रिपती दानम ", जिसका अनुवाद पैराग्राफ 5 में दिया गया है, से पता चलता है कि" सभी अधिकार और गरिमा, सम्मान के पद और अन्य सभी संपत्तियों के साथ सभी भूमि और कार्य "जो शाही परिवार पहले से प्राप्त कर रहा था, श्री पद्मनाभस्वामी को समर्पित थे। यहाँ तक कि शाही तलवार को भी पवित्र स्थान की ओर जाने वाले ओट्टक्कल मंडपम पर अत्यंत सम्मान के साथ रखा गया था, जिसे राजा को प्रधान पुजारी से वापस मिल गया था। राजा द्वारा आगे किए गए प्रत्येक अधिग्रहण को हमेशा श्री को सौंप दिया जाता था।

पद्मनाभस्वामी। राजा और उनके उत्तराधिकारियों ने इस प्रकार शासन किया और खुद को "पद्मनाभदास" और श्री पद्मनाभस्वामी के एजेंटों के रूप में संचालित किया।

60. किसी भी मापदंड पर परीक्षण किया जाता है, जैसे कि ऐतिहासिक विवरण, लोकप्रिय और प्रथागत मान्यताएं, अनुष्ठानों से जुड़ी कुछ प्रथाएं और मंदिर के ऐसे मामले जिनमें अनिवार्य रूप से उपस्थिति की आवश्यकता होती है और

शासक की भागीदारी, सत्तारूढ़ [2020] 9 एस. सी. आर. के सदस्यों की गहरी भागीदारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवार और मंदिर और श्री पद्मनाभस्वामी के साथ उनका संबंध

उनके जीवन के विभिन्न चरणों में, "त्रिपती दानम" और इसका महत्व, और लंबे समय से इस तथ्य को मान्यता दी और स्वीकार किया कि

मंदिर हमेशा शासक के साथ रहा है, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करें कि

सदियों से, मंदिर त्रावणकोर के शासक परिवार के क्रमिक शासकों के अनन्य प्रबंधन के अधीन था और यह कि त्रावणकोर के शासक, वाचा पर हस्ताक्षर होने तक, मंदिर के प्रबंधक या शेबैट के रूप में थे।

शेबत शब्द "सेवा" से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है सेवा और शेबत का शाब्दिक अर्थ है वह जो मूर्ति या देवता को "सेवा" प्रदान करता है। त्रावणकोर का हर शासक खुद को बुलाता था" पद्मनाभदास अर्थात वह व्यक्ति जो श्री पद्मनाभस्वामी की सेवा में लगा हुआ है।

61. त्रावणकोर अंतरिम संविधान अधिनियम, 1123, जो अनुबंध में प्रवेश करने से पहले 24.03.1948 पर लागू हुआ था,

यह भी एक कारक है जो उपरोक्त निष्कर्ष की दिशा में इंगित करता है। इस अधिनियम के संदर्भ में, श्री पंडरवक से जुड़े सभी मामले (जो अभिव्यक्ति मंदिर और व्यापक भूमि को संदर्भित करती है)

श्री पद्मनाभस्वामी) के साथ-साथ देवस्वम और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती को त्रावणकोर के शासक के अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत बताया गया था। यह अधिनियम स्वयं श्री के संबंध में त्रावणकोर के शासक की स्थिति निर्धारित नहीं करता है।

त्रावणकोर में पंडरवक और देवस्वोम और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, लेकिन श्री पंडरवक और देवस्वोम और हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित मामलों को अपने पास बनाए रखने के लिए त्रावणकोर के शासक की ओर से आवश्यक इरादे का संकेत है।

62. तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करने के बाद, हमें अब कानूनी चरित्र और शेबेटशिप की घटनाओं पर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर

शेबैत की कानूनी स्थिति और शेबैत के कार्यालय में उत्तराधिकार, प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय के कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

क) गोसामी श्री ग्रीधारीजी बनाम रुमानलोलजी में

गोस्सामी 24 द प्रिवी काउंसिल ने कहा:

" हिंदू कानून के अनुसार, जब ठाकुर की पूजा की जाती है

स्थापित किया गया है, शेबैटशिप के उत्तराधिकारियों में निहित होने के लिए माना जाता है

24 16 M.I.A.137:

(1889) एल. आर. 16 आई. ए. 137 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

संस्थापक, सबूत की चूक में कि उसने इसका निपटान कर दिया है

अन्यथा, या कुछ उपयोग, लेन-देन का तरीका रहा है, या

हस्तांतरण का एक अलग तरीका दिखाने के लिए कुछ परिस्थितियाँ। यह

पीट कूनवुर के मामले में निर्णय से सिद्धांत स्पष्ट होता है।

वी. चूटर धारी सिंह ", और वर्तमान मामले में कुछ

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इसकी पुष्टि की है, जबकि किसी ने भी नहीं की हैउन्होंने इसका विरोध किया। एक विद्वान न्यायाधीश ने सोचा कि

इस मामले में सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि डाउजी नहीं था कलकत्ता पूजा के संस्थापक। लेकिन उनके प्रभुत्त्वों ने अपनाया

संस्थापक को यह भी मानना चाहिए कि वादी सामान्य कानून द्वारा हैउस पूजा का शेबैट "।

(जोर दिया गया)

ख) पूर्व में बताए गए सिद्धांतों को प्रिवी द्वारा आगे समझाया गया था।

विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालुसामी अय्यर और

26

" यह भी याद रखना चाहिए कि एक "विश्वास", इस अर्थ में जिसमें

अभिव्यक्ति का उपयोग अंग्रेजी कानून में किया जाता है, हिंदू में अज्ञात है

सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाः ब्राह्मणों, गोस्वामी, संन्यासियों को,आदि। जब यह उपहार किसी पवित्र व्यक्ति को दिया जाता था, तो इसे अपने साथ रखा जाता था

या उपयोग और कस्टम कुछ दायित्वों द्वारा। हिंदू कानून के तहत

हिंदू देवताओं के एक देवता की छवि है, जैसा कि उचित रूप से किया गया है

कहा जाता है, एक "न्यायिक इकाई", प्राप्त करने की क्षमता के साथ निहित

उपहार और संपत्ति धारण करना। धार्मिक संस्थान, जिनके तहत जाना जाता है

क्षमता, और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। कई मामलों मेंदक्षिण भारत, विशेष रूप से जहां आर्यन का प्रसार

द्रविड़ लोगों को उनके अधीन लाने के लिए ब्राह्मणवाद आवश्यक था।

हिंदू व्यवस्था, महाविद्यालयों और मठों का धार्मिक शासन

मठ के नामों के तहत आध्यात्मिक शिक्षकों के तहत स्थापित किया गया था मान्यता प्राप्त पवित्रता। इन लोगों के पास पर्याप्त विवेक था और है

संस्थान की निधियों का उपयोग, लेकिन हमेशा इसके अधीन

उथ। डब्ल्यू. आर. 396

1922 पीसी 123:

48 आई. ए. 302 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ दायित्व और कर्तव्य, समान रूप से प्रथा द्वारा शासित और

उपयोग करें। जब उपहार सीधे किसी मूर्ति या मंदिर को दिया जाता है, तोउपहार को पूरा करना आवश्यक रूप से मानव एजेंसी द्वारा प्रभावित होता है। फोन किया।

किसी भी नाम से, वह केवल प्रबंधक और संरक्षक है

मूर्ति या संस्था। लगभग हर मामले में उसे अधिकार दिया जाता है

उपयोग का एक हिस्सा, आनंद का तरीका और मात्रा

उपयोग और प्रथा पर फिर से निर्भर करता है। किसी भी मामले में नहीं।

क्या संपत्ति उसे दी गई थी या उसमें निहित थी, और न ही वह "ट्रस्टी" हैशब्द के अंग्रेजी अर्थ में, हालांकि दायित्वों को ध्यान में रखते हुए

और उस पर निहित कर्तव्यों, वह एक ट्रस्टी के रूप में जवाबदेह है, में

सामान्य ज्ञान, कुप्रशासन के लिए "।

(जोर दिया गया)

ग) भाबा तारिणी देवी बनाम आशा लता देवी "में, व्यवहार करते हुए

एक शेबेट के अधिकारों के बारे में प्रिवी काउंसिल ने कहाः

" शेबत का निश्चित रूप से अपने कार्यालय में संपत्ति का अधिकार है और यह

यह कहना सही हो सकता है कि उसके पास किसी प्रकार का लाभकारी ब्याज है

नवोदित संपत्ति में, लेकिन मूर्ति संपत्ति की मालिक है

और शेबेट की स्वभाव की शक्ति के लिए निर्धारित सीमा निर्धारित की गई है, न कि

अगले शेबेट के हित को बनाए रखें, लेकिन बनाए रखने के लिए और

संस्था "।उच्च न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित मार्ग (प्रति

मुखर्जी, जे. 2 8), जो अपील के तहत था, को प्रिवी सिल द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया थाः

" मुझे ऐसा लगता है कि कार्यालय और संपत्ति दोनों के तत्व,

कर्तव्य और व्यक्तिगत हित मिश्रित होते हैं और एक साथ मिश्रित होते हैं

शेबैटशिप की अवधारणा। तत्वों में से एक नहीं हो सकता है

दूसरे से अलग। पूरा अधिकार अनुदानकर्ता के पास रहता है।

जब एक देवता की स्थापना की जाती है और यह उसके लिए खुला होता है कि वह इनका निपटान करे

अधिकार जिस तरह से वह पसंद करता है। अगर कोई स्वभाव नहीं है, तो शेबैटशिप संस्थापक की पंक्ति में किसी भी अन्य वंशानुगत संपत्ति की तरह बनी रहती है।

और प्रत्येक सफल शेबेट के आधार पर अधिकारों के लिए सफल होता है

अपने तत्काल पूर्ववर्ती का उत्तराधिकारी होने के नाते, न कि

मूल अनुदानकर्ता। यदि इसका पूरी तरह से निपटान किया जाता है

किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में, अनुदानकर्ता में कुछ भी नहीं रहता है

1943 पीसी 89: (1943) आईएलआर 2 पी. सी. 137

आर, भारत के मुख्य न्यायाधीश।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

एक पलटाव की संभावना को छोड़कर जब कोई विफलता होती है

हाथ, संस्थापक ने अपने अधिकारों को केवल आंशिक तरीके से अलग किया है अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवनकाल के लिए अवशेष अभी भी उसमें रहता है और

उसके उत्तराधिकारी, और अनुदान प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर, संस्थापक का उत्तराधिकारी

उस समय जीवित रहना शबेटशिप का हकदार है। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता

ऐसे मामले संस्थापक के एकमात्र उत्तराधिकारी होते हैं जिन पर

अवशिष्ट अधिकार एक ही समय में विभाजित हो जाता है और वह बन जाता है

अवशेष के साथ, मेरी राय में उनकी स्थिति एक निरपेक्ष है शेबत जिसका अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है न कि उत्तराधिकारियों को

संस्थापक की मृत्यु पर। ”

(जोर दिया गया)

घ) मई 1951 में अंगुरबाला मलिक 2 में दिए गए निर्णय में,

इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों में से जिनके पास इस पर विचार करने का अवसर था

शेबेट की स्थिति। बी. के. द्वारा लिखित प्रमुख निर्णय में निर्जीया, जे. 2 9, यह देखा गया थाः

" एक शीबेट की सटीक कानूनी स्थिति सटीक होने में सक्षम नहीं हो सकती है

विद्या वरुति में न्यायिक समिति की घोषणा द्वारा वी. बालुसामी 2 6 कि डेब्यू करने वाले के संबंध में एक शेबेट का संबंध

अंग्रेजों के अधीन संपत्ति पर भरोसा करने के लिए संपत्ति किसी न्यासी की नहीं है।

कानून। अंग्रेजी कानून में न्यास संपत्ति में कानूनी संपत्ति निहित है

न्यासी जो इसे न्यास के लाभ के लिए रखता है। ए में

दूसरी ओर हिंदू धार्मिक दान पूरे स्वामित्व

समर्पित संपत्ति का हस्तांतरण देवता या संस्था को किया जाता है।

स्वयं एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में और शेबैत या महांत मात्र एक है

प्रबंधक।लेकिन हालांकि एक शेबेट एक प्रबंधक है और तकनीकी में ट्रस्टी नहीं है

मतलब, यह एक के रूप में शेबिटशिप का वर्णन करने के लिए सही नहीं होगा

दान के साथ संबंध, लेकिन उसके पास एक लाभकारी ब्याज हैनवोदित संपत्ति में। जैसा कि न्यायिक समिति ने कहा कि

उपरोक्त मामले में, लगभग ऐसे सभी दानों में शेबेट के पास है

नवोदित संपत्ति के उपयोग में हिस्सेदारी जो इस पर निर्भर करती है

अनुदान की शर्तें या प्रथा या उपयोग पर। यहां तक कि जहां नहीं

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (2020) 9 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेबेट के कार्यालय से परिलब्धियाँ जुड़ी होती हैं, वह आनंद लेता है संपन्न संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार या ब्याज जो

आंशिक रूप से कम से कम एक स्वामित्व अधिकार का चरित्र है। इस प्रकार, शेबैती की अवधारणा–पद और संपत्ति दोनों के तत्व,

कर्तव्यों और व्यक्तिगत हितों का मिश्रण होता है और एक साथ मिश्रित होता है।

और एक तत्व को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह है। संपन्न में इस व्यक्तिगत या लाभकारी हित की उपस्थिति

संपत्ति जो स्वामित्व के चरित्र के साथ स्वामित्व का निवेश करती हैअधिकार देता है और इसे संपत्ति की कानूनी घटनाओं से जोड़ता है। यह था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा विस्तार से चर्चा की गई

मनोहर मुखर्जी बनाम। भूपेंद्र नाथ मुखर्जी 3 0 और यहपूर्ण पीठ के निर्णय को न्यायिक द्वारा अनुमोदित किया गया था

गणेश चंदर धुर बनाम में समिति। लाल बिहारी 3 1 और फिर से भाबतरीनी v. आशालता 2 7. पहले दो निर्णयों का प्रभाव,

जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने पिछले मामले में बताया था, जोर देना था

शेबैती अधिकार में स्वामित्व तत्व, और यह दिखाने के लिए कि हालांकि

प्रारंभिक तिथि से हिंदू कानून में भर्ती किया गया है।" हिंदू कानून के अनुसार, "लॉर्ड हॉबहाउस ने गोसामी में कहा।

श्री ग्रीधारीजी बनाम। रुमानलोलजी गोसामी 2 4, जब

एक ठाकुर की पूजा की स्थापना की गई है, शेबैटशिप आयोजित की जाती है

संस्थापक के उत्तराधिकारियों में निहित किया जाए, सबूत की चूक में कि वह

इसे अन्यथा निपटाया गया है, या कुछ उपयोग हुआ है, निश्चित रूप सेलेन–देन का, या कुछ परिस्थितियों का एक अलग तरीका दिखाने के लिए

हस्तांतरण।

जब तक, इसलिए, संस्थापक ने वंशवाद का निपटारा नहीं किया है

किसी भी विशेष तरीके से–और स्वभाव का यह अधिकार अंतर्निहित है

संस्थापक–या जब उपयोग या एक अलग प्रकृति की प्रथा को छोड़कर

वंशानुगत की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह वंशवाद मौजूद साबित होता है।

संपत्ति संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करती है।

(जोर दिया गया)

63. इसके तुरंत बाद, प्रमुख निर्णय के लेखक

रबाला मलिक 2 1 ने अगस्त 1951 में टैगोर लॉ व्याख्यान दिए।

इसके बाद "द हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंडॉवमेंट्स एंड चैरिटेबल" विकल्प के तहत एक व्यापक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।(1933) 60 कैल।

452 5–36) 63 आई. ए. 448 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

एस "। जल समर्पण द्वारा सृजित दानों से निपटने के बाद

और सामान्य उपभोग के लिए इसी तरह के काम, चौथे संस्करण में

ई पुस्तक 3 2 में कहा गया हैः

"1.54 दान के प्रशासक या प्रबंधक हैं –

सामान्य अर्थों में न्यासीः

अन्य सभी प्रकार के दान के संबंध में यह आवश्यक है कि –

दाता के इरादों को पूरा करने का उद्देश्य जो

किसी को प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए याउसका प्रशासन। जैसा कि मुखर्जी ने देखा था। जे. इन

मनोहर बनाम भूपेंद्र 3 0, प्राचीन काल में, के मामलों को छोड़कर

तपस्वियों के भाईचारे को समर्पित संपत्ति, सभी दान

आम तौर पर स्वयं संस्थापक द्वारा और उसके बाद प्रशासित किया जाता था

उनके उत्तराधिकारियों द्वारा मृत्यु। यह मामला केवल इस संबंध में नहीं था कि

जैसे चौल्ट्री, सदाब्रत आदि। यह केवल सार्वजनिक मंदिरों के मामले में था। कि आम तौर पर शेबेट नियुक्त करने की प्रथा का सहारा लिया जाता था।

लेकिन वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिसमें प्रशासन का कर्तव्य हो

निहित है, चाहे वह किसी मंदिर का शेबैट हो या अर्चक या

मूल संस्थापक का उत्तराधिकारी, उसे माना जाना चाहिएसंपन्न सम्पत्ति के संबंध में न्यासी की स्थिति। जैसे मैं।

पहले से ही कहा है कि वह इस अर्थ में ट्रस्टी नहीं हो सकता है जिसमें अभिव्यक्ति का उपयोग अंग्रेजी कानून में किया जाता है। भाषा को उद्धृत करने के लिए

विद्यावर्थी बनाम बालुस्वामी 2 6 में न्यायिक समिति

अंग्रेजी कानून के तहत ट्रस्टी '; लेकिन यह प्रिवी द्वारा इंगित किया गया थापरिषद जो उस पर निहित दायित्वों को ध्यान में रखते हुए वह है

सामान्य अर्थों में न्यासी के रूप में जवाबदेह। मैं पहले ही इशारा कर चुका हूँ

कि अंग्रेजी कानून में "ट्रस्ट" शब्द में एक अत्यधिक तकनीकी शामिल है

ऐसा विचार जिसकी उत्पत्ति विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक परिस्थितियों से हुई है और

जिनका किसी अन्य विधि प्रणाली में कोई समानांतर अस्तित्व नहीं है।

(जोर दिया गया)

"5.1 ए. शेबत देवता के मानव मंत्री हैं। – मुझमेंपिछला व्याख्यान 3 3, मैंने किसी धार्मिक विषय की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की है।

एड द्वारा माननीय। पी. बी. गजेंद्रगडकर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 4–मूर्तियों के पक्ष में धार्मिक न्यास (डेबटर)

दान जिसे डेबटर के रूप में जाना जाता है, और जो एक मूर्ति को संपत्ति के समर्पण या उपहार पर उत्पन्न होता है। अब विवरण में प्रवेश करना और इस बात पर चर्चा करना आवश्यक होगा कि डिबटर को कैसे प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, "यह एक आदर्श अर्थ में है कि समर्पित संपत्ति एक मूर्ति में निहित होती है", और चीजों की प्रकृति में इसका अधिकार और प्रबंधन कुछ लोगों को सौंपा जाना चाहिए।

शेबत या प्रबंधक के रूप में व्यक्ति। " ऐसा प्रतीत होता है ", न्यायिक समिति ने प्रोसोना कुमारी देब्या बनाम गुलाब चंद बाबू, 3 4 में कहा कि इस तरह से सौंपे गए व्यक्ति को, आवश्यकता के अनुसार, मूर्ति की सेवा के लिए और मूर्ति की सेवा के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, करने का अधिकार होना चाहिए।

इसकी संपत्ति का लाभ और संरक्षण, कम से कम एक शिशु उत्तराधिकारी के प्रबंधक के रूप में महान। यदि ऐसा नहीं था, तो मूर्ति की संपत्तिउन्हें नष्ट या बर्बाद किया जा सकता है, और उन्हें संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक धन की कमी के कारण इसकी पूजा बंद कर दी जा सकती है। देवता का यह मानव मंत्री, जो इसका प्रबंधक और कानूनी है

प्रतिनिधि, बंगाल और उत्तरी भारत में शेबत के नाम से जाना जाता है। उन्हें तमिल और तेलुगु जिलों में धर्मकार्ता, तंजौर और मालाबार में उरालेन जैसी जगहों पर पंचायतीदार कहा जाता है। वह पृथ्वी पर देवता की ओर से बोलने का हकदार व्यक्ति है और उसे इसके सभी लौकिक मामलों से निपटने का अधिकार प्राप्त है। जहाँ तक मंदिर की संपत्ति का संबंध है, प्रबंधक एक न्यासी के पद पर होता है, लेकिन मंदिर की सेवा और उससे संबंधित कर्तव्यों के संबंध में वह गरिमा के पद के धारक के पद पर होता है। सुविधा के लिए मैं फोन करूँगा

शेबत के सामान्य नाम से प्रबंधक, हालांकि मुझे पता है कि

कुछ मामलों में शेबत और धर्मकार्ता के बीच अंतर किया गया है।

.....

5.5 . शेबैटशिप केवल एक पद नहीं है, यह एक संपत्ति भी है।

लेकिन हालांकि एक शेबेट एक प्रबंधक है और तकनीकी अर्थों में एक ट्रस्टी नहीं है, लेकिन शेबेटशिप को केवल एक पद के रूप में वर्णित करना सही नहीं होगा। शेबत के पास न केवल दान के संबंध में निर्वहन करने के कर्तव्य हैं, बल्कि उसमें उसका व्यक्तिगत हित भी है। जिस तरह से

5) एल. आर. 2 आई. ए. 145 अनाथन चेट्टी बनाम। मुरुगुप्पा–(1906) एल. आर. 33 आई. ए. 139

श्रीनिवास वी. एवलप्पा, एल. आर. 49 आई. ए. 237 ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 325,33

पुर्मा बनाम। विद्यानिधि (1904) आई. एल. आर. 27 मैड।

435 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

न्यायिक समिति ने उपरोक्त मामले में बताया कि लगभग सभी डेबटर बंदोबस्ती में, डेबटर संपत्ति के उपयोग में शेबेट का हिस्सा है, जो या तो अनुदान की शर्तों या प्रथा या उपयोग पर निर्भर करता है। यहां तक कि जब शेबत के कार्यालय से कोई परिलब्धियां जुड़ी नहीं होती हैं, तब भी उसे किसी प्रकार का अधिकार या अधिकार प्राप्त होता है।

दान की गई संपत्ति में ब्याज जिसमें कम से कम आंशिक रूप से स्वामित्व अधिकार की विशेषताएं हों। आप बाद में देखेंगे कि हालांकि डेबटर संपत्ति को अलग करने की शेबत की शक्ति बहुत सीमित है और इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब देवता के लिए एक उचित कानूनी आवश्यकता या लाभ हो, फिर भी वह संपन्न संपत्ति के संबंध में व्युत्पन्न कार्यकाल बना सकता है, जिसे कानूनी आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह जीवित है और पद पर रहता है। इसलिए शेबत के पास कुछ हद तक एक सीमित मालिक के अधिकार हैं। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने सभी प्राधिकरणों की विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है कि इस संबंध में वेश्यावृत्ति संपत्ति है।

जिसके लिए टैगोर बनाम टैगोर 3 8 में नियम लागू होता है, और इस निर्णय को प्रिवी काउंसिल द्वारा गणेश चंद्र बनाम लाल बिहारी 3 1 और फिर से में अनुमोदित किया गया है।

भाबतरीनी बनाम आशालता 27. जानकी रमन बनाम कोशल्यानंदन 3 में, एक बंदोबस्ती के संस्थापक ने प्रावधान किया था कि संरक्षक का पद तीन भाइयों के पास होना चाहिए और यह उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। भाइयों में से एक ने अन्य दो भाइयों के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ दिया, यह माना गया कि पद का हस्तांतरण जनरल द्वारा शासित था।

5.6 ए. शेबैटशिप संस्थापक और उसके उत्तराधिकारियों में तब तक बनी रहती है जब तक कि उनका निपटारा नहीं किया जाता है। – जब एक देवता की स्थापना की जाती है, तो संरक्षकता उसके संस्थापक और उसके उत्तराधिकारियों में बनी रहती है। हिंदू कानून के अनुसार, "इस प्रकार गोसामी श्री ग्रीधारीजी में लॉर्ड हॉबहाउस का पालन किया गया। बनाम रूमन लालजी 24–और यह अवलोकन तब से कई मामलों में दोहराया गया है–"जब ठाकुर की पूजा की स्थापना की जाती है, तो संरक्षकता को उत्तराधिकारियों में निहित माना जाता है।

oter 6 (डेबटर का प्रशासनः एक शेबेट के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियाँ)

. एल. आर. 377

आर. 1961 पैट।

इस बात के सबूत की चूक में कि उसने इसे अन्यथा निपटाया है, या हस्तांतरण के एक अलग तरीके को रोकने के लिए कुछ उपयोग, व्यवहार की प्रक्रिया या कुछ परिस्थितियाँ रही हैं। जब तक कि संस्थापक ने शेबैटशिप का निपटारा नहीं किया है

किसी भी विशेष तरीके से और जब एक का उपयोग या प्रथा को छोड़कर अलग प्रकृति मौजूद साबित होती है, वंशानुगत संपत्ति की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह वंशवाद से विरासत की रेखा का पालन होता है

संस्थापक।

5.31 . शेबैट्स के जीवन का विलुप्त होना। जब संस्थापक द्वारा निर्धारित शेबैट्स की पंक्ति विलुप्त हो जाती है, या जब शेबैट जिसे नामांकन की शक्ति दी जाती है, वह शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, तो प्रबंधन उस संस्थापक को वापस कर दिया जाता है जिसने संपत्ति या उसके उत्तराधिकारियों को संपन्न किया।

यदि शेबैट्स की वंशावली विलुप्त हो जाती है, तो संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों के लिए हमेशा एक अंतिम परिवर्तन होता है और कड़ाई से बोलते हुए, जहां तक शेबैट्सशिप के हस्तांतरण का संबंध है, कोई पलायन नहीं होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसे मामले संबंधित हो सकते हैं जहां संस्थापक ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है और ऐसे मामलों में संस्थापक की संपत्तियां हो सकती हैं।

दान की गई संपत्ति के साथ राज्य को छोड़ दें। बहुत में।

इस तरह की दुर्लभ परिस्थितियों में, राज्य का अधिकार संभवतः संस्थापक के समान ही होगा, और यह राज्य के लिए होगा कि वह डेबटर संपत्ति के लिए एक शेबैट नियुक्त करे। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक समर्पित संपत्ति प्राप्त करने वाला राज्य न्यास को समाप्त कर सकता है और इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति के रूप में मान सकता है।

कुछ टिप्पणियां मुथुस्वामी अय्यर और शेफर्ड, जे. जे. के फैसले में मिलती हैं। मल्लन बनाम। पुरुसोथोमा 1, जो यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि सरकार को चोरी के अधिकार से संपत्ति प्राप्त करना मूल मालिकों द्वारा की गई उस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है जिसके तहत एक निश्चित संपत्ति को किसी देवता की पूजा के लिए उपयोग करने के लिए अविभाजित रखा गया था। हालाँकि, इस मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि संपत्ति वास्तव में देवता को समर्पित थी, और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि

त्रि ठाकुरानी बनाम। एफ. ए. सावी, आई. एल. आर. 12 पैट। 359 ; जगन्नाथ बनाम। रणजीत सिंह,

25 कैल। 354

आर. 12 पागल। 287 , 291 .

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

सह–भागीदारों के बीच केवल एक व्यक्तिगत व्यवस्था थी

जिसे विभाजन से बाहर रखा गया था।

(हमारे द्वारा रेखांकित)

64. अंगुरबाला मलिक 2 1 में निर्णय के साथ–साथ पुस्तक में भी

ऊपर दिए गए, के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया था

मनोहर मुखर्जी बनाम भूपेंद्र नाथ में उच्च न्यायालयहर्जी और Ors.³0 30, जहाँ विचार के लिए मुद्दों में से एक थाः

एक हिंदू नवोदित के उनके संस्थापक नियम निर्धारित करने में सक्षम थे

शेबत के कार्यालय के लिए उत्तराधिकार। आशुतोष मुखर्जी,

पाँच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से टिप्पणी की गई थीः

" 15. देवता केवल एक आदर्श अर्थ में उपहार का प्राप्तकर्ता है;

समर्पित संपत्ति एक समान अर्थ में देवता की है।

चीज़। प्राचीन काल में, एक को समर्पित संपत्ति के मामलों को छोड़कर सन्यासियों का भाईचारा, सभी दान आम तौर पर थे

स्वयं संस्थापक और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रशासित। द.

एक शेबेट को नियुक्त करने का विचार अधिक आधुनिक विकास का है। जब ए.

हिंदू एक दान बनाता है, इसका प्रबंधन मुख्य रूप से उसी में होता है

और उसके उत्तराधिकारी, और जब तक वह एक भेड़िया नियुक्त नहीं करता है, वह खुद इसे भरता है

पद और उसमें वह सीमित स्वामित्व है, –इसके बावजूद

कि एक ओर वह दाता है और दूसरी ओर प्राप्तकर्ता है।

देवता की ओर से, न्यायिक व्यक्ति–जिसे होना चाहिए

निकाल दिया। .... सीमित स्वामित्व का यह विचार सार है। किसी समर्पित संपत्ति के प्रबंधक या संरक्षक की स्थिति,

उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। कि यह एकमात्र विचार है

शेबैट्स के अधिकार और शक्तियाँ न्यायोचित हो सकती हैं जो इसके बाद देखी जाएंगी। जब इनमें से कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जाएगा।

.....

26. अपनी वास्तविक कानूनी अवधारणा में शेबेटशिप में दो विचार शामिल हैंः

देवता और उसके प्रबंधक का मंत्री; यह कोई खाली पद नहीं है।

लेकिन कुछ अधिकारों के साथ एक कार्यालय। एक शेबेट नवोदित संपत्ति की ओर स्थिति उसके समान नहीं है

न्यास संपत्ति के प्रति न्यासी का इंग्लैंड; यह केवल इतना है कि

उसके द्वारा कुछ कर्तव्यों का पालन किया जाना है जो समान हैं।

न्यासियों के लिए। .....

(जोर दिया गया)

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65. 16.03.1954 पर, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक पीठ बोल रही है

जी. एच. बी. के. मुखर्जी, जे. 2 9 द कमिश्नर, हिंदू में आयोजित

पवित्र दान, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थश्री शिरूर मठ 2 के नायर, अन्य बातों के साथ-साथ, कि शेबत के अधिकारों के संबंध में जो निर्णय लिए गए थे, वे लागू होंगे।

एक महांत के पद के लिए समान औचित्य। यह कहा गया थाः

इस निर्णय को न्यायिक समिति द्वारा गणेश बनाम में अनुमोदित किया गया था। लाल बिहारी 3 1 और फिर से भाबतरीनी बनाम में। आशालता "। पहले दो निर्णयों का प्रभाव, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने पिछले मामले में बताया था, शेबैती अधिकार में स्वामित्व तत्व पर जोर देने और यह दिखाने के लिए था कि हालांकि कुछ मामलों में एक विसंगति है, यह एक विसंगति थी जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभिक तिथि से हिंदू कानून। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा अंगुरबाला बनाम में पूरी तरह से अपनाया गया था। देबब्रत 2 1 और शेबैती अधिकार के संबंध में उस मामले में जो कहा गया था, वह समान औचित्य के साथ, एक महंत के पद पर लागू किया जा सकता है। इस प्रकार महान्त की अवधारणा में, जैसा कि शेबैटशिप में होता है, पद और संपत्ति, कर्तव्यों और व्यक्तिगत हित दोनों के तत्व एक साथ मिश्रित होते हैं और

न ही दूसरे से अलग किया जा सकता है। किसी संस्थान से जुड़े दान में महांत का व्यक्तिगत या लाभकारी हित उसके निपटान और प्रशासन की बड़ी शक्तियों में प्रकट होता है।

4) एससीआर 1005 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

और संपन्न संपत्तियों के संबंध में व्युत्पन्न कार्यकाल बनाने का उसका अधिकार; और ये और इसी तरह के अन्य अधिकार महांत के कार्यालय को स्वामित्व अधिकार के चरित्र के साथ निवेश करते हैं। जो हालांकि कुछ हद तक

विसंगत है, फिर भी एक वास्तविक कानूनी अधिकार है। यह सच है कि महांतशिप सामान्य संपत्ति की तरह विरासत में नहीं है, बल्कि इसकी विशिष्ट प्रकृति और तथ्य के कारण है।

कि पद आम तौर पर एक तपस्वी के पास होता है, जिसका अपने प्राकृतिक परिवार से पूरी तरह से संबंध टूट जाने के कारण, उत्तराधिकार के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं।

(जोर दिया गया)

ऐसा कोई कारण नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) में उपयोग किए गए "संपत्ति" शब्द को उदार और व्यापक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और इसका विस्तार उन लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं।

महांत और महांत के अधिकारों को इस संपत्ति या लाभकारी ब्याज का आनंद लेने का अधिकार है जब तक कि वह अपना पद धारण करने का हकदार है। इस लाभकारी ब्याज को छीनना और उसे केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए छोड़ना एक महंत के रूप में उनके चरित्र को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। यह सच है कि उसे जो लाभकारी हित मिलता है वह उसके कर्तव्यों के अनुरूप है और चूंकि वह एक सार्वजनिक संस्थान का प्रभारी है, इसलिए जनता के हित में उसके अधिकारों पर हमेशा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध उचित नहीं होंगे यदि उन्हें उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य माना जाता है जिनका निर्वहन करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। एक महांत का कर्तव्य केवल एक व्यक्ति की अस्थायीताओं का प्रबंधन करना नहीं है।गणित। वे आध्यात्मिक बिरादरी के प्रमुख और श्रेष्ठ हैं और गणित का उद्देश्य शिक्षकों की एक सक्षम पंक्ति को बनाए रखते हुए आध्यात्मिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है जो मठ के शिष्यों और अनुयायियों को धार्मिक निर्देश दे सकते हैं और उस विशेष स्कूल या व्यवस्था के सिद्धांतों को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके वे अनुयायी होने का दावा करते हैं। इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है यदि प्रतिबंध ऐसे हैं जो माथाधीपति को राज्य विभाग के तहत एक नौकर के स्तर तक नीचे लाएंगे। यह है।

इस दृष्टिकोण से कि प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय किया जाना चाहिए। "[2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. कुछ महीनों के भीतर, महांत सीतल दास बनाम महांत के निर्णय में।

राम और अन्य 43 08.04.1954, बी. के. मुखर्जी, जे. 2 9 29 पर प्रस्तुत किए गए

चार न्यायाधीशों की पीठ के लिए राजा ने कहाः

" हमारे समक्ष अपील में पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलेंमुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या मृत्यु के बाद

किशोर दास, वादी या प्रतिवादी संख्या 3 ने अधिकार प्राप्त कर लिए। विवाद में ठाकुरद्वारा के संबंध में महांत का। यह है कानून

एक मठ या धार्मिक के महांत के लिए उस उत्तराधिकार को अच्छी तरह से स्थापित किया गया

संस्थान विशेष प्रथा या उपयोग द्वारा विनियमित होते हैं।

संस्था, सिवाय इसके कि जहां उत्तराधिकार का नियम निर्धारित किया गया है

स्वयं संस्थापक जिन्होंने बंदोबस्ती का निर्माण किया। न्यायिक के रूप में

निर्धारित समिति–वीडियो गेंदा पुरी बनाम। छतर पुरी 44, में

इस बिंदु पर कई मामलों में से एकः " यह निर्धारित करने के लिए कि कौन है

मोहंत के रूप में सफल होने का हकदार, पालन किया जाने वाला एकमात्र कानून है प्रथा और व्यवहार में पाया जाना, जिसे साबित किया जाना चाहिए

गवाही द्वारा, और दावेदार को यह दिखाना होगा कि वह हकदार है

कार्यालय और भूमि को पुनः प्राप्त करने की प्रथा के अनुसार

और उससे संबंधित संपत्ति। केवल दुर्बलताप्रतिवादी का खिताब, जो कब्जे में है, मदद नहीं करेगा

वादीः . "

(जोर दिया गया)

67. परमपवित्रता में दिग्य दर्शन राजेंद्र राम डोस बनाम।

एंड्रा डॉस 45, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहाः

" 7.हमारी राय में, सभी मामलों में प्रथा का शासन प्रबल होना चाहिएऔर यदि किसी भी विचलन को ठीक करना है तो इस तरह का सुधार आवश्यक है।

हमें प्रथा के शासन को फिर से स्थापित करने की दिशा में ले जाएँ। को।

मामला। यह मानते हुए कि चेतन डॉस वैध रूप से नियुक्त नहीं थेमहांत ताकि उनकी कार्यकाल को नजरअंदाज किया जाए, सवाल

अभी भी उत्पन्न होता है कि क्या प्रथागत नियम में परिवर्तन करने में महांत के पद पर उत्तराधिकार इस तरह के परिवर्तन को संचालित करना है।

उस बिंदु से जहाँ चेतनदास की अवधि समाप्त हुई या उस बिंदु से जहाँ

इंड ऐप–पृष्ठ 105 (पीसी) (ए) 73) 1 एससीसी 14

28 मैड 219 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

यह कब शुरू हुआ था। यह केवल एक दुर्घटना है कि इस मामले में चेतनदास के पास पद की अवधि बहुत कम है, इसलिए उनकी मृत्यु पर कम से कम एक जीवित शिष्य को ढूंढना संभव था, जो चेतन डॉस के उत्तराधिकारी बनने से पहले पद पर थे। ज्यादातर मामलों में यदि प्रथागत नियम में कोई विराम है तो प्रथागत उत्तराधिकार पर वापस लौटना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है यदि किसी को उस बिंदु से शुरू करना है जहां मूल विराम शुरू हुआ था। ऐसे मामलों में भले ही प्रथागत प्रथा पर लौटना संभव हो, लेकिन उस बिंदु पर वापस जाना संभव नहीं हो सकता है जहां उत्तराधिकार की प्रथागत रेखा का मूल विराम था। इस प्रकार, इस मामले में हालांकि कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाना संभव हुआ है जो नारायण डॉस का शिष्य था, जिसकी मृत्यु के बाद प्रथागत प्रथा को तोड़ा गया था और कार्यालय एक कथित मध्यस्थ को सौंप दिया गया था, यहां तक कि उत्तराधिकार की मूल पंक्ति का यह एकमात्र जीवित व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मठ की प्राचीन प्रथा के अनुसार महंत बनने में सक्षम है। इसलिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है।उत्तराधिकार की प्रथागत रेखा को फिर से स्थापित करने के लिए यदि कोई चेतन दास के महांत की अवधि को पूरी तरह से अस्तित्वहीन मानता है। अगर हमें मठ की प्रथा पर लौटना है तो हम उस समय से ऐसा नहीं कर सकते जब नारायण डॉस की मृत्यु हो गई और चेतन डॉस महंत बन गए। हमें ऐसा उस समय से करना है जब चेतन डॉस की मृत्यु हो गई थी। आखिरकार, चेतनदास निर्विवाद रूप से

मठ के महांत। यह सच है कि बाद में पूरे मामले की फिर से जांच करने पर, पद के लिए उनके शीर्षक पर संदेह व्यक्त किया गया है, लेकिन मठ के चेलों की आम स्वीकृति से उन्होंने

वे महांत बन गए थे और अपनी मृत्यु तक महांत बने रहे। इस तथ्य को नजरअंदाज करना कि वह वास्तव में एक विशिष्ट अवधि के लिए इस मठ के महंत थे, हमें इस मठ में प्रचलित प्रथा के शासन को फिर से स्थापित करने में मदद नहीं करता है। पुरानी प्रथा को फिर से स्थापित करने का एकमात्र संभव तरीका चेतनदास की मृत्यु के समय से एक नई शुरुआत करना है और यह केवल देवेंद्र डॉस को महंत बनने की अनुमति देकर ही किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि देवेंद्र डॉस एक उत्तर-भारतीय ब्राह्मण हैं और इसलिए इस मठ की प्रथा के अनुसार एक महंत का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हैं। उच्च न्यायालय ने भी

पता चला कि वह चेतनदास के सबसे वरिष्ठ शिष्य थे, जो उत्तराधिकार के बारे में विवाद उत्पन्न होने तक शासन करने वाले महांत थे। यदि राजेंद्र राम डॉस के महंत बनने के अधिकार को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि चेतनडोस [2020] 9 एस. सी. आर.

मरम्मत या मोचन से परे टूट गया, क्योंकि, एक बार यह स्वीकार किया जाता है किराजेन्द्र राम दास उत्तर भारतीय ब्राह्मण नहीं हैं।

नारायण डॉस के अन्य जीवित शिष्य जो मूल को पुनर्स्थापित कर सके

उत्तराधिकार का नया नियम या उत्तराधिकार के नियम को पूरी तरह से बदलना।प्रथा को बचाने का एकमात्र तरीका कुछ स्वीकार करना है।

तथ्य के रूप में जिसे अब तक सभी संबंधित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है

मठ के साथ एक तथ्य के रूप में और जिसे अब पूर्ववत नहीं किया जा सकता है

मठ की प्रथा को पूरी तरह से ध्वस्त किए बिना। इनमेंपरिस्थितियों में हम मानते हैं कि देवेंद्र डॉस सफल होने के हकदार हैं

चेतन डोस अपने वरिष्ठ के रूप में–सबसे अधिक शिष्य के रूप में इस मठ की प्राचीन प्रथा "।

(जोर दिया गया)

68. प्रफुल्ल चोरोन रिक्विटे में, सिद्धांतों का सारांश दिया गया था।

यह न्यायालय निम्नानुसार हैः

" 20. इन विवादों से निपटने से पहले, यह उचित होगा

शेबैटशिप की घटनाएँ। मूर्ति को समर्पित संपत्ति उसमें निहित होती है।केवल एक आदर्श भावना; पूर्व आवश्यकताएँ, अधिकार और प्रबंधन

किसी मानव अभिकर्ता को सौंपा जाना है। इस तरह के एजेंट मूर्ति को उत्तर भारत में शेबैट के रूप में जाना जाता है। शीबेट के कानूनी चरित्र को सटीकता और सटीकता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर

वर्णित है, वह मानव मंत्री और मूर्ति के संरक्षक हैं, इसकी

सांसारिक प्रवक्ता, सौदा करने के हकदार इसके अधिकृत प्रतिनिधिअपने सभी लौकिक मामलों के साथ और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना। संबंध में

नवागंतुक का प्रशासन, उसकी स्थिति उसके अनुरूप है

न्यासी का; फिर भी, वह निश्चित रूप से न्यासी के पद पर नहीं है

अंग्रेजी अर्थ में, क्योंकि हिंदू कानून के तहत, एक मूर्ति को पूरी तरह से समर्पित संपत्ति, मूर्ति में निहित होती है, न कि भेड़ में। हालांकि

नवागंतुक कभी भी शीबेट में निहित नहीं होता है, फिर भी, विशेष रूप से पर्याप्त,

लगभग हर मामले में, शेबेट का एक हिस्से पर अधिकार है

फल, आनंद का तरीका, और उपयोग की मात्रा

यह फिर से उपयोग और प्रथा पर निर्भर करता है, यदि संस्थापक द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

(जोर दिया गया)

21. मंदिर की सेवा और कर्तव्यों के संबंध में जोइसके अनुरूप, वह श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. के धारक के पद पर है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

पद; लेकिन फिर भी, वेश्यावृत्ति को केवल एक पद के रूप में वर्णित करना बिल्कुल सही नहीं होगा। दासत्व की अवधारणा में कार्यालय और संपत्ति दोनों का मिश्रण है। दान के संबंध में उस पर निहित दायित्वों और कर्तव्यों के अलावा, शेबेट का संपन्न संपत्ति में व्यक्तिगत हित होता है। उसके पास है,

कुछ हद तक, एक सीमित मालिक के अधिकार। 22. शेबेटशिप संपत्ति होने के कारण, यह वंशानुगत संपत्ति की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह है। यह इस प्रकार है कि, जहां संस्थापक नहीं करता है

उनके द्वारा बनाए गए दान में शेबैती अधिकारों का निपटान करते हुए, हिंदू कानून के अनुसार संस्थापक के उत्तराधिकारियों को शेबैती का अधिकार दिया जाता है, अगर किसी अलग प्रकृति का कोई उपयोग या रिवाज मौजूद नहीं दिखाया गया है। [गोसामी श्री ग्रीधारीजी बनाम। रमनलालजी। 24]

23. फिर, सार्वजनिक और निजी के बीच एक अंतर है।

नवोदित। सार्वजनिक पदार्पण या दान में, समर्पण जनता के उपयोग या लाभ के लिए होता है। लेकिन एक निजी दान में, जब संपत्ति को परिवार की मूर्ति की पूजा के लिए अलग रखा जाता है, तो जनता को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वर्तमान मामला एक निजी शुरुआत करने वालों में से एक है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि तार्किक रूप से इसके बाद आने वाले परिणामों को अदालतों द्वारा अलग तरीके से प्रभाव दिया गया है।24. अंग्रेजी कानून के अनुसार, एक निजी न्यास में लाभार्थियों के पास न्यास को समाप्त करने या किसी भी उद्देश्य के लिए न्यास निधि का उपयोग करने और इसे अपने मूल उद्देश्य से हटाने की शक्ति या अधिकार है। यह सिद्धांत हिंदू कानून के तहत बनाए गए निजी दान या नवप्रवर्तक पर लागू होता है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर अधिकारी सहमत नहीं हैं। डोरगनाथ रॉय बनाम। राम चंदर सेन 47 यह देखा गया कि जबकि समर्पण एक सार्वजनिक मंदिर के लिए है, संस्थापक का परिवार इसे समाप्त नहीं कर सका, लेकिन "एक पारिवारिक मूर्ति के मामले में, पूरे परिवार की सर्वसम्मति (नवोदित) संपत्ति को दूसरी दिशा दे सकती है" और इसे बदल सकती है।

एक धर्मनिरपेक्ष संपत्ति।

25. इसके बाद, प्रमथ नाथ मलिक बनाम। प्रद्युम्न कुमार मलिक 48 न्यायिक समिति ने स्पष्ट किया कि संपत्ति को मूर्ति से दूर नहीं किया जा सकता है और मूर्ति के सांसारिक एजेंटों के माध्यम से उसकी सहमति के बिना अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।

देवता के संरक्षक, कानून में किसी भी चीज के लिए सहमति नहीं दे सकते हैं जो

यह स्वयं देवता के विलुप्त होने के बराबर हो सकता है।

| आई ए 52: आई. एल. आर. 2 कैल 233

एक 245 एयर 1925 पीसी 139 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

69. हाल ही में, एम. सिद्दीक 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एल. आर. बनाम महांत सुरेश दास और अन्य (राम) के माध्यम सेभूमि मंदिर मामला) 4 9 अन्य बातों के साथ-साथ, भूमिका और स्थिति के बारे में बताया गया है। इस मुद्दे पर निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह कहा गयाः

" 425. अदालतें एक हिंदू मूर्ति को वसीयतकर्ता के पवित्र उद्देश्य के भौतिक अवतार के रूप में मान्यता देती हैं। न्यायवादी व्यक्तित्व को स्वयंभू देवता को भी प्रदान किया जा सकता है जो प्रकृति में एक आत्म-अभिव्यक्ति है। एक मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है जिसमें संपन्न संपत्ति का अधिकार निहित होता है। मूर्ति को प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। संपत्ति केवल एक आदर्श अर्थ में मूर्ति में निहित होती है। मूर्ति को किसी मानव एजेंसी के माध्यम से कार्य करना चाहिए जो उसकी संपत्तियों का प्रबंधन करेगी, पूजा से जुड़े समारोहों के प्रदर्शन की व्यवस्था करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ मूर्ति की ओर से कार्यवाही करके दान की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। शेबेट वह मानव व्यक्ति है जो इस भूमिका का निर्वहन करता है।

..... 429. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शेबेट के रूप में मान्यता देना उनके मामलों के प्रबंधन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण सम्मान है।

देवता। एक शीबेट की स्थिति का एक आवश्यक सहायक, एक मूर्ति की ओर से कार्रवाई करने और उसे बांधने का अधिकार है और

परिणामों के लिए गुण। वह उद्देश्य जिसके लिए एक मूर्ति को धार्मिक उद्देश्य के भौतिक अवतार के रूप में कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है, मानव के कार्यों के माध्यम से संरक्षित और साकार किया जाता है। एजेंट, यानी, शेबेट। शीबेट को मूर्ति और उसकी संपत्तियों के संबंध में दाता के उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति और कर्तव्य सौंपा गया है। अधिकांश मामलों में, एक शेबेट को समर्पण विलेख की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा संपत्ति एक मूर्ति को दी जाती है। यह इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए है कि कानून या तो दाता या दान के विलेख में नामित व्यक्ति को शेबेट के रूप में मान्यता देता है। एक स्पष्ट रूप से नियुक्त या पहचाने गए शेबेट की अनुपस्थिति में, कानून ने एक वास्तविक शेबेट की मान्यता द्वारा मूर्ति की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। जहाँ कोई व्यक्ति देवता के मामलों के पूर्ण और निरंतर प्रबंधन के साथ-साथ निकटवर्ती संपत्ति के लंबे, अनन्य और निर्बाध कब्जे में है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को किसी संपत्ति की अनुपस्थिति के बावजूद एक भेड़िया के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

0) 1 एस. सी. सी. 1 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

एक शेबेट के अधिकारों के लिए कानूनी शीर्षक। निर्णय के दौरान इसका उल्लेख किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

434. उन कर्तव्यों के अलावा जिनका संबंध में निर्वहन किया जाना चाहिए

नवोदित संपत्ति में, एक शेबेट की रुचि हो सकती है नवोदित संपत्ति का उपयोग। इस दृष्टिकोण से, शेबैटशिप नहीं है

एक कार्यालय सरलीकरण, लेकिन के उद्देश्यों के लिए भी संपत्ति हैअवमूल्यन। इस न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई है

अंगुरबाला मलिक बनाम। देबब्रत मलिक 2 1. विवाद

उस मामले में यह था कि क्या अपीलार्थी, शेबेट की विधवा के रूप में, नाबालिग के बजाय मूर्ति के शेबेट के रूप में कार्य करने का हकदार था

अपनी पहली शादी से पैदा हुए शेबत का बेटा जो था

उत्तरदाता। यह तर्क दिया गया था कि शेबैटशिप का कार्यालय होगा

हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के अनुसार हस्तांतरण

अधिनियम, 1937। बी. के. मुखर्जी, जे. चार–न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे हैं

इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया और अभिनिर्धारित कियाः (अंगुरबाला

मलिक मामला 2 1 (ए. आई. आर. पी. 296, पैरा 11)।

" 11. ..... लेकिन हालांकि एक शेबेट एक प्रबंधक है और इसमें ट्रस्टी नहीं है।

तकनीकी अर्थ में, इसका वर्णन करना सही नहीं होगा

केवल एक कार्यालय के रूप में दासत्व। शेबेट के पास न केवल दान के संबंध में निर्वहन करने के कर्तव्य हैं, बल्कि उसके पास एक है

समिति ने उपरोक्त मामले में, लगभग ऐसे सभी मामलों में अवलोकन किया दानों के उपयोग में शेबेट का हिस्सा है

या प्रथा या उपयोग पर। यहां तक कि जहां कोई परिलब्धि नहीं हैशेबेट के कार्यालय से जुड़ा हुआ, वह किसी प्रकार का आनंद लेता है

कम से कम एक स्वामित्व अधिकार का चरित्र है। इस प्रकार, शेबैती की अवधारणा कार्यालय और संपत्ति, कर्तव्यों और व्यक्तिगत हित दोनों के तत्व मिश्रित और मिश्रित हैं।

एक साथ; और तत्वों में से एक को अलग नहीं किया जा सकता है

दूसरा। यह इस व्यक्तिगत या लाभकारी हित की उपस्थिति है।

उस संपन्न संपत्ति में जो उसके साथ स्वामित्व का निवेश करती है

प्रिवी काउंसिल द्वारा गणेश चंदर धुर बनाम में लिखा गया। लाल बिहारी धुर, 1936 एनएललाइन पीसी 53: (1935–36) 63 आई. ए. 448 और भाबतरीनी देवी बनाम। आशालता देवी, 1943 ऑनलाइन पीसी 1: (1942–43) 70 आई ए 57 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वामित्व अधिकारों का चरित्र और इसे संपत्ति की कानूनी घटनाओं से जोड़ता है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक शेबेट का नवोदित संपत्ति के लाभ में लाभकारी हित होता है। यह लाभकारी ब्याज स्वामित्व अधिकार के रूप में है। हालाँकि शेबेट की भूमिका मूर्ति के लिए कुछ कर्तव्यों के प्रदर्शन पर आधारित है।

और लाभ प्रासंगिक हैं, न ही दूसरे से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार, कार्यालय और संपत्ति दोनों का मिश्रण होता है।

शेबेटशिप, एक शेबेट का व्यक्तिगत हित

अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित। 51 ″

70. हालाँकि रिलायंस को तिलकायत श्री गोविंदलालजी में इस अदालत के फैसले पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता द्वारा रखा गया था।

महाराज वी. राजस्थान राज्य और अन्य ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब प्रबंधक द्वारा कोई परिलब्धि नहीं ली जा रही थी, तो नवोदित संपत्ति के प्रबंधन का मात्र अधिकार इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 (2) के तहत संरक्षित नहीं पाया गया था। इस न्यायालय ने गजेंद्रगडकर, जे. (के माध्यम से बोलते हुए)

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा था):

" नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी का मंदिर इस देश के हिंदू मंदिरों में बहुत उच्च स्थान रखता है और सामान्य रूप से हिंदू और वैष्णव इसे बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। विशेष रूप से वल्लभ के अनुयायी। अन्य प्राचीन पूज्य हिंदू मंदिरों की तरह, नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर के मामले में, पौराणिक कथाओं ने नाथद्वारा में इसके निर्माण की उत्पत्ति के बारे में एक आकर्षक जाल बुना है। इसका कुछ हिस्सा इतिहास हो सकता है और कुछ हिस्सा काल्पनिक हो सकता है, लेकिन कहानी यहाँ से ली गई है।

भक्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी और उन सभी द्वारा विश्वास किया जाता है

सच होना।

यह सवाल कि हिंदू मंदिर निजी है या सार्वजनिक, अक्सर न्यायिक निर्णय द्वारा विचार किया गया है। एक परिवार से संबंधित एक मंदिर जो एक निजी मंदिर है, हिंदू कानून के लिए अज्ञात नहीं है।

एक निजी मंदिर के मामले में यह भी संभावना नहीं है कि संस्थापक की धार्मिक प्रतिष्ठा इतनी उच्च क्रम की हो कि

51 बद्री नाथ बनाम में पुष्टि की गई। पुन्न, (1979) 3 एस. सी. सी. 71: प्रोफुल्ला चोरोन रिक्विटे वी। सत्य चोरोन रिक्विटे, (1979) 3 एस. सी. सी. 409

52 (1964) 1 एस. सी. आर. 561 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उनके द्वारा स्थापित निजी मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित कर सकता है और केवल यह तथ्य कि बड़ी संख्या में भक्तों को मंदिर में पूजा करने की अनुमति है, जरूरी नहीं कि निजी मंदिर को एक सार्वजनिक मंदिर बना दे। दूसरी ओर, एक सार्वजनिक मंदिर का निर्माण जनता द्वारा की गई सदस्यता और जनता के सभी सदस्यों को पूजा करने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित एक देवता द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मंदिर स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक मंदिर होगा। जहाँ मंदिर की नींव के संबंध में साक्ष्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, वहाँ कभी-कभी न्यायिक निर्णय कुछ अन्य तथ्यों पर निर्भर करते हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। क्या मंदिर इतने प्रभावशाली तरीके से बनाया गया है कि यह प्रथम दृष्टया एक सार्वजनिक मंदिर प्रतीत हो सकता है?

मंदिर की उपस्थिति निश्चित रूप से निर्णायक नहीं हो सकती है।

कारक; सबसे अच्छा यह एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। क्या जनता के सदस्य मंदिर में प्रवेश करने के हकदार हैं? क्या वे मंदिर में सेवा करने और दर्शन करने में भाग लेने के हकदार हैं? क्या जनता के सदस्य मंदिर में आयोजित त्योहारों और समारोहों में भाग लेने के हकदार हैं? क्या उनके प्रस्ताव हैं?

अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया? मंदिर में दर्शन में और दैनिक पूजा के कार्यों में या त्योहार के अवसरों के उत्सव में जनता की भागीदारी मंदिर के चरित्र को निर्धारित करने में विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

मंदिर।

..... यदि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, तो हिंदू कानून के तहत श्रीनाथजी की मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है और इसलिए, मंदिर का स्वामित्व और मूर्ति के सामने किए गए प्रसाद सहित इसके सभी दान मूर्ति की संपत्ति हैं। यह हमें इस सवाल पर ले जाता है कि मंदिर की संपत्ति के संबंध में तिलकायत के अधिकारों की प्रकृति और विस्तार क्या है। यह स्पष्ट है कि तिलकायत ने कभी भी मंदिर की संपत्ति से होने वाली किसी भी आय का उपयोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों या निजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया। यह सच है कि विद्वान महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि बड़ी संख्या में वर्षों तक फैले इस निरंतर आचरण का परिणाम यह था कि उन्होंने

तिलकायतों की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी और तिलकायत के दृष्टिकोण से आत्म-त्याग के रूप में वर्णित, इसे इसलिए माना जा सकता है क्योंकि तिलकायत ने सोचा और दावा किया कि मंदिर और उनकी संपत्तियां मिलकर उनकी निजी संपत्ति हैं। लेकिन एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इससे संबंधित संपत्तियाँ उस मंदिर की संपत्तियाँ हैं जिन पर तिलकायत का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि लंबे समय के दौरान

वर्तमान मामले में मद्रास 1 2 की कमी है। तिलकायत जो दावा कर सकता है वह केवल संपत्ति का प्रबंधन करने, उचित तरीके से संपत्तियों के संबंध में पट्टा बनाने और सैद्धांतिक अधिकार है। मंदिर के उद्देश्य के लिए संपत्ति को अलग करने का अधिकार; और यह ध्यान दिया जाए कि इन अधिकारों का प्रयोग तिलकायत द्वारा उदयपुर के दरबार की पूर्ण और सख्त देखरेख में किया जा सकता था। अब, मंदिर से संबंधित संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार, या मंदिर की ओर से संपत्ति का पट्टा बनाने का अधिकार, या दरबार की देखरेख में मंदिर के उद्देश्य के लिए संपत्ति को अलग करने का अधिकार, हमारी राय में, आम तौर पर महंत या यहां तक कि शेबत के पास मौजूद शक्तियों की समग्रता के बराबर नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

मान लें कि अधिकारों के चरित्र और विस्तार को ध्यान में रखते हुए जिनका तिलकायत द्वारा वैध रूप से दावा किया जा सकता है

इस आधार पर कि वह फरमान की शर्तों द्वारा शासित एक महांत था, अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत संपत्ति का अधिकार या अनुच्छेद 31 (2) के तहत संपत्ति का गठन करता है।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि भले ही यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि ये अधिकार संपत्ति रखने का अधिकार हैं, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा उनका विनियमन निस्संदेह कला द्वारा संरक्षित होगा। 19 (5) . मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और विधायिका ने जो करना चाहा है वह मंदिर की संपत्तियों के

प्रशासन को विनियमित करना है जिसके बोर्ड में तिलकायत सदस्य हैं और होना भी चाहिए। तिलकायत के स्वामित्व वाली बड़ी संपत्ति को ध्यान में रखते हुए और दिन-प्रतिदिन लाखों भक्तों द्वारा मंदिर को किए गए प्रसाद की बहुत व्यापक सीमा को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने उचित प्रशासन प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से न्यायसंगत था। मंदिर की संपत्तियाँ। अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. होना चाहिए।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

इसलिए, उचित और हित में माना जाएआम जनता "।

71. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को विचार करने के लिए कहा गया था

नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 13) को चुनौती देने के संदर्भ में, इस आधार पर कि उक्त अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च), 25 (1), 26 (ख) और (ग) और 31 (2) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन किया है। चुनौती के तहत अधिनियम, अधिनियमित

राज्य द्वारा, प्रबंधन को बदलने की मांग की गई थी जो पहले तिलकायत के हाथों में था। तथ्यों पर, यह देखा गया कि उसमें याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर, 1934 को उदयपुर के राणा द्वारा जारी एक फरमान के तहत तिलकायत (मंदिर का प्रबंधक) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि उदयपुर दरबार को यह पर्यवेक्षण करने का पूर्ण अधिकार था कि मंदिर को समर्पित संपत्ति का उपयोग वैध उद्देश्य के लिए किया गया था और

मंदिर के प्रबंधन के लिए कोई भी उपाय करना। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि फरमान एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा उक्त मंदिर के मामलों और तिलकायत के पद के उत्तराधिकार को इसके जारी होने के बाद नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद इस न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" में प्रयुक्त असंदिग्ध और जोरदार शब्दों को ध्यान में रखते हुए

इसके शेष खंडों में निहित, हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं किइस फरमान ने तिलकायत को कुछ समय के लिए अभिरक्षक बनाया,

प्रबंधक और ट्रस्टी, और कुछ नहीं। संरक्षक के रूप में या प्रबंधक, उसे मंदिर की संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार था,

बेशक, दरबार के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन,

उस ओर से दरबार का अधिकार निरपेक्ष है। वह भी एक

उक्त संपत्ति का न्यासी और संदर्भ में "न्यासी" शब्द तकनीकी कानूनी अर्थों में इसका अर्थ ट्रस्टी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह

तिलकायत यह दावा करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पास एक महांत का अधिकार है

या एक शेबत; उसके अधिकार अब परिभाषित हैं और वह किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है

फरमान जारी होने के बाद उच्च अधिकार "।

(जोर दिया गया)

इस निष्कर्ष की पृष्ठभूमि में कि तिलकायत दावा नहीं कर सकता था

महांत या शेबत के अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अधिनियम ने संविधान के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया है।

दूसरी ओर, संबंधित निर्णयों पर विचार करने के बाद

इस बिंदु पर, अंगुरबाला मलिक 2 1 में, इस न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां भी शेबेट के कार्यालय से कोई परिलब्धि संलग्न नहीं है, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह नवोदित संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार या हित प्राप्त करता है जिसका आंशिक रूप से स्वामित्व अधिकार होता है। शिरूर मठ मामला 1 2 में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में अंगुरबाला मलिक 2 1 में निर्णय को अनुमोदन के साथ भेजा गया था। एम. सिद्दीक (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) 4 9 49 में संविधान पीठ के हालिया फैसले में, अंगुरबाला मलिक 2 1 के संबंधित भाग को भी पैराग्राफ 434 में उद्धृत किया गया था।

परिसर में, हमारे विचार में, केवल इस तथ्य से कि शेबत के कार्यालय के साथ कोई परिलब्धि संलग्न नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा

शेबत के अधिकार और हित का चरित्र। यद्यपि यह निष्कर्ष ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर आधारित है, फिर भी माननीय द्वारा संपादित पुस्तक "द हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंडॉवमेंट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स" के चौथे संस्करण के पैरा 5.5 का भी उल्लेख किया जा सकता है। पी. बी. गजेंद्रगडकर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो इसी दिशा में इशारा करते हैं। 72. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट निर्णयों की लंबी कतार से उभरने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(i) हिंदू कानून के अनुसार, जब ठाकुर की पूजा की स्थापना की जाती है, तो शेबैटशिप को संस्थापक के उत्तराधिकारियों में निहित माना जाता है, इस सबूत के अभाव में कि उसने इसे अन्यथा निपटाया है, या कुछ उपयोग, व्यवहार का तरीका, या

हस्तांतरण का एक अलग तरीका दिखाने के लिए कुछ परिस्थितियाँ।

(गोसामी श्री ग्रीधारीजी बनाम रूमनलोलजी

गोसामी 24)

((ii) जब तक कि संस्थापक ने किसी भी मामले में शेबैटशिप का निपटारा नहीं किया है। विशेष तरीके से–और स्वभाव का यह अधिकार संस्थापक में निहित है–या सिवाय इसके कि जब एक अलग प्रकृति का उपयोग या प्रथा मौजूद साबित होती है, तो वंशानुगत संपत्ति की किसी भी अन्य प्रजाति की तरह शेबैटशिप संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करती है।

(अंगुरबाला मलिक बनाम देबब्रत मलिक 21)

(iii) शेबत के कानूनी चरित्र को सटीकता और सटीकता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर वर्णित, वह मानव मंत्री और मूर्ति के संरक्षक हैं, इसके सांसारिक प्रवक्ता, इसके

इसके सभी अस्थायी मामलों से निपटने और इसकी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि। जहां तक शुरुआत करने वाले के प्रशासन का संबंध है, उसकी स्थिति एक ट्रस्टी के समान है; फिर भी, वह अंग्रेजी अर्थ में एक ट्रस्टी, श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर के पद पर सटीक रूप से नहीं है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

क्योंकि हिंदू कानून के तहत, एक मूर्ति को पूरी तरह से समर्पित संपत्ति, मूर्ति में निहित होती है, न कि भेड़ में। (प्रोफुल्ला चोरोन रिक्विटे वी। सत्य चोरोन रिक्विटे20)

(iv) अपनी वास्तविक कानूनी अवधारणा में शेबैटशिप में दो विचार शामिल हैंः देवता और उसके प्रबंधक का मंत्री; यह एक खाली पद नहीं है, बल्कि एक ऐसा पद है जिससे कुछ अधिकार जुड़े हुए हैं। (मनोहर मुखर्जी बनाम भूपेंद्र नाथ मुखर्जी और 0rs.30)

(v) गणेश बनाम लाल बिहारी 3 में निर्णयों का प्रभाव

बाबा तारिणी देवी बनाम आशा लता देवी "जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने बाद के मामले में बताया, शेबैती अधिकार में स्वामित्व तत्व पर जोर देना और यह दिखाना था कि हालांकि कुछ मामलों में विसंगति है, लेकिन यह एक विसंगति थी जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसे हिंदू कानून में शुरुआती तारीख से ही स्वीकार किया गया था। (द.आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी)

(vi) इसका निपटारा न्यायिक समिति की घोषणा द्वारा किया जाता है।

विद्या वरुति बनाम। बालुसामी ने कहा कि नवोदित संपत्ति के संबंध में शेबैट का संबंध अंग्रेजी कानून के तहत संपत्ति पर भरोसा करने के लिए ट्रस्टी का नहीं है। (अंगुरबाला मलिक बनाम देबब्रत

किसी संस्थान से जुड़े दान उसके निपटान और प्रशासन की बड़ी शक्तियों और उसके सृजन के अधिकार में प्रकट होते हैं। संपन्न संपत्तियों के संबंध में व्युत्पन्न कार्यकाल; और ये और समान चरित्र के अन्य अधिकार महांत के कार्यालय को स्वामित्व अधिकार के चरित्र के साथ निवेश करते हैं जो, हालांकि

कुछ हद तक विसंगत, अभी भी एक वास्तविक कानूनी अधिकार है। (आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीअर

(ix) यहां तक कि जहां शेबत के कार्यालय से कोई परिलब्धियां जुड़ी नहीं हैं, उसे संपन्न संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार या हित प्राप्त है जो कम से कम आंशिक रूप से स्वामित्व अधिकार का चरित्र रखता है। इस प्रकार, शेबत की अवधारणा में पद और संपत्ति, कर्तव्यों और व्यक्तिगत हित दोनों के तत्व मिश्रित और मिश्रित हैं; और तत्वों में से एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह संपन्न संपत्ति में इस व्यक्तिगत या लाभकारी हित की उपस्थिति है जो स्वामित्व अधिकारों के चरित्र के साथ शेबेटशिप का निवेश करती है और इसे कानूनी रूप से जोड़ती है।

संपत्ति की घटनाएँ। (अंगुरबाला मलिक बनाम देबब्रत मलिक 2 1)

(x) मठ या धार्मिक संस्थानों के महांत के उत्तराधिकार को विशेष संस्थान की प्रथा या उपयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, सिवाय इसके कि उत्तराधिकार का नियम स्वयं संस्थापक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसने बंदोबस्ती का निर्माण किया था। (सीतल दास बनाम संत राम और

अन्य 4 3)

(xi) प्रथा का नियम सभी मामलों में प्रबल होना चाहिए और यदि किसी भी विचलन को ठीक करना है तो इस तरह के सुधार हमें प्रथा के नियम को फिर से स्थापित करने की दिशा में ले जाने चाहिए। (परम पूज्य दिग्य दर्शन राजेंद्र राम डोस बनाम। देवेंद्र डॉस 45)

(xii) उत्तराधिकार का नया नियम निर्धारित करना या उत्तराधिकार के नियम को पूरी तरह से बदलना न्यायालय के लिए खुला नहीं है। (परमपवित्र दिग्विजय

दर्शन राजेंद्र राम डोस बनाम। देवेंद्र डॉस 45) (xiii) एक स्पष्ट रूप से नियुक्त या पहचाने गए शेबैत की अनुपस्थिति में, कानून ने एक वास्तविक शेबैत की मान्यता द्वारा मूर्ति की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। (एम. सिद्दीक के माध्यम से एल. आर. बनाम महांत सुरेश दास और अन्य (राम जन्मभूमि मंदिर)

मामला) 4 9

73. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जब मूर्ति स्थापित की जाती है और मंदिर का निर्माण किया जाता है या एक दान की स्थापना की जाती है, तो संरक्षकता है

संस्थापक में निहित और जब तक कि संस्थापक ने स्वयं किसी विशेष तरीके से संरक्षकता का निपटान नहीं किया है या हस्तांतरण का कोई अलग तरीका दिखाने वाली कोई उपयोग या प्रथा या परिस्थितियां नहीं हैं, तब तक संरक्षकता किसी भी अन्य वंशानुगत संपत्ति की तरह संस्थापक से विरासत की रेखा का पालन करती है और यह उत्तराधिकार का एक नया नियम निर्धारित करने या उत्तराधिकार के नियम को बदलने के लिए न्यायालय के लिए खुला नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया है कि दासत्व में कार्यालय और संपत्ति के तत्व हैं, कर्तव्यों के श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

और व्यक्तिगत हित एक साथ मिश्रित हो जाते हैं और वे स्वामित्व अधिकार के चरित्र के साथ शेबेट के कार्यालय का निवेश करते हैं। यह आगे निर्धारित किया गया है कि शेबेट मूर्ति का संरक्षक है, जो इसके सांसारिक प्रवक्ता हैं।

और मानव मंत्री; लौकिक मामलों से निपटने और मूर्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने का हकदार है; और यहां तक कि जहां कोई परिलब्धि नहीं है शेबेट के कार्यालय से जुड़े होते हैं, उसे संपन्न संपत्ति में अधिकार या हित होता है जिसमें स्वामित्व अधिकार की विशेषताएँ होती हैं।

यदि तत्काल मामले को इन तय किए गए सिद्धांतों की कसौटी पर माना जाए, तो यह स्पष्ट है कि वर्ष में हुई बड़ी आग के बाद 1686 , मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और त्रावणकोर के राजा श्री मार्तंड वर्मा द्वारा एक नई मूर्ति स्थापित की गई थी और तब से जिस दिन वाचा पर हस्ताक्षर किए गए थे, मंदिर का प्रबंधन हमेशा त्रावणकोर के राजाओं के पास रहा है। शेबेटशिप या प्रबंधन

त्रावणकोर के शाही परिवार से आने वाले बाद के राजाओं को मंदिर का अधिकार दिया गया। यह श्रृंखला तत्कालीन शासक तक अखंड थी।

त्रावणकोर ने मई 1949 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि 10.08.1947 पर शासक द्वारा एक घोषणा जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि शासन के उत्तराधिकार के मामलों में और

सिंहासन तक और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए, शाही परिवार शासित थामरुमक्कथयम कानून द्वारा, जैसा कि शाही परिवार की प्रथा और उपयोग द्वारा संशोधित किया गया था। त्रावणकोर के शासक की कुछ संपत्तियों के उत्तराधिकार के मुद्दों को उठाने वाले मामले में, यह न्यायालय रेवथिन्नाल में

बालगोपाल वर्मा ने पाया था कि शाही परिवार में हस्तांतरण शासक से शासक तक था। राजपरिवार पर अन्यथा लागू उत्तराधिकार के सिद्धांतों के अनुरूप मंदिर का शासन भी शासक से शासक के पास चला गया था।

74. इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जिस दिन त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक द्वारा वाचा में प्रवेश किया गया था,

आम तौर पर शासन का पालन करने वाली अन्य घटनाओं के अलावा, वह मंदिर के शेबैट का पद संभाल रहा था और मूल संस्थापक से खोजे गए क्रमिक शेबैट की एक निरंतर और अखंड रेखा का प्रतिनिधित्व कर रहा था; और

मंदिर का शेबैट होने के नाते, उसके पास सभी अधिकार और हित थे जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों द्वारा निर्धारित किया गया था।

75. सवाल अभी भी बने हुए हैं कि क्या मंदिर के शेबैटशिप का कार्यालय विशुद्ध रूप से अपनी क्षमता में शासक के कर्तव्यों का हिस्सा था

एक शासक, और कहा कि पद उनके शासन की एक घटना थी, या ऐसा पद शासन से पूरी तरह से असंबंधित और स्वतंत्र था।

अगले खंड में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों के साथ प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा।

बी] मई में प्रवेश की गई वाचा का प्रभाव

1949

76. वाचा, जिसके प्रासंगिक भाग पैराग्राफ में उद्धृत किए गए हैं

ए) अनुच्छेद III के संदर्भ में, नियत दिन से, दोनों में से किसी एक के "शासक" से संबंधित सभी अधिकार, अधिकार और अधिकार क्षेत्र। संविदाकारी राज्य जो संबंधित राज्यों की सरकार से संबंधित या आनुषंगिक थे, संयुक्त राज्य में निहित थे। इसी तरह, किसी भी वाचा के "शासक" के सभी कर्तव्य और दायित्व

उस राज्य की सरकार से संबंधित या आनुषंगिक राज्य संयुक्त राज्य को हस्तांतरित किए गए जिन्हें अब संयुक्त राज्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

इस प्रकार, उस राज्य की सरकार से संबंधित या उससे संबंधित संविदाकारी राज्यों में से किसी एक के शासकों के सभी कार्य निहित थे यासंयुक्त राज्य में विभाजित।

बी) अनुच्छेद IV के संदर्भ में त्रावणकोर का वर्तमान शासक संयुक्त राज्य के लिए राजप्रमुख होगा और इस अवधि के दौरान इस पद पर रहेगा।

उसका जीवनकाल "। अनुच्छेद V। के संदर्भ में, संयुक्त राज्य के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग राजप्रमुख द्वारा उक्त अनुच्छेद में कुछ शर्तों के अधीन किया जाएगा; अनुच्छेद VII के अनुसार, राजप्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से निर्देशित होंगे; जबकि अनुच्छेद X के संदर्भ में, संयुक्त राज्य के विधानमंडल में राजप्रमुख और विधान सभा शामिल होंगे। अनुच्छेद IX ने तब राजप्रमुख को संयुक्त राज्य की ओर से विलय के एक दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए बाध्य किया।भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार। अनुच्छेद XX। के संदर्भ में, हालांकि, त्रावणकोर और कोच्चि के शासकों के पास मृत्युदंड के निलंबन, माफी या लघुकरण की अपनी "वर्तमान शक्तियों" का प्रयोग करना जारी रहेगा।

इस प्रकार, नियत दिन या वाचा के प्रभावी होने पर, संयुक्त राज्य के राजप्रमुख की एक नई भूमिका या क्षमता थी

त्रावणकोर के तत्कालीन शासक द्वारा ग्रहण किया गया। ऐसी किसी भूमिका पर विचार नहीं किया गया था। कोचीन के तत्कालीन शासक के लिए। संबंधित वाचा राज्यों के शासकों या प्रमुखों के रूप में उनकी पहले की क्षमताएं इस प्रकार समाप्त हो गईं, सिवाय इसके कि अनुच्छेद XXI में क्या कहा गया था, जहां वे अभी भी श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर का प्रयोग कर सकते थे।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

मृत्युदंड के निलंबन, छूट या लघुकरण की उनकी "वर्तमान शक्तियाँ"। हालांकि, राजप्रमुख के रूप में, त्रावणकोर के तत्कालीन शासक के पास संयुक्त राज्य पर कार्यकारी अधिकार होगा, जिसमें पूर्ववर्ती कोचि राज्य के क्षेत्र शामिल होंगे, उनकी शक्तियां, अनुच्छेद XXI के संदर्भ में, पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य के क्षेत्रों तक ही सीमित थीं, जबकि कोचि के तत्कालीन शासक, जिन्हें संयुक्त राज्य में कोई कार्य नहीं दिया गया था, के पास पूर्ववर्ती कोचि राज्य के क्षेत्रों में अनुच्छेद XXI के तहत "वर्तमान शक्तियों" का प्रयोग करना जारी रहेगा। ग) अनुच्छेद XIV प्रत्येक वाचा राज्य के शासक को संयुक्त राज्य के राजस्व से प्रिवी पर्स प्राप्त करने का हकदार बनाता है। जहां तक त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक का संबंध है, अधिकार "वर्तमान शासक" तक ही सीमित था, न कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए। अनुच्छेद XV के संदर्भ में, प्रत्येक करार करने वाले राज्य का शासक सभी निजी संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा। अनुच्छेद XVI के अनुसार, प्रत्येक वाचा राज्य का शासक, और उसके परिवार के सदस्य भी, 15.08.1947 से तुरंत पहले, उनके द्वारा प्राप्त सभी व्यक्तिगत विशेषाधिकारों, गरिमाओं और उपाधियों के हकदार होंगे। अनुच्छेद XVII ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक वाचा राज्य के गद्दी का उत्तराधिकार और व्यक्तिगत

(घ) अनुच्छेद VIII वर्तमान उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। उप-अनुच्छेद 'क' के संदर्भ में, अपने सामान्य राजस्व से योगदान करने के लिए त्रावणकोर के करार राज्य का दायित्वइस करार के बाद देवस्वम बोर्ड को हर साल 1 लाख रुपये और श्री पंडरवाग को हर साल 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

संयुक्त राज्य का दायित्व। उप-अनुच्छेद 'ख' के संदर्भ में, मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों और निधियों का प्रशासन अब त्रावणकोर राज्य के शासक के न्यास में निहित है और उप-अनुच्छेद 'क' के संदर्भ में हस्तांतरित 1 लाख रुपये की राशि और मंदिर के खर्च के लिए हर साल योगदान किए गए 5 लाख रुपये का संचालन किया जाएगा। त्रावणकोर के शासक [2020] 9 एस. सी. आर. के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन

उसके द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा। उप-अनुच्छेद 'ग' के संदर्भ में, निगमित और गैर-निगमित देवस्वम और हिंदू धार्मिक संस्थानों और बंदोबस्ती का प्रशासन और उनकी सभी संपत्तियां और धन जो त्रावणकोर करार राज्य के शासक के प्रबंधन के तहत थे, हस्तांतरित और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में निहित होंगे। इसने आगे उप अनुच्छेद 'ए' में निर्धारित Rs.50 लाख के योगदान के विभाजन के तरीके से निपटा। उप-अनुच्छेद 'घ' के संदर्भ में, निगमित और अनिगमित देवस्वम और हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रशासन जो राज्य के शासक के प्रबंधन में थे।

हालांकि, "कोचि के शासक" दो मंदिरों के संबंध में सभी अनुष्ठानों और समारोहों के विनियमन और नियंत्रण का प्रयोग करना जारी रखेंगे। परंतुक में उल्लिखित। इसके बाद उप-अनुच्छेद 'ई' और 'एफ' में संबंधित देवस्वम बोर्डों की रचनाओं पर चर्चा की गई।

77. अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है "जो अब त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक में विश्वास में निहित है" और

जिस दिन वाचा में प्रवेश किया गया था, उस दिन मंदिर के शेबत के रूप में "शासक" की मान्यता प्राप्त स्थिति पर जोर देने के लिए अभिलेख पर अन्य सामग्री के साथ ट्रस्ट। उन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए उप-अनुच्छेद के उत्तरार्ध पर भी भरोसा किया कि ऐसी स्थिति अप्रभावित रही और निश्चित रूप से इसे जारी रखने का इरादा था। दूसरी ओर, राज्य और निजी उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियों ने इस बात पर जोर देने की मांग की कि

"शासक" के रूप में उनकी स्थिति "शासक" के पक्ष में थी।

78. करार के अनुसार, जहां तक संप्रभु शक्ति के हस्तांतरण और उससे जुड़े सभी आनुषंगिक पहलुओं का संबंध था, श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक दो चरणों में शामिल थे। पहले चरण के तहत, त्रावणकोर के करार राज्य के प्रमुख के रूप में उनकी क्षमता में उनसे स्थानांतरण पर विचार किया गया था।

संयुक्त राज्य का पक्ष और राजप्रमुख के रूप में दूसरे चरण के तहत

संयुक्त राज्य के वह अनुच्छेद IX के संदर्भ में विलय के एक दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए बाध्य थे। वाचा के संदर्भ में नियत दिन से उनकी त्रावणकोर राज्य के प्रमुख के रूप में भूमिका समाप्त हो गई और वे संयुक्त राज्य के राजप्रमुख बन गए, जिसमें अनुच्छेद VI, VII और X के आधार पर कुछ शक्तियां और अधिकार निहित हो गए। सैद्धांतिक रूप से, राजप्रमुख के रूप में, उन्हें संयुक्त राज्य के पूरे क्षेत्र के संबंध में मौत की सजा के निलंबन, माफी या कम करने की शक्तियां भी निहित की जा सकती थीं, लेकिन इरादा कोचि राज्य के पूर्व शासक में ऐसी शक्तियों को बनाए रखना था, जिनकी संयुक्त राज्य के संबंध में नई व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं थी और इस कारण से, अनुच्छेद XXI ने "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। यह तथ्य कि यह एक प्रस्थान था और सामान्य तंत्र के अपवाद के रूप में "कुछ भी होने के बावजूद" अभिव्यक्ति से स्पष्ट है। इस वाचा के पूर्ववर्ती

प्रावधानों में निहित "। इसलिए, वाचा के पहले के अनुच्छेदों की व्यापकता के बावजूद, केवल अनुच्छेद XXI में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, "त्रावणकोर के शासक" के पास वे शक्तियां बनी रहीं जो उन्हें वाचा के प्रभाव में आने से पहले त्रावणकोर राज्य के प्रमुख के रूप में प्राप्त थीं। इस प्रकार, जहां भी वाचा चाहती थी कि वह कुछ शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखे जो त्रावणकोर राज्य के प्रमुख के रूप में उनमें निहित या निहित थीं, वाचा ने एक स्पष्ट अपवाद बनाया और ऐसा निर्धारित किया।

79. तब अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्ध में "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होगा, इस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद XXI था। शेष अनुच्छेदों में "वाचा राज्य के शासक" और त्रावणकोर के शासक या "कोचि के शासक" के रूप में संदर्भ केवल संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में थे, न कि शासक के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता के संदर्भ में या उसके कारण। यह अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'डी' के प्रावधान द्वारा मजबूत हो जाता है, जिसके संदर्भ में "कोचि का शासक" अभ्यास करना जारी रखेगा।कुछ में अनुष्ठानों और समारोहों के संबंध में विनियमन और नियंत्रण [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंदिर। वाचा के लागू होने पर, उन्होंने पूर्ववर्ती कोचि राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता खो दी थी। इस प्रकार, उनमें उक्त परंतुक के तहत शक्तियों को बनाए रखना इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास कोई अधिकारी था

बी) इसके अलावा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मंदिर के साथ शाही परिवार का जुड़ाव और समय-समय पर शासकों की एक क्रमिक पंक्ति द्वारा आयोजित शेबैटशिप की प्रकृति ऐसी थी कि वाचा ने मंदिर के मामलों के प्रबंधन को योजनाबद्ध रूप से अनुमति दी। शाही परिवार, और त्रावणकोर के शासक के हाथों में, मुख्य रूप से क्योंकि राज्य के पूर्व प्रमुख के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता या स्थिति का स्पष्ट रूप से मंदिर के शेबत के रूप में क्षमता से कोई लेना-देना नहीं था।

जैसा कि पहले के खंड में चर्चा की गई थी, शेबेटशिप हमेशा थी

शाही परिवार में और शासक ने शेबैट्स की अखंड रेखा का प्रतिनिधित्व किया। श्री वी. पी. मेनन द्वारा लिखित पुस्तक के अंश न केवल मंदिर और श्री पद्मनाभस्वामी के प्रति शासक परिवार के लगाव और समर्पण की गहरी भावना का संकेत देते हैं, बल्कि इस संबंध में कुछ प्रतिबिंब भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र में भी देखा जा सकता है, जिसे शुरू में जुलाई 1948 में तैयार किया गया था और मार्च 1950 में भारत सरकार, राज्य मंत्रालय द्वारा अद्यतन किया गया था। इसने पैराग्राफ 139 से 145 में त्रावणकोर और कोचि के संयुक्त राज्य के बारे में बताया। पैराग्राफ 141 और 142 में देवस्वम-हिंदू मंदिरों और दोनों राज्यों में उनसे जुड़ी संपत्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें श्री पद्मनाभस्वामी का मंदिर भी शामिल हैः

" 141. वाचा की विशेष विशेषताओं में से एक देवस्वम–हिंदू मंदिरों–और दोनों राज्यों में उनसे जुड़ी संपत्ति के संबंध में व्यवस्था है, जिसमें त्रावणकोर के शासक परिवार के संरक्षक देवता श्री पद्मनाभस्वामी का मंदिर भी शामिल है। अकेले त्रावणकोर में, इस महत्वपूर्ण मंदिर के अलावा, जिसके रखरखाव पर राज्य खर्च कर रहा थाप्रति वर्ष 10 लाख रुपये की लागत से, 348 प्रमुख देवस्वम और 1123 छोटे देवस्वम हैं। इन देवस्वोमों से जुड़ी संपत्तियों से राज्य को भारी राजस्व प्राप्त होता है और श्री मार्तंड वर्मा (डी) टीएचआर के रखरखाव के लिए राज्य द्वारा प्रावधान किया गया था।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

देवस्वोम, समय–समय पर, अलग–अलग आंकड़ों में। राज्य में हिंदू राय सर्वसम्मत थी कि न केवल रखरखाव के लिए मौजूदा आवंटन का निरंतर भुगतान किया जाना चाहिए

बीस करोड़। इस वाचा में अब एक लाख रुपये के निश्चित योगदान का प्रावधान है। देवस्वोमों के रखरखाव के लिए 51 लाख त्रावणकोर जिसमें से Rs.600,000 की राशि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के रखरखाव के लिए योगदान की जानी है।

142. पिछली प्रथा से सबसे महत्वपूर्ण विचलन, जो देवस्वम के संबंध में वाचा के प्रावधानों में शामिल है, यह है कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के मामले को छोड़कर, जिसके प्रबंधन में शासक को एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, देवस्वम का प्रशासन इन राज्यों में स्थापित किए जाने वाले दो बोर्डों में निहित होगा, जिन पर न केवल रूढ़िवादी हिंदू बल्कि हरिजनों का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यह एक दूरगामी मंदिर सुधार का परिचय देता है जिसमें वाचा में निर्धारित व्यवस्था के तहत हरिजन मंदिरों के नियंत्रण और देवस्वम में नियुक्तियों दोनों में एक हिस्सा हासिल करेंगे।

विभाग, एक ऐसी स्थिति जिससे उन्हें अब तक इनकार था।

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्वेत पत्र ने आम तौर पर कहा था

भारतीय राज्यों के विभिन्न शासकों द्वारा किए गए ऐसे सभी अनुबंधों में से और श्री पद्मनाभस्वामी के मंदिर को छोड़कर, विशेष रूप से उस अनुबंध में वर्णित किया गया था जिसके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं, ऐसे किसी भी भारतीय राज्य में किसी अन्य मंदिर के साथ इस तरह से और अलग से व्यवहार नहीं किया गया था। इस मायने में, एनेंट के अनुच्छेद VIII में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं।ग) श्वेत पत्र में यह भी बताया गया है कि ग्वालियर, इंदौर और मध्य भारत के कुछ अन्य राज्यों के शासकों द्वारा संयुक्त मध्य भारत का गठन किया गया था जो उप–अनुच्छेद (2) में है।

अनुच्छेद VII में प्रावधान किया गया हैः

" (2) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले किसी भी निर्देश या निर्देश के अधीन,

प्राधिकरण–[2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) किसी भी देश की शांति और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाना।

अनुसूचित क्षेत्र,

(ख) सैन्य बलों को बढ़ाना, बनाए रखना और उनका प्रशासन करना।

संयुक्त राज्य अमेरिका औरग्वालियर में गंगाजली निधि के रूप में जानी जाने वाली निधि के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और किसी अन्य संविदाकारी राज्य में इसी तरह की किसी भी अन्य मौजूदा निधि के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए।

राज प्रमुख में विशेष रूप से निहित होगा "

गंगाजली के नाम से जानी जाने वाली निधि का नियंत्रण और प्रशासन

इस प्रकार किसी अन्य करार वाले राज्य में समान चरित्र की निधि और किसी अन्य मौजूदा निधि का विशेष रूप से राज प्रमुख में निहित होना। श्वेत पत्र ने पैराग्राफ 159 (iv) में गंगाजली फंड का वर्णन इस प्रकार किया हैः

" ((iv) गंगाजली कोष। – यह कोष, जिसके पास एक कोष है

Rs.16,237,000/– को सिंधियाओं द्वारा अकाल जैसे गंभीर आपातकाल के दौरान उपयोग के लिए एक विशेष आरक्षित निधि के रूप में बनाया गया था। ग्वालियर के महाराजा ने इस कोष को जनता के लिए उपलब्ध कराया है।

लाभ होता है। से किसी भी निर्देश या निर्देश के अधीन

भारत सरकार, कोष को नियंत्रित करने और प्रशासित करने का अधिकार मध्य भारत के राजप्रमुख में निहित है।

वनाच्छादित अनुच्छेद VII (2) के संदर्भ में निहित होना राज प्रमुख के पक्ष में था, न कि किसी संबंधित शासक के पक्ष में। राज प्रमुख, उक्त वाचा के अनुच्छेद III के संदर्भ में, शासकों की परिषद द्वारा चुना जाना था। नतीजतन, हालांकि गंगाजली फंड था

ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा द्वारा गठित, नियंत्रण ग्वालियर के शासक के पास नहीं था, बल्कि राज प्रमुख के पास था। इसका मतलब यह भी था कि राज प्रमुख के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता थी, जो कोई अन्य शासक हो सकता था, न कि सख्ती से ग्वालियर का शासक। इसके बाद मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास अधिनियम, 1954 लागू किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में, निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं –

गंगाजली कोष न्यासियों में निहित है। धारा 4 के अनुसार, जैसा कि यह मूल रूप से था, राज्य के मुख्यमंत्री राजप्रमुख,

और राजप्रमुख के एक मनोनीत व्यक्ति को न्यासी नामित किया गया था। बाद में इस धारा में संशोधन किए गए। धारा 7 में निर्धारित किया गया है कि कोष से आय (ए) अकाल से राहत; (बी) चिकित्सा राहत; और (सी) शिक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए जारी की जाए। इस अधिनियम को 2003 में निरस्त कर दिया गया था और न्यास की देनदारियों का निर्वहन करने के बाद, शेष राशि को तीन शैक्षणिक संस्थानों पर लागू करने का निर्देश दिया गया था।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उक्त वाचा का अनुच्छेद VII (2) और परिणामी विधान

ये स्पष्ट संकेत हैं कि जहां भी ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा द्वारा कुछ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक न्यास का गठन किया गया था, वहां भी प्रशासन

इस तरह का न्यास ग्वालियर के शासक में निहित नहीं था। दूसरी ओर, न्यास को, स्वयं वाचा के संदर्भ में, राज प्रमुख को उनकी आधिकारिक क्षमता में निहित करने का निर्देश दिया गया था।

इसकी तुलना में, तत्काल मामले में मंदिर के प्रशासन के निहित होने को न केवल वाचा द्वारा विश्वास में स्वीकार किया गया था त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक के साथ लेकिन इस तरह

प्रशासन को वाचा के बाद भी "त्रावणकोर के शासक" के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन बने रहना था। यह चित्रण आगे इस बात पर जोर देता है कि त्रावणकोर के शासक का "नियंत्रण और पर्यवेक्षण" किसी भी आधिकारिक क्षमता में नहीं था।

घ) यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज्य में अन्य देवस्वम और बंदोबस्ती भी त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शासक के नियंत्रण में हुआ करते थे। त्रावणकोर अंतरिम संविधान अधिनियम के अनुसार, जिसका उल्लेख ऊपर पैराग्राफ 10 में किया गया है, हालांकि इस तरह के नियंत्रण को शासक परिवार द्वारा बनाए रखा जाना था, लेकिन वाचा ने स्पष्ट रूप से इसके विपरीत व्यक्त किया। अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ग' ने स्वीकार किया कि प्रशासन उक्त अन्य के संबंध में

इस प्रकार, जहां कहीं भी राज्य के प्रमुख की आधिकारिक क्षमता शासक को प्रबंधन का प्रभारी बनाने के लिए जिम्मेदार थी याप्रशासन, इस तरह की क्षमता को समाप्त करने पर, पूर्ववर्ती शासक का ऐसे अन्य देवस्वम या बंदोबस्ती के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं होगा। इसके विपरीत, उप-अनुच्छेद 'ख' में निर्दिष्ट मंदिर और अन्य संपत्तियों के संबंध में मामला पूरी तरह से अलग है।

परिसर में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्द्ध में "त्रावणकोर का शासक" शब्द का प्रयोग किया गया है।

यह केवल संदर्भ के रूप में था और उक्त उप-अनुच्छेद का उद्देश्य उक्त अधिकार और शक्ति का निवेश करना नहीं था क्योंकि वह शासक था या किसी भी आधिकारिक स्थिति का आनंद लेता था और प्रतिनिधित्व करता था।

80) एक सहायक मुद्दे से अभी भी निपटने की आवश्यकता है, और यह है कि क्या उक्त लेख में संदर्भ केवल उस व्यक्ति के लिए थे जो था

उस समय का शासक जब वाचा में प्रवेश किया गया था और इसमें उक्त शासक के उत्तराधिकारी शामिल नहीं होंगे।

ऊपर पैराग्राफ 11 में दिए गए अनुबंध के संबंधित अनुच्छेदों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जहां भी विशेष गुण या

अधिकारों को "वर्तमान शासक" को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और "वर्तमान शासक" तक सीमित था, वाचा काफी विशिष्ट थी। अनुच्छेद IV और XIV इस संबंध में स्पष्ट उदाहरण हैं। दूसरी ओर, जब भी उस व्यक्ति को, जिसने शासक के रूप में वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, संदर्भित किया जाना था, तो वाचा में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ "वाचा राज्य का शासक" या "त्रावणकोर का शासक" थीं। ये अभिव्यक्तियाँ केवल उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए थीं जो शासक था जैसा कि पहले कहा गया था। इस प्रकार, प्रिवी पर्स के अधिकार और निजी संपत्तियों के स्वामित्व, उपयोग और आनंद जैसे अधिकारों के साथ-साथ व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, उपाधियों और गरिमा का भी संबंध था, उन्हें "राज्य के शासक" को आश्वस्त किया गया था।

वाचा राज्य "। इसके अलावा, परिवार के सदस्यों को कुछ अधिकार भी दिए गए थे और गद्दी का उत्तराधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किए गए थे। चाहे वे अधिकार या अधिकार वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए अभिप्रेत थे, इस तरह के अधिकार या पात्रता की प्रकृति और सामग्री पर निर्भर करेगा। जहाँ तक देय प्रिवी पर्स के संबंध में अधिकार है

त्रावणकोर के शासक के संबंध में, यह स्पष्ट रूप से "वर्तमान शासक" तक सीमित या सीमित था, और जाहिर है कि कोई भी उत्तराधिकारी इस तरह के अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन उक्त अनुच्छेदों में संदर्भित बाकी घटनाएं या अधिकार इस तरह के प्रतिबंध के बिना थे। इसके अतिरिक्त, एक बार जब अनुच्छेद XVII द्वारा कानून और प्रथा के अनुसार प्रत्येक वाचा राज्य के गद्दी और व्यक्तिगत अधिकारों और विशेषाधिकारों आदि के उत्तराधिकार की गारंटी दी गई थी, तो इन घटनाओं को कानून के अनुसार आने वाली पीढ़ियों या उत्तराधिकारियों द्वारा आनंद के लिए उपलब्ध कराया गया था और

रिवाज। यदि मामले को विशुद्ध रूप से मंदिर के शेबैटशिप या प्रशासन के अधिकार के दृष्टिकोण से माना जाता है।

अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरवर्ती भाग में, जैसा कि पहले खंड में चर्चा की गई थी, शेबैटशिप के सामान्य कानून और कानून और प्रथा के अनुसार उत्तराधिकार के अनुसार, वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले शासक

का प्रत्येक उत्तराधिकारी इस तरह के अधिकार का हकदार होगा। किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तरह के हस्तांतरण को सीमित या प्रतिबंधित करने का भी इरादा रखता हो।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

81. इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वाचा के अनुच्छेद VIII ने न केवल इस तथ्य को स्वीकार किया और स्वीकार किया कि

मंदिर, उसकी संपत्तियों के साथ-साथ पंडरवाग की संपत्तियों के संबंध में प्रशासन पहले से ही "त्रावणकोर के करार राज्य के शासक" में निहित था, लेकिन उक्त अनुच्छेद ने स्पष्ट रूप से उसी स्थिति को जारी रखा और यह निर्धारित किया कि ऐसा प्रशासन "त्रावणकोर के शासक" के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन किया जाएगा, जिसका अर्थ पहले ही समझा और निकाला जा चुका है।

ग] भारत के संविधान का प्रभाव जो इससे पहले था

संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 और टी. सी. अधिनियम के प्रावधान

82. अब हम त्रावणकोर के शासक के शेबैटशिप के दर्जे और हक पर भारत के संविधान के प्रभाव पर विचार करते हैं।

मंदिर।भारत के संविधान का अनुच्छेद 29153 शासकों को देय प्रिवी पर्स से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि यदि किसी वाचा के तहत या

किसी भी भारतीय राज्य के शासक द्वारा किया गया समझौता, भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा किसी भी राशि की गारंटी या आश्वासन दिया गया था

प्रिवी पर्स के रूप में भुगतान किया जाएगा, उस ओर से राशि भारत की संचित निधि पर ली जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा और किसी भी शासक को इस तरह से भुगतान की गई राशि को आय पर सभी करों से छूट दी जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3625 3 में यह निर्धारित किया गया है कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए या अपनी-अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 291 में निर्दिष्ट किसी भी ऐसी वाचा या समझौते के तहत दी गई गारंटी या आश्वासन को उचित सम्मान दिया जाएगा।

भारतीय राज्य।

अनुच्छेद 366 (22) 54 ने "शासक" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया, जिसका अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, जिसने अनुच्छेद 291 में निर्दिष्ट वाचा पर हस्ताक्षर किए थे और

जिसे, कुछ समय के लिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई थी और इसमें ऐसे शासक का उत्तराधिकारी भी शामिल होगा। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि त्रावणकोर के शासक जिन्होंने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी गई थी 53 इस अनुच्छेद को संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 54 द्वारा निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यह संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा संशोधित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्रावणकोर के शासक। अनुच्छेद 363, जिसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, "कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक" की बात करता है।

83. इसके तुरंत बाद, टी. सी. अधिनियम लागू हुआ। टी. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान पहले ही निकाले जा चुके हैं। अध्याय

टी. सी. अधिनियम का तीसरा विशेष रूप से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और मंदिर के प्रशासन से संबंधित मामलों से संबंधित था। टी. सी. अधिनियम का कहा गया अध्याय III वाचा के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'बी' के बाद के भाग के अनुरूप है और अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि

उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी। उक्त अध्याय III में पहली बार कोई अधिकार या लाभ प्रदान नहीं किया गया था, जहां पहले कोई अधिकार या लाभ नहीं था, लेकिन वैधानिक अधिकार दिए गए थे।वाचा के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ख' के उत्तरार्ध में जो स्वीकार और स्वीकार किया गया था, उसे निरंतर स्थिति के रूप में मान्यता। टी. सी. अधिनियम की धारा 20 तब श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति के गठन से संबंधित है, जो वाचा के उक्त अनुच्छेद VIII के अनुरूप भी है।

इस स्तर पर दो विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक निगमित या अनिगमित देवस्वमों का संबंध है,

वाचा के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'ग' की शर्तों के अनुसार, ऐसे देवस्वम के संबंध में नियंत्रण और प्रशासन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड में निहित है जैसा कि टी. सी. अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है। कुछ तंत्र प्रावधान हैं जो देवस्वम बोर्ड के कार्यों के संचालन के तरीके से संबंधित हैं, जिनसे हम वर्तमान में संबंधित नहीं हैं। दूसरा, धारा 62 की उप-धारा 2

टी. सी. अधिनियम, वाचा के अनुच्छेद VIII के उप-अनुच्छेद 'डी' के प्रावधान के अनुरूप यह प्रावधान करता है कि कोचीन देवस्वम बोर्ड में प्रशासन निहित होने के बावजूद, उसमें निर्दिष्ट मंदिरों में अनुष्ठानों और समारोहों के विनियमन और नियंत्रण का प्रयोग कोचीन के शासक द्वारा किया जाता रहेगा। इस प्रकार, मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की अन्य सभी संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित वाचा के विभिन्न प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले सभी भौतिक और प्रासंगिक पहलुओं के साथ-साथ अन्य सभी देवस्वोमों और धार्मिक दानों के प्रबंधन और नियंत्रण को भी टी. सी. अधिनियम द्वारा इस तरह से निपटाया गया था-श्री मार्तंड वर्मा (डी) टी. एच. आर.

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जो वाचा में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत था। 84. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 16 में कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश कि भारतीय राज्यों के शासकों को संबंधित भारतीय राज्यों के शासकों के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया गया था, माधव राव स्किंडा 1 2 में चुनौती दी गई थी, जिस मामले में संविधान के अनुच्छेद 291,362,363 और 366 (22) के प्रभाव के साथ-साथ अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसरण में लाए गए विधायी उपायों के प्रभाव के बारे में मुद्दे थे।

362 इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।शासकों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों की प्रकृति के संबंध में हिदायतुल्ला सी. जे. ने अपनी राय में कहाः

" 23. शासकों के विशेषाधिकारों में कई आइटम शामिल थे। 1949 में राज्य मंत्रालय द्वारा इन विशेषाधिकारों पर एक ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें एक विस्तृत सूची नहीं थी, लेकिन प्रांतीय और केंद्र सरकारों को उनके बारे में सूचित करने के लिए तैयार की गई थी। इसमें 34 विशेषाधिकारों की एक सूची थी। इनमें कई शामिल थे।

भारतीय कानूनों के संचालन से छूट, जागीर का आनंद और शासकों और उनके सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति

परिवार, शासकों के भाइयों और बहनों के विवाह के खर्च का राज्यों द्वारा भुगतान, अदालतों की कुछ प्रक्रियाओं से प्रतिरक्षा, शासकों और उनके परिवारों की निजी संपत्तियों के अधिग्रहण से प्रतिरक्षा आदि। बातचीत के दौरान शासकों को यह आश्वासन देने के लिए पत्र लिखे गए कि प्रिवी पर्स स्थायी रूप से तय किया गया था और

उन्हें जो स्वतंत्रता मिली है, वह जारी रहेगी।

अनुच्छेद 366 (22) के तहत 'एक शासक की मान्यता' के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहाः

" 53. ..... एक शासक को मान्यता देने की बाध्यता अनुच्छेद 291 और 362 में निहित अन्य गारंटी के साथ जुड़ी हुई है। परिभाषाअनुच्छेद 366 (22) में केवल एक विशेष शासक को खोजने की कुंजी है।

72 ..... यह अनुच्छेद शासन की धारणा की निश्चितता को मान्यता पर निर्भर करता है और यह मान्यता तैयार की जाती है। मुख्य रूप से वाचाओं और समझौतों के तहत। अनुच्छेद का प्रमुख और तत्काल उद्देश्य और अनुप्रयोग वाचाओं और समझौतों पर निर्भर करता है। मैंने पहले कहा है कि अध्यक्ष (2020) 9 एस. सी. आर.

किसी शासक को मान्यता देना या उसकी मान्यता वापस लेना कार्य नहीं करता है।

मनमाने ढंग से लेकिन वाचाओं और समझौतों के आलोक में। ऐसे सभी

उपकरणों में परिवार के कानून और रीति-रिवाजों का उल्लेख है सिवाय इसके किभोपाल समझौता जिसमें एक स्थानीय क़ानून का पालन किया जाना है। द.

एक वाचा या समझौता। अतः इस अनुच्छेद में इसके लिए है – अनुप्रयोग के माध्यम से शासकों का चयन प्रमुख उद्देश्य

वाचाओं और समझौतों का "।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तब निष्कर्ष निकाला

" 77. अनुच्छेद 291,362 और 366 (22) पर मेरे निष्कर्ष ये हैं किअनुच्छेद 291 वाचाओं और समझौतों से संबंधित प्रावधान नहीं है।

लेकिन प्रिवी पर्स के भुगतान के स्रोत के लिए एक विशेष प्रावधान

उन्हें संचित निधि पर प्रभारित करके और बनाने के लिए

आय पर कर मुक्त भुगतान। यह अपने प्रभुत्व में नहीं है। उद्देश्य और विषय बाद के भाग में विवरण का उत्तर देते हैं

इसका प्रमुख उद्देश्य वाचाओं को मान्यता प्राप्त करना है औरशासकों के साथ समझौते। लेकिन अब तक एक ही

विधायी उपायों में गारंटी के प्रावधानों को स्थान मिलता है –

अनुच्छेद 362 को लागू करने की आवश्यकता नहीं है और विवाद पर निर्णय लिया जाता है उन कानूनों का आधार। ऐसा मामला अनुच्छेद 362 को आकर्षित नहीं कर सकता है।

और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 363 का प्रतिबंध भी लागू नहीं हो सकता है। लेख 366 (22) वर्णन के भीतर है जब तक कि राष्ट्रपति

किसी शासक या उत्तराधिकारी को मान्यता देना प्रावधानों को प्रभावी बना रहा है।

किसी वाचा या समझौते का। यह तब लागू हो सकता है जब विवेकाधिकार प्रयोग वाचाओं से बहने वाली अपनी शक्तियों से संबंधित है

लेख के साथ पढ़ें। हालांकि जहां राष्ट्रपति पूरी तरह से कार्य करता है

अनुच्छेद 366 (22) के प्रावधानों के बाहर उसकी कार्रवाई हो सकती है

पूछताछ की गई क्योंकि बार प्रामाणिक और वैध पर लागू होता है

एक्शन और अल्ट्रा वायर्स एक्शन के लिए नहीं।

(जोर दिया गया)

बहुमत का निर्णय शाह, जे. (विद्वान के रूप में) द्वारा लिखा गया था।न्याय तब था)। अनुच्छेद 291 और 362 के संबंध में, यह था

वेदः

" 126. राज्यों के एकीकरण के बाद भी, निम्नलिखित दायित्व

समझौतों को संबंधित के राजस्व से पूरा किया जाना था

राज्यों। करार और विभिन्न चरण जिनके माध्यम से श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

अंतिम एकीकरण प्राप्त किया गया था शायद राज्य के अधिनियम बने रहे। राज्य के उन अधिनियमों के तहत उपार्जित या उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब भारत संघ ने उन अधिकारों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया हो। संविधान के बाद दायित्व

भारत संघ पर रखे प्रिवी पर्स का भुगतान करें, इसलिए नहीं कि

यह भारत के डोमिनियन से विरासत में मिला था, लेकिन अनुच्छेद 291 के तहत संवैधानिक जनादेश के कारण। इसका स्रोत

जिस स्रोत से दायित्व को पूरा किया जाना था, वह मूल स्रोत नहीं था; कर के भुगतान से छूट से संबंधित घटना को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया था, और कुछ मामलों में राशि भी अलग थी। जबकि विलय समझौतों के तहत शासकों को प्रिवी पर्स का भुगतान करने का दायित्व डोमिनियन द्वारा सुनिश्चित किया गया था सरकार, संविधान ने केंद्र सरकार को प्रिवी पर्स का भुगतान करने का निर्देश दिया।

(जोर दिया गया)

व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमाओं की मान्यता। संविधान इस प्रकार व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों की वाचाओं के तहत गारंटी और आश्वासनों के बाध्यकारी बल की पुष्टि करता है।और गरिमा, लेकिन अनुच्छेद 291 में प्रिवी पर्स के भुगतान की गारंटी के विपरीत, अनुच्छेद 362 के तहत गारंटी है

निष्पादित मूल समझौतों और समझौतों के तहत दायित्व [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेषाधिकार जैसे, आयकर अधिनियम, 1922 और 1961, धन कर अधिनियम, 1957 , उपहार कर अधिनियम, 1958, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत अधिसूचनाएं। एक शासक जो विशेषाधिकारों को लागू करने की मांग करता है, जिन्हें

संसदीय कानूनों ने मान्यता दी है, राहत के अधिकार के लिए कानूनों के जनादेश पर निर्भर करता है, न कि वाचा के।

(जोर दिया गया)

बहुमत के फैसले में कहा गयाः –

" 134. अनुच्छेद 363 के तहत न्यायिक शक्ति के प्रयोग के बहिष्करण के आयामों से निपटने के लिए, कुछ व्यापक विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमारे अधीन उचित मंचकानूनी विवाद के निर्धारण के लिए संविधान वह न्यायालय है जो

प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा, उचित रूप से योग्य अधिवक्ताओं की सहायता से, जो उस कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं। एक प्रावधान जिसका उद्देश्य कुछ मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करना और पीड़ित पक्ष को सामान्य उपचार से वंचित करना है, का कड़ाई से अर्थ लगाया जाएगा, क्योंकि यह एक सिद्धांत है कि एक पीड़ित पक्ष को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

जब तक न्यायालयों की अधिकारिता स्पष्ट अधिनियमन या आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित नहीं है, तब तक उसे माँग करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए न्यायालयों का सहारा लेना। न्यायालय जहाँ तक संभव हो, न्याय और तर्क के लिए सहमत होकर एक क़ानून की व्याख्या करेगा और यह कि दो या दो से अधिक व्याख्याओं के मामले में, एक जो अधिक उचित और न्यायपूर्ण है, उसे अपनाया जाएगा, क्योंकि हमेशा अन्याय और अनुचित इरादे वाले कानून निर्माता के खिलाफ एक धारणा होती है। न्यायालय विधानमंडल पर ऐसे प्रावधान को लागू करने के इरादे का आरोप लगाने से बचेगा जो न्याय की धारणाओं और निष्पक्ष खेल के मानदंडों का उल्लंघन करता है, जब तक कि एक विपरीत इरादा स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों से प्रकट न हो। कानून में प्रावधान का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाएगा – इसके प्रकट उद्देश्य और सामान्य मूल्यों को विफल करना जो इसकी संरचना को सक्रिय करते हैं। एक स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक राजनीति में, संपत्ति के अधिकार सहित मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का, जब तक कि विपरीत जनादेश सटीक और अयोग्य न हो, तब तक उदारता से अर्थ लगाया जाएगा ताकि अधिकार को बनाए रखा जा सके। ये नियम संवैधानिक और वैधानिक व्याख्या पर लागू होते हैं।

समान प्रावधान।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

136. अनुच्छेद 363 के पहले अंग के तहत किसी कार्यवाही का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र वर्जित है यदि विवाद एक के प्रावधान से उत्पन्न होता है वाचाः यह अनुच्छेद 363 के दूसरे अंग के तहत वर्जित है यदि न्यायालय का मानना है कि विवाद किसी अधिकार के संबंध में है जो

किसी वाचा से संबंधित संविधान का प्रावधान। एक विवाद

यह कि एक कार्यकारी निकाय का आदेश अनधिकृत है, या एक विधायी उपाय अधिकार से परे है, अनुच्छेद 363 के पहले अंग के तहत किसी भी वाचा से उत्पन्न नहीं होता है, केवल इसलिए कि आदेश या उपाय नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन अधिनियम या उपाय के लिए, प्रश्न में नहीं थे। ऐसे मामले में विवाद अधिनियम की वैधता या उपाय के अधिकार से संबंधित है। प्रासंगिक शब्दों की शर्तों द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण एक संकीर्ण क्षेत्र में निहित है। यदि किसी वाचा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान उस अधिकार का स्रोत है जिसके प्राप्त होने का दावा किया गया है, या जिसके उत्पन्न होने का दावा किया गया है, तो स्पष्ट रूप से दूसरे अंग के तहत अधिकार या दायित्व के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद पर विचार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता है।

दायित्व वर्जित है। हमें वर्तमान मामले में कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है

इस प्रश्न पर कि क्या कोई विवाद कि एक कार्यकारी अधिनियम या विधायी उपाय जो एक प्रावधान से उत्पन्न होने वाले अधिकार या दायित्व पर काम करता है, अमान्य है, अनुच्छेद 363 के दूसरे अंग के भीतर आता है। इसलिए हम श्री के तर्क पर नहीं बोलते हैं।

पालखीवाला ने कहा कि यह विवाद कि क्या किसी शासक की मान्यता को कानून के अधिकार के बिना वापस लिया जाता है, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, क्योंकि यह संविधान के प्रावधान के तहत प्राप्त अधिकार के संबंध में विवाद नहीं है।

(जोर दिया गया)

138. अनुच्छेद 366 (22), हमारे निर्णय में, संबंधित एक प्रावधान है –

शासकों की मान्यताः यही प्रावधान का प्रत्यक्ष और एकमात्र उद्देश्य है। यह किसी वाचा से संबंधित प्रावधान नहीं है। शासक के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति की योग्यता निस्संदेह यह है कि वह एक राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति है जिसने एक वाचा या समझौता किया था जैसा कि अनुच्छेद 291 में संदर्भित है, या कि वहऐसे शासक का उत्तराधिकारी है। अनुच्छेद 291 में उल्लिखित वाचा या प्रकृति के समझौते का संदर्भ यह निर्धारित करने के लिए है कि किसे शासक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसी वजह से

राष्ट्रपति को किसी शासक को मान्यता देने का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित प्रावधान को वाचा या समझौते से संबंधित नहीं माना जाएगा।

[2020] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

143. प्रिवी पर्स प्राप्त करने के अधिकार का स्रोत उन कारणों से है जिनके बारे में पहले ही संवैधानिक जनादेश में कहा जा चुका हैः में नहीं है

वाचा। अनुच्छेद 291 में वाचा का संदर्भ केवल प्रिवी पर्स के रूप में देय राशि की पहचान करता हैः यह अनुच्छेद 291 को वाचा से संबंधित प्रावधान नहीं बनाता है। इसलिए, प्रिवी पर्स प्राप्त करने के अधिकार के बारे में विवाद, अनुच्छेद 363 के पहले अंग के भीतर वाचा से उत्पन्न होने वाला विवाद नहीं है, न ही यह किसी वाचा से संबंधित संविधान के प्रावधान से उत्पन्न होने वाले अधिकार या दायित्व के संबंध में विवाद है। ”

(जोर दिया गया)

के. एस. हेगड़े, जे. ने अपनी राय में कहाः

" 209. अनुच्छेद 363 के दो भाग हैंः पहला भाग विवादों से संबंधित है

किसी संधि, समझौते या वाचा आदि के किसी प्रावधान से उत्पन्न होने वाला और किसी अधिकार के संबंध में विवाद के साथ दूसरा भाग

संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत उपार्जित या उससे उत्पन्न कोई दायित्व या दायित्व, ऐसी किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या इसी तरह के अन्य दस्तावेज से संबंधित। 210. अनुच्छेद 362 और 363 से निपटने के लिए श्वेत पत्र पैरा 240 में यही कहता है। 125):

" अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में गारंटी। गारंटी

विभिन्न समझौतों के तहत शासकों को दिया गया हैऔर अपने अधिकारों, गरिमाओं की निरंतरता के लिए वाचाएँ और

विशेषाधिकार। शासकों द्वारा प्राप्त अधिकार राज्य से राज्य में भिन्न होते हैं।

राज्य और राज्यों के भीतर और बाहर दोनों का उपयोग किया जा सकता है।

वे उपयोग से लेकर विभिन्न मामलों को शामिल करते हैं

सिविल और आपराधिक अधिकार क्षेत्र से प्रतिरक्षा के लिए कारों पर लाल प्लेटें

और सीमा शुल्क आदि से छूट। अतीत में भी

तैयार करने के लिए न तो वांछनीय माना जाता था और न ही व्यावहारिक

इन सभी अधिकारों की एक विस्तृत सूची। बातचीत के दौरानमें सन्निहित योजना की शुरूआत के बाद

भारत सरकार अधिनियम, 1935, क्राउन विभाग ने

भारत सरकार के इरादे का आश्वासनउन्हें जारी रखें। जाहिर है, यह एक स्रोत रहा होगा

यदि इन सभी मामलों को श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर के रूप में बनाया गया होता तो निरंतर खेद होता।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

न्यायसंगत। इसलिए अनुच्छेद 363 को संविधान में शामिल किया गया है जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित समझौतों को शामिल नहीं किया गया है –

न्यायालयों की अधिकारिता से विलय और करार सिवाय

जिन मामलों को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजा जा सकता है। साथ ही, भारत सरकार ने यह आवश्यक माना कि गारंटी और आश्वासनों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए जो –

भारत सरकार ने शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में दिया है। यह अनुच्छेद 362 में निहित है, जो यह प्रावधान करता है कि अपने विधायी और कार्यकारी अधिकार के प्रयोग में, संघ और राज्यों के विधायी और कार्यकारी अंगों को राज्यों को दी गई गारंटी का उचित सम्मान करना होगा।

अपने व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में शासक।

212. जैसा कि पहले देखा गया है कि अनुच्छेद 363 के दो भाग हैं। पहला भाग

समझौतों और समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है। इस न्यायालय के साथ–साथ अन्य न्यायालयों की अधिकारिता उस भाग के भीतर आने वाले विवादों के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्जित है। इसके बाद अनुच्छेद 363 का दूसरा भाग आता है, जो संबंधित विवादों को संदर्भित करता है।

समझौता, वाचा आदि। हम अनुच्छेद 363 के इस भाग से चिंतित हैं। इससे पहले कि किसी विवाद को उस भाग के दायरे में लाया जा सके, वह विवाद संविधान के किसी प्रावधान के तहत अर्जित अधिकार या दायित्व या दायित्व के संबंध में होना चाहिए और संविधान का वह प्रावधान समझौतों, समझौतों आदि से संबंधित होना चाहिए। 213. इन मामलों में हम जिस प्रमुख विवाद से चिंतित हैं, वह यह है कि क्या राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 366 (22) के तहत सभी शासकों को समाप्त करने की शक्ति है। स्पष्ट रूप से इस विवाद को संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत उपार्जित अधिकार या दायित्व या दायित्व के संबंध में विवाद नहीं माना जा सकता है। इसमें हम किसी भी अधिकार, दायित्व या दायित्व से संबंधित नहीं हैं। हम अनुच्छेद 366 (22) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों से चिंतित हैं। जो विवाद में है वह अनुच्छेद 366 (22) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का वास्तविक दायरा है। यह विवाद अनुच्छेद 363 के अंतर्गत नहीं आता है। शक्ति सही के समान नहीं है। शक्ति एक प्राधिकरण है जबकि [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस संदर्भ में इसका उपयोग अनुच्छेद 363 में किया गया है, वह संपत्ति को दर्शाता है। तथ्य यह है कि न्यायालय का निर्णय के दायरे के बारे में अनुच्छेद 366 (22) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति संयोग से कुछ

अधिकारों को सहन कर सकती है, जो विवाद को संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत उपार्जित किसी भी अधिकार से संबंधित विवाद नहीं बनाती है। ए.

के प्रावधान की व्याख्या के संबंध में विवाद

संविधान अनुच्छेद 363 के दूसरे भाग के विचार के भीतर कोई विवाद नहीं है क्योंकि यह किसी भी अधिकार के संबंध में विवाद नहीं है।दायित्व या दायित्व। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विवादित आदेश राष्ट्रपति की शक्तियों से परे हैं, इसलिए अमान्य हैं। इस तरह का विवाद अनुच्छेद 363 के अंतर्गत नहीं आता है।

85. हिदायतुल्ला, सी. जे. ने अनुच्छेद 291 को प्रिवी पर्स के भुगतान के स्रोत के लिए एक विशेष प्रावधान पाया और यही विचार था

अनुच्छेद 126 में बहुमत निर्णय द्वारा व्यक्त किया गया जिसमें अनुच्छेद 362 की संरचना को भी अलग पाया गया। अनुच्छेद 291 के विपरीत, जो स्वयं प्रिवी पर्स के भुगतान का स्रोत था, अनुच्छेद 362 में निर्धारित किया गया था कि विधायी या कार्यपालिका का प्रयोग करते समय किसी भी वाचा या समझौते के तहत दी गई गारंटी या आश्वासन को उचित सम्मान दिया जाएगा।

86. जहां तक वर्तमान खंड का संबंध है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान – साथ ही टी. सी. अधिनियम ने किसी भी तरह से त्रावणकोर के शासक को मंदिर के शेबैत के रूप में प्राप्त स्थिति को परेशान या कम नहीं किया और

किसी भी तरह से निहित प्रशासन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला

त्रावणकोर के शासक में। वास्तव में, टी. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों ने वाचा के अनुच्छेद VIII द्वारा अनुध्यात स्थिति को वैधानिक रूप दिया।

यह निवेदन कि संविधान के अनुच्छेद 363 के आधार पर, वर्तमान विवाद पर विचार नहीं किया जा सका, बाद में विचार किया जाएगा।

घ) संविधान का प्रभाव (छब्बीसवाँ संशोधन)

अधिनियम, 1971 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

87. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ-साथ इस संवैधानिक संशोधन की प्रकृति; नव निगमित अनुच्छेद 363 ए

और अनुच्छेद 366 (22) में शासक की संशोधित परिभाषा को ऊपर पैराग्राफ 17 में निर्धारित किया गया है। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से संकेत मिलता है, प्रिवी पर्स और विशेष विशेषाधिकारों के साथ शासन

की अवधारणा को समतावादी सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत पाया गया और इस तरह शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए पहले से ही स्पष्ट रूप से मान्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया थाऐसे शासकों को दिया गया और प्रिवी पर्स को समाप्त करने और प्रिवी पर्स के संबंध में सभी अधिकारों और दायित्वों को समाप्त करने के लिए। इस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया; और अनुच्छेद 363 ए को जोड़ा जो अब अन्य बातों के साथ स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो

शासक या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त करना बंद कर दिया जाता है, और प्रिवी पर्स के संबंध में सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। लेख 366 (22) तदनुसार और संशोधित के संदर्भ में भी संशोधन किया गया था

परिभाषा, "शासक" का अब अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, वह व्यक्ति जिसे उक्त संवैधानिक संशोधन के प्रारंभ से पहले किसी भारतीय राज्य के शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी। अनुच्छेद 291 को हटाने के साथ, विशेषाधिकार के संबंध में अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व

पर्स बुझ गए थे। अनुच्छेद 362 से निकले मार्गदर्शक सिद्धांत कि विधायी या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में, अनुच्छेद 291 में निर्दिष्ट किसी भी वाचा या समझौते में दी गई गारंटी या आश्वासन को उचित सम्मान दिया जाएगा, भी अस्तित्व में नहीं रहे।

88. इससे पहले कि हम उक्त संविधान के प्रभाव पर विचार करें

संशोधन, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय राज्य कुरुंदवाड़ के सह-शासक जूनियर और भारतीय राज्य मैसूर के दिवंगत शासक के उत्तराधिकारी द्वारा यह कहने के लिए उठाई गई चुनौती पर इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा रघुनाथराव गणपतराव 1 4 में विचार किया गया था।

प्रारम्भ में, प्रमुख निर्णय के पैरा 36 में यह कहा गया थाः

" 36. हम समझौतों के विवरण के बारे में चिंतित नहीं हैं।

विभिन्न राज्यों के अन्य शासकों द्वारा निष्पादित।

जे. पांडियन, जिन्होंने प्रमुख निर्णय लिखा था, ने संविधान (24 वां संशोधन) विधेयक, 1970 से शुरू होने वाले पूर्ववर्ती तथ्यों के साथ-साथ माधव राव जीवाजी राव में उठाई गई चुनौती का उल्लेख किया।

सिंधिया 1 2 इस प्रकार हैः

" 38. 14 मई, 1970 को संविधान (चौबीसवाँ)संशोधन) उपरोक्त प्रिवी पर्स के उन्मूलन के लिए विधेयक, 1970, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 291, 362 और 366 (22) के तहत प्रदत्त विशेषाधिकार आदि थे

लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री

वाई. बी. चव्हाण। विधेयक में तीन खंड और एक संक्षिप्त खंड था।उद्देश्यों और कारणों का विवरण। बयान इस प्रकार हैः

" शासन की अवधारणा, प्रिवी पर्स और विशेष के साथ

किसी भी वर्तमान कार्यों और सामाजिक कार्यों से असंबंधित विशेषाधिकारउद्देश्य, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के साथ असंगत है।

इसलिए सरकार ने प्रिवी को समाप्त करने का निर्णय लिया है

पूर्व भारतीय राज्यों के शासकों का सम्मान और विशेषाधिकार।

इसलिए यह विधेयक "।

39. 2 सितंबर, 1970 को लोक सभा में इस विधेयक पर मतदान किया गया।सभा। लेकिन 5 सितंबर, 1970 को राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया।

उसी के बाद से विधेयक राज्य सभा में आवश्यक तक पहुंचने में विफल रहा

अनुच्छेद 368 और मतदान द्वारा। उक्त अस्वीकृति की ऊँची एड़ी पर बंद करें, भारत के राष्ट्रपति के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का तात्पर्य

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (22) ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए

देश के सभी शासकों की मान्यता को सामूहिक रूप से वापस लेना। इस आशय का एक संदेश भारत के सभी शासकों को भेजा गया था।

जिन्हें पहले शासकों के रूप में मान्यता दी गई थी।

40. शासकों को मान्यता देने वाला यह राष्ट्रपति का आदेश था माधव राव सिंधिया बनाम में प्रश्न किया गया। भारत संघ 1 2 दाखिल करके

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसे चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं

असंवैधानिक, अधिकार के बाहर और शून्य। एक ग्यारह–न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने 15 दिसंबर, 1970 के अपने फैसले से खारिज कर दिया

राष्ट्रपति का आदेश अवैध, अधिकार से बाहर और निष्क्रिय होने के कारण

संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के तहत भारत के राष्ट्रपति औरघोषणा की कि रिट याचिकाकर्ता अपने सभी पूर्व के हकदार होंगे

प्रिवी पर्स के अधिकार सहित मौजूदा अधिकार और विशेषाधिकार जैसे कि

उसमें विवादित आदेश पारित नहीं किए गए थे। यहाँ, यह हो सकता हैउल्लेख किया कि मित्तर और रे, जे. जे. उन्होंने अपना असहमत निर्णय दिया।

99

माधव राव जीवाजी राव में निर्णय से निपटने के दौरान

लिया 1 2 में यह देखा गया थाः

" 60. जहाँ तक अनुच्छेद 362 का संबंध है, यह बहुमत द्वारा आयोजित किया गया है।न्यायाधीशों का कि उक्त अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संबंधित एक प्रावधान है –

अनुच्छेद 363 के अर्थ के भीतर करार और श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर को लागू करने का दावा।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

अतः वाचाओं के अधीन अधिकार, विशेषाधिकार और गरिमाएँ,

अनुच्छेद 363 के पहले अंग और लागू करने के दावे द्वारा वर्जित हैं

अनुच्छेद 362 के तहत अधिकारों और विशेषाधिकारों की मान्यता वर्जित है। अनुच्छेद 363 के दूसरे अंग के तहत और यह कि

हालाँकि, अदालतों को बाहर नहीं किया गया है जहाँ राहत का दावा किया गया है

व्यक्तिगत को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित एक वैधानिक प्रावधान पर स्थापित

अनुच्छेद 362 के तहत अधिकार। "

(जोर दिया गया)

" 74. राज्यों के शासकों द्वारा किए गए समझौतेभारत सरकार के साथ संबंधित सरल दस्तावेज थे

परिग्रहण और एकीकरण और आश्वासन और

उन दस्तावेजों के तहत दी गई गारंटी केवल उनके लिए थी

संविधान के तहत दी गई गारंटी और आश्वासनवे उन दस्तावेजों से स्वतंत्र थे। के आगमन के बाद

संविधान, शासकों को निजी पर्स रखने का अधिकार था,

केवल संविधान के बल से संपत्ति और विशेषाधिकार और

अन्य नागरिक; बेशक, यह इतिहास की एक दुर्घटना है और इसके साथअपनी संविधान सभा में भारतीय लोगों की सहमति।

(जोर दिया गया)

75. अतः यह कहने का कोई औचित्य नहीं हो सकता कि

शासकों को दी गई गारंटी और आश्वासन पवित्र थे और यह कि अनुच्छेद 291 और 362 केवल समझौतों की शर्तों को दर्शाते हैं और

वाचाएँ। वास्तव में जैसे ही संविधान लागू हुआ, राज्यों और राज्यों के संघ द्वारा निष्पादित और अनुमोदित समझौतों के ज्ञापनों को संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के तहत औपचारिक समझौतों में शामिल किया गया था और उन समझौतों और समझौतों से कोई दायित्व नहीं था, लेकिन केवल संवैधानिक प्रावधानों से। अलग तरह से कहें तो संविधान में अनुच्छेद 291 और 362 के लागू होने के बाद, समझौतों और वाचाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। वाचाओं और समझौतों का संदर्भ आकस्मिक और सहायक था और दायित्व का स्रोत केवल संविधान से आता था। इसलिए, 'गारंटी' या 'आश्वासन' शब्दों के उपयोग पर आग्रह किया गया विवाद बिना किसी बल के और पूरी तरह से असमर्थनीय है।

(जोर दिया गया)

91. संविधान के प्रारंभ के बाद, अनुच्छेद 366 (22) के अनुसरण में, शासकों को मान्यता दी गई थी और वे निम्नलिखित के आधार पर प्रिवी पर्स, विशेषाधिकार, गरिमा आदि का आनंद ले रहे थेः

प्रिवी पर्स, विशेषाधिकार आदि को हटाने का पक्ष लेना। लेकिन लोकसभा में पारित विधेयक हालांकि राज्यसभा में आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा और इस तरह यह समाप्त हो गया। इसके बाद ही भारत के राष्ट्रपति ने निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया उस पर अनुच्छेद 366 (22) के तहत शासकों को मान्यता देना और शासकों द्वारा प्राप्त प्रिवी पर्स, विशेषाधिकारों आदि को रोकना। यह आदेश

राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाना माधव राव 1 2 में चुनौती का विषय था। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के आदेश को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया क्योंकि न्यायालय के विचार में शासकों की मान्यता रद्द करने से प्रिवी पर्स का अधिकार नहीं छीन लिया जाएगा जब

संविधान में अनुच्छेद 291 और 362 थे। श्री सोली जे. सोराबजी द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे केवल उसी संदर्भ में किए गए थे। इस निर्णय के प्रभाव पर काबू पाने के लिए संसद ने 26 वां संशोधन पारित किया था। अब इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 363–ए को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 366 के खंड (22) में संशोधन किया गया है। इसलिए, किसी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उपरोक्त हटाए गए लेख और अपरिवर्तित खंड इस अधिनियम का अनिवार्य हिस्सा थे। संवैधानिक योजना। इसलिए उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश को दी गई चुनौती के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें संविधान में कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई थी, जो उस समय मौजूद थे। किसी भी मामले में, अनुच्छेद का संवैधानिक प्रतिबंध

363 शासकों द्वारा निष्पादित वाचाओं और संधियों से उत्पन्न होने वाले विवादों में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता को अस्वीकार करता है। छब्बीसवें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का कथन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उपरोक्त अनुच्छेदों का प्रतिधारण और विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स की निरंतरता के साथ असंगत होगासंविधान में समतावादी समाज को आश्वासन दिया गया है और इसलिए, शासन की अवधारणा को हटाने और शासकों को दी गई मान्यता को समाप्त करने और प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए, इस संशोधन को आवश्यक महसूस किया गया था।

(जोर दिया गया)

:

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

96. प्रिवी पर्स का स्थायी प्रतिधारण और इसके विशेषाधिकार अधिकार संप्रभु और गणराज्य के साथ असंगत होंगे

सरकार का रूप। इस तरह का प्रतिधारण भी असंगत होगा।

संसद जिसने उपरोक्त प्रावधानों को निरस्त करने के लिए कार्य किया अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए। अनुच्छेद 291 को हटाकर निजी अधिकार, गरिमा आदि के अधिकार को अस्वीकार करना।

और 362, अनुच्छेद 363–ए का समावेशन और अनुच्छेद 366 के खंड (22) का संशोधन जिसके द्वारा शासकों की मान्यता और भुगतान

वापस लिए गए प्रिवी पर्स को आहत नहीं कहा जा सकता है

अनुच्छेद 14 या 19 (जी) [एस. आई. सी. 19 (1) (एफ)] और हमें इस तरह की प्रस्तुति में कोई तर्क नहीं मिलता है। न्याय का कोई सिद्धांत नहीं, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक।

या 26 वें संशोधन द्वारा सामाजिक का उल्लंघन किया गया है। राजनीतिक

न्याय लोगों के अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात

सार्वभौमिक मताधिकार, सरकार के लोकतांत्रिक रूप का अधिकार और राजनीतिक मामलों में भागीदारी का अधिकार। आर्थिक न्याय है

संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित। सामाजिक न्याय है

अनुच्छेद 38 में निहित। दोनों के निर्देशक सिद्धांतों में हैं

संविधान। इनमें से कोई भी अधिकार संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया गया है

यह संशोधन। हम महसूस करते हैं कि इस विवाद को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है

और, इसलिए, हम अगले बिंदु पर आगे बढ़ेंगे

बहस "।

जे. मोहन ने अपनी अलग राय में बहुमत से सहमति व्यक्त की।

आयन और अवलोकितः

" 151. अनुच्छेद 291 और 362 में दी गई गारंटी इस बात की गारंटी है कि

प्रिवी पर्स का भुगतान। ऐसी गारंटी हमेशा हो सकती है

लोक हित में निरस्त किया गया; विशेष रूप से, एक नीतिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए

या संविधान के निर्देशक सिद्धांत। ठीक यही है।

विवादित संशोधन की प्रस्तावना क्या कहती है। कि ऐसा होने पर, अनुबंध की पवित्रता या की अपरिवर्तनीयता का सिद्धांतअनुच्छेद 291 या 362 का कोई आधार नहीं है। का सिद्धांत

राजनीतिक न्याय भी मान्य नहीं है क्योंकि राजनीतिक न्याय का अर्थ है

राजनीतिक समानता का सिद्धांत जैसे कि वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक सरकार का रूप, आदि।

152. संधियाँ/करार/आदि। संघ के बीच प्रवेश किया

भारत और शासकों का शासन राजनीतिक कार्रवाई का परिणाम था। नहीं।

न्यायसंगत अधिकार सृजित किए जाने का इरादा था। अनुच्छेद 363 के अनुसार

अपने मूल रूप में इस प्रस्ताव को स्पष्ट करता है।

अधिकार और [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छब्बीसवें संशोधन से पहले के अनुच्छेदों में विशेषाधिकार सरकार के राज्य के अधिनियमों के रूप में थे न कि शासकों के बलिदानों की मान्यता में। किसी भी तरह से, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि शासकों को दी गई इन गारंटी को कभी भी अनिश्चित काल तक जारी रखने का इरादा था।

इस प्रकार, इस न्यायालय ने सभी चुनौतियों को खारिज कर दिया और संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 को वैध ठहराया।89. भारतीय राज्यों के शासकों की मान्यता रद्द करने और संविधान द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त करने का परिणाम (26)

संशोधन) अधिनियम, 1971, संसद ने 1972 अधिनियम अधिनियमित किया। 1972 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान ऊपर पैराग्राफ 19 में दिए गए हैं। इसने कुछ अधिनियमों में संशोधन करने की मांग की, जिन्होंने पूर्व शासकों को विशेषाधिकार दिए थे। धन कर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित ऐसा ही एक उदाहरण उक्त अनुच्छेद 19 में विस्तार से दिया गया है।

1972 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि विशेषाधिकारों को अनिश्चित काल तक जारी रखना अक्षम्य पाया गया था, लेकिन वापस लेना या बंद करना तत्काल "पूर्व शासकों को उत्तरोत्तर समायोजित करने में सक्षम बनाने के लिए" नहीं होगा।

इस प्रकार, प्रिवी पर्स के विपरीत, जिसे तत्काल समाप्त करने का इरादा था और इसलिए प्रिवी पर्स के लिए स्रोत, अर्थात् अनुच्छेद 291 को स्वयं हटा दिया गया था, अनुच्छेद 362 के विलोपन के परिणामस्वरूप प्रत्येक विशेषाधिकार या व्यक्तिगत अधिकार की समाप्ति नहीं होगी जिसके संबंध में अनुच्छेद 362 के संदर्भ में विधायी शक्ति का प्रयोग करते समय "उचित सम्मान" था। स्रोत वैधानिक में हैअनुच्छेद 362 के हटाए जाने के बावजूद, यदि संबंधित विधान जारी रहते हैं, तो व्यक्तिगत अधिकार या विशेषाधिकार अभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बल पर व्यक्तिगत अधिकारों या विशेषाधिकारों के रूप में कुछ लाभ अभी भी उपलब्ध हैं। संबंधित विधानमंडलों को उचित कदम उठाने होंगे।

कानून के अनुसार कदम, या तो ऐसे लाभों के विस्तार के प्रभाव और संचालन को समाप्त करने के लिए या उन्हें संचालित करने या सीमा को कम करने और क्रमिक परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए, जैसा कि 1972 के अधिनियम द्वारा किया जाना था। 90. इस प्रकार, यदि टी. सी. अधिनियम के प्रावधानों ने इस हद तक "श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर" से संबंधित भाग । के अध्याय ।।। को अधिनियमित किया।

और संबंधित प्रावधानों को श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर में आश्वासनों और गारंटी को "उचित सम्मान" देने के साथ संबंधित विधानमंडल द्वारा एक अभ्यास के रूप में लिया जाता है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

अनुच्छेद 362 को हटाने के साथ संबंधित प्रावधान अभी भी होंगे जब तक संबंधित द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तब तक कार्यात्मक

विधायिका।

91. जैसा कि ऊपर उल्लिखित श्वेत पत्र से स्पष्ट है कि समझौतों या समझौतों में दिए गए आश्वासन और गारंटी

विभिन्न शासकों के साथ प्रवेश करने के लिए आम तौर पर चार तत्व होते थे; i) कुछ राशियाँ प्रिवी पर्स के माध्यम से शासकों को देय होंगी; ii) कि शासक की निजी संपत्तियों के रूप में उल्लिखित कुछ संपत्तियाँ उसकी व्यक्तिगत क्षमता में शासक में निहित होंगी; iii) गद्दी का उत्तराधिकार प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार सख्ती से चलेगा; और iv) कि शासकों और कुछ मामलों में शासक के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार, विशेषाधिकार और गरिमा उपलब्ध रहती हैं।

तत्व (ii) और (iii) सामान्य घटनाएँ हैं जो उक्त अनुच्छेद 291 और 362 के दायरे में नहीं थीं। संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के बावजूद, शासक की निजी संपत्तियाँ सामान्य उत्तराधिकार और हस्तांतरण के लिए उपलब्ध रहतीं। कानून और प्रथा के अनुसार। हालांकि शासक या शासन जैसी अवधारणाओं का संचालन बंद हो गया है, गद्दी का उत्तराधिकार एक घटना के रूप में

यह अभी भी काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक तलवार या कोई अन्य औपचारिक हथियार, या एक सरपेच, या विरासत के आभूषण हो सकते हैं, जो अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार के सामान्य तरीके के विपरीत, ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार होना चाहिए। ऐसी सभी घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप–धारा (1) के खंड (iv) में है जिसमें इस पद का उपयोग किया गया है – " किसी भी शासक के कब्जे में आभूषण, जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, जिसे उसकी "विरासत" के रूप में मान्यता दी गई थी। ऐसी वस्तुएँ या गुण जो तत्व (iii) में आते हैं या कड़ाई से जुड़े होते हैं, गद्दी के उत्तराधिकार के साथ उतर सकते हैं और स्वभाव से निष्पक्ष रहना चाहिए। दूसरी ओर, यदि उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धांतों को उत्तराधिकार के किसी भी स्तर पर लागू किया जाता है, तो "विरासत" के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी वस्तुओं या संपत्तियों को एक से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा करने की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए यह निष्पक्ष नहीं रहेगा।

93. इन चार तत्वों को वर्तमान मामले में अनुबंध में क्रमशः अनुच्छेद XIV, XV, XVII और XVI द्वारा शामिल किया गया था।

हालाँकि, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त चार आश्वासनों के अलावा, वाचा में एक

अनुच्छेद VIII (बी) में अतिरिक्त और महत्वपूर्ण पहलू। इसने स्वीकार किया और स्वीकार किया कि मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की संपत्ति के संबंध में प्रशासन, जो वाचा राज्य के शासक में भी निहित था,

उसमें निर्धारित तरीके से संचालित किया जाता रहेगा, जो त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। इस तरह के अनुच्छेद का प्रभाव और यह तथ्य कि इस तरह का निहित होना शासक की क्षमता में नहीं था, पहले ही निपटा लिया गया है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि "त्रावणकोर का शासक" शब्द केवल उस व्यक्ति का पता लगाने और उसका वर्णन करने के लिए था जो प्रशासन के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होगा।

94. परिसर में, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 ने किसी भी तरह से मंदिर, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और उनके प्रशासन को प्रभावित या प्रभावित नहीं किया।

मंदिर की संपत्तियाँ, जो त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में बनी रहीं।

95. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 21 में कहा गया है, श्री चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा जिन्होंने राज्य के शासक के रूप में वाचा पर हस्ताक्षर किए थे।त्रावणकोर के करार राज्य का 19.07.1991 पर निधन हो गया।

96. राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि त्रावणकोर के करार राज्य के उक्त शासक को विधिवत मान्यता दी गई थी

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 366 (22) के संदर्भ में, जैसा कि यह संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 से पहले था, और यह कि उक्त संशोधन के बाद भी, अनुच्छेद 366 (22) के तहत शासक की संशोधित परिभाषा के आधार पर उन्होंने मानदंडों को पूरा करना जारी रखा, और "शासक" की परिभाषा का उत्तर दे सकते थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार वे त्रावणकोर के मान्यता प्राप्त शासक थे और उस क्षमता में वे अपने जीवनकाल के दौरान टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। का लाभ प्राप्त कर सकते थे; कि उनकी मृत्यु के बाद, किसी भी व्यक्ति या उत्तराधिकारी को अनुच्छेद 366 (22) के संदर्भ में त्रावणकोर के शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी, जैसा कि संशोधित किया गया था; और इस तरह, कोई भी व्यक्ति "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर नहीं आ सकता है जैसा कि भाग । के उक्त अध्याय ।।। में उपयोग किया गया है, और परिणामस्वरूप, कोई भी व्यक्ति या उत्तराधिकारी टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में विभिन्न प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकता था। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं के साथ-साथ उनका समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतिकरण उक्त श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. के प्रयोजनों के लिए है।

भाग । के अध्याय ।।। में अनुच्छेद 366 (22) की परिभाषा शासी परिभाषा नहीं होगी। इस मामले का मूल्यांकन उस संदर्भ के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें वाचा और टी. सी. अधिनियम में अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था।

97. इसके पहले के पहले और दूसरे खंडों में हुई चर्चा ने हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि जिस दिन वाचा प्रभावी हुई थी, उस दिन त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक मंदिर के शेबैत का पद संभाल रहे थे, जो शासक के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता में नहीं था; और यह कि अनुच्छेद VIII के उप अनुच्छेद (बी) का प्रभाव पहली बार उनके आधिकारिक दर्जे के कारण उनमें कोई नया अधिकार और शक्ति निवेश करना नहीं

था, बल्कि मौजूदा प्राधिकरण और शक्ति की स्वीकृति थी जो पहले से ही उनमें निहित थी। हमारे द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि वाचा और टी. सी. अधिनियम में "त्रावणकोर का शासक" अभिव्यक्ति केवल व्यक्ति की पहचान करने के लिए थी, और त्रावणकोर के शासक की आधिकारिक स्थिति का इस तरह के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था।

विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत जिन पर पहले खंड में विचार किया गया था, उन्हें हमने पैरा 72 में रखा है।

यहाँ ऊपर। यदि तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, शेबैटशिप किसी भी अन्य वंशानुगत संपत्ति की तरह है जो प्रथा या उपयोग के अनुसार हस्तांतरित होगी, और सभी मामलों में प्रथा का शासन प्रबल होना चाहिए, 1991 में त्रावणकोर के पूर्व शासक की मृत्यु के बाद भी, मंदिर का शेबैटशिप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की आधिकारिक स्थिति से असंबद्ध होने के कारण, उत्तराधिकार और प्रथा के लागू कानूनों द्वारा विभाजित होना चाहिए।

अनुच्छेद 8 में उल्लिखित 10.08.1947 पर जारी की गई घोषणा में उत्तराधिकार के लागू सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। द. रेवथिअनल 1 3 में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी तरह का प्रभाव रखता है। इस प्रकार, उत्तराधिकार और प्रथा के संबंधित सिद्धांतों के अनुसार, उत्तराधिकारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

98. यहां यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि टी. सी. अधिनियम ने अनुच्छेद 366 के तहत "शासक" अभिव्यक्ति और शासक की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया है।

(22) संविधान का अनुच्छेद संविधान के प्रयोजनों के लिए है जबकि संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत समावेशी तरीके से परिभाषित "शासक" अभिव्यक्ति केवल उक्त अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव काकतीय बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश 55 इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा थाः

55 (1961) 2 एससीआर 501 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... कला के प्रावधानों में कुछ भी नहीं है। 366 (22) जिसके लिए अदालत को ऐसे व्यक्ति को उद्देश्यों के लिए शासक के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता होती है

संविधान के बाहर। ..... "

इसी तरह, रानी रत्न प्रोवा देवी बनाम उड़ीसा राज्य और एक अन्य 56 में, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने कहा थाः

" ... लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कला द्वारा निर्धारित परिभाषाएँ। 366 संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने के उद्देश्य से हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, और इसलिए, यह तर्क कि अधिनियम द्वारा निर्धारित "शासक" शब्द की परिभाषा कला द्वारा निर्धारित परिभाषा के साथ असंगत है। 366 (22) , वास्तव में इसका कोई सार या अर्थ नहीं है। .....

टी. सी. अधिनियम में बनाया गया था। इसलिए सवाल यह है कि क्या टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "त्रावणकोर के शासक" को उनके उत्तराधिकारियों को शामिल करने के लिए समझा जा सकता है। कस्टम करने के लिए।

100. टी. सी. अधिनियम के भाग 1 की धारा 15,62 और अध्याय 3 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन प्रावधानों को क़ानून में रखा गया था।

वाचा के प्रति "उचित सम्मान" रखने वाली पुस्तक। चूँकि इन प्रावधानों का स्रोत वाचा में निहित है, और "त्रावणकोर के शासक", या उस मामले के लिए "कोचि के शासक" की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए इसका आकलन करने या समझने के लिए वाचा के प्रासंगिक अनुच्छेदों पर विचार करना होगा।

टी. सी. अधिनियम के उक्त प्रावधानों का महत्व। टी. सी. अधिनियम के भाग । की धारा 15,62 और अध्याय ।।। को मुख्य रूप से अनुच्छेद V।।। को प्रभावी बनाने और आम तौर पर वाचा को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

56 (1964) 6 एस. सी. आर. 301 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

101. पहले के खंडों में, हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि अनुच्छेद V।।। ने मंदिर के प्रशासन के बारे में बात करते हुए स्पष्ट रूप से "अब शासक में विश्वास में निहित" अभिव्यक्ति का उपयोग किया था।

पंडरवाग की संपत्तियाँ और मंदिर की संपत्तियाँ। इस प्रकार वाचा ने न केवल ऐसी स्थिति को स्वीकार किया, बल्कि अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद 'ख' में भी। V।।।, उस स्थिति को जारी रखने का इरादा है जहां ऐसा व्यक्ति मंदिर के प्रशासन पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करना जारी रखेगा। यह मंदिर के साथ शासक परिवार के लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव और शासकों की निरंतर पंक्ति द्वारा आयोजित शेबैटशिप की पृष्ठभूमि में था। इसलिए टी. सी. अधिनियम के प्रावधानों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "त्रावणकोर के शासक" को उसी प्रकाश में समझा जाना चाहिए। जैसा कि पहले माना गया था, वाचा का उद्देश्य कभी भी "त्रावणकोर के शासक" में पहले से निहित प्रशासन के अधिकार को सीमित करना या समाप्त करना नहीं था, और इस तरह की अभिव्यक्ति का उद्देश्य वर्तमान पदधारी या उस व्यक्ति तक सीमित नहीं था जिसने त्रावणकोर के वाचा राज्य के शासक के रूप में हस्ताक्षर किए थे। विरासत सहित शेबैटशिप की सामान्य घटनाओं को देखते हुए, जिस संदर्भ में अभिव्यक्ति का उपयोग वाचा के अनुच्छेद V।।। में किया गया था, और TC अधिनियम के प्रावधानों में किया गया था, यह माना

जाना चाहिए कि इस तरह की अभिव्यक्ति में उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी शामिल होने चाहिए जिसने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे।

102. वाचा के अलावा, "त्रावणकोर का शासक" शब्द का उपयोग टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में नहीं किया गया था।

त्रावणकोर के शासक के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए किसी अन्य अधिनियम या साधन पर निर्भर करता है, और न ही संविधान के अनुच्छेद 363 या 366 (22) के तहत "शासक" की परिभाषा के अनुसार जाने का कोई स्पष्ट या निहित इरादा है। वाचा कानून के अनुसार उत्तराधिकार की बात करती है।

और प्रथा, और इस तरह से उत्तराधिकारी की पहचान की जानी चाहिए। जैसा कि हिदायतुल्ला, सी. जे. ने अपने फैसले के पैराग्राफ 53 और 7257 में कहा है

माधव राव जीवाजी राव सिंधिया "अनुच्छेद 366 (22) में उस समय की परिभाषा केवल एक विशेष शासक को खोजने की कुंजी थी, और यह कि शासक के उत्तराधिकारी के चयन को वाचा के तहत तैयार किया जाना आवश्यक था। अनुच्छेद 366 (22) के तहत उत्तराधिकारी का चयन करने की विधि, जो उस समय थी, किसी अलग सूत्र या सिद्धांत के माध्यम से नहीं थी, बल्कि संबंधित कानून और प्रथा में निहित थी। यह कि अनुबंध से उपलब्ध अंतर्निहित सिद्धांत होने के कारण, अवसर पर उत्तराधिकारी की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

उठती है।

57 ऊपर अनुच्छेद 84 में उद्धृत [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि स्वीकार किया जाता है, तो यह अतुलनीय असुविधा और पूर्वाग्रह की ओर ले जाएगा। पहला, इस तरह की अभिव्यक्ति को किसी भी मान्यता पर निर्भर करने का विधानमंडल का इरादा कभी नहीं था। दूसरा, संविधान (26) के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है। संशोधन) अधिनियम, 1971 ऐसी कोई मान्यता प्रदान करने के लिए। तीसरा, इस तरह की व्याख्या के परिणाम का मतलब होगा कि अखंड

शेबैटशिप के उत्तराधिकार की रेखा समाप्त हो जाएगी जिससे टी. सी. अधिनियम के भाग । का पूरा अध्याय ।।। अर्थहीन और निरर्थक हो जाएगा। नतीजतन, मंदिर के प्रशासन, श्री पंडरवाग की संपत्तियों और मंदिर की संपत्तियों को भारी नुकसान होगा।

पूर्वाग्रह। अधिनियम की धारा 15 जिसमें देवस्वोम और हिंदू धार्मिक दान के संबंध में अधिकार, अधिकार और अधिकार क्षेत्र निहित है

त्रावणकोर बोर्ड में भाग । के अध्याय ।।। के लिए भी लागू नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। विधायिका को इस तरह के इरादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, विधानमंडल को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि शेबैटशिप वंशानुगत थी, और उत्तराधिकार की एक अटूट पंक्ति में कुछ शताब्दियों तक शाही परिवार में रही। यह इस कारण से है, वाचा की शर्तों के अनुरूप, एक विशेष

टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में व्यवस्था की गई थी।

104. यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि राज्य ने मुकदमों में दायर दो हलफनामों में स्पष्ट रुख अपनाया है कि मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर महल द्वारा किया जाता है। ये हलफनामे राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 1991 में तत्कालीन शासक की मृत्यु के काफी बाद दायर किए गए थे। राज्य तंत्र या अपने आप में अधिकारियों की समझ कभी भी निर्धारण मानदंड नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक प्रासंगिक कारक है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय ने नेशनल एंड ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड में कहा है। ग्रेटर नगर निगम, बॉम्बे 9 8 और देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन Ltd.59

105. तत्काल मामले में, चूंकि शेबैटशिप त्रावणकोर के शासक में निहित थी, न कि उनकी आधिकारिक क्षमता में, की सामान्य घटना

58 (1969) 1 एससीसी 541 पैरा 5

59 9 (1979) 4 एस. सी. सी. 565 पैरा 9 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

मंदिर, श्री पांडवराग की संपत्तियों और मंदिर की संपत्तियों, टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में दिखाई देने वाली "त्रावणकोर के शासक" अभिव्यक्ति का अर्थ होना चाहिए –

प्रचलित कानून और प्रथा। इस प्रक्रिया में किसी को अनुच्छेद 366 (22) के तहत या संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत शासक की परिभाषा पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

भारत का संविधान। ऊपर पैरा 72 में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप, प्रशासन के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद, वंशानुगत हित को प्रथागत अधिकारों के अनुसार हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

106. इसके अलावा, जब तक शेबैटशिप और प्रशासन के प्रभारी की उत्तराधिकार रेखा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक उच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार पलायन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट में इवम अन्ना क्षेत्र ट्रस्ट बनाम।कलेक्टर, हरिद्वार ", इस न्यायालय को एक सार्वजनिक न्यास के संदर्भ में धोखाधड़ी के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। उस मामले में, एक मोहनलाल की मृत्यु के बाद, जिसके नाम पर संपत्ति का पट्टा सुरक्षित किया गया था, कलेक्टर ने निष्कर्ष निकाला था कि संपत्ति कानून के संचालन से राज्य सरकार में निहित है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, जिसने कलेक्टर के निष्कर्षों की पुष्टि की थी, इस न्यायालय ने कहाः

" 20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29

कलेक्टर द्वारा आह्वान किया गया। धारा 29 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 29. उत्तराधिकारियों की विफलता। यदि किसी निर्वसीयत ने अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है, तो

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित की जाएगी और सरकार उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगी।

उन सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन जिसके लिए एक उत्तराधिकारी होगा

विषय रहा है "।

धारा 29 धोखाधड़ी के सिद्धांत को मूर्त रूप देती है। एस्केट का सिद्धांत यह मानता है कि जहां एक व्यक्ति निर्वसीयत मर जाता है और एक उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ता है जो संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए योग्य है,

संपत्ति सरकार को हस्तांतरित की जाती है। हालाँकि ऐसी स्थिति में संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है, फिर भी सरकार इसे अपने सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन लेती है। दूसरे शब्दों में, राज्य संपत्ति नहीं लेता है (एस. सी. सी. पी. पर। 113, पैरा 12) "मृतक के प्रतिद्वंद्वी या तरजीही उत्तराधिकारी के रूप में लेकिन

देश की पूरी मिट्टी के सर्वोपरि स्वामी के रूप में ", जैसा कि आयोजित किया गया था

60 (2017) 16 एससीसी 418 [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब राज्य बनाम। बलवंत सिंह "1. हेल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड "2 के इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा धारा 29 के दायरे को समझाते हुए अपनाया गया था। धारा 29 केवल उत्तराधिकारियों की विफलता पर लागू होती है। असफलता का अर्थ है निर्वसीयत मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के किसी भी उत्तराधिकारी की पूर्ण अनुपस्थिति। जब कोई सवाल इसके अलावा, जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करती है जो उस व्यक्ति की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए योग्य उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति का दावा करता है जो मामले को स्थापित करने के लिए निर्वसीयत रूप से मर गया है। कानून इस तरह के परिणाम को तुरंत स्वीकार नहीं करता है। बिहार राज्य में v. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ राधा कृष्ण सिंह ने निम्नलिखित टिप्पणियों में सिद्धांत तैयार कियाः

" 272. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब सरकार द्वारा धोखाधड़ी का दावा किया जाता है तो बहुत अधिक जिम्मेदारी सरकार पर होती है।

प्रत्यर्थी के किसी भी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति साबित करने के लिए अपीलार्थीदुनिया में कहीं भी। आम तौर पर, अदालत इस बात पर नाराज़ होती है कि संपत्ति को धोखाधड़ी द्वारा लिया जा रहा है जब तक कि इसके लिए आवश्यक शर्तें न हों

एस्केट पूरी तरह से और पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी की याचिका पर विचार करने से पहले, सरकार द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए ताकि यदि देश में कहीं भी या दुनिया में उस मामले के लिए कोई दावेदार है, तो वह राज्य के दावे को चुनौती देने के लिए आगे आ सके। तत्काल मामले में, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने प्रतिवादी–वादियों के दावों का विरोध करते हुए केवल खुद को संतुष्ट किया। भले ही वे यह दिखाने में सफल हो जाते हैं कि वादी दिवंगत महाराजा के निकटतम प्रत्यावर्तक नहीं थे, लेकिन यह एक तार्किक परिणाम के रूप में नहीं आता है कि वादी के दावे की विफलता से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलेगा कि कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है जो किसी भी समय संपत्तियों पर दावा करने के लिए आगे आ सकता है।

22. रामबीर दास बनाम। कल्याण दास '4 इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने वेश्यावृत्ति के एक मामले पर विचार किया। न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी के प्रसिद्ध टैगोर कानून का हवाला देते हुए अनुमोदन के साथ व्याख्यान, इस न्यायालय ने कानून की स्थिति पर ध्यान दिया

पूरक (3) एस. सी. सी. 108

डीएन। , खण्ड. 17 , पैरा 14393) 3 एससीसी 118

7) 4 एस. सी. सी. 102 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

व्याख्यान में स्पष्ट किया गयाः (रामबीर दास मामला 64, एस. सी. सी. पी. 105, पैरा 3)

" 3. ..... ' चूँकि वेश्यावृत्ति संपत्ति है, इसलिए यह किसी भी संपत्ति की तरह है।

सामान्य हिंदू कानून के अनुसार अन्य संपत्ति विरासत। यदि यह संस्थापक में रहता है, तो यह संस्थापक के उत्तराधिकारियों की पंक्ति का अनुसरण करता है; यदि इसका पूरी तरह से किसी अनुदान प्राप्तकर्ता के पक्ष में निपटान किया जाता है, तो यह सामान्य तरीके से बाद वाले के उत्तराधिकारियों को सौंप दिया जाता है और यदि किसी भी कारण से दाता द्वारा नियुक्त वंश पूरी तरह से विफल हो जाता है, तो शेबैटशिप संस्थापक के परिवार को वापस कर दी जाती है। "

धोखाधड़ी के सवाल पर, बी. के. मुखर्जी, जे. इस प्रकार टिप्पणी करते हैंः पी। 106 , पैरा 3)

" 3. ..... ' जैसा कि संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों के लिए हमेशा एक अंतिम उलटफेर होता है, यदि शेबैट्स की पंक्ति विलुप्त हो जाती है, तो सख्ती से कहने पर जहां तक हस्तांतरण का सवाल नहीं उठता है।

शेबैटशिप का संबंध है। लेकिन ऐसे मामलों की कल्पना की जा सकती है जहाँ

संस्थापक ने कोई उत्तराधिकारी भी नहीं छोड़ा है, और ऐसे मामलों मेंसंस्थापक की संपत्तियां संपन्न संपत्ति के साथ राज्य को हस्तांतरित की जा सकती हैं। इस तरह की परिस्थितियों में, राज्य के अधिकार संभवतः संस्थापक के समान ही होंगे, और यह उसके लिए होगा कि वह नवोदित संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करे। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक समर्पित संपत्ति प्राप्त करने वाला राज्य ट्रस्ट को समाप्त कर सकता है और इसे इस तरह से मान सकता है

धर्मनिरपेक्ष संपत्ति।

दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में भी जब कोई संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों की वंशावली विलुप्त हो जाती है, और संपत्ति राज्य को सौंप दी जाती है, वह राज्य जो एक समर्पित संपत्ति प्राप्त करता है, न्यास के अधीन होता है और

इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, हम नोट कर सकते हैं, धारा 29 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि राज्य "उन सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन संपत्ति लेगा जिनके लिए एक उत्तराधिकारी अधीन होता।" 23. इस मामले का फैसला करते समय, इस न्यायालय को इस तय किए गए सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक कि वह किसी गणित या धार्मिक संस्था का संस्थापक न हो।

संस्थान ने उत्तराधिकार को नियंत्रित करने का सिद्धांत निर्धारित किया है

दान, उत्तराधिकार को प्रथा या उपयोग द्वारा विनियमित किया जाता हैसंस्था को। यह सिद्धांत छह दशकों में प्रतिपादित किया गया था।

इससे पहले इस न्यायालय द्वारा सीतल दास बनाम. संत राम 4 3 43, चार न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए बी. के. मुखर्जी, जे. द्वारा प्रस्तुत किया गयाः (एयर पी। 609, पैरा 9)

" 9. हमारे समक्ष अपील में पक्षों द्वारा उठाए गए तर्क मुख्य रूप से इस बिंदु पर केंद्रित हैं कि क्या इसके बाद वादी या प्रतिवादी 3, किशोर दास की मृत्यु ने विवाद में ठाकुरद्वारा के संबंध में महांत के अधिकार प्राप्त कर लिए।

कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक के महांत के उत्तराधिकार

मठ या धार्मिक संस्थान को प्रथा या विशेष संस्थान के उपयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां उत्तराधिकार का नियम है।

स्वयं संस्थापक द्वारा निर्धारित किया गया जिसने बंदोबस्ती का निर्माण किया।

जैसा कि न्यायिक समिति ने निर्धारित किया है [वीडियो गेंदा पुरी बनाम।

छतर पुरी 44, आई. ए. पी. 105] इस पर कई मामलों में से एक में

बिन्दुः (एस. सी. सी. ऑनलाइन पीसी)

" ... यह निर्धारित करने में कि मोहंत के रूप में कौन सफल होने का हकदार है, एकमात्र कानून जिसका पालन किया जाना चाहिए, वह प्रथा और व्यवहार में पाया जाता है, जिसे गवाही द्वारा साबित किया जाना चाहिए, और दावेदार को यह दिखाना चाहिए कि वह प्रथा के अनुसार कार्यालय और भूमि और संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने का हकदार है।

यह '।

केवल प्रतिवादी के अधिकार की दुर्बलता, जो कब्जे में है,

वादी की मदद नहीं करेंगे। "

....

.....

संपत्ति में सफल होने के लिए, एक ठोस तर्क पर आधारित है। एस्कीट एक ऐसा सिद्धांत है जो राज्य को सर्वोपरि संप्रभु के रूप में मान्यता देता है। जिसमें संपत्ति केवल उत्तराधिकारियों की विफलता के स्पष्ट और स्थापित मामले पर निहित होगी। यह सिद्धांत इस मानदंड पर आधारित है कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में, न्यायालय यह नहीं मानेगा कि निजी स्वामित्व राज्य के पक्ष में अधिस्थापित हैं।

एक शासी वैधानिक प्रावधान के आधार पर एक स्पष्ट मामले का अभाव। प्रशासनिक अधिकारियों को अनुमति देने के लिए

कलेक्टर सहित राज्य, जैसा कि वर्तमान मामले में नागरिक विवादों से जुड़े स्वामित्व के मामलों पर निर्णय लेना विनाशकारी होगा।

कानून के शासन से। कलेक्टर राज्य का एक अधिकारी होता है। वह केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कानून विशेष रूप से उसे निजी विवादों में प्रवेश करने के लिए प्रदान करता है। इसके विपरीत, एक दीवानी अदालत

सिविल श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. आर. से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

उन विवादों को छोड़कर जहां न्यायालय की अधिकारिता को क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा छीन लिया जाता है। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि कलेक्टर ने वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अधिकार को मान्य करने के लिए जाए जिसका

याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति पर दावा किया जाता है। अदालत से यह तय करने के लिए नहीं कहा जाता है कि ट्रस्ट द्वारा पैंतालीस वर्षों से अधिक समय से दावा किया गया कब्जा किसी विश्वसनीय अधिकार द्वारा समर्थित है या नहीं। आवश्यक बात यह है कि इस तरह के न्यायिक कार्य को कलेक्टर द्वारा अपने लिए अभिमानी नहीं किया जा सकता था। शीर्षकों पर निर्णय सिविल संहिता की धारा 9 के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार का सहारा लेना चाहिए।

प्रक्रिया, 1908 "।

107. इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि श्री चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा की मृत्यु, जिन्होंने वाचा पर हस्ताक्षर किए थे, में नहीं होगी। किसी भी तरह से त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा आयोजित मंदिर के शेबैटशिप को प्रभावित करता है; कि ऐसी मृत्यु के बाद, शेबैटशिप को उसके उत्तराधिकारी पर लागू कानून और प्रथा के अनुसार हस्तांतरित किया जाना चाहिए; कि

टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "त्रावणकोर के शासक" में उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए

कानून और प्रथा; और यह कि शेबैटशिप एस्केट के सिद्धांत से राज्य के पक्ष में समाप्त नहीं हुई।

108. अब हमें दो निर्णयों से निपटना होगा जिन पर 2011 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.12361 से उत्पन्न अपील में प्रत्यर्थी Nos.3, 4 और 6 के विद्वान वकील श्री सुरेश द्वारा भरोसा रखा गया था।

ए) बाला शंकर शंकर भट्टजी और अन्य बनाम चैरिटी कमिश्नर, गुजरात राज्य 23 में मूल मुद्दा यह था कि क्या कालिका माताजी मंदिर एक सार्वजनिक न्यास था। उच्च न्यायालय ने पाया कि सनद द्वारा संप्रभु शासकों के रूप में सिंधियाओं ने 1860 में उनके बीच हुई एक संधि द्वारा मंदिर के संबंध में अपने दायित्वों को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद

इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा सिद्धांतों को निम्नानुसार नोट किया गया थाः –

" 19. एक मंदिर होने के लिए, सार्वजनिक धार्मिक पूजा के लिए एक स्थान होना चाहिए और या तो समर्पित होना चाहिए।व्यापक समुदाय या उसके किसी वर्ग को सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में। निजी मंदिर और सार्वजनिक मंदिर के बीच का अंतर अब अच्छी तरह से तय हो गया है। पूर्व के मामले में लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति हैं; उत्तरार्द्ध में वे [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

अनिश्चित या उतार–चढ़ाव वाली आम जनता या उसका कोई वर्ग। सबूत के बोझ का मतलब होगा कि एक पक्ष को अपने पक्ष में फैसले का हकदार होने से पहले एक आरोप साबित करना होगा। प्रतिद्वंद्वी पक्षों में से एक या दूसरे

को एक विवादित मुद्दे पर सबूत पेश करना होता है। जिम्मेदारी का सवाल केवल सामग्री है जहां जिस पक्ष पर इसे रखा गया है वह अंततः हार जाएगा यदि वह उसी का निर्वहन करने में विफल रहता है। हालाँकि, जहाँ पक्ष इस मुद्दे में शामिल हुए, साक्ष्य का नेतृत्व किया, ऐसे साक्ष्य को मुद्दे को निर्धारित करने के लिए तौला जा सकता है। बोझ का सवाल अकादमिक हो जाता है।

20. एक मूर्ति एक कानूनी व्यक्ति है जो संपत्ति रखने में सक्षम है। इसे दी गई संपत्ति इसमें निहित है लेकिन मूर्ति का दान में कोई लाभकारी हित नहीं है। लाभार्थी उपासक होते हैं। समर्पण मौखिक रूप से किया जा सकता है या आचरण से या तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह से अनुमान लगाया जा सकता है। जनता को साक्ष्य समर्पण के लिए एक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। द. मंदिर के सार्वजनिक चरित्र के बारे में मंदिर के प्रबंधक या भक्तों की चेतना; जनता द्वारा संपत्तियों का उपहार

या शासक या सरकार द्वारा अनुदान; और जनता द्वारा मंदिर में पूजा के अधिकार के रूप में लंबे समय तक उपयोग करना प्रासंगिक तथ्य हैं जो एक

इस दृष्टिकोण के पक्ष में दृढ़ता से धारणा है कि मंदिर एक है सार्वजनिक मंदिर। विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंदिर का वास्तविक स्वरूप तय किया जा सकता है। हालांकि लंबे समय तक परिवार के सदस्यों द्वारा मंदिर का प्रबंधन

समय, इस दृष्टिकोण के पक्ष में एक कारक है कि मंदिर एक निजी मंदिर है, यह निर्णायक नहीं है। इसे अन्य तथ्यों या परिस्थितियों के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है। का आंतरिक प्रबंधन

मंदिर व्यवस्थित अनुशासन का एक तरीका है या भक्तों को विशेष समय पर या कुछ अवधि के बाद पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है या प्रधान के जाने के बाद मंदिर निर्णायक नहीं होता है। मंदिर की प्रकृति और इसका स्थान भी प्रासंगिक तथ्य हैं। मंदिर में पूजा करने का जनता का अधिकार एक निष्कर्ष का विषय है। 21. जनता के प्रति समर्पण को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में प्राप्त साक्ष्य या परिस्थितियों से साबित किया जा सकता है। तथ्यों के दिए गए समूह में, वास्तविक समर्पण को साबित करना संभव नहीं है जिसका अनुमान इन सिद्ध तथ्यों पर लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान का उपयोग आम जनता या उसके एक वर्ग द्वारा बिना किसी बाधा के अधिकार के रूप में किया गया है।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर में। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

सार्वजनिक पदार्पण या दान, समर्पण जनता के उपयोग या लाभ के लिए है। लेकिन एक निजी दान में जब संपत्ति को परिवार की मूर्ति की पूजा के लिए अलग रखा जाता है, तो जनता को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। केवल यह तथ्य कि प्रबंधन में रहा है

परिवार के सदस्यों का हाथ इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति नहीं है कि मंदिर एक निजी न्यास है। किसी मामले मेंपरिवार के सदस्यों द्वारा प्रबंधन एक निष्कर्ष को जन्म दे सकता है कि मंदिर एक निजी मंदिर के चरित्र से

प्रभावित है और एक दस्तावेज़ के माध्यम से एक स्पष्ट समर्पण के अभाव में महत्व रखता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है,

जनता द्वारा उपयोगकर्ता में प्रबंधक या भक्तों की चेतना सही होनी चाहिए। यदि आम जनता ने हमेशा मंदिर का उपयोग सार्वजनिक पूजा और भक्ति के लिए उसी तरह किया है जैसे वे अन्य मंदिरों में करते हैं, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है। सार्वजनिक मंदिर की निर्णायकता का समर्थन। मंदिर की उत्पत्ति, जब पुरातनता में खो जाती है, तो सार्वजनिक पूजा के प्रति समर्पण साबित करना मुश्किल होता है। इसका अनुमान किसी मामले के सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों से ही लगाया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धांतों का कोई समूह नहीं कर सकता था

बिछाया जाए "।

यह निर्णय यह परीक्षण करने के लिए मापदंड निर्धारित करता है कि क्या कोई विशेष मंदिर एक निजी मंदिर है, या एक सार्वजनिक मंदिर है, और दोहराता है कि हालांकि इसे दी गई संपत्ति मूर्ति में निहित है, लेकिन इसमें कोई लाभकारी हित नहीं है और यह कि लाभार्थी उपासक हैं। यह भी।

यह स्वीकार करता है कि किसी मामले में मंदिर का प्रबंधन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष किसी भी मामले में नहीं हैं।

इस निर्णय और वर्तमान मामले में स्वीकृत आधार के साथ असंगत तरीका यह है कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है।

बी) दीप चंद बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 22, जो प्रश्न विचार के लिए उठे थे, वे वैधता से संबंधित थे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा बनाई गई योजना। इसके बाद, संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1956 लागू किया, जिसने मूल अधिनियम में अध्याय IVA को शामिल किया। इस मामले का परीक्षण तिरस्कार के सिद्धांतों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 13 के आधार पर भी किया गया था। दीप चंद (ऊपर) में निर्णय इस प्रकार वर्तमान विवाद पर लागू नहीं होता है।

109. मंदिर के उपनिवेशीकरण की प्रकृति और संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 और वाचा पर हस्ताक्षर करने वाले शासक की मृत्यु जैसे विकास के प्रभाव पर विचार करने के बाद, अब हम विभिन्न पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत अन्य मुद्दों की ओर मुड़ते हैं।

I] भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध

i) माधव राव जीवाजी राव सिंधिया 1 2 में उनकी राय के पैरा 77 में,

हिदायतुल्ला, सी. जे. ने कहा था कि जहां तक विधायी उपायों में जगह पाने वाली गारंटी है, अनुच्छेद 362 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है और विवाद का निर्णय उन कानूनों के आधार पर किया जा सकता है जो वाचा की सामग्री को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किए गए थे, और यह कि ऐसा मामला अनुच्छेद 362 को आकर्षित नहीं करेगा। समान प्रभाव के लिए बहुमत निर्णय द्वारा की गई टिप्पणियाँ हैं

ऊपर उद्धृत भागों में निर्णय। रघुनाथराव के प्रमुख फैसले के पैरा 60 में इस मामले को किसी भी संदेह से परे रखा गया था।

वादियों द्वारा सुझाई गई व्याख्या और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 363 में अंकित प्रतिबंध के भीतर नहीं आएगी। माधव राव जीवाजी राव सिंधिया मामले में इस न्यायालय के निर्णय 1 2 के साथ-साथ रघुनाथराव गणपतराव 1 ने इस तरह के किसी भी प्रतिबंध की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

ii) जैसा कि हिदायतुल्ला, सी. जे. के निर्णयों और बहुमत के फैसले के साथ-साथ हेगड़े, जे. की राय में देखा गया है, अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए, विवाद को अनुच्छेद 363 के दो अंगों में से किसी एक के तहत आना चाहिए। पहले अंग के तहत विवाद वाचा के प्रावधानों से उत्पन्न होना चाहिए, जबकि दूसरे अंग के तहत विवाद वाचा से संबंधित संविधान के प्रावधान से उत्पन्न होने वाले अधिकार के संबंध में होना चाहिए।

वर्तमान मामले में मुकदमों में उठाए गए विवाद, जिसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, ने केवल टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। में दिखाई देने वाली "त्रावणकोर के शासक" और श्री मार्तंड वर्मा (डी) टी. एच. आर. अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से अपीलकर्ता संख्या 1 के अधिकार पर सवाल उठाया था।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 363 के किसी भी अंग के अंतर्गत नहीं आएगा।

(ग) अलवर के कर्नल महामहिम सवाई तेज सिंहजी बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता और

एन. आर. इस प्रकार 1 6 पूरी तरह से गलत था। उस मामले में, अलवर के शासक द्वारा मुकदमा दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि तीन संपत्तियों-सचिवालय भवन, दौलत खाना भवन और इंद्र विमान स्टेशन को उक्त शासक की निजी संपत्तियों के रूप में घोषित किया जाए और राजस्थान राज्य को उन संपत्तियों से बाहर कर दिया जाए या वैकल्पिक रूप से उक्त शासक को किराया देने का निर्देश दिया जाए। मुद्दा यह था कि क्या उन तीन संपत्तियों को स्वीकार किया गया था शासक की निजी संपत्तियाँ हों। चूँकि मुकदमा सीधे तौर पर विलय से संबंधित संबंधित दस्तावेजों में संपत्ति के विवरण के दायरे से संबंधित है, अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध को देखते हुए

संविधान, मुकदमों को बनाए रखने योग्य नहीं पाया गया। इस न्यायालय के समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत किया गया था कि "मूल" वाचा में संपत्ति

शासक की निजी संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया था, और दिनांकित 14.09.1949 सहित बाद के संचार काम नहीं करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत एक प्रतिबंध के रूप में। इस पृष्ठभूमि में इस न्यायालय द्वारा इस मामले को निम्नानुसार निपटाया गया थाः

" 20. श्री शर्मा द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि भले ही 14 सितंबर, 1949 के पत्र को एक समझौते के साक्ष्य के रूप में माना गया था, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 363 के परिणामस्वरूप हुआ एक समझौता था। राजस्थान वाचा, जो केवल उनके अनुसार, लेख द्वारा कवर किया गया समझौता था। यह विवाद भी बिना किसी विवाद के है।

पदार्थ। संविधान का अनुच्छेद 363 किसी भी समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है जो समझौते के प्रारंभ से पहले किया गया था या निष्पादित किया गया था।किसी भारतीय राज्य के किसी भी शासक द्वारा संविधान जिसके लिए –

भारत सरकार एक पार्टी थी। लेख का संचालन किसी भी "मूल" वाचा और प्रत्येक समझौते तक सीमित नहीं है।

यह प्राथमिक है या पूर्ववर्ती समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया समझौता अनुच्छेद के दायरे में आएगा।इस प्रकार यह तथ्य कि 14 सितंबर, 1949 के पत्र में निहित समझौता इसके तहत की गई कार्रवाई का परिणाम था

राजस्थान वाचा के प्रावधान, उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई याचिका का कोई जवाब नहीं है कि अनुच्छेद 363

संविधान दो मुकदमों की रखरखाव के लिए एक बाधा है, हालांकि हम जोड़ सकते हैं, कि समझौता सीधे [2020] 9 एस. सी. आर. से नहीं आया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान वाचा लेकिन अनुच्छेद XII के खंड (2) के प्रावधानों को नजरअंदाज करके और उनसे अलग करके प्रवेश किया गया था।

(iv) इन परिस्थितियों में, हम राज्य के साथ-साथ संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।वर्तमान मामले में आकर्षित किया गया, और यह कि अपीलकर्ताओं के साथ-साथ उनका समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उस ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं।

II] संविधान के अनुच्छेद 25 (1) और 26 (बी) के आधार पर प्रस्तुतियाँ i) इस संबंध में हस्तक्षेप करने वालों के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को पैरा 42 में नोट किया गया है।

यहाँ ऊपर। हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय में ऐसी कोई प्रस्तुति नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा अभिवचन के रूप में कोई तथ्यात्मक आधार भी नहीं रखा गया था।

(ii) प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा अभिवचनों और आवश्यक मुद्दों को उठाए जाने के अभाव में, यह अत्यंत कठिन होगा कि

विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक द्वारा इस प्रकार उठाए गए मुद्दों पर विचार करें और विचार करें कि क्या महाराजा आदित्य के वंशज और "पद्मनाभदास" के रूप में शाही परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका मंदिर की नींव और पहचान के लिए आवश्यक और अभिन्न है। इसी तरह, यह सवाल कि क्या "परशुराम पद्धति" का अभ्यास करने की अपनी क्रिया की एक अलग पहचान है, तथ्यों के पूर्ण विस्तार और मूल्यांकन की भी आवश्यकता होगी।

iii) इसलिए हम राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता की दलीलों को स्वीकार करते हैं कि किसी भी दावे के अभाव में

एक पहचान योग्य धार्मिक संप्रदाय द्वारा उचित रूप से स्थापित कार्यवाही में उठाए जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत किसी भी अधिकार के उल्लंघन के संबंध में निर्णय लेने या निष्कर्ष देने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

संविधान, और यह कि इस प्रश्न में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं होगा कि क्या मंदिर एक सांप्रदायिक चरित्र का है या नहीं जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, या कि "त्रावणकोर के शासक" और मंदिर के बीच संबंध को सामान्य रूप से हिंदू धर्म का एक आवश्यक या अभिन्न अंग कहा जा सकता है।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

कार्यवाही।110. कानूनी मुद्दों से निपटने के बाद, हमें अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि "आगे का रास्ता" क्या होना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद,

इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए, समितियों का गठन किया गया और निरीक्षण किए गए। अधिकांश कल्लारों के संबंध में आविष्कार किया गया है, मंदिर की प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का डिजिटलीकरण किया गया है, और पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से सभी अधिकारियों द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों के तहत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। राज्य ने काफी राशि भी खर्च की है जैसा कि पैरा 44 में उल्लिखित सारणीबद्ध चार्ट में कहा गया है।

i) इस धारणा के अनुरूप कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है।

और यह कि किसी भी स्तर पर कोई पारिश्रमिक अतीत में प्राप्त नहीं किया गया था या भविष्य में इसका उद्देश्य नहीं होगा, राज्य की ओर से दायर हलफनामे के जवाब में एक नोट के रूप में अपीलार्थियों की ओर से एक सुझाव दिया गया था। उक्त टिप्पणी में, जो ऊपर पैराग्राफ 47 में विस्तार से दी गई है, अपीलार्थियों ने एक रचना का

सुझाव दिया हैप्रशासनिक समिति और एक सलाहकार समिति। मोटे तौर पर, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रशासनिक समिति का गठन पांच सदस्यों से किया जाए, जिसमें अध्यक्ष केरल सरकार के सचिव के पद का एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हो; अन्य चार सदस्य (i) न्यासी का एक नामित सदस्य; (ii) मंदिर का मुख्य तंत्री; (iii) केरल सरकार का एक नामित सदस्य; और (iv) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित एक सदस्य। नोट के पैरा 8 के संदर्भ में, न्यासी जिसे मंदिर का प्रबंधक या शेबत कहा जाता है, सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह से निर्देशित होगा।

और इस प्रकार प्रबंध समिति आठ सदस्यों की होगी जिसमें दो पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् पद्मनाभदास और वरिष्ठ तंत्री; जबकि अन्य छह सदस्यों को हिंदुओं द्वारा मंत्रिपरिषद में नामित किया जाएगा; उनमें से एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा जबकि एक महिला होगी, और दूसरा मंदिर के कर्मचारियों का प्रतिनिधि है।

111. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया था।

दिनांक 02.05.2011 के आदेश द्वारा, दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे।

ए)

आविष्कार के उद्देश्यों के लिए।

ख) 21.07.2011 दिनांकित आदेश द्वारा, एक विशेषज्ञ समिति थी

इन्वेंटरी, संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए नियुक्त।

उसी आदेश द्वारा, विशेषज्ञ समिति के कामकाज की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए निरीक्षण समिति भी नियुक्त की गई थी।

सी)

दिनांकित 13.02.2013 आदेश मंदिर समिति को संदर्भित करता है

टी. सी. अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में शासक को सलाह देने के लिए

त्रावणकोर।

डी) दिनांक 11.12.2013 के आदेश द्वारा, संरक्षण और पुनर्स्थापना

संरचनात्मक नवीकरण के लिए समिति नियुक्त की गई और

पुनर्स्थापना।

ई)

चूंकि कार्यकारी अधिकारी छुट्टी पर चले गए, एक अंतरिम

मंदिर से संबंधित दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए 24.04.2014 के आदेश के अनुसार प्रशासनिक समिति नियुक्त की गई थी।दिनांकित 09.05.2017 और 04.07.2017 के आदेशों के अनुसार, इसके अलावा

एफ)

संरक्षण समिति का पुनर्गठन, एक चयनश्रीकोविल के लिए समिति भी आवश्यक ज्ञान रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए नियुक्त की गई थी।

इन समितियों का गठन इस न्यायालय में संपादन के अंतरिम चरण में किया गया था।112. हम, इस स्तर पर, इस न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति द्वारा दी गई कुछ रिपोर्टों का भी उल्लेख कर सकते हैंः

i) दिनांकित 05.01.2018 की रिपोर्ट में, यह बताया गया था कि इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि एक तदर्थ समिति मंदिर के मामलों के शीर्ष पर थी, कुछ निवासियों ने

पूर्वी नाडा, उत्तरी द्वार और उत्सव मडोम भवन पर संरचनाएँ अवैध और अनधिकृत कब्जे में बनी रहीं या थीं और ऐसे निवासियों से उक्त संरचनाओं के कब्जे को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

ii) 01.01.2020 की रिपोर्ट में, यह कहा गया था कि 04.011 से। 2019 20.12.2019 के लिए, भक्तों द्वारा किए गए प्रसाद

'कनिका' में मंदिर का दौरा करने के लिए

रु. 5,68,96,260/– (पांच करोड़ अड़सठ लाख छियानबे हजार दो सौ साठ मात्र)।

iii) जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर के तहत 27.05.2020 की रिपोर्ट में पहले के संकल्प दिनांक 13.06.2017 का उल्लेख किया गया है और इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.07.2017 में जारी किए गए निर्देश में राज्य से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IA & AS) से तीन अधिकारियों के एक पैनल को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

मंदिर का लेखापरीक्षा और लेखा–जोखा करना और प्रशासनिक समिति को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट में कहा गया हैः

" मैं यह भी बता सकता हूं कि मंदिर की वित्तीय स्थिति और खातों के संबंध में प्रशासनिक समिति पूरी तरह से अंधेरे में है। विभिन्न जिला न्यायाधीशों ने विभिन्न अवधियों के दौरान प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समिति की स्थापना के बाद से। अब तक, मंदिर के वित्तीय मामलों के प्रभारी संबंधित कार्यकारी अधिकारियों ने प्रशासनिक समिति के समक्ष न तो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और न ही लेखा विवरण।

....

कार्यकारी अधिकारी ने मुझे बताया कि प्राचार्य के रूप में

महालेखाकार ने सेवारत आई. ए. ए. एस. अधिकारियों के पारिश्रमिक पर सवाल उठाए और राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं थी। खर्चों को पूरा करने की स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया जा सका। इसके बाद, 18.09.2017 पर, प्रशासनिक समिति ने निम्नलिखित का समाधान कियाः

‘ (i) आंतरिक लेखा परीक्षक और सांविधिक द्वारा संचालित लेखा परीक्षा की देखरेख के लिए एक आई. ए. और ए. एस. अधिकारी की सेवा की आवश्यकता होती है।

लेखा परीक्षक।

((ख)

सेवारत आई. ए. और ए. एस. अधिकारी की सेवा की आवश्यकता होती है

विदेशी सेवा की शर्तें।

(iii)

इसके अलावा, दो गैर–आई. ए. और ए. एस. अधिकारियों की सेवाएं, जो सेवा में हैं, विदेश सेवा पर भी आवश्यक है

आई. ए. एंड ए. एस. अधिकारी की सहायता के लिए शर्तें। '[2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति ने कार्यकारी अधिकारी को इस मामले को सरकार के साथ उठाने और घटनाक्रम को सामने लाने के लिए भी अधिकृत किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय का नोटिस।

अब तक, एक नियुक्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आंतरिक लेखापरीक्षा और वैधानिक लेखापरीक्षा की देखरेख करने वाले आई. ए. एंड ए. एस. अधिकारी का अनुपालन नहीं किया गया है। फिर भी समिति अंधेरे में है

मंदिर की वित्तीय स्थिति और खाते।

113. मंदिर के प्रशासन के संबंध में टी. सी. अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट हैंः क) धारा 18 (2) के तहत प्रशासन का संचालन किया जाएगा। त्रावणकोर के शासक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, एक

उनके द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी "।

ख) धारा 20 के संदर्भ में त्रावणकोर के शासक द्वारा नामित तीन सदस्यों से बनी "श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर समिति" त्रावणकोर के शासक को अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह देती है।

इस प्रकार क़ानून ने कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और सलाहकार समिति के गठन की शक्ति राज्य के शासक को सौंप दी है।

त्रावणकोर।

नोट में, अपीलकर्ताओं ने कहा हैः

(1) " न्यासी धारा 18 (2) के तहत प्रशासन की अपनी शक्तियां प्रशासनिक समिति को सौंप देगा जो एक कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से मंदिर का प्रशासन करेगी।

समिति द्वारा नियुक्त "।

((ii) सभी नीतिगत मामलों पर न्यासी सलाह द्वारा निर्देशित होगा।

सलाहकार समिति।

114. प्रतिद्वंद्वी सुझावों पर चिंता से विचार करने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए समितियों की संरचना योग्य है।

स्वीकृति, विशेष रूप से हमारे द्वारा किए गए निष्कर्षों के प्रकाश में कि

मंदिर का प्रबंधन या शेबैटशिप परिवार के साथ जारी रहता है। जहां तक टी. सी. अधिनियम के भाग । के अध्याय ।।। द्वारा त्रावणकोर के शासक के हाथों में पूर्ण रूप से विचार किए गए प्रशासन का सवाल है, अपीलार्थियों द्वारा अब सुझाया गया मार्ग काफी संतुलित है। जैसा कि सुझाव दिया गया है, प्रशासनिक समिति की संरचना व्यापक आधार वाली है और इसे न्यासी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रखा जाएगा। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान अंतरिम प्रशासनिक समिति श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. केरल राज्य और ओ. आर. एस. [उदय उमेश ललित, जे।]

जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से काम चल रहा है, और समिति के अध्यक्षों के रूप में विभिन्न जिला न्यायाधीशों ने खुद को काफी अच्छी तरह से संचालित किया, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं द्वारा अपने नोट में सुझाए गए प्रशासनिक समिति में एक मामूली बदलाव की आवश्यकता है। न्याय के हित में प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में केरल सरकार के सचिव के पद के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के बजाय, जिला न्यायाधीश,

तिरुवनंतपुरम प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अंतरिम प्रशासनिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष इतने लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहेंगे।क्योंकि वह जिला न्यायाधीश, तिरुवनंतपुरम का पद संभालते हैं। सलाहकार समिति की संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर का प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए।

115. इसलिए, हम अपीलार्थियों द्वारा अपने नोट में दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हैं जो इसके ऊपर अनुच्छेद 47 में विस्तार से दिए गए हैं –

प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति के गठन के संबंध में, प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के संबंध में संशोधन के अधीन, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है। अपीलार्थी संख्या 1 इस निर्णय के चार सप्ताह के भीतर टिप्पणी के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में वचन का एक उपयुक्त शपथ पत्र दाखिल करेगा और ऊपर बताए गए संशोधन के लिए भी सहमत होगा। इस प्रकार दाखिल किए गए वचन का शपथ पत्र अपीलार्थी संख्या 1 और उसके सभी उत्तराधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा।

शपथ पत्र दाखिल करने के चार सप्ताह के भीतर दोनों समितियों का गठन किया जाएगा और वे कार्यशील हो जाएंगी। द.

प्रशासनिक समिति तुरंत कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगी। प्रशासनिक समिति के गठन के बाद, दिनांकित 24.04.2014 आदेश के अनुसार नियुक्त अंतरिम प्रशासनिक समिति का संचालन बंद हो जाएगा।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत टिप्पण के संदर्भ में –

" टी. सी. अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत त्रावणकोर के शासक को प्रशासनिक समिति को सौंपा जाएगा, जबकि सलाहकार समिति को टी. सी. अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में गठित समिति माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्षों सहित सभी सदस्य हिंदू होने चाहिए और टी. सी. अधिनियम की धारा 2 (ए. ए.) की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में गठित अन्य सभी समितियाँ चार महीने तक जारी रहेंगी, और यह सलाहकार समिति पर निर्भर करेगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उनकी सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

समितियों की आवश्यकता है या नहीं।

यह भी कहा जाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा तैनात वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन उस ओर से होने वाला खर्च मंदिर द्वारा आगे वहन किया जाएगा।

116. प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति अपने सभी कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करेगी, जिसमें देवता की पूजा करना, उसकी संपत्तियों का रखरखाव, लगन से और मंदिर के सर्वोत्तम हित में, और उपासकों को पर्याप्त और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है; और विशेष रूप सेः

(क) श्री को दिए गए सभी खजाने और संपत्तियों का संरक्षण करें।

पद्मनाभस्वामी और मंदिर से संबंधित लोग।

(ख) सभी किरायेदार संपत्तियों की रक्षा करें और उचित उपाय करें।

ऐसी किरायेदार संपत्तियों से उचित लाभ सुनिश्चित करना।

(ग) यह सुनिश्चित करें कि सभी अनुष्ठान और धार्मिक प्रथाएं मंदिर के मुख्य तंत्री के निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार और रीति–रिवाजों और परंपराओं के अनुसार की जाती हैं। अस्थायी मामलों में, समितियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा –

मुख्य थांथ्री द्वारा दी गई सलाह। मुख्य तंत्री का पदनाम रीति–रिवाजों और परंपराओं के अनुसार किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि को राज्य को वापस करने के लिए उचित कदम उठाएंगे जैसा कि ऊपर पैराग्राफ No.44 में चार्ट में सूचीबद्ध है।(ई) मंदिर को प्राप्त होने वाली सभी आय, साथ ही उपासकों द्वारा किए गए प्रसाद, निम्नलिखित में खर्च किए जाएंगेः

तरीका –((i) उपासकों के लिए सुविधाओं में सुधार करना; और

((ii) सलाहकार के रूप में ऐसे धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए

समिति उचित समझ सकती है; और

(iii) ऐसे निवेशों में जो उचित प्रतिफल प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर की संपत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

और सुरक्षित।

मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. ई ऑफ केराला एंड ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

मंदिर की किसी भी संपत्ति या धन को पुनर्प्राप्त और पुनर्प्राप्त करें जिसका दुरुपयोग किया गया है या अनधिकृत कब्जे में है या दुरुपयोग किया गया है।

द्वारा सुझाए गए पिछले 25 वर्षों के लिए लेखा परीक्षा का आदेश देगा

उन्होंने एमिकस क्यूरी सीखा। लेखापरीक्षा एक द्वारा की जाएगी

प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों की फर्म। सलाहसमिति इस बात पर भी विचार करेगी कि मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

चल और अचल।

मंदिर और उसके परिसरों के संरक्षण के साथ-साथ सभी सुविधाओं में सुधार के लिए उचित कदम उठाएं।

विचार करेंगे कि कल्लारा बी को इसके लिए खोला जाना है या नहीं।

आविष्कार का उद्देश्य। दिनांकित अंतरिम आदेश

27.11.2014 और इस न्यायालय द्वारा पारित 04.07.2017 ने अभिलिखित किया था कि कल्लारा बी को नहीं खोला गया था, और यह निर्देश दिया गया था कि उक्त कल्लारा बी के संबंध में आविष्कार इस न्यायालय से स्पष्ट आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जाए। हम समझते हैं

इस मुद्दे को सर्वोत्तम निर्णय पर छोड़ना उचित है और

समितियों का विवेकाधिकार।श्रीकोविल के लिए चयन समिति सहित इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों को दिए गए सभी दायित्वों का पालन करें।

इस न्यायालय में दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

दिसंबर, 2020 में तब तक के सभी घटनाक्रमों को संक्षेप में बताया गया है। लेखाओं के बाद अगली रिपोर्ट दाखिल की जाएगी

वर्ष समाप्ति 31.03.2021 का लेखा-परीक्षण किया जाता है।

राज्य के महालेखाकार के कार्यालय में लेखापरीक्षित खाते और तुलनपत्र दाखिल करेंगे, प्रत्येक

वर्ष।

अपीलार्थियों द्वारा की गई विशिष्ट प्रस्तुति के आलोक में, संख्या 1 और उसके उत्तराधिकारी किसी भी प्रकार की याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे।प्रबंधक या न्यासी के रूप में उनकी सेवाओं के लिए। प्रशासनिक समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित एक मामूली और उचित पारिश्रमिक होगा।

सक्रिय समिति।

118. इस प्रकार, सिविल अपीलों की अनुमति उपरोक्त निर्देशों के अधीन, लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना दी जाती है। 119. 2011 की रिट याचिका (सिविल) No.518 निम्नलिखित प्रमुख राहत की मांग करते हुए दायर की गई थीः

" भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को एक तंत्र विकसित करने और लागू करने के लिए निर्देश दें जिसके द्वारा

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को अक्षुण्ण रखा जा सकता है और साथ ही इसका उचित और लाभदायक उपयोग किया जा सकता है।

भ्रष्ट लेन–देन, क्षरण और बर्बादी की संभावनाओं के बिना। "

120. 2019 की अवमानना याचिका No.493 दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ बयान मंदिर रक्षक द्वारा दिए गए थे; और यह कि तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी उक्त मंदिर रक्षक की रक्षा कर रहे थे। विचार करें। हम आरोपों की प्रकृति का संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं और अवमानना याचिका खारिज कर दी जाती है।

121. अंत में, हमें विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए और उनके लिए भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए।

अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन। हम उन सभी व्यक्तियों और विभिन्न समितियों के सदस्यों के भी आभारी हैं जिन्होंने समय–समय पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों के जवाब में अपने दायित्वों का लगन से निर्वहन किया।

अंकित ज्ञान

मामलों का निपटारा किया गया।